अनुक्रमणिका/Index

01. अनुक्रमणिका /Index 01

02. क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल/सम्पादकीय सलाहकार मण्डल 05/06

03. निर्णायक मण्डल 07

04. प्रवक्ता साथी 09/10

(Science / विज्ञान)

05. Quantum Mechanics (Dr. Neeraj Dubey) 11

06. Micro Analysis of Sulpha Guanidine Drug with Potassium Dipertelluratocuprate (III) Reagent (Alok Mishra) 14

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

07. Start Up India, Stand Up India : A New Ray Of Hope (Dr. P.Y. Mishra) 16

08. Human Resource Management Study Bharat Sanchar Nigam Limited Bharti Airtel Private Limited(Dr. Ashok Verma, Anita Shinde) 19

09. Measurement Of Consumer Satisfaction Towards Service Quality Of Fast Moving Consumerable Goods : An Analytical Study (Dr. Neha Mathur) 22

10. Impact Of Demonetization On Indian Banking- The Positive And Negative (Dr. Pravin Mantri) 24

11. इन्दौर जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन (डॉ. अनूप व्यास, सीमा परमार) 26

12. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रतलाम द्वारा प्रदत्त मध्यकालीन ऋणों का विश्लेषण (वर्ष 2005-06 से 2009-10) (डॉ. लक्ष्मण परवाल, डॉ. विमलेश कुमार सोनी) 30

13. महिला सशक्तिकरण - संवैधानिक प्रावधान एवं आर्थिक सशक्तिकरण (डॉ. शैला सिद्ध) 33

14. उमरिया जिले की ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण की भूमिका (डॉ. राजू रैदास) 36

15. किसानों की समस्या का समाधान किसान काल सेंटर (डॉ. विजय ग्रेवाल, अंजली ओहरिया) 39

16. बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ 41
(डॉ. सुरेश कटारिया, मनीष जैन)

(Economics / अर्थशास्त्र)

17. भारतीय कृषि में न्यून उत्पादकता की समस्याएँ एवं समाधान 43
(डॉ. सुनीता बाथरे, आस्था रजक)

(Political Seience / राजनीति विज्ञान)

18. भारत में राष्ट्रपति चुनाव की राजनीति 46
(डॉ. मीनाक्षी पँवार)

(History / इतिहास)

19. ब्रिटिशकाल में नरसिंहपुर नगर का सामाजिक रूपान्तरण 50
(डॉ. भूषण कुमार कुरोठे)

20. सिवनी का नगरीय विकास 1861 से 1975 तक 52
(डॉ. संकेत कुमार चौकसे)

(Sociology / समाजशास्त्र)

21. शहडोल जिले के बैगा जनजाति का सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन पर अध्ययन 54
(अमरनाथ सिंह कमल)

22. घरेलू वृद्धजनों की सामाजिक दशाएँ का समाजशास्त्रीय अध्ययन 58
(सरोज वर्मा)

23. उत्तराखण्ड में ग्रामीण महिलाओं का जीवन आधार (कृषि, पशुधन) 60
(डॉ. अर्चना कुकरेती सकलानी)

24. स्वतंत्रता से पूर्व स्व:सहायता समूह एवं विकास योजनाओं का समन्वय 62
(विजयादित्य प्रधान)

(Geography / भूगोल)

25. डूँगरपुर जिले में जनजातियों की आर्थिक-सुविधाएँ एवं विकास (1981 से 2010) 64
(एक भौगोलिक अध्ययन भू.अ.नि.वृ. के आधार पर)(गोविन्द लाल सरगड़ा)

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

26. समकालीन युगीन साहित्यिक परिस्थितियाँ 68
(डॉ. कला जोशी, रेमी जायसवाल)

27. कवि श्री कृष्ण ‘सरल’ के राष्ट्रीय चिंतन को प्रेरित करने वाले घटक 70
(डॉ. भारती शर्मा)

28. साहित्यिक परिदृश्य में बुंदेलखंड का इतिहास 73
(डॉ. अमित शुक्ल)

29. संप्रेषणशील भाषा के रूप में हिन्दी का शिक्षण – वैश्विक परिदृश्य 75
(संदीप सिद्ध, डॉ. शैला सिद्ध)

30. समाचारों में भाषागत निहित संभावनाएँ 77
(डॉ. चन्द्रकला चौहान)

(Sanskrit / संस्कृत)

31. गुणों के रत्नाकर वर्धमान महावीर–संस्कृत काव्यों के आलोक में 79
(डॉ. संगीता मेहता)

32. वैदिक वाङ्मय में वाक् की महिमा 82
(डॉ. सरिता यादव)

33. वेदों में भारतीय संस्कृति का महत्व 85
(विष्णु उपाध्याय)

34. वृहदारण्यकोपनिषद् में याज्ञवल्क्य और अश्वल आख्यान 87
(डॉ. बालकृष्ण प्रजापति)

35. वर्तमान समय में संस्कृत का आध्यात्मिक महत्व 89
(रश्मि गुप्ता)

36. ब्राह्मण ग्रन्थों का सांस्कृतिक एवं साहित्यिक वैशिष्ट्य 91
(डॉ. बीना कुमारी यादव)

(Drawing & Design / चित्रकला)

37. चित्रकला में दिव्य की अभिव्यक्ति 93
(खुशबू जांगलवा, डॉ. रंजना वानखड़े)

38. सांची के स्मारक 96
(सोनाली टोके)

(Law/ विधि)

39. A Study on "Encounter' killing in India 98
(Dr. Rajiv Jain)

40. A Uniform Civil Code for India - A Legislative and Judicial approach 101
(Lok Narayan Mishra)

41. Approches To Socio-Economic Offences In India 104
(Dr. Rajiv Jain)

42. Constitutional and legal provisions relating to Women Empowerment in India 106
(Dr. Neelesh Sharma)

43. Sexual Harrassment : The Law 110
(Dr. Rajiv Jain)

44. Marital Rape- A Study Of Legal Perspective In India 112
(Dr. Neelesh Sharma)

(Education / शिक्षा)

45. The Moral Values Of A Teacher In The Literature Of Shri Vasudevanandsarswati 114
(Tembe Swami) (Dr. Prem Chhabra, Dr. Bharati Bhat, Madhuri Paliwal)

(Others / अन्य)

46. ग्रन्थालयों एवं पुस्तकालयों की उन्नति, विकास एवं अनुसंधान में उपयोगिता 117
(विपिन बिहारी मिश्र)

47. योग के प्रकार के प्रकार अंतर्गत –राजयोग 119
(डॉ. प्रतिभा नामदेव)

****

क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय (Regional Editor Board- International & National) मानद्

(01) डॉ. मनीषा ठाकुर..................... फुल्टन कॉलेज, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका
(02) श्री अशोककुमार .... एम्प्लॉयब्लिटी ऑपरेशन्स मैनेजर, एक्शन ट्रेनिंग सेन्टर लि. लन्दन, यूनाईटेड किंगडम
(03) प्रो. डॉ. सिलव्यू बिस्यू.............. वाईस डीन (वाणिज्य एवं प्रबन्ध) कृषि एवं ग्रामीण विकास महाविद्यालय, बूचारेस्ट, रोमानिया
(04) श्री खगेन्द्रप्रसाद सुबेदी .... सीनियर सॉयकोलॉजिस्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन, सेन्ट्रल ऑफिस, अनामनगर, काठमाँडू, नेपाल
(05) प्रो. डॉ. ज्ञानचंद खिमेसरा .... पूर्व प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
(06) प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार राघव .... शोध निदेशक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय, जयपुर (राज.) भारत
(07) प्रो. डॉ. एन.एस.राव. .... संचालक, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(08) प्रो. डॉ. अनूप व्यास. .... (पूर्व) संकायाध्यक्ष, वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(09) प्रो. डॉ. पी.पी. पाण्डे .... संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन), अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. संजय भयानी. .... अध्यक्ष, व्यवसाय प्रबंध विभाग, सौराष्ट्र विश्व विद्यालय, राजकोट (गुजरात) भारत
(11) प्रो. डॉ. प्रताप राव कदम .... अध्यक्ष, वाणिज्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत
(12) प्रो. डॉ. बी.एस. झरे . ... प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्री शिवाजी महाविद्यालय, आकोला (महाराष्ट्र) भारत
(13) प्रो. डॉ. राकेश शर्मा................. अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुड़गांव (हरियाणा) भारत
(14) प्रो. डॉ. संजय खरे .... प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, शास. स्वशासी कन्या स्नात. उत्कृष्टता महा., सागर (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. डॉ. आर.पी. उपाध्याय .... परीक्षा नियंत्रक, शासकीय कमलाराजे कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महा., ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(16) प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा.......... प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महा., भोपाल (म.प्र.) भारत
(17) प्रो. अखिलेश जाधव................ प्राध्यापक, भौतिकी, शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) भारत
(18) प्रो. डॉ. कमल जैन .... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत
(19) प्रो. डॉ.डी.एन. खड़से .... प्राध्यापक, वाणिज्य, धनवते नेशनल कॉलेज, नागपुर (महाराष्ट्र) भारत
(20) प्रो.डॉ. वन्दना जैन.................. प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(21) प्रो. डॉ. हरदयाल अहिरवार .... प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत
(22) प्रो. डॉ. शारदा त्रिवेदी .... सेवानिवृत्त प्राध्यापक, गृहविज्ञान, इंदौर (म.प्र.) भारत
(23) प्रो. डॉ. उषा श्रीवास्तव .... अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेच्यूट स्टडी. सोलदेवानली, बैंगलुरू (कर्ना.) भारत
(24) प्रो. डॉ. गणेशप्रसाद दावरे .... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत
(25) प्रो. डॉ. एच.के. चौरसिया .... प्राध्यापक, वनस्पति, टी.एन.वी. महाविद्यालय, भागलपुर (बिहार) भारत
(26) प्रो. डॉ. विवेक पटेल .... प्राध्यापक, वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भारत
(27) प्रो. डॉ. दिनेशकुमार चौधरी .... प्राध्यापक, वाणिज्य, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(28) प्रो. डॉ. आर.के. गौतम .... प्राध्यापक ,वाणिज्य, शासकीय मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
(29) प्रो. डॉ. जितेन्द्र के. शर्मा .... प्राध्यापक, वाणिज्य एवं प्रबंध, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय केन्द्र, पालवाल (हरियाणा) भारत
(30) प्रो. डॉ. गायत्री वाजपेयी .... प्राध्यापक, हिन्दी, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
(31) प्रो. डॉ. अविनाश शेन्द्रे .... विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, प्रगति कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, डोम्बीवली, मुम्बई (महाराष्ट्र) भारत
(32) प्रो. डॉ. जी.सी. मेहता.............. पूर्व अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(33) प्रो.डॉ. बी.एस. मक्कड़ .... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(34) प्रो.डॉ. पी.पी. मिश्रा .... विभागाध्यक्ष, गणित, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना, (म.प्र.) भारत
(35) प्रो.डॉ. सुनील कुमार सिकरवार.... प्राध्यापक, रसायन, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत
(36) प्रो.डॉ. के.एल. साहू .... प्राध्यापक, इतिहास, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
(37) प्रो.डॉ. मालिनी जॉनसन .... प्राध्यापक, वनस्पति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत
(38) प्रो.डॉ. विशाल पुरोहित .... एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.) भारत

सम्पादकीय सलाहकार मण्डल (Editorial Advisory Board, INDIA) मानद्

(01) प्रो. डॉ. नरेन्द्र श्रीवास्तव .... प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'इसरो' बैंगलुरू (कर्नाटक) भारत
(02) प्रो. डॉ. आदित्य लूनावत .... निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.) भारत
(03) प्रो. डॉ. संजय जैन .... पूर्व सहायक नियंत्रक, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल (म.प्र.) भारत
(04) प्रो. डॉ.एस.के. जोशी .... पूर्व प्राचार्य, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
(05) प्रो. डॉ. जे.पी.एन. पाण्डेय .... पूर्व प्राचार्य, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत
(06) प्रो. डॉ. सुमित्रा वास्केल .... प्राचार्य, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर(म.प्र.) भारत
(07) प्रो. डॉ. पी.आर. चन्देलकर ...... प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत
(08) प्रो. डॉ. मंगल मिश्र .... प्राचार्य, श्री क्लॉथ मार्केट, कन्या वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
(09) प्रो. डॉ.आर.के. भट्ट .... पूर्व प्राचार्य, शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.) भारत
(10) प्रो. डॉ. अशोक वर्मा .... पूर्व संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(11) प्रो. डॉ. टी.एम. खान .... प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, धामनोद, जिला-धार (म.प्र.) भारत
(12) प्रो. डॉ. राकेश ढण्ड .... संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
(13) प्रो. डॉ. अनिल शिवानी .... अध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
(14) प्रो. डॉ. पद्मसिंह पटेल .... अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर (म.प्र.) भारत
(15) प्रो. डॉ. मंजु दुबे .... संकायाध्यक्ष (डीन), गृह विज्ञान संकाय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(16) प्रो. डॉ.ए.के. चौधरी .... प्राध्यापक, मनोविज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
(17) प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह राव .... प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला-रतलाम (म.प्र.) भारत
(18) प्रो. डॉ. पी.के. मिश्रा .... प्राध्यापक ,प्राणी शास्त्र, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत
(19) प्रो. डॉ. के. के. श्रीवास्तव .... प्राध्यापक ,अर्थशास्त्र, विजया राजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
(20) प्रो.डॉ. कान्ता अलावा .... प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत
(21) प्रो. डॉ. एस. के. जैन .... प्राध्यापक ,वाणिज्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत
(22) प्रो. डॉ. किशन यादव .... एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) शोध केन्द्र, बुन्देलखण्ड कॉलेज, झांसी (उ.प्र.) भारत
(23) प्रो. डॉ. बी.आर.नलवाया .... प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
(24) प्रो. डॉ. नट्वरलाल गुप्ता .... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल वाणिज्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
(25) प्रो.डॉ. पुरुषोत्तम गौतम .... संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर (म.प्र.) भारत
(26) प्रो. डॉ. एस. सी. मेहता .... प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, शासकीय भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जावरा (म.प्र.) भारत
(27) प्रो.डॉ. तपन चौरे.................... अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अर्थशास्त्र, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

****

निर्णायक मण्डल (Referee Board) मानद्

*** विज्ञान संकाय ***

गणित:- .... (1) **प्रो. डॉ.वी.के. गुप्ता**, संचालक वैदिक गणित एवं शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)
भौतिकी:- .... (1) **प्रो. डॉ. आर.सी. दीक्षित**, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(2) **प्रो.डॉ. नीरज दुबे**, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
कम्प्यूटर विज्ञान:- .... (1) **प्रो. डॉ. उमेश कुमार सिंह**, अध्यक्ष कम्प्यूटर अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
रसायन:- .... (1) **प्रो. डॉ. मनमीत कौर मक्कड़**, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्ज़ैन (म.प्र.)
वनस्पति:- .... (1) **प्रो. डॉ. सुचिता जैन**, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)
(2) **प्रो.डॉ. अखिलेश आयाची**, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
प्राणिकी:- .... (1) **प्रो.डॉ. मंजुलता शर्मा**, एम.एस.जे., राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)
(2) **प्रो. डॉ. अमृता खत्री**, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
सांख्यिकी:- .... (1) **प्रो. डॉ. रमेश पण्ड्या**, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
सैन्य विज्ञान:- .... (1) **प्रो. डॉ. कैलाश त्यागी**, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
जीव रसायन:- .... (1) **डॉ. कंचन डींगरा**, शासकीय एम.एच. गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
भूगर्भ शास्त्र:- .... (1) **प्रो. डॉ. आर.एस. रघुवंशी**, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. सुयश कुमार**, शासकीय आदर्श महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
चिकित्सा विज्ञान:- .... (1) **डॉ. एच.जी. वरूधकर**, आर.डी. गारड़ी मेडिकल महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
सूक्ष्म जीव विज्ञान:- .... (1) **अनुराग झँवेरी**, बायो केयर रिसर्च (आई) प्रा.लि., अहमदाबाद (गुजरात)

*** वाणिज्य संकाय ***

वाणिज्य :- .... (1) **प्रो. डॉ. पी.के. जैन**, शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. शैलेन्द्र भारल**, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(3) **प्रो. डॉ. लक्ष्मण परवाल**, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

*** प्रबंध एवं व्यवसाय प्रशासन संकाय ***

प्रबंध :- .... (1) **प्रो. डॉ. रामेश्वर सोनी**, अध्यक्ष अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. आनन्द तिवारी**, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
मानव संसाधन:- .... (1) **प्रो. डॉ. हरविन्दर सोनी**, पैसेफिक बिजनेस स्कूल, उदयपुर (राज.)
व्यवसाय प्रशासन:- .... (1) **प्रो. डॉ. कपिलदेव शर्मा**, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)

*** विधि संकाय ***

विधि:- .... (1) **प्रो. डॉ. एस.एन. शर्मा**, प्राचार्य, शासकीय माधव विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन**, प्राचार्य श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

*** कला संकाय ***

अर्थशास्त्र:- .... (1) **प्रो. डॉ. पी.सी. रांका**, श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. जे.पी. मिश्रा**, शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)
(3) **प्रो. डॉ. अंजना जैन**, एम.एल.बी. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.)
राजनीति:- .... (1) **प्रो. डॉ. रवींद्र सोहोनी**, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. अनिल जैन**, शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(3) **प्रो. डॉ. सुलेखा मिश्रा**, मानकुंवर बाई शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
दर्शनशास्त्र:- .... (1) **प्रो. डॉ. हेमन्त नामदेव**, शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

समाजशास्त्रः- .... (1) **प्रो. डॉ. एच.एल. फुलवरे**, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. इन्दिरा बर्मन**, शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(3) **प्रो. डॉ. उमा लवानिया**, शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला-सागर (म.प्र.)

हिन्दीः- .... (1) **प्रो. डॉ. चन्दा तलेरा जैन**, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)
(2) **प्रो. डॉ. जया प्रियदर्शनी शुक्ला**, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)
(3) **प्रो. डॉ. कला जोशी**, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

अंग्रेजीः- .... (1) **प्रो. डॉ. अजय भार्गव**, शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. मंजरी अग्निहोत्री**, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)

संस्कृतः- .... (1) **प्रो. डॉ. भावना श्रीवास्तव**, शासकीय स्वशासी महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. बालकृष्ण प्रजापति**, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंजबासौदा जिला विदिशा (म.प्र.)

इतिहासः- .... (1) **प्रो. डॉ. नवीन गिडियन**, शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

भूगोलः- .... (1) **प्रो. डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव**, शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामण्डी, जिला मंदसौर (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. काजल मोइत्रा** , डॉ. सी वी रामन् विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

मनोविज्ञानः- .... (1) **प्रो. डॉ. कामना वर्मा**, प्राचार्य, शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. सरोज कोठारी**, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

चित्रकलाः- .... (1) **प्रो. डॉ. अल्पना उपाध्याय**, शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. रेखा श्रीवास्तव**, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

संगीतः- .... (1) **प्रो. डॉ. भावना ग्रोवर (कथक)**, स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. श्रीपाद अरोणकर**, राजमाता सिन्धिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाडा (म.प्र.)

**** गृह विज्ञान संकाय ****

आहार एवं पोषण विज्ञानः- .... (1) **प्रो.डॉ. प्रगति देसाई**, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. मधु गोयल**, स्वामी केशवानन्द गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
(3) **प्रो. डॉ. संध्या वर्मा**, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

मानव विकासः- .... (1) **प्रो. डॉ. मीनाक्षी माथुर**, अध्यक्ष, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)
(2) **प्रो. डॉ. आभा तिवारी**, अध्यक्ष अध्ययन मण्डल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

पारिवारिक संसाधन प्रबंधः- ... (1) **प्रो. डॉ. मंजु शर्मा**, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इंदौर (म.प्र.)
(2) **प्रो. डॉ. नम्रता अरोरा**, वनस्थली विद्यापीठ (राज.)

**** शिक्षा संकाय ****

शिक्षा .... (1) **प्रो. डॉ. मनोरमा माथुर**, महींद्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बैंगलुरू (कर्नाटक)
(2) **प्रो. डॉ. एन.एम.जी. माथुर**, प्राचार्य एवं डीन पेसेफिक शिक्षा महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(3) **प्रो. डॉ. नीना अनेजा**, प्राचार्य, ए.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन,खन्ना (पंजाब)
(4) **प्रो. डॉ. सतीश गिल**, शिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तिगाँव, फरीदाबाद (हरियाणा)

**** आर्किटेक्चर संकाय ****

आर्किटेक्चर...................... (1) **प्रो. किरण पी. शिंदे** , प्राचार्य, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, आई.पी.एस. एकडेमी, इंदौर (म.प्र.)

**** शारीरिक शिक्षा संकाय ****

शारीरिक शिक्षा .... (1) **प्रो. डॉ. जोगिंदर सिंह**, पेसेफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

**** ग्रन्थालय विज्ञान संकाय ****

ग्रन्थालय विज्ञान .... (1) **डॉ. अनिल सिरौठिया**, शासकीय महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

प्रवक्ता साथी (मानद्)

(01)	प्रो. डॉ. देवेन्द्र सिंह राठौड़	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(02)	प्रो. श्रीमती विजया वधवा	शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(03)	डॉ. सुरेंद्र शक्तावत	ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नीमच (म.प्र.)
(04)	प्रो. डॉ. देवीलाल अहीर	शासकीय महाविद्यालय, जावद, जिला नीमच (म.प्र.)
(05)	श्री आशीष द्विवेदी	शासकीय महाविद्यालय, मनासा, जिला नीमच (म.प्र.)
(06)	प्रो. डॉ. मनोज महाजन	शासकीय महाविद्यालय, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.)
(07)	श्री उमेश शर्मा	कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय, जावी, जिला- नीमच (म.प्र.)
(08)	प्रो. डॉ. एस.पी. पंवार	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(09)	प्रो. डॉ. पूरालाल पाटीदार	शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(10)	प्रो. डॉ. क्षितिज पुरोहित	जैन कला-वाणिज्य-विज्ञान महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(11)	प्रो. डॉ.एन.के. पाटीदार	शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामंडी, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
(12)	प्रो. डॉ. वाय.के. मिश्रा	शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(13)	प्रो. डॉ. सुरेश कटारिया	शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(14)	प्रो. डॉ. अभय पाठक	शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(15)	प्रो. डॉ. मालसिंह चौहान	शासकीय महाविद्यालय, सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)
(16)	प्रो. डॉ. गेंदालाल चौहान	शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(17)	प्रो. डॉ. प्रभाकर मिश्र	शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(18)	प्रो. डॉ. प्रकाश कुमार जैन	शासकीय माधव कला वाणिज्य विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(19)	प्रो. डॉ. कमला चौहान	शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(20)	प्रो. डॉ.आभा दीक्षित	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(21)	प्रो. डॉ. पंकज माहेश्वरी	शासकीय महाविद्यालय, तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.)
(22)	प्रो. डॉ. डी.सी. राठी	स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर
(23)	प्रो. डॉ. अनिता गगराड़े	शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(24)	प्रो. डॉ. संजय पंडित	शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(25)	प्रो. डॉ. रामबाबू गुप्ता	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(26)	प्रो. डॉ. अंजना सक्सैना	शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(27)	प्रो. डॉ. सोनाली नरगुन्दे	पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(28)	प्रो. डॉ. भारती जोशी	आजीवन शिक्षण विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(29)	प्रो. डॉ. एम.डी. सोमानी	शासकीय एम.जे.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(30)	प्रो. डॉ. प्रीति भट्ट	शासकीय एन.एस.पी. विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(31)	प्रो. डॉ. संजय प्रसाद	शासकीय महाविद्यालय, सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)
(32)	प्रो. डॉ. मीना मटकर	सुगनीदेवी कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(33)	प्रो. मोहन वास्केल	शासकीय महाविद्यालय, थांदला, जिला - झाबुआ (म.प्र.)
(34)	प्रो. डॉ. नितिन सहारिया	शासकीय महाविद्यालय, कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
(35)	प्रो. डॉ. मंजु राजोरिया	शासकीय कन्या महाविद्यालय, देवास (म.प्र.)
(36)	प्रो. डॉ. शहजाद कुरैशी	शासकीय नवीन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, मूंदी, जिला खण्डवा (म.प्र.)
(37)	प्रो. डॉ. शैल बाला सांधी	महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(38)	प्रो. डॉ. प्रवीण ओझा	श्री भगवत सहाय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(39)	प्रो. डॉ.ओमप्रकाश शर्मा	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.)
(40)	प्रो. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव	शासकीय विजया राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(41)	प्रो. डॉ. अनूप मोघे	शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
(42)	प्रो. डॉ. हेमलता चौहान	शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(43)	प्रो. डॉ. महेशचन्द्र गुप्ता	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(44)	प्रो. डॉ. मंगला ठाकुर	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.)
(45)	प्रो. डॉ. के.आर. कुम्हेकर	शासकीय महाविद्यालय, सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)
(46)	प्रो. डॉ. आर.के. यादव	शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.)
(47)	प्रो. डॉ. आशा साखी गुप्ता	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)

(48)	प्रो. डॉ. बी. एस. सिसोदिया	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(49)	प्रो. डॉ. प्रभा पाण्डेय	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर, जिला- सतना (म.प्र.)
(50)	डॉ. राजेश कुमार	शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन, जिला-सतना (म.प्र.)
(51)	प्रो. डॉ. रावेन्द्रसिंह पटेल	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(52)	प्रो. डॉ. मनोहरलाल गुप्ता	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगढ़ ब्यावरा (म.प्र.)
(53)	प्रो. डॉ. मधुसुदन प्रकाश	शासकीय महाविद्यालय, गंजबासोदा, जिला-विदिशा (म.प्र.)
(54)	प्रो. युवराज श्रीवास्तव	सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा-बिलासपुर (छ.ग.)
(55)	प्रो. डॉ. सुनील वाजपेयी	शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)
(56)	प्रो. डॉ. ए.के. पाण्डे	शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
(57)	प्रो. डॉ. यतीन्द्र महोबे	शासकीय महिला महाविद्यालय, नरसिंहपुर (म.प्र.)
(58)	प्रो. डॉ. शशि प्रभा जैन	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगर-मालवा (म.प्र.)
(59)	प्रो. डॉ. नियाज अंसारी	शासकीय महाविद्यालय,सिंहावल, जिला सीधी (म.प्र.)
(60)	प्रो. डॉ. अर्जुनसिंह बघेल	शासकीय महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.)
(61)	डॉ. सुरेश कुमार विमल	शासकीय महाविद्यालय, भैंसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.)
(62)	प्रो. डॉ. अमरचन्द्र जैन	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(63)	प्रो. डॉ. रश्मि दुबे	शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(64)	प्रो. डॉ. ए.के. जैन	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीना, जिला- सागर (म.प्र.)
(65)	प्रो. डॉ. संध्या टिकेकर	शासकीय कन्या महाविद्यालय, बीना, जिला- सागर (म.प्र.)
(66)	प्रो. डॉ. राजीव शर्मा	शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(67)	प्रो. डॉ. रश्मि श्रीवास्तव	शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)
(68)	प्रो. डॉ. लक्ष्मीकांत चंदेला	शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)
(69)	प्रो. डॉ. बलराम सिंगोतिया	शासकीय महाविद्यालय सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(70)	प्रो.डॉ. विम्मी बहल	शासकीय महाविद्यालय, काला पीपल, जिला - शाजापुर (म.प्र.)
(71)	प्रो. डॉ. अमित शुक्ल	शासकीय ठाकुर रणमतसिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
(72)	प्रो. डॉ. मीनू गजाला खान	शासकीय महाविद्यालय, मक्सी, जिला-शाजापुर (म.प्र.)
(73)	प्रो. डॉ. पल्लवी मिश्रा	शासकीय महाविद्यालय, नई गढ़ी, जिला- रीवा (म.प्र.)
(74)	प्रो. डॉ. एम.पी. शर्मा	शासकीय महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)
(75)	प्रो. डॉ. जया शर्मा	शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(76)	प्रो. डॉ. सुशील सोमवंशी	शासकीय महाविद्यालय, नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
(77)	प्रो. डॉ. इशरत खान	शासकीय महाविद्यालय, रायसेन (म.प्र.)
(78)	प्रो. डॉ. कमलेशसिंह नेगी	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.)
(79)	प्रो. डॉ. भावना ठाकुर	शासकीय महाविद्यालय रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.)
(80)	प्रो. डॉ. केशवमणि शर्मा	पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.)
(81)	प्रो. डॉ. रेणु राजेश	शासकीय नेहरू अग्रणी महाविद्यालय, अशोक नगर (म.प्र.)
(82)	प्रो. डॉ. अविनाश दुबे	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)
(83)	प्रो. डॉ. वी.के. दीक्षित	छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.)
(84)	प्रो. डॉ. राम अवेधश शर्मा	एम.जे.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.)
(85)	प्रो. डॉ. मनोज कुमार अग्निहोत्री	सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(86)	प्रो. डॉ. समीर कुमार शुक्ला	शासकीय चन्द्र विजय महाविद्यालय, डिण्डोरी (म.प्र.)
(87)	प्रो. अपराजीता भार्गव	अध्यापक ,आर. डी. पब्लिक स्कूल, बैतूल (म.प्र.) भारत
(88)	प्रो. डॉ. अनूप परसाई	शासकीय जे. योगानन्दन छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)
(89)	प्रो. डॉ. अनिलकुमार जैन	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)
(90)	प्रो. डॉ. अर्चना वशिष्ठ	राजकीय राजऋषि महाविद्यालय अलवर (राज.)
(91)	प्रो. डॉ. कल्पना पारीख	एस.एस.जी. पारीख स्नातकोत्तर कॉलेज, जयपुर (राज.)
(92)	प्रो. डॉ. गजेन्द्र सिरोहा	पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(93)	प्रो. डॉ. कृष्णा पैन्सिया	हरिश आंजना महाविद्यालय, छोटीसादड़ी, जिला- प्रतापगढ़ (राज.)
(94)	प्रो. डॉ. प्रदीप सिंह	केंद्रीय विश्व विद्यालय हरियाणा, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)
(95)	प्रो. डॉ. स्मृति अग्रवाल	शोध सलाहकार, नई दिल्ली
(96)	प्रो. डॉ. कविता भदौरिया	शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

Quantum Mechanics

Dr. Neeraj Dubey *

Introduction - Quantum mechanics also known as quantum physics or quantum theory, including quantum field theory, is a branch of physics which is the fundamental theory of nature at small scales and low energy levels of atoms and subatomic particles. Classical physics, the physics existing before quantum mechanics, derives from quantum mechanics as an approximation valid only at large scales. Quantum mechanics differs from classical physics in that energy, momentum and other quantities are often restricted to discrete values, objects have characteristics of both particles and waves, and there are limits to the precision with which quantities can be known.

Important applications of quantum theory include quantum chemistry, superconducting magnets, light-emitting diodes, and the laser, the transistor and semiconductors such as the microprocessor, medical and research imaging such as magnetic resonance imaging and electron microscopy, and explanations for many biological and physical phenomena for energy.

In the mathematically rigorous formulation of quantum mechanics developed by Paul Dirac, David Hilbert, John von Neumann, and Hermann Weyl, the possible states of a quantum mechanical system are symbolized as unit vectors. Formally, these reside in a complex separable Hilbert space—variously called the *state space* or the *associated Hilbert space* of the system—that is well defined up to a complex number of norm 1. In other words, the possible states are points in the projective space of a Hilbert space, usually called the complex projective space. The exact nature of this Hilbert space is dependent on the system—for example, the state space for position and momentum states is the space of square-integrable functions, while the state space for the spin of a single proton is just the product of two complex planes. Each observable is represented by a maximally Hermitian linear operator acting on the state space. Each eigenstate of an observable corresponds to an eigenvector of the operator, and the associated eigenvalue corresponds to the value of the observable in that eigenstate. If the operator's spectrum is discrete, the observable can attain only those discrete eigenvalues.

The probabilistic nature of quantum mechanics thus stems from the act of measurement. This is one of the most difficult aspects of quantum systems to understand. It was the central topic in the famous Bohr–Einstein debates, in which the two scientists attempted to clarify these fundamental principles by way of thought experiments. In the decades after the formulation of quantum mechanics, the question of what constitutes a "measurement" has been extensively studied. Newer interpretations of quantum mechanics have been formulated that do away with the concept of "wave function collapse". The basic idea is that when a quantum system interacts with a measuring apparatus, their respective wave functions become entangled, so that the original quantum system ceases to exist as an independent entity.

Mathematically equivalent formulations of quantum mechanics - There are numerous mathematically equivalent formulations of quantum mechanics. One of the oldest and most commonly used formulations is the "transformation theory" proposed by Paul Dirac, which unifies and generalizes the two earliest formulations of quantum mechanics - matrix mechanics and wave mechanics.

Especially since Werner Heisenberg was awarded the Nobel Prize in Physics in 1932 for the creation of quantum mechanics, the role of Max Born in the development of QM was overlooked until the 1954 Nobel award. The role is noted in a 2005 biography of Born, which recounts his role in the matrix formulation of quantum mechanics, and the use of probability amplitudes. Heisenberg himself acknowledges having learned matrices from Born, as published in a 1940 *festschrift* honoring Max Planck. In the matrix formulation, the instantaneous state of a quantum system encodes the probabilities of its measurable properties, or "observables". Examples of observables include energy, position, momentum, and angular momentum. Observables can be either continuous or discrete. An alternative formulation of quantum mechanics is Feynman's path integral formulation, in which a quantum-mechanical amplitude is considered as a sum over all possible classical and non-classical paths between the initial and final states. This is the quantum-mechanical counterpart of the action principle in classical mechanics.

Interactions with other scientific theories - The rules of quantum mechanics are fundamental. They assert that the

---

* **Prof. & Head (Physics) Govt. Arts & Commerce College, Sagar(M.P.) INDIA**

state space of a system is a Hilbert space and that observables of that system are Hermitian operators acting on that space—although they do not tell us which Hilbert space or which operators. These can be chosen appropriately in order to obtain a quantitative description of a quantum system. An important guide for making these choices is the correspondence principle, which states that the predictions of quantum mechanics reduce to those of classical mechanics when a system moves to higher energies or, equivalently, larger quantum numbers, i.e. whereas a single particle exhibits a degree of randomness, in systems incorporating millions of particles averaging takes over and, at the high energy limit, the statistical probability of random behaviour approaches zero. In other words, classical mechanics is simply a quantum mechanics of large systems. This “high energy” limit is known as the *classical* or *correspondence limit*. One can even start from an established classical model of a particular system, then attempt to guess the underlying quantum model that would give rise to the classical model in the correspondence limit.

Quantum mechanics and classical physics - Predictions of quantum mechanics have been verified experimentally to an extremely high degree of accuracy. According to the correspondence principle between classical and quantum mechanics, all objects obey the laws of quantum mechanics, and classical mechanics is just an approximation for large systems of objects. The laws of classical mechanics thus follow from the laws of quantum mechanics as a statistical average at the limit of large systems or large quantum numbers. However, chaotic systems do not have good quantum numbers, and quantum chaos studies the relationship between classical and quantum descriptions in these systems.

General relativity and quantum mechanics - Even with the defining postulates of both Einstein’s theory of general relativity and quantum theory being indisputably supported by rigorous and repeated empirical evidence, and while they do not directly contradict each other theoretically, they have proven extremely difficult to incorporate into one consistent, cohesive model.

Gravity is negligible in many areas of particle physics, so that unification between general relativity and quantum mechanics is not an urgent issue in those particular applications. However, the lack of a correct theory of quantum gravity is an important issue in physical cosmology and the search by physicists for an elegant “Theory of Everything” (TOE). Consequently, resolving the inconsistencies between both theories has been a major goal of 20th and 21st century physics. Many prominent physicists, including Stephen Hawking, have labored for many years in the attempt to discover a theory underlying *everything*. This TOE would combine not only the different models of subatomic physics, but also derive the four fundamental forces of nature - the strong force, electromagnetism, the weak force, and gravity - from a single force or phenomenon. While Stephen Hawking was initially a believer in the Theory of Everything, after considering Gödel’s Incompleteness Theorem, he has concluded that one is not obtainable, and has stated so publicly in his lecture “Gödel and the End of Physics” (2002).

Applications - Quantum mechanics has had enormous success in explaining many of the features of our universe. Quantum mechanics is often the only tool available that can reveal the individual behaviors of the subatomic particles that make up all forms of matter. Quantum mechanics has strongly influenced string theories, candidates for a Theory of Everything .

Quantum mechanics is also critically important for understanding how individual atoms combine covalently to form molecules. The application of quantum mechanics to chemistry is known as quantum chemistry. Relativistic quantum mechanics can, in principle, mathematically describe most of chemistry. Quantum mechanics can also provide quantitative insight into ionic and covalent bonding processes by explicitly showing which molecules are energetically favorable to which others and the magnitudes of the energies involved. Furthermore, most of the calculations performed in modern computational chemistry rely on quantum mechanics.

In many aspects modern technology operates at a scale where quantum effects are significant.

Electronics - Many modern electronic devices are designed using quantum mechanics. Examples include the laser, the transistor, the electron microscope, and magnetic resonance imaging (MRI). The study of semiconductors led to the invention of the diode and the transistor, which are indispensable parts of modern electronics systems, computer and telecommunication devices. Another application is the light emitting diode which is a high-efficiency source of light.

Cryptography - Researchers are currently seeking robust methods of directly manipulating quantum states. Efforts are being made to more fully develop quantum cryptography, which will theoretically allow guaranteed secure transmission of information.

Quantum computing - A more distant goal is the development of quantum computers, which are expected to perform certain computational tasks exponentially faster than classical computers. Instead of using classical bits, quantum computers use qubits, which can be in superpositions of states. Quantum programmers are able to manipulate the superposition of qubits in order to solve problems that classical computing cannot do effectively, such as searching unsorted databases or integer factorization. IBM claims that the advent of quantum computing may progress the fields of medicine, logistics, financial services, artificial intelligence and cloud security.

Macroscale quantum effects - While quantum mechanics primarily applies to the smaller atomic regimes of matter and energy, some systems exhibit quantum mechanical effects on a large scale. Superfluidity, the frictionless flow of a liquid at temperatures near absolute zero, is one wellknown example. So is the closely related phenomenon of superconductivity, the frictionless flow of an electron gas in a conducting material at sufficiently low temperatures. The fractional quantum Hall effect is a topological ordered state which corresponds to patterns of long-range quantum entanglement. States with different topological orders cannot change into each other without a phase transition.

Quantum theory - Quantum theory also provides accurate descriptions for many previously unexplained phenomena, such as black-body radiation and the stability of the orbitals of electrons in atoms. It has also given insight into the workings of many different biological systems, including smell receptors and protein structures. Recent work on photosynthesis has provided evidence that quantum correlations play an essential role in this fundamental process of plants and many other organisms. Even so, classical physics can often provide good approximations to results otherwise obtained by quantum physics, typically in circumstances with large numbers of particles or large quantum numbers. Since classical formulas are much simpler and easier to compute than quantum formulas, classical approximations are used and preferred when the system is large enough to render the effects of quantum mechanics insignificant.

References :-

1. Cox, Brian; Forshaw, Jeff (2011). The Quantum Universe: Everything That Can Happen Does Happen:. Allen Lane. ISBN 1-84614-432-9.
2. Griffiths, David J.(2004).Introduction to Quantum Mechanics (2nd ed.). Prentice Hall. ISBN 0-13-111892-7.
3. Scerri, Eric R., 2006. The Periodic Table: Its Story and Its Significance. Oxford University Press. Considers the extent to which chemistry and the periodic system have been reduced to quantum mechanics. ISBN 0-19-530573-6.
4. Bernstein, Jeremy (2009). Quantum Leaps. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 978-0-674-03541-6.

****

Divya Shodh Samiksha (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2394-3807, E-ISSN 2394-3513, Impact Factor - 4.455 (2016) July to September 2017

Micro Analysis of Sulpha Guanidine Drug with Potassium Dipertelluratocuprate (III) Reagent

Alok Mishra *

Abstract - The present paper study has offered immense scope and opportunities for the development of this research. Potassium peroxysulphate (5 gm) potassium hydroxide (10 gm) and tetturic acid (5 gm) were dissolved in 100 ml of distilled water water. This solution was boiled and 0.5 M solution of coppersulphate was added to it gradually till a red colour appears. On further addition of copper sulphate solution a brownish precipitate results. The addition of copper sulphate solution is continued till the precipitation in complete. Sulphadrugs (Sulphanilamide and their derivatives) have been widely used as antibacterial drugs[1]. A rapid and accurate method for the quantitative determination of sulphanilamide in suplha drugs would be of great important. Several methods have been reported in literature for determination of sulphanilamide. The earlier methods were based on the evaluation of their nitrogen and sulpher contents, while the later ones were based on reactions of functional groups present in them. In present paper we describe a method for the determination of sulpha drugs at the micro level using potassium dipertellurates cuprate (III) as the oxidizing agent.

Key words - Micro analysis, Sulpha guanidine drug, with Potassium dipertelluratocuprate (III) Reagent.

Introduction - Sulphadrugs (Sulphanilamide and their derivatives) have been widely used as antibacterial drugs[1]. A rapid and accurate method for the quantitative determination of sulphanilamide in suplha drugs would be of great important. Several methods have been reported in literature for determination of sulphanilamide. The earlier methods were based on the evaluation of their nitrogen and sulpher contents, while the later ones were based on reactions of functional groups present in them. In present paper we describe a method for the determination of sulpha drugs at the micro level using potassium dipertellurates cuprate (III) as the oxidizing agent. The sample was allowed to react with a calculated excess of cuprate (III) solution for about 20 min at 15 min. After the reaction was over, the unreacted cuprate(III) was determined by assenite method[2]. A blank was also run under identical condition. The method in convenient, specific and operatable at ordinary laboratory condition. It does not involve sophisticated instruments and rigorous reaction condition. The precision and accuracy are 1%.

Experiment

Potassium dipertelluratocuprate (III) Reagent - Potassium peroxysulphate (5 gm) potassium hydroxide (10 gm) and tetturic acid (5 gm) were dissolved in 100 ml of distilled water water. This solution was boiled and 0.5 M solution of coppersulphate was added to it gradually till a red colour appears. On further addition of copper sulphate solution a brownish precipitate results. The addition of copper sulphate solution is continued till the precipitation in complete.

Complete precipitation was tested by the absences of red colour in the supernatant layer of the reaction mixture. The brownish precipitate obtained in this way was filtered through sintered glass crucible(G-4) washed thoroughly with distilled water to remove undecomposed peroxydisulphate and potassium sulphate.

The precipitate was now boiled with 200 ml of a solution containing KOH (6 g) and telluric acid (4g) to get again a red colored solution of copper tellurate complex. The prepared solution of Cu(III) was approximately 0.035m concentration. It was stored in a standard volumetric flask. Since direct titration of Cu(III) with sodium arsenite gives inaccurate results ,an indirect method of standardization of Cu(III) with sodiumarsenite has been attempted. An aliquot of Cu(III) solution is mixed with approximately 1.5 times sodiumarsenite solution (0.02m) . It is allowed to stay for 3-4 minutes and then acidified with a calculated amount of $1NH_2SO_4$ till the green suspension is dissolved and a clear solution is obtained which is acidic. It is then treated with 5ml of 0.5m sodium bicarbonate solution the unused arsenite is back titrated with a standard iodine solution using starch a on indicator. A stock solution of the sulpha drug was prepared by dissolved 100mg of sample in 100 ml. Distilled water in 100 ml volumemetre flash. All the sample

---

* Research Scholar (Chemistry) Pt. S.N. Shukla, Govt. P.G.College, Shahdol (M.P.) INDIA

were either of analar B.D.H. Grade.

General procedure - Aliquots containing 1-5mg of the sample were taken in 150ml Erlenmeyer flask and 5ml of 0.035m Cu(III) solution was added to it. The content were shaken thoroughly. The reaction mixture was heated on a boiling water bath for prescribed reaction time. After the reaction was over , the contents were cooled to room temperature . The unused Cu(III) was determined by arsenite method. A blank was also run simultaneously using all the reagents omitting the sample. The recovery of sample was calculated by the following formula:-

$$\text{Mass of sample (mg)}= \frac{\text{M.N. (S-B)}}{\text{N}}$$

Where M= relative molecular mass of sample
N= Normality of iodine solution
S= Volume of iodine solution for sample experiment
B= Volume of iodine for the blank experiment
And
n= number of moles of Cu(III) per mole of sample

Results and discussion - With the recommended procedure micro analysis of sulphaguanidine has successfully been achieved on 1-5mg of sample size within the accuracy of 1% in most of the cases.

For quantitative results a reaction time of 15 minutes is sufficient .It was noticed that the boiling temperature was suitable for accurate results .In the present reaction it is suggested that the Cu(III) reagent oxidised p-amino group and not, the sulphonamide group$(-So_2NH_2)$of sulphonamide . The present reagent is a mild oxidizing agent and oxidises the NH2 group of the sulphonamide without causing ring cleavage or decomposition or sulphonamide function.

Table (see in bottom)

Taking into consideration the stochiometry and the nature of the oxidation reaction, it is postulates that the supha drug under investigation gets oxidized to corresponding nitro compound.

In my experiment eighteen equivalents of Cu(III) reagent were consumed for one equivalent of sulphaguanidine . On this basis following reaction may be proposed:-

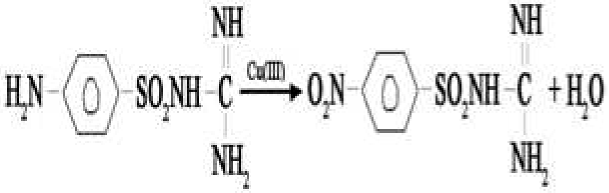

Acknowledgements - Alok Mishra would like to express thankful to guide Dr. Dharmendra Dwivedi HOD of Chemistry Govt. P.G. College Shahdol, & Dr. R C. Mishra Principal Govt. P.G. College Shahdol are good support, in this research and research scholar is also thankful to my friend Dr. R. S. Napit Deptt. of Botany Dr. Naveen Upadhyaya's for their kind cooperation and good support, in this research work.

References :-

1. Dandeyaonker, S.H.J.Shivaji, Univ., 4(8), 77(1971) and shelar, A.F.
2. K.B. Reddy, B.Sothuram and T.N.Rao, Ind J. chem., 21 A 395 (1981)

Table : Micro analysis of sulpha drug with Cu(III) reagent (0.035M) by the recommended procedure.

Sample	Amount Present(mg)	Reaction time (min)	Amount Recovered	Stoichiometry (mg)	Error %
Sulpha guanidine	1.0000	15	0.9974 0.9978 0.9968	18	-0.26 -0.22 -0.32
	3.0000	15	3.0135 3.0120 3.0105	18	+0.45 +0.40 +0.35
	5.0000	15	4.9850 4.9775 4.9785	18	-0.30 -0.45 -0.41

✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲✲

Start Up India, Stand Up India : A New Ray Of Hope

Dr. P.Y. Mishra *

Introduction - Startup India Standup India was first mentioned by PM Narendra Modi on August 15, 2015 while addressing the nation on Independence Day. However the scheme was formally launched on January 16, 2016 in New Delhi by PM Modi at Vigyan Bhawan, New Delhi. The plan comes at a time when the startup ecosystem in the country is witnessing an exponential growth.

According to Nasscom, the recommended definition for a startup would be an entity that is headquartered in India, and has been incorporated less than five years ago. Aside from this, incentives, facilitation, and support for startups should not apply to companies that have an annual turnover of Rs. 25 crore, the IT industry body said.

Objective Of The Study - The startup ecosystem in India has shaken up at an invite only launch event of Startup India. Standup India which took place on Saturday at \Tigyan Bhawan, New Delhi. Organised by Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), along with other key Indian startup ecosystem players, the Startup India, Standup India initiative aims to celebrate the country's entrepreneurial spirit, and create a strong ecosystem for fostering innovation and startups in India. The scheme aims to push for Entrepreneurship in the country by providing enabling environment for the entrepreneurs.

An Insight Into The Notion - The event was inaugurated by finance minister Arun Jaitley, and attended by the Minister of State for Commerce and Industry Nirmala Sitharaman, and the Minister of State for Finance Jayant Sinha. Around 40 top CEOs and startup founders and investors from Silicon Valley attended the event as special guests, and took part in question and answer sessions at the event.

The event was telecasted live in India's top universities and youth groups in over 350 districts of India. The event started at 9.30AM with a welcome address by Amitabh Kant, Secretary, DIPP, and had a total of 14 sessions through the day. Travis Kalanick, founder of Uber gave a presentation on eight lessons for entrepreneurs, followed by a question and answer session. The agenda for the day included panel discussions from the founders of India's biggest startups in fintech, e-commerce and healthcare, with discussions with policymakers on how the government can jump-start India's startup ecosystem. The event concluded with PM Modi launching his Action Plan post, following his interactions with startups, VCs, and angel investors.

Modi started with saying the government would not come in the way of start-ups, reminding many of his popular slogan - minimum government, maximum governance. The PM gradually raised the bar, announcing a slew of measures. There will be self certification-based compliance, he said, and the crowd clapped loudly. There will be no inspection for three years, the PM went on, and the sound of claps grew louder. The list followed - creation of start-up hub, mobile app to enable registration in one day, fast-track mechanism for patent application, panel for legal support in patent filing, 80 per cent rebate on patent application fee, relaxed norms in public procurement for start-ups and so on. Exits will be simpler and faster for those who don't want to continue - it was one of the biggest demands of the start-up companies. The exit clause will be included in the Insolvency & Bankruptcy Bill 2015 that will make exit possible within 90 days.

Many of these measures would be part of the Union Budget. Looking at finance minister Arun Jaitley, the PM said, "he will have to do it now", and announced Rs 10,000 crore corpus fund for start-ups and a credit guarantee scheme for Rs 500 crore a year for four years. Tax exemption on capital gains and income tax holiday for three years were among the other big-bang incentives announced to "promote growth and profit". There was more—tax exemptions on incubation, investments, partnerships with academia, launch of Atal Innovation Mission, seed funding and research parks. As if that was not enough, the PM promised start-up fests, both national and international, as he had seen in his overseas trips.

The government has reportedly decided to scrap a tax on seed funding to startups by Indian angel investors in the upcoming Union Budget. The existing tax norms view the funding as income, which takes away nearly 30 percent of the value of investments, so this would improve cash flow a lot. The Stand Up India Scheme anchored by Department of Financial Services (DFS) to encourage greenfield enterprises by SC! ST and women entrepreneurs will support 2.5 lakh borrowers with bank loans repayable up to seven years and between Rs. 10 lakh to Rs. 1 crore for greenfield enterprises in the non-farm sector.

Google will be hosting a live contest with five pre-screened startups, who will present their business cases to a panel of top VCs and representatives from Google. The five shortlisted startups are Reap Benefit, Cardiac Design Labs, Guru-G, SlamdunQ, and Sbalabs. The winner will receive $50,000 (roughly Rs. 33 lakh) in equity-funding. Google invited users to vote for their favorite startup on its

---

* **Faculty, Shri Vaishnav College of Commerce, Indore (M.P.) INDIA**

Startup India page till Friday midnight. Based on the highest votes, the top three startups will receive an invite to join the next Google Launchpad Week, and one final winner will win $100,000 (approximately Rs. 66 lakh) in Google cloud credits, and be eligible for consideration to the Launchpad

Accelerator Program in July 2016.The uniqueness of this initiative is that it doesn't see the state as a regulator but rather a facilitator in bettering the lives of millions of young people who are ambitious as well as restless. And through this move that could mobilise the entire youth population,The Ministry of Human Resource Development (HRD) and the Department of Science and Technology have agreed to partner in an initiative to set up over 75 startup support hubs in the National Institutes of Technology (NITs), the Indian Institutes of Information Technology (JilTs), the Indian Institutes of Science Education and Research (uSERs) and National Institutes of Pharmaceutical Education and Research (NIPERs).

The Uttar Pradesh and Chhattisgarh governments are finalising the contours of a start-up policy to attract young entrepreneurs to set up shop in their terrain, following half a dozen States that have already announced measures for start-ups ahead of the NDA government's Start-Up India action plan unveiled on Saturday. Kerala was the first State to have a start-up policy that included the setting up of Kochi Startup Village in partnership with the Union Science and Technology Ministry. Since then, Karnataka, Andra Pradesh, Rajasthan and Maharashtra have also formulated similar policies for new-age businesses. A few budding ventures are already being incubated in a Start-Up Oasis set up by the Rajasthan government in Jaipur.

In addition, for a startup to be recognized as one,

1. It must be an entity registered/incorporated as a:
    a) Private Limited Company under the Companies Act, 2013; or
    b) Registered Partnership firm under the Indian Partnership Act, 1932; or
    c) Limited Liability Partnership under the Limited Liability Partnership Act, 2008.
2. Five years must not have elapsed from the date of incorporation/registration.
3. Annual turnover (as defined in the Companies Act, 2013) in any preceding financial year must not exceed Rs. 25 crore.
4. Startup must be working towards innovation, development, deployment or commercialisation of new products, processes or services driven by technology or intellectual property.
5. The Startup must aim to develop and commercialise:

a) a new product or service or process; or

b) a significantly improved existing product or service or process that will create or add value for customers or workflow.

6. The Startup must not merely be engaged in:

a. Developing products/ services-or processes which do not have potential for commercialisation; or

b. undifferentiated products or services or processes; or

c. products or services or processes with no or limited incremental value for customers or workflow

7. The Startup must not be formed by splitting up, or reconstruction, of a business already in existence.
8. The Startup has obtained certification from the Inter-Ministerial Board, setup by DIPP to validate the innovative nature of the business, and

a. be supported by a recommendation (with regard to innovative nature of business), in a format specified by DIPP, from an incubatorestab1ished in a post-graduate college in India; or

b. be supported by an incubator which is funded (in relation to the project) from GoI as part of any specified scheme to promote innovation; or

c. be supported by a recommendation (with regard to innovative nature of business), in a format specified by DIPP, from an incubator recognized by GoI; or

d. be funded by an Incubation Fund/Angel Fund/Private Equity Fund/Accelerator/Angel Network duly registered with SEBI* that endorses innovative nature of the business; or

e. be funded by the Government of India as part of any specified scheme to promote innovation; or

f. have a patent granted by the Indian Patent and Trademark Office in areas affiliated with the nature of business being promoted.

Criticism - One of the eligibility criteria states that "The product or service should be a new one or a significantly improved version of existing services or products."

Let's take the example of startups who are engaged in creating and developing online marketplaces like Flipkart and Amazon. So a new startup engaged in the same field may not be eligible unless its product is significantly improved than what existing players provide.Another eligibility criteria states that the startup should get a recom mendation letter from the recognized incubator cell or he recognized by the GoT or should be funded by recognized funds.Now this will be quite a task for startups.In our estimate, going by these criteria, roughly 60% of existing startups could be rendered ineligible for the Startup India plan.

Future Ahead - This policy will encourage entrepreneurship by creating new employment opportunities for the unemployed. It is expected to benefit at least 2.5 lakh borrowers. It will restrict the role of state and facilitate ease of doing business. However there are few things which are pre- requisite for successful implementation of the scheme. They are:

1. Electricity
2. Internet connectivity
3. Roads
4. Clean environment
5. Corruption

Calling upon youth to attempt solving some of India's unique problems - such as making health care easily affordable or improving farm supply chains so that fruits and crops do not rot -, the Prime Minister said that India had millions of problems, but over a billion minds that could solve them. India's future is in innovation and creativity. There is energy from within and there are dreams that you have dedicated yourself to success of startups not only about enterprise. It is risk taking and adventure also.

Conclusion - The government has shown their interest to support the startup ecosystem and Startup India is expected to take it ahead with introduction of key policy reforms. According to Nilotpal Chakravarti, AVP of Internet and Mobile Association of India, “Over the last one year, the government has been steadily building a conducive atmosphere for encouraging start-ups in India. Initiative like Digital India and Make in India are the biggest enablers for providing boost to startups.”

References :-

1. http://gadgets.ndtv.corn/internet/features/startup-india-standup-india-event-everything-you-need-to-know-790 263
2. http://gradestack.com/blogs/highlights-of-start-up-india-stand-up-india-scheme/
3. http://indiatoday.intoday.in/education/story/start-up-india/1/573128.html
4. http://www.business-standard.com/article/cornpanies/startup-india-stand-up-mornent-for-start-ups-i16011600873_l.html
5. http://www.dobizindia.com/startup-standup-indial
6. http://www.iaspaper.net/startup-india-standup-india-scheme-by-rnr-narendra-modi/
7. http://www.indiatimes.corn/news/did-you-fall-for-that-gift-a-book-facebook-status-sham-too-we-tell-you-were-it-all-went-wrong-2495 34.html
8. http://www.rnoneylife.in/article/all-you-wanted-to-know-about-startup-india-scherne/45034.html
9. http://www.oneindia.com/feature/narendra-modi-start-up-india-scheme-a-massive-move-1986089.html
10. http://www.thehindu.com/business/2015-was-the-biggest-year-for-indian-startups/article8114039.ece?ref=relatedNews
11. http://www.thehindu.eorn/business/govt-for-simpler-entry-and-exit-norms-for-startups/article8 113771.ece?ref=relatedNews
12. http://.thehindu.corn/business/govt-working-to-make-stai-exit-easy-for-startups/aiic1e8113925.ece?ref=relatedNews
13. http://.thehindu.com/business/narendra-rnodi-unvei1s-stai-up-indialarticle8112821.ece
14. http://www.thehindu.com/business/top-10-takeaways-frorn-modis-speech-at-startup-india-launclilarticle8114318.ece?ref=relatedNews
15. http://www.thehindu.corn/news/national/narendra-rnodi-unveils-liberal-startup-ecosysternlarticle8114496.ece?ref=relatedNews
16. http://www.thehindu.com/news/national/states-ioin-startup-bandwagonlarticle8117556.ece?ref=r elated News
17. http://www.thehindu.corn/opinionleditorial/start-up-india-starting-up-to-stand-still/article8116856.ece?ref=relatedNews
18. http://yourstory.com/2015/08/start-up-india-stand-up-india-narendra-rnodi-independence day
19. http://yourstory.corn/20 16/01 /startup-ind ia-action-plan-eligible/
20. http://zeenews.india.com/business/news/cornpanies/pm-narendra-modi-launches-start-up-india-movement-to-boost-entrepreneurship-jobs_1 84593 7.html

Eligibility Criteria For Start Ups

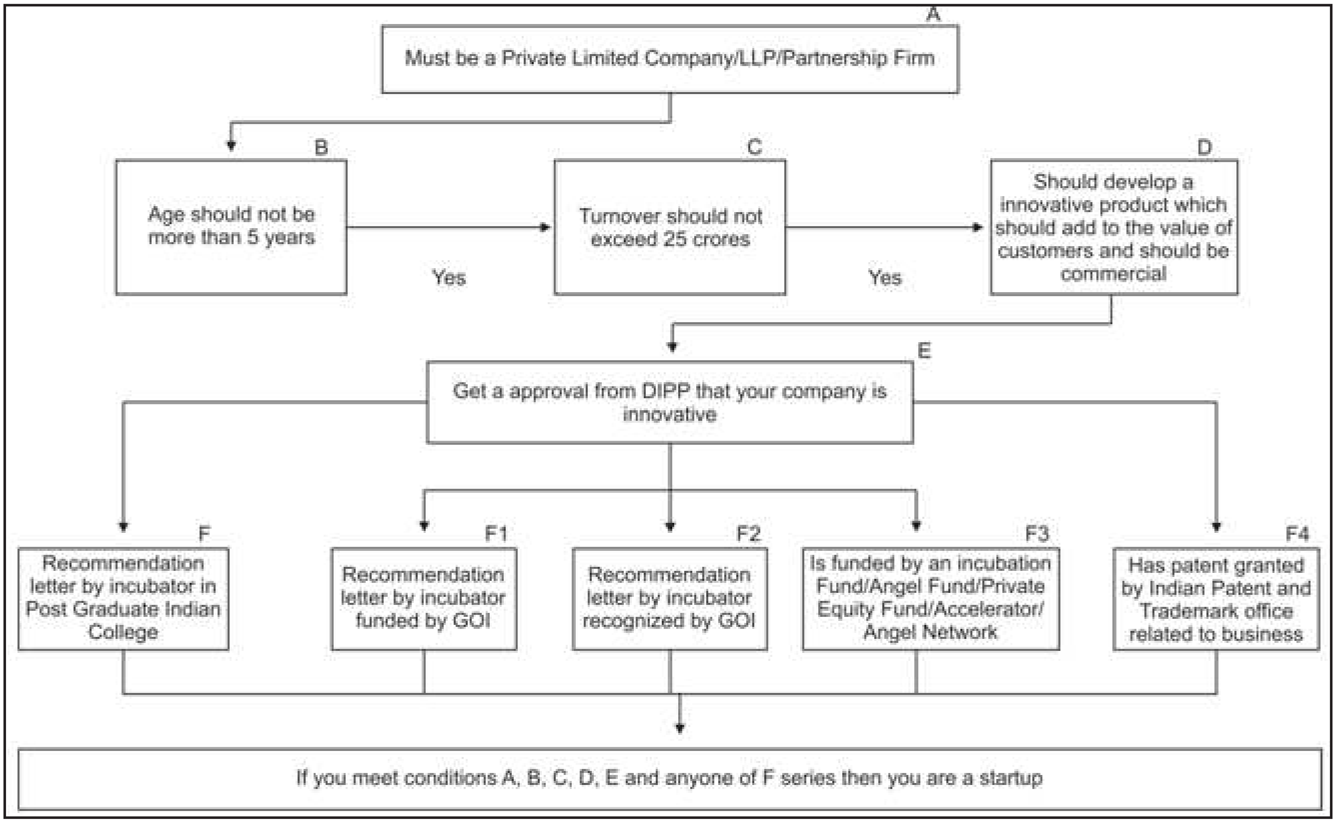
A
Must be a Private Limited Company/LLP/Partnership Firm
B
Age should not be more than 5 years
Yes
C
Turnover should not exceed 25 crores
Yes
D
Should develop a innovative product which should add to the value of customers and should be commercial
E
Get a approval from DIPP that your company is innovative
F
Recommendation letter by incubator in Post Graduate Indian College
F1
Recommendation letter by incubator funded by GOI
F2
Recommendation letter by incubator recognized by GOI
F3
Is funded by an incubation Fund/Angel Fund/Private Equity Fund/Accelerator/ Angel Network
F4
Has patent granted by Indian Patent and Trademark office related to business
If you meet conditions A, B, C, D, E and anyone of F series then you are a startup

Human Resource Management Study Bharat Sanchar Nigam Limited Bharti Airtel Private Limited

Dr. Ashok Verma* **Anita Shinde ****

Abstract - Human Resource Managementis the management designed to maximize employee performance in services of an employee.Bharat Sanchar Nigam limited the largest public sector& Bharti Airtel private Limited the largest private sector “Employeeare a Companies greatest asset’’ and keeping employeeperformance in services of an employers HR departments are responsible recruitement training and development performance appraisa trained professionals In larger companies, academic and practioner organizations BSNL & Airtel to continually executives/ non executives against the MoU target of 10%of total number of employees of 225867 training wae imparted to 40,280 executives/non executives and achievements is 17.8% state. They are motivated an satisfied in their job. Monitoring this and making Sure that it is the case depends on effective communication between employees.And their managers with any problems they may have. And so a correct Channel of communication needs to be selected and implemented for this Face to face wouldoften be the best method. Employees lead to They are motivated an satisfied in their job today.

Introduction- Human Resource Management (**HRM** or **HR**) is the management of human resources. It is designed to maximize employee performance in service of an employer’s strategic objectives. quotation to verify HR is primarily concerned with the management of people within organizations, focusing on policies and on systems. HR departments are responsible for overseeing employee-benefits design, employee recruitment performance appraisal, and rewarding managing pay and benefit systems.HR also concerns itself with organizational change and industrial relations,the human capital of an organization and focus on implementing polices and process.they Can specialise on recruiting, training, employee-relations or benefits. Recruiting specialistsfind and hire top talent. Training and development professionals ensure that employees are trained and have continuous development. This is done through training programs, performance evaluations and reward programs. Employee relations deals with concerns of employees when policies are broken, such as in cases involving harassment or discrimination.Someone in benefits develops compensation structures, family-leave programs,Human Resources Generalists or business partners. professionals could work in all areas or be labor-relations representatives working with unionized employees. trained professionals may perform HR duties. In larger companies, an entire functional group is typically dedicated to the discipline, with staff specializing in various HR tasks and functional leadership engaging in strategic decision-making across the business. To train practitioners for the profession, institutions of higher education, professional associations, and companies have established programs of dedicated Academic and practitioner organizations may business teams. HR departments have the role of making sure that these teams can function and that people.

Bharat Sanchar Nigam Ltd. was incorporated on .It is one of the largest & leading public sector units providing comprehensive range of telecom services in India. BSNL s Human Resource as the most prized assets of the organization, it’s natural for BSNL&AIRTEL to continually hone employee skills, enhance their knowledge and aspirations to fruition.Bharat Sanchar Nigam Limited has a vast reservoir of highly skilled and experienced work training centers of BSNL Advance level Telecom Training Center at Ghaziabad and Bharat Ratna Bhimrao Telecom Training Center at Jabalpur are comparable to any world class Telecom Training Center. Moreover, 43 zonal training different curriculum run in these centers to impart technology based training for Attitudinal change, basic educational and skill development programme. Today is the only service provider, making focused efforts & planned initiatives to bridge the technology based training, training for Attitudinal change, basic educational and skill development program etc.

Bharti Airtel Private Limited is an Indian global telecommunications services company based in new Delhi India. it operates in 18 countries across south Asia and Africa. Selection process those of differentig between

---

* Ex.Principal Govt. P.G.College, Sendhwa (M.P.) INDIA
** Research Scholar (Commerce) D.A.V.V. University, Indore (M.P.) INDIA

applications in order identify those with a greater likelihood of Success in a job . “Difference between recruitment and selection at this stage, it is worth while To understand difference between recruitment and selection as both these terms are often used together some times interchangeably. Flippo described in the following statement; greater likelihoodof success in a job.”Difference between Recruitment and Selection At this stage,is worthwhile to understand difference between recruitment andselection as both these “recruitment is a process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in an organization. It is often termed positive in that it stimulates people to apply for jobs to increase the hiring ratio, the number of applicants for a job.selection on the other hand, trends to be negative osebecause it rejects a good number of those who apply, leaving only the best to be hired”.

Objective :-

1. To improve productivity by training and skill development and redeployment of legacy manpower.To learn the HR process of the organization.
2. To study the recruitement policy ‘s and procedure.
3. To learn the ability to select a recruitement model that will improve the quality Of the present and future future work force of the organization. In telecom are a with in BSNL&BHARTI AIRTEL .

Training under National Skill Development Scheme BSNL &AIRTEL - National Skill Development Scheme, Your Company imparted training to 7121 students, thus achieving a target of 94.9% against the MoU Target of 80% Out of7,564 number of students allotted for BSNLAICTEEETP, 7,501 number of students joined the training. Being a leading pan India public sector telecom service provider, always excellsince the area of disaster management, specially in the areas of faster restoration of communication During the devastating floods of Chennai, Company swung into action and restored the communication facilities in record time. As part of the nation-wide Swachh BharatAbhiyan,

BSNL Skill Development – Support In Nation Building - Telecom Factories of Company located at Kolkata, Gopalpur, Kharagpur, Jabalpur, Richhai,Bhilai and Mumbai are in-house manufacturing units engaged in production of various telecomproducts. These factories clocked the output of Rs.466.71 crore in the year under review. A target of Rs. 607 crores has been set for the financial year 2016-17.

BSNL Training to the Employees - Training to New Recruits:-681 new recruits joined for induction training against the total recruits of 735, and there was an achievement of 100% against the MoU Target of 100%.In-house training to Executives/Non-executives against the MoU Target of 10% of total number ofemployees of 2,25,867, training was imparted to 40,280 Executives/Non-executives and the achievement is 17.8%

Table 1 (see in next page)

Revenue under Training programmes - State of the Art Training Centres of Company have generated a Revenue of Rs.41.63 crores during the year under review, comprising Rs.27.63 Crores in providing vocational training and training infra sharing; and Rs.14 crores from training under BSNL AICTE Employability Enhancement Training Programme.

Airtel Job Specification Recruitment And Training - Qualification required for the post of project trainee :

1. THE educational qualification that are needed .for a telecom industry ITI Level.
2. Diploma BE and ME.
3. He should have a good and sound technical knowledge.
4. The candidate must be with in the age limit 20-25.

Goals Of Recruitment - To attract highly qualified individuals.· To provide an equal opportunity for potential candidates to apply for vacancies.

Goals Of Selection - To systematically collect information about to meet the requirements of the advertised position.· To select a candidate thatwill be successful in performing the tasks and meeting the responsibilities of the position.· To engage in hiring activities that will result in eliminatingthe under utilization of women and minorities in particular departments. To emphasize activerecruitment of traditionally underrepresented groups,i.e. individuals with disabilities, minority group members, women, and veterans.

Implementation Of Official Language Policy Compliances BSNL& Bharti Airtel - BSNL Company was conferred with the Dalal Street Investment Journal Best PSU Award 2015, in the category of Highest Turnover PSU in Mini Ratna – Non manufacturing. Company completed the prestigious SBI 2 Mbps BW up gradation project in a record period of 3 months. In recognition of the same,airtel the SBI has awarded the **“Certificate of Collaboration Excellence”**, to the Company. BSNL&BHARTIAirtel Company Unicode software has been installed in all the computers to encourage increased use of Hindi in official work and employees are also trained to use Unicode software. OL Wing carries outinspection of Circles. Skill development workshops are held frequently for sharpening the skills ofemployees.All theB Incollaboration with theGovernment of MadhyaPradesh, launched an internet literacy programme - ‘e-Shakti’,to build internet awarenessand access for women workingwith various governmentdepartments and for girlstudents of government-runs chools and colleges.

In Employees’ Wellbeing Bharti Airtel - Bharti Airtel acknowledges the immense potential of its human capital, and therefore, ‘Win with People’ believes that its success depends on its ability to develop pC company strongly believes ‘Win with People’ is essential to continue winning in the market. This belief translates in ensuring that every business vertical is equipped with right talent, which is both competent and engaged. The Company achieves this objective by undertaking various initiatives for talent development, employee engagement and communication.

This approach has helped the Company in building an organization, which is not only inclusive and entrepreneurial employer by its people. Bharti Airtel has consistently tried to create and promote an inclusive work environment for employees from diverse backgrounds to help them realize their full potential. The objective is to ensure that the -strong workforce of 18,179 employees are both skilled and engaged; and that the organization is perceived as being inclusive, entrepreneurial and an equal opportunity employer. There were 4,968 subcontracted employees as on March31, 2016. During the period, How ever, employees have full access to management to raise their concern at any time without any fear / coercion. All the concerns or issue raised by employees are resolved satisfactorily. The Company is fully committed to the promotion of diversity across all levels of the organization. There were1,491 permanent women employees, which represented around 8% of the total workforce. A total of 123 people with disabilities were employed at various company locations. 155+ Unique training interventions for the Company's employees, of which over 130 comprised functional training.

Conclusion - Human resource as the most prized assets of the organization, its natural for BSNL Bharti Airtel private limited to continually hone employee skills, BSNL Number of employee2,25867 training was imparted to 40,280.Bharti Airtel no. Of employee18,179 are both achive in business targets our staff which is on of the best trained manpower In the in the telecom sector, is our biggest asset. Employee BSNLs are training centers spread across Country ,telecom training center at Jabalpur are comparable to any world class telecom training center. BHARTI Airtel private limited training center at Indore in Madhya Pradesh more ever 43 zonal training centers and a National Academy .

References :-

1. "BSNL bags 80% OF RS 2500- CRORE Rural mobile telephony project." The Hindu.
2. Chennai,India 28 march 2007.
3. Pahwa ,Nikhil (29May 2010). "India's 3G Aucton Ends, operator And Circle- Wise
4. Results". MediaNama . retrieved 3 september 2014.
5. "BSNL3G services Now in 826 cities in India". 15 july 2011. Retriveved 29 August 2012
6. "BSNL releases 3 G wireless pocket router".
7. "BSNL decides to discontinue 160 –year old telegram service ". The Times of India. 12 jun 2013

AIRTEL

1. "Overview" Airtel.in Retrieved 12 november 2015.
2. " Telecom Subscription data june 2015" TRAI Retrieved 30 october 2015.
3. "Airtel becomes thord largest globally" NDTV. 30 June 2015.
4. "HDFC Bank named India's most valuable brand in Brandz ranking.

Training under National Skill Development Training-

BSNL Training to the employee- 31-3-2016

Group	Total no.of employee	Scheduled cast	Scheduled tribe	OBC	Ex.service men
Executive	44,906	7,574	2,362	6,367	105
Non-exe.	1,66,180	31,825	8,897	15,190	248
Total	2,11,086	39,399	11,259	21,587	353
31-3-2015					
Executive	46,694	7,729	2,388	5,986	138
Non exe.	1,78,818	32,586	9,303	14,582	404
Total	2,25,520	40,311	11,691	20,568	542

Source- BSNLannual report 2015-2016

****

DSS Divya Shodh Samiksha (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
ISSN 2394-3807, E-ISSN 2394-3513, Impact Factor - 4.455 (2016) July to September 2017

Measurement Of Consumer Satisfaction Towards Service Quality Of Fast Moving Consumer able Goods : An Analytical Study

Dr. Neha Mathur *

Abstract - An Analytical Study of Measurement of Consumer Satisfaction Towards Service Quality Of F.M.C.G. was done with the primary objectives of measuring satisfaction of consumers. Every consumer in the market has his/her own Satisfactions. Consumers will be looking for certain attributes before purchasing the products i.e., FMCG. The research study used in this study is descriptive method. Under this study the survey is conducted with the consumer generally around the Ujjain city for the specified product. The major limitation in this study is that some consumers led some problems in the consumer service area. The study was limited to 200 consumers only. The present study shows the satisfaction towards FMCG at organized retail stores only. Personal bias by the respondents may have script in while answering the questions. The result of the study is that all the consumers around ujjain city were satisfied with the FMCG products irrespective of brands. And also they need some improvement in the consumer service. Next the Satisfaction level of consumers towards the company products revealed the consumer needs and the quality of the product they require. Majority of the consumers give more preference towards the quality of the product followed by the price, design, sales and service etc. so it also deals with knowing the consumer requirements and their satisfaction towards the FMCG goods. In general, the study reveals the attributes of the consumers towards the FMCG goods and services offered for their satisfaction.

Keywords - Service Quality, Consumer Satisfaction, F.M.C.G., Retailing, Brand Preference.

Introduction - The term 'retailing' although popular and frequently used does not have a standard definition and is generally used in India to refer to products of everyday use. Conceptually, however, the term refers to relatively fast moving items that are used directly by the consumer. Thus, a significant gap exists between the general use and the conceptual meaning of the term Retailing. FMCG products play a major role in Organized Retailing. The purpose of this paper is the study of factors responsible for satisfaction in FMCG. Increasing competition more due to globalization is motivating many companies to frame their strategies almost entirely on building brands. Satisfaction means to compare the different Quality, co-brands, multi brand, free offers, etc. Satisfaction towards service quality is to measurement of brand loyalty in which a consumer will prefer a particular brand in presence of competing brands.

Objectives of the Study :

1. To study the Consumers' Satisfaction towards FMCG.
2. To analyze the brand preference of the product that may attract the consumer to buy.
3. To identify the consumer satisfaction levels on various FMCG
4. To get suggestions from the consumers regarding the features of the brand and its satisfaction.

Scope of the Study - The research is conducted in order to find out the satisfaction and their preference to measure among the consumers various factors such as price, quality, brand influence, multi channel offers etc.

Research Methodology - The main aim of the study is to know the consumer satisfaction towards service quality and find out the factors that would help the consumer to choose the particular brand. Therefore descriptive research is being adopted in this study to find out the satisfaction and characteristics of consumers. The survey was conducted among all sorts of consumers who were the regular purchasers and occasional buyers of FMCG at the organized retail stores in Ujjain.

Primary data was collected through survey method. All the respondents are asked to fill in the questionnaire by themselves. The questionnaire contains open ended and closed ended questions and it is in a structured format is clear to the respondents. Sample size taken in this study is 200. As all the possible items are considered for research, the sampling method adopted in his study is convenience sampling. The above research shows the factors that influence the consumer satisfaction in FMCG with the help of statistical tools. Respondents are felt quality and multi varieties are the important factor followed by co-brands,

---

* Faculty, S.S.In. (Commerce) Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

price, free offers, no side effects and etc. research study is showing the relationship between gender of the respondents and their satisfaction level towards quality of their preferred brand. The Consumer Service should be given more importance so that the consumers will not face any difficulty on their queries regarding their preferred brands. Before purchasing the products, the consumers look for the quality of the product. Considering the quality attribute, retailers have to give due importance to the existing consumers so that they may not switch over to other competitors. The retailers should give the more importance to the multiple brands who were loyal to the brands. The Retailers should make an effort to retain the regular and new consumers by serving the upgraded products to them.

Conclusion - The study on the consumers' satisfaction helps the organized retailers to concentrate on the factors as price, quality, multi varieties Available, Co-Brands Hygienic and Protective Purchase Experience etc .that may satisfy the consumer's expectation towards the products. The suggestions were given to the concern to focus its attention mainly on delighting the consumer and to fulfill the requirements and expectation toward the products. Thus, in this study the researcher had made an attempt to find out the consumers' feedback about the availability of product and services and also varied alternative solution have been given to improve the consumers requirements, and service which in turn could earn goodwill among public.

References :-

1. Chan, S.L., Ip, W.H., and Cho, V. (2010), A model for predicting consumer value from perspectives of product attractiveness and marketing strategy, Expert Systems with Applications, 37 (2), 1207-1215
2. *Churchill Jr., G.A. (1979), A paradigm for developing better measures of marketing constructs, Journal of Marketing Research, 16 (1), 64–77
3. Jansson, J. and Power, D. (2010), Fashioning a Global City: Global City Brand Channels in the Fashion and Design Industries, Regional Studies, 44(7), 889-904
4. *Labeaga, J. M., Lado, N. and Martos, M. (2007), Behavioral loyalty towards store brands Journal of Retailing and Consumer Services, 14 (5), 347–356 71
5. *Liu, T. and Wang, C. (2008), Factors affecting attitudes toward private labels and promoted brands, Journal of Marketing Management, 24(3), 283-298
6. *Margaret K. Hogg Margaret Bruce, Alexander J. Hill, (1998) "Fashion satisfactions among young consumers", International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 26 Iss: 8, pp.293 – 300
7. *Philip J. Kitchen, (1989) "Competitiveness in FMCG Markets", European Journal of Marketing, Vol. 23 Iss: 1, pp.41 – 51
8. *Raffaello Balocco, Giovanni Miragliotta, Alessandro Perego, Angela Tumino, (2011) "RFId adoption in the FMCG supply chain: an interpretative framework", Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 16 Iss: 5, pp.299 – 315
9. *Kothari C.R (2004), 'Research Methodology', 2nd Edition, New Age International (p) Ltd.
10. *Philip Kotler, (2002), 'Marketing Management' The Millennium Edition Prentice Hall of India, New Delhi,10th edition.
11. *Y.L.R.Moorthi, Brand Management, The Indian Context, Vikas Publishing house (pvt) Ltd,2006.
12. *Harsh V.Verma, Brand Management Text and Cases, Excel Books, 2006.
13. *Swapna Pradhan, Retailing Management Text and Cases, Tata McGraw Hill,2007.

****

Impact Of Demonetization On Indian Banking- The Positive And Negative

Dr. Pravin Mantri *

Abstract - Demonetization technically is a liquidity shock, a sudden stop in terms of currency availability. It is the act of stripping a currency unit of its status as legal tender. Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi has announced a war against black money and corruption. In an emboldened move, he declared that the 500 and 1000 Rupee Notes will no longer be legal tender from midnight, 8th Nov. 2016. In this research paper the main focus is to study the advantages and disadvantages of demonetization and its impact on Indian Banking sector.

Introduction - The banking system is an integral part of any economy. It is considered as a backbone of economic and social edifice of a nation. Banks are considered to be the mart of the world, the nerve centre of economics and finance of a nation and the barometer of its economic perspective. They are not dealers in money but are in fact dealers in development. Surgical strikes on black money called "Demonetization" brought enormous changes in all the sector of country, Banks are not exceptional from the influence of demonetization and it made vibrations in the operations as well as products and services of banks.

Since our economy is heavily dependent on cash, as only less than half the population uses banking system for monetary transactions, demonetization has hit trade and consumption hard. With people scrambling for cash to pay for goods and services, the move is likely to take a big toll on the country's growth and output during the current fiscal. Consumptions makes up for around 56% of India's GDP, hence a drop in spending will pull down growth. The current step could also lead to behavioural changes in household's savings and their consumption pattern.

Demonetization has brought Plethora of challenges in additions to the challenges which are already facing by banks. The influences are short term and long term. In short term, it disrupted the banks and stress strongly to carry out bank operations and in long term it helped the banks to pool the deposits without incurring of any cost.

The Impact Of Demonetization Across Sectors With Differing Intensities And Across Varied Time Zones:

1. Effect on parallel economy: Cash economy to witness contraction.
2. Effect on GDP: Downward bias to GDP growth.
3. Lower money supply has a deflationary effect.
4. Impact on Bond market.
5. Effect on online transactions and alternative modes of payment.
6. Bank deposit rates to soften.
7. NBFC's asset quality faces pressure.
8. Payment banks to benefit.
9. Agreement cost of real estate may arise
10. Demand of Gems and jewellery to decline.

Objectives Of Demontrization :

1. To check black money and fake currency note.
2. All the bank accounts will tied up to one PAN (Permanent Account Number)
3. It will enhance the liquidity positions of the banks, which will be later utilized further for lending purpose.
4. To stop terror funding.
5. It will motivate people adopting virtual wallets. Due to demonetization E-Banking takes a major role. The consumers switch to cashless transaction.

In 1978, the then Prime Minister Shri Morarji Desai demonetized these notes in 1978. After 38 years again India witnessed demonetization of bank notes in Nov. 2016 and this time government demonetized Rs. 500 and Rs. 1000 notes and replaced it with new designed 500 notes and for the first time Indian government introduced 2000 value note.

Advantages:

1. **"Bank as biggest beneficiaries"** The biggest beneficiary from this policy will be the banking sector. The reason behind being called the beneficiary is very obvious because as lot of people are depositing cash in the banks; there will be a lot of liquidity with banks.
2. Many options to cashless transactions will be available in India they are,
   A. Plastic money- Debit/credit card
   B. Aadhaar Card
   C. E- Wallet
   D. UPI (Unified Payment Interface)
3. E- Banking helps as a reduction of burden to branch banking, it improves efficiency and lower handling cost.
4. This move shows strength of the banking system,

---

* Ph.D., M.P. Set (Commerce),FCA, HOD,(MBA) Royal Institute Of Management And Advance Research, Ratlam (M.P.) INDIA

Retail boost, and increases deposit.

5. Remove black money from the economy, as they will be blocked since the owners will not in a position to deposit the same in the banks.
6. Demonetization may kill Dabba Trading (Bucketing). Satta Bazaar and illegal betting market may die a natural death as currency gets a new face. Demonetization is a jolt for Dabba Traders, who were thriving in equity markets for many years now.
7. Political parties and elections are major source of black money transactions; demonetization is going to cause huge craters on their funding and will reduce their funds drastically.

Disadvantage :

1. The biggest disadvantage of demonetization has been the chaos and frenzy it created among common people. Situation was even worse in rural India where people struggled to exchange and withdraw cash due to lack of enough number of banks and ATM in their vicinity.
2. Another disadvantage is that destruction of old currency units and printing of new currency units involve costs which has to be borne by the government and if the cost are higher than benefits than there is no use of demonetization .
3. Another problem is that this move targeted the black money, but many people who had not kept cash as their black money and rotated or used that money in other asset classes like real estate, gold and so were not affected by demonetization.
4. The normal trading activity may be disrupted by this process since it takes time for banks, consumers to adjust to the new monetary policy.
5. ATM have to be re-calibrated , it will result in additional cost for banks and also inconvenience to the customer

Conclusion - Demonetization is a beneficial process even though it has some demerits that may render it unfavourable in various ways. However before any demonetization program is carried out, it should be carefully thought through and its impact on the poor should be considered. In this way, demonetization can be chance for a fresh new start or it can be something that causes unnecessary confusion for a country.

In nutshell, this demonetization may have come as a boon for Indian banks. On the one hand, they may see a surge in new account openings and on the other hand they are already seeing a surge in deposits. The bigger take away for banks will be the improvement in their operating margins. This could be the big moment for the Indian Banking System.

References :-

1. Prathapsingh, virendersingh “Impact of Demonetization on Indian economy.
2. Economic consequences of demonetization (2016) care ratings: professional risk opinion.
3. www.moneycontrol.com

****

इन्दौर जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन

डॉ. अनूप व्यास * सीमा परमार **

शोध सारांश – भारतवर्ष सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। इसी भारत के हृदय स्थल कहे जाने वाले मध्यप्रदेश में हमारा मालवा उस रत्न जडित हार के समान है जो भारत के हृदय स्थल पर सुशोभित हो रहा है। इसी हार की मुख ज्योत्सनामयी मणि है, माँ अहिल्या की नगरी इन्दौर जिसकी ओर न केवल दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता के वरन् दूर–दूर के लोग सदैव टकटकी लगाए रहते हैं। यह म.प्र. की आर्थिक राजधानी भी है। वास्तव में डग–डग रोटी पग–पग नीर वाले इस उपजाऊ मालवा क्षेत्र में इन्दौर लगभग 250789 लाख हेक्टेयर भूमि पर 129190 कृषकों द्वारा कृषि कार्य संपन्न किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन के पश्चात कृषि कार्यो के लिए जिले में वर्तमान समय में 70 प्रतिशत कृषक वित्तीय संस्थानों से तथा केवल 30 प्रतिशत कृषक साहूकारों एवं महाजनों से ऋण प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों की फसल का बीमा किया जाता है एवं प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसल की क्षतिपूर्ति की जाती है व ऋण भी सरकार द्वारा चुकाया जाता है। जिससे वित्तीय संस्थानों का वित्त भी सुरक्षित रहता है और कृषकों को आगामी फसल के लिए आसानी से ऋण भी प्राप्त हो जाता है।

शब्द कुंजी:– राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, बीमा आवरण, बीमित राशि, दावा राशि।

प्रस्तावना – कृषि बीमा योजना केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषकों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना है अर्थात् जब किसानों की फसल किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो जाती है, तब किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। अत: उन्हें अगली फसल की बुआई के लिए वित्त पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है और उन्हें महाजनों से ऋण लेना पड़ता था क्योंकि वित्तीय संस्थान व बैंक किसानों को ऋण देने में अरुचि दिखाते थे क्योंकि भारतीय कृषि मानसून का जुआँ कही जाती है। अर्थात् जिस साल मौसम अनुकूल रहा उस साल तो उपज अच्छी होती है किन्तु जिस साल सूखा, बाढ़, अकाल या भूकम्प, ओलावृष्टि, पाला आदि प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, तो फसल नष्ट हो जाती है। अत: किसान ऋण नहीं चुका पाता है और वित्तीय संस्थाओं को किसानों को दिए ऋण के लिए अगली फसल का इंतजार करना पड़ता था और किसानों को महाजनों, साहूकारों से मजबूरी में ऊँची दरों पर या अपनी जमीन गिरवी रखकर वित्त लेना पड़ता था। जिस वजह से किसान न तो उच्च किस्म के बीजों का उपयोग कर पाते थे और ना ही सिंचाई, रासायनिक खादों, उर्वरक, कीटनाशकों का तो उपयोग असम्भव ही था और आधुनिक तकनीकों (संसाधनों) का उपयोग तो किसान सोच भी नहीं सकता था और किसान वहीं अपनी पुरानी परम्परागत तकनीकों से ही खेती करने को मजबूर थे। अत: कई किसान तो अपनी फसल बर्बादी के कारण आत्महत्या जैसा संगीन कदम भी उठा लेते हैं। इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कृषि बीमा योजना शुरू की गयी। जिसके अन्तर्गत अगर किसान की फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा से नष्ट होती है तो उस नष्ट फसल की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा स्थापित कृषि बीमा कम्पनी करेगी जिससे किसान अपने वित्तीय संस्थानों से लिए ऋणों का भुगतान समय पर कर सकें तथा उनकी आगामी ऋण साख बहाल हो सके तथा वित्तीय संस्थान भी कृषकों को ऋण देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करे।

अध्ययन के उद्देश्य :–

1. इन्दौर जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का अध्ययन करना।
2. इन्दौर जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी उपकरणों के उपयोग की स्थिति का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ :–

1. इन्दौर जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हुआ है।
2. इन्दौर जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् आधुनिक तकनीकी उपकरणों के उपयोग में वृद्धि हुई है।

समंकों का संकलन – परिकल्पना के परीक्षण के लिए आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता होती है। बैंक अधिकारियों एवं जिला सांख्यिकी विभाग इन्दौर तथा कृषि उपसंचालक विभाग इन्दौर के अधिकारियों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राथमिक समंक एकत्र किए गए हैं तथा द्वितीयक समंक एग्रीकल्चरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड भोपाल, जिला सांख्यिकी विभाग इन्दौर की जिला सांख्यिकी की वार्षिक पुस्तिका एवं पत्रिकाओं से लिए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों की कृषकों की बीमा क्रियान्वयन प्रक्रिया एवं जिले में कृषि बीमा योजना की स्थिति – एग्रीकल्चरल इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा रबी व खरीफ की फसल के समय प्रत्येक बार एक विज्ञापन जारी किया जाता है व किसानों की बीमा प्रक्रिया आरम्भ की जाती है। इस विज्ञापन में सम्बन्धित सीजन (रबी/खरीफ) के समय उत्पादित की जाने वाली फसलों में से अधिसूचित फसलों के विवरण

---

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म. प्र.) भारत

के साथ ही अधिसूचित फसलों के लिए बीमित राशि तथा प्रीमियम दर (ऋणी व अऋणी किसानों के लिए अलग–अलग) व बीमा इकाई (पटवारी हल्का या तहसील) आदि का विवरण होता है। अत: एग्रीकल्चरल इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा जारी विज्ञापन के बाद समस्त वित्तीय संस्थानों (राष्ट्रीयकृत बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी साख समितियों) द्वारा निश्चित तय समय सीमा के अन्दर जिन कृषकों ने उस संस्था से ऋण लिया है, का बीमा (घोषणा पत्र) फार्म भरकर एग्रीकल्चरल इन्श्योरेंस कम्पनी के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना होता है, जो उस जिले के राज्य में स्थापित है तथा अऋणी कृषकों के लिए कृषि बीमा ऐच्छिक है। अत: अऋणी कृषक अगर चाहे तो अपने नजदीकी बैंक शाखा या कृषि सहकारी साख समिति पर जाकर कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति एग्रीकल्चरल इन्श्योरेंस कम्पनी से प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि बीमा सम्बन्धी निर्देश:– वित्तीय संस्थानों को एग्रीकल्चरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के कृषि बीमा सम्बन्धी ऋणी व अऋणी कृषकों के लिए निम्न दिशा निर्देशों का पालन करते हैं –

1. **भाग 'अ' (अनिवार्य बीमा आवरण) –** इस भाग के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित बीमा कृषकों द्वारा वित्तीय संस्थानों से फसल के लिए जो ऋण लिया हुआ है। उस राशि का बीमा किया जाता है। यह भाग केवल ऋणी कृषकों के लिए है।
2. **भाग 'ब' (विस्तारित बीमा आवरण) –** इस भाग में जहाँ थ्रेशोल्ड उपज का मूल्य ऋणमान या वित्तीय ऋण राशि से अधिक है, वहाँ यदि ऋणी किसान चाहे तो वितरित ऋण से अधिक किन्तु थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य तक की राशि का बीमा करवा सकते हैं। प्रीमियम की राशि निश्चित दरों पर ली जाएगी। अऋणी कृषक भी इस भाग के अन्तर्गत अपनी उपज का बीमा करवा सकते हैं।
3. **भाग 'स' (अतिरिक्त बीमा आवरण) –** इस भाग में यदि किसान चाहे तो वितरित ऋण से अधिक औसत उपज के 150 प्रतिशत तक मूल्य की राशि का बीमा करवा सकता है। इस अन्तर की राशि पर प्रीमियम की वास्तविक दरें लागू होंगी।

लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए प्रीमियम की राशि में अनुदान – खरीफ व रबी के मौसम में लघु एवं सीमान्त कृषकों (जिनकी स्वामित्व की कुलभूमि दो हेक्टेयर या उससे कम है) के लिए प्रीमियम की राशि में 10% अनुदान उपलब्ध है तथा बैंक/सहकारी समिति प्रीमियम की राशि का 90% ही प्रेषित करेगी।

किसान क्रेडिट कार्ड – सभी बैंक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों के लिए वितरित फसल ऋण का बीमा अनिवार्य रूप से करेगी व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नियंत्रण के लिए शाखा स्तर पर बेक अप रजिस्टर की स्थापना की जाएगी। अधिसूचित फसलों के लिए स्वीकृत ऋण सीमा के अनुसार वितरित राशि ही बीमित राशि की होगी। उपभोग, ऋण, मध्यकालीन ऋण या गैर अधिसूचित फसलों के लिए वितरित ऋण बीमा के लिए पात्र नहीं है।

आवरण का प्रकार व क्षतिपूर्ति का निर्धारण – कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर किया जा रहा है। कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत दावों का भुगतान व्यक्तिगत आधार पर नहीं किया जाता है। कृषक राशि बीमित फसल की अधिसूचित क्षेत्र में बीमित मौसम में निर्धारित फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित प्रति हेक्टेयर वास्तविक उपज निर्धारित थ्रेशोल्ड उपज से कम रिकार्ड की जाती है तो वह फसल लेने वाले सभी बीमित किसानों की उपज में कमी मानी जाती है। क्षतिपूर्ति का निर्धारण नीचे दिए गए फार्मूले के आधार पर किया जाता है।

$$\text{देय दावा राशि} = \frac{\text{उपज में कमी X कृषक की बीमित राशि}}{\text{थ्रेशोल्ड उपज}}$$

(उपज में कमी = थ्रेशोल्ड – अधिसूचित क्षेत्र की वास्तविक उपज)

इन्दौर जिले में कृषि बीमा योजना की स्थिति – जिले में कृषि बीमा योजना की स्थिति के अन्तर्गत विगत पाँच वर्षों 2009–2014 तक के जिले के कुल कृषकों में से बीमित कृषकों (वे कृषक जिन्होंने वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया है और जिनका बीमा वित्तीय संस्थानों द्वारा किया गया है) की प्रतिशतता के अध्ययन के साथ–साथ कृषि भूमि का बीमित क्षेत्र, बीमित राशि (ऋण की राशि) प्रीमियम व दावा राशि का अध्ययन किया गया है।

जिले में कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित कृषकों की स्थिति – जिले में वर्तमान समय में कुल 129190 कृषक हैं तथा कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ व रबी के सीजन के समय के बीमित कृषकों का अध्ययन किया गया है।

तालिका –1 : जिले में कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित कृषकों की स्थिति (खरीफ व रबी के समय)

वर्ष	बीमित किसानों की संख्या	बीमित क्षेत्रफल हे. में
	खरीफ	
2009	39059	121381.55
2010	44221	130280.56
2011	48411	135279.71
2012	52330	137847.00
2013	65420	172162.21
	रबी	
2009–10	48228	134309.29
2010–11	37656	102475.78
2011–12	38928	102081.20
2012–13	43552	112951.12
2013–14	92586	148114.98

स्रोत:–

1. एग्रीकल्चरल इन्श्योरेंस कम्पनी, भोपाल
2. कृषि उपसंचालक विभाग, जिला इन्दौर
3. भू–अभिलेख विभाग, जिला इन्दौर
4. जिला सांख्यिकी विभाग, जिला इन्दौर

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि जिले में कृषकों का कृषि बीमा योजना के प्रति रूझान बढ़ा है अर्थात प्रत्येक वर्ष कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित कृषकों की संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि खरीफ के समय जहाँ वर्ष 2009 में बीमित कृषकों की संख्या 39059 थी, वह वर्ष 2013 में बढ़कर 65420 हो गयी है तथा वहीं रबी के समय वर्ष 2009–10 में जहाँ बीमित कृषकों की संख्या 48228 थी, वही 2013–14 में बढ़कर 92586 हो गयी है तथा बीमित क्षेत्रफल रबी व खरीफ जो 2009 में क्रमश: 134309.29 और 121381.55 हेक्टेयर था, वह वर्ष 2013 में क्रमश: 148114.98 व 172162.21 हेक्टेयर हो गया है।

जिले में कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित राशि, प्रीमियम, दावा राशि तथा लाभान्वित कृषकों की स्थिति – इन्दौर जिले में कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित राशि अर्थात कृषकों द्वारा कृषि कार्यों की पूर्ति हेतु लिए गए ऋण की राशि की विगत पाँच वर्षों की स्थिति का अध्ययन किया गया है साथ ही कृषकों द्वारा किए गए प्रीमियम की राशि व दावा राशि अर्थात प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुई बीमित फसलों की क्षतिपूर्ति की राशि तथा लाभान्वित कृषकों की संख्या खरीफ व रबी के समय का उल्लेख किया गया है।

तालिका – 2 : जिले में कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित राशि प्रीमियम व दावा राशि तथा लाभान्वित कृषकों की स्थिति

वर्ष	बीमित राशि (लाख रु. में)	प्रीमियम राशि (लाख रु. में)	दावा राशि (लाख रु. में)	लाभान्वित कृषक
		खरीफ		
2009	11782.92	412.40	0	0
2010	11326.41	437.33	438	17116
2011	19081.20	667.84	338.64	5088
2012	23270.11	814.45	0	0
2013	31718.42	1110.14	330.40	31913
		रबी		
2009-10	13661.66	302.71	29.73	1393
2010-11	10288.54	186.67	58.93	298
2011-12	13476.65	247.74	60.30	20124
2012-13	19814.32	298.41	0	0
2013-14	20005.52	378.50	790.88	39913

स्रोत:-

1. एग्रीकल्चरल इन्श्योरेंस कम्पनी, भोपाल
2. कृषि उपसंचालक विभाग, जिला इन्दौर
3. भू-अभिलेख विभाग, जिला इन्दौर
4. जिला सांख्यिकी विभाग, जिला इन्दौर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिले में कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित राशि (कृषकों द्वारा कृषि कार्यों हेतु लिये गये ऋण की राशि) में लगातार वृद्धि हुई है तथा कृषकों द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी फसलों का बीमा भी कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत करवाया है जिसके परिणामस्वरूप प्रीमियम राशि के भुगतान में वृद्धि हुई है जो कि रबी व खरीफ के समय की स्थिति अलग-अलग स्पष्ट की गयी है। साथ ही दावा राशि व लाभान्वित कृषकों की स्थिति भी प्रकट की गयी है। वर्ष 2009 में खरीफ के समय की दावा राशि व 2012 तथा रबी 2012-13 लाभान्वित कृषकों की संख्या नहीं है क्योंकि उपर्युक्त वर्षो में अनुकूल था और फसलों को कोई हानि नहीं हुई थी व जिले में किसी अन्य प्राकृतिक आपदा नहीं हुई थी।

इन्दौर जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग:-

तालिका 3 - (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् सिंचाई संसाधनों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है क्योंकि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत जब कृषकों को फसल नष्ट होने पर भी वित्त सम्बन्धी आर्थिक समस्याएँ नहीं उठानी पड़ती है और कृषक कृषि सम्बन्धी किसी भी कार्य के लिए कम ब्याज दरों पर आसानी से ऋण प्राप्त कर लेते हैं। इसी के परिणामस्वरूप जिले में वर्ष 2009-10 में 163625 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल सिंचित था वही 2013714 में बढ़कर 211031 हेक्टेयर सिंचित कृषि क्षेत्रफल हो गया है।

तालिका 4 - (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका 4 से स्पष्ट है कि जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् उन्नत किस्म के बीजों व रसायनिक उर्वरक खाद के उपयोग में वृद्धि हुई है क्योंकि जहाँ जिले में वर्ष 2009-10 में उन्नत बीजों के उपयोग में मात्र 94546 (हे.) कृषि भूमि में 83686 (कि.ग्रा.) बीजों का उपयोग होता था, वही 2012-13 में बढ़कर 452792 (हे.) कृषि क्षेत्रफल हो गया है व बीजों की मात्रा भी 187270 (कि.ग्रा.) हो गयी है जो कि 358146 (हे.) अधिक है व 103584 (कि.ग्रा.) अधिक बीजों का उपयोग हुआ है। वहीं रसायनिक उर्वरक खाद का उपयोग भी देखा जाए तो वर्ष 2009-10 में जो 323256 (हे.) में 89850 (टन) का उपयोग होता था वह वर्ष 2012-13 में बढ़कर 452792 (हे.) में 182929 व 93079 (टन) की वृद्धि है।

तालिका- 5 : जिले में कृषि संयंत्रों (उपकरणों) के उपयोग की स्थिति

वर्ष	हल	बैलगाड़ी	पंप सिंचाई हेतु	ट्रेक्टर	थ्रेशर
2009-10	28783	17671	56700	6119	0
2010-11	14826	18003	54539	6894	149
2011-12	35254	15630	55699	9059	30
2012-13	35192	14574	55538	8223	56
2013-14	36595	15593	58698	8481	65

स्रोत:- जिला कृषि उपसंचालक विभाग इन्दौर।
जिला सांख्यिकी विभाग इन्दौर।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन्दौर जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् कृषि संयंत्रों के उपयोग में वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष – उपर्युक्त शोध अध्ययन से स्पष्ट है कि जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् जिले में कृषि क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीकी उपकरणों के उपयोग में भी वृद्धि हुई है क्योंकि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् कृषकों को वित्तीय संस्थाओं से कृषि कार्यों हेतु ऋण आसानी से प्राप्त हो जाता है। जिससे कृषक समय पर अपने सभी कृषि सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण कर लेते हैं तथा उन्नत किस्म के बीज, रसायनिक उर्वरक खादों, कीटनाशक दवाइयों, कृषि संयंत्रों आदि का उपयोग कर कम मेहनत में अधिक व गुणवत्ता युक्त उत्पादन करने में समर्थ हुए है एवं वित्तीय संस्थान भी कृषकों को ऋण देने में हिचकिचाते नहीं है क्योंकि कृषकों द्वारा जो भी कृषि कार्य के लिये ऋण लिया है और अगर मौसम के प्रतिकूल या प्राकृतिक अनिश्चितता के कारण फसल का उत्पादन आशापूर्ण नहीं रहता है या फसल पूर्णत: नष्ट हो जाती है तो कृषक के ऋणों का भुगतान सरकार द्वारा वित्तीय संस्थानों को किया जाता है। जिससे कृषकों की आगामी ऋण साख बहाल होती है व वित्तीय संस्थान को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अत: जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् बैंकों का भी विकास हुआ है एवं कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग भी बड़ा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. जिला सांख्यिकी वार्षिक पुस्तिका इन्दौर।

2. एग्रीकल्चरल इन्श्योरेंस कम्पनी के वार्षिक प्रतिवेदन।
3. योजना मासिक पत्रिका 2009, 2012।
4. शोध पत्र, समाचार पत्र।

तालिका 3 : जिले में उपलब्ध सिंचाई क्षमता का विकास

वर्ष	नहरें (संख्या)	नलकूप (संख्या)	कुएँ (संख्या)	तालाब (संख्या)	समस्त स्त्रोतों से सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर)
2009-10	11	50449	9612	209	163625
2010-11	11	53820	8928	209	178835
2011-12	11	51489	11636	209	185662
2012-13	11	51850	4538	3209	199679
2013-14	11	52394	4538	209	211031

स्त्रोत:- जिला सांख्यिकी विभाग इन्दौर।

तालिका 4 : जिले में उन्नत बीज एवं रसायनिक उर्वरक खाद उपयोग में वृद्धि

वर्ष	उन्नत बीज		रसायनिक खाद	
	क्षेत्रफल (हे.)	मात्रा (कि.ग्रा.)	क्षेत्रफल (हे.)	मात्रा (टन)
2009-10	94546	23686	323256	89850
2010-11	120000	100522	225831	229675
2011-12	162042	114866	477671	203981
2012-13	452792	187270	452792	182929
2013-14	NA	NA	NA	NA

स्त्रोत:- जिला सांख्यिकी विभाग इन्दौर।
(नोट:- वर्ष 2013-14 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।)

****

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रतलाम द्वारा प्रदत्त मध्यकालीन ऋणों का विश्लेषण (वर्ष 2005-06 से 2009-10)

डॉ. लक्ष्मण परवाल * डॉ. विमलेश कुमार सोनी **

प्रस्तावना – मध्यकालीन ऋण से आशय ऐसे ऋणों से है, जो कृषकों को उन्नत कृषि कार्यों हेतु, पशु सम्पत्ति क्रय करने, भूमि सुधार एवं भूमि क्रय करने, फुटकर ऋणों को चुकाने, सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाने व मशीनीकरण करने, कमजोर वर्ग के ग्रामीणों को पशुपालन (जैसे :- भेड, भैंस, मुर्गी, बकरी पालन आदि) हेतु ग्रामीण शिल्पकारों के उद्योग हेतु आवश्यक यंत्र क्रय करने तथा सहायक धंधों को स्थापित करने के लिए प्रदान किए जाते है। इनके भुगतान की समयावधि 12 माह से अधिक किन्तु 05 वर्ष तक की होती है।

पात्रता एवं मार्जिन मनी – मध्यकालीन ऋण लेने हेतु ऐसे कृषक पात्र है, जिनके पास कम से कम दो हेक्टेयर भूमि हो। इन ऋणों के लिए कृषकों से नियमानुसार 20-25 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करवाई जाती है। मार्जिन मनी बैंक से ऋण स्वीकृत होने के बाद ही कृषक से ली जाती है।

मध्यकालीन ऋण स्वीकृति व ऋण अदायगी प्रक्रिया – मध्यकालीन ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया अल्पकालीन ऋणों के समान ही होती है। कृषकों द्वारा उत्पादित फसलों के औसत लागत का 50 प्रतिशत समस्त प्रकार के ऋणों की अदायगी मानी जाती है। जिसमें 35 प्रतिशत अल्पकालीन ऋण तथा 15 प्रतिशत मध्यकालीन ऋण की अदायगी क्षमता होती है।

मध्यकालीन ऋण हेतु आवश्यक शर्ते – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रतलाम द्वारा मध्यकालीन ऋण के वितरण हेतु निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाता है :

- कृषि यंत्र टेक्सपेड व्यापार के कोटेशन पर ही स्वीकृत किया जाता है।
- थ्रेशर, विद्युत मोटर, ट्यूबवेल एवं सबमर्सिबल पम्प हेतु कृषक के पास कम से कम दो हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है।
- फल, फूल, औषधीय खेती(बागवानी) हेतु ऋण उद्यानिकी विभाग की सिफारिश अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।
- सबमर्सिबल पम्प एवं जनरेटर हेतु वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा पर्याप्त पानी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। साथ ही ट्यूबवेल सहित सबमर्सिबल पम्प के प्रकरण में खुदाई हेतु भुगतान की गई राशि की पक्की रसीद होना आवश्यक है।
- कृषि यंत्रों का बीमा करवाना आवश्यक है तथा पर्यविक्षक की मौके की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- थ्रेशर, सबमर्सिबल पम्प के प्रकरणों में बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- भूमि का भार मुक्त प्रमाण पत्र 13 वर्ष का तथा अन्य बैंकों का नोड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- यह ऋण उन्हीं समितियों को दिया जाता है, जिनकी वसूली 60 प्रतिशत से अधिक हो।
- थ्रेशर मशीन व विद्युत मोटर के प्रकरणों में आवेदक के कोटेशन की राशि की 25 प्रतिशत मार्जिन मनी आवेदक का सेविंग खाता खोलकर अनिवार्यत: जमा कराई जाती है।
- ट्यूबवेल व सबमर्सिबल पम्प के प्रकरणों में आवेदक के कोटेशन की राशि की 20 प्रतिशत मार्जिन मनी आवेदक का सेविंग खाता खोलकर अनिवार्यत: जमा कराई जाती है।

अध्ययन का उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र निम्न उद्देश्यों पर आधारित है :

- लाभान्वित ग्रामीण हितग्राहियों की संख्या का पता लगाना।
- बैंक द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के ऋण राशियों का विश्लेषण करना।
- बैंक द्वारा प्रदत्त कुल मध्यकालीन ऋण राशि का विश्लेषण करना।

अध्ययन प्रणाली – यह अध्ययन म.प्र. के रतलाम जिले में स्थित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा ग्रामीण हितग्राहियों को प्रदाय किए गए मध्यकालीन ऋणों के विश्लेषण के आधार पर किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक समंकों पर आधारित है। जिन्हें जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम से संग्रहित किया गया है। अध्ययन की अवधि 05 वर्ष (2005-06 से 2009-10) की ली गई है। इस अध्ययन में लाभान्वित ग्रामीण हितग्राहियों की संख्या एवं उन्हें बैंक द्वारा प्रदाय किए गए विभिन्न प्रकार के ऋण राशियों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन अवधि में 05 वर्षों के समंकों के आधार पर औसत, प्रतिशत, निर्देशांक, अनुपात जैसे सांख्यिकीय एवं गणितीय विधियों का प्रयोग कर अपेक्षित परिणाम ज्ञात किये गए है।

विश्लेषण एवं परिणाम – जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा हितग्राहियों को प्रदाय किए गए मध्यकालीन ऋणों का विश्लेषण गत 05 वर्षों (वर्ष 2005-06 से 2009-10) के आधार पर शोधार्थी द्वारा निम्न तालिका में दर्शाया गया है। तालिका में बैंक द्वारा वितरित मध्यकालीन ऋणों की राशि की जानकारी प्रतिशत के आधार पर दर्शायी गयी है :

तालिका क्रं. 1 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

तालिका क्रं. 1 से स्पष्ट है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा गत 05 वर्षों में (वर्ष 2005-06 से 2009-10) कुल 425 हितग्राहियों को लगभग 02 करोड़, 09 लाख, 67 हजार रूपये मध्यकालीन ऋण के रूप में वितरित किये गये है। इसमें सर्वाधिक ऋण सबमर्सिबल पम्प, पाईप लाइन, जनरेटर, स्प्रिंगकिलर एवं कुआँ आदि पर 195 हितग्राहियों को 01 करोड़, 08 लाख, 87 हजार रूपये प्रदाय किये गये है, जो कुल हितग्राहियों की संख्या का लगभग 46 प्रतिशत एवं कुल प्रदाय की गई ऋण राशि का लगभग 52 प्रतिशत के बराबर है। सबसे कम ऋण गोदान योजना के अंतर्गत दुधारू पशु क्रय करने हेतु 04 हितग्राहियों को 01 लाख, 89 हजार रूपये प्रदाय किए गए

---

* प्राध्यापक (वाणिज्य) स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
** अतिथि सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, आलोट, जिला-रतलाम (म.प्र.) भारत

है, जो कुल हितग्राहियों की संख्या का लगभग 01 प्रतिशत एवं कुल प्रदाय की गई ऋण राशि का लगभग 01 प्रतिशत के बराबर है।

वर्ष 2005-06 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा मध्यकालीन ऋण के रूप में कुल 74 हितग्राहियों को 35 लाख, 06 हजार रूपये का ऋण प्रदाय किया गया, जो कुल हितग्राहियों की संख्या का 17.41 प्रतिशत एवं कुल प्रदाय की गई ऋण राशि का लगभग 17 प्रतिशत के बराबर है। इस वर्ष में सर्वाधिक ऋण राशि वाणिज्यिक दुग्ध डेयरी पर 07 हितग्राहियों को 11 लाख, 38 हजार रूपये प्रदाय किए गए है तथा सबसे कम ऋण राशि पोण्डस निर्माण हेतु 05 हितग्राहियों को मात्र 01 लाख, 31 हजार रूपये प्रदाय किए गए है।

इसी प्रकार वर्ष 2006-07 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा मध्यकालीन ऋण के रूप में कुल 127 हितग्राहियों को 37 लाख, 60 हजार रूपये का ऋण प्रदाय किया गया, जो कुल हितग्राहियों की संख्या का 29.88 प्रतिशत एवं कुल प्रदाय की गई ऋण राशि का लगभग 18 प्रतिशत के बराबर है। इस वर्ष में सर्वाधिक ऋण राशि सबमर्सिबल पम्प, पाईप लाइन, जनरेटर, स्प्रिंगकिलर एवं कुआँ आदि पर 31 हितग्राहियों को 13 लाख, 14 हजार रूपए प्रदाय किए गए है तथा सबसे कम ऋण राशि विद्युत थ्रेशर, ट्रेक्टर थ्रेशर, तथा थ्रेशर मशीन पर मात्र 02 हितग्राहियों को मात्र 01 लाख, 48 हजार रूपये प्रदाय किए गए है।

इसी प्रकार वर्ष 2007-08 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा मध्यकालीन ऋण के रूप में कुल 88 हितग्राहियों को 49 लाख, 98 हजार रूपये का ऋण प्रदाय किया गया, जो कुल हितग्राहियों की संख्या का 20.71 प्रतिशत एवं कुल प्रदाय की गई ऋण राशि का लगभग 24 प्रतिशत के बराबर है। इस वर्ष में सर्वाधिक ऋण राशि सबमर्सिबल पम्प, पाईप लाइन, जनरेटर, स्प्रिंगकिलर एवं कुआँ आदि पर 57 हितग्राहियों को 34 लाख, 31 हजार रूपये प्रदाय किये गये है तथा सबसे कम ऋण राशि विद्युत थ्रेशर, ट्रेक्टर थ्रेशर तथा थ्रेशर मशीन पर 03 हितग्राहियों को 80 हजार रूपये प्रदाय किये गये है।

इसी प्रकार वर्ष 2008-09 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा मध्यकालीन ऋण के रूप में कुल 41 हितग्राहियों को 30 लाख, 68 हजार रूपये का ऋण प्रदाय किया गया, जो कुल हितग्राहियों की संख्या का 09.65 प्रतिशत एवं कुल प्रदाय की गई ऋण राशि का लगभग 15 प्रतिशत के बराबर है। इस वर्ष में सर्वाधिक ऋण राशि सबमर्सिबल पम्प, पाईप लाइन, जनरेटर, स्प्रिंगकिलर एवं कुआँ आदि पर 23 हितग्राहियों को 17 लाख, 54 हजार रूपये प्रदाय किये गये है तथा सबसे कम ऋण राशि दुधारू पशु हेतु 05 हितग्राहियों को 02 लाख, 46 हजार रूपये प्रदाय किये गये है।

इसी प्रकार अंतिम वर्ष 2009-10 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा मध्यकालीन ऋण के रूप में कुल 95 हितग्राहियों को 56 लाख, 35 हजार रूपये का ऋण प्रदाय किया गया, जो कुल हितग्राहियों की संख्या का 22.35 प्रतिशत एवं कुल प्रदाय की गई ऋण राशि का लगभग 27 प्रतिशत के बराबर है। इस वर्ष में सर्वाधिक ऋण राशि सबमर्सिबल पम्प, पाईप लाइन, जनरेटर, स्प्रिंगकिलर एवं कुआँ आदि पर 64 हितग्राहियों को 36 लाख, 69 हजार रूपये प्रदाय किये गये है तथा सबसे कम ऋण राशि दुधारू पशु हेतु 18 हितग्राहियों को 08 लाख, 91 हजार रूपये प्रदाय किये गये है।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध कार्य के अंत में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि गत 05 वर्षों में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा प्रदाय किये गये मध्यकालीन ऋणों में सर्वाधिक ऋण सबमर्सिबल पम्प, पाईप लाइन, जनरेटर, स्प्रिंगकिलर एवं कुआँ पर 195 हितग्राहियों (कुल हितग्राहियों की संख्या का लगभग 46 प्रतिशत) को 01 करोड़, 08 लाख, 87 हजार रूपये (कुल वितरित की गई राशि का लगभग 52 प्रतिशत) वितरित किये गये है।

हितग्राहियों व ऋण वितरण की न्यूनता की बात कही जाये तो गत 05 वर्षों में मध्यकालीन ऋणों के अन्तर्गत सबसे कम ऋण गोदान योजना (दुधारू पशु) पर मात्र 04 हितग्राहियों (कुल हितग्राहियों की संख्या का लगभग 01 प्रतिशत) को मात्र 01 लाख, 89 हजार रूपये (कुल वितरित की गई राशि का लगभग 01 प्रतिशत) वितरित किये गये है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शोध पत्र की सम्पूर्ण सामग्री शोधार्थी डॉ. विमलेश कुमार सोनी अतिथि सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय, आलोट जिला-रतलाम के शोध प्रबंध रतलाम जिले में ग्रामीण हितग्राहियों के विकास में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम का योगदान (वर्ष 2005-06 से 2009-10) विषय से ली गई है। यह शोध प्रबंध डॉ. लक्ष्मण परवाल, प्राध्यापक वाणिज्य संकाय, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम के निर्देशन एवं डॉ. आर. के. विजय (उप-सचिव), उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन भोपाल के सह-निर्देशन में पूर्ण किया गया है। जिस पर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ने शोधार्थी को जुलाई 2014 में पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा हितग्राहियों को प्रदाय किए गए मध्यकालीन ऋणों की राशि का विश्लेषण प्रतिशत में (वर्ष 2005-06 से 2009-10)

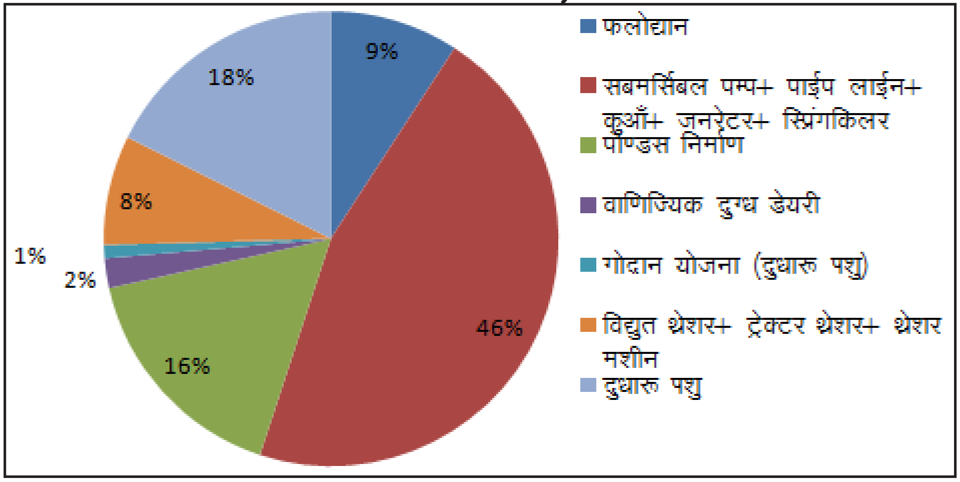

तालिका क्रं.0 1 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा हितग्राहियों को प्रदाय किये गये मध्यकालीन ऋणों का विश्लेषण
(वर्ष 2005–06 से 2009–10)

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	विवरण	2005–06		2006–07		2007–08		2008–09		2009– 10		योग			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
01	फलोद्यान	21	7.30	08	5.15	06	7.26	04	3.25	–	–	39	09.18	22.96	10.95
02	सबमर्सिबल पम्प+ पाईपलाईन+ कुआँ+ जनरेटर+ स्प्रिंगकिलर	20	7.19	31	13.14	57	34.31	23	17.54	64	36.69	195	45.88	108.87	51.92
03	पोण्डस निर्माण	05	1.31	65	9.54	–	–	–	–	–	–	70	16.47	10.85	05.17
04	वाणिज्यिक दुग्ध डेयरी	07	11.38	02	1.53	–	–	–	–	–	–	09	02.12	12.91	06.16
05	गोदान योजना (दुधारू पशु)	04	1.89	–	–	–	–	–	–	–	–	04	0.94	1.89	0.90
06	विद्युत थ्रेशर+ ट्रेक्टर थ्रेशर+ थ्रेशर मशीन	06	3.27	02	1.48	03	0.80	09	7.43	13	10.75	33	07.76	23.73	11.32
07	दुधारू पशु	11	2.72	19	6.76	22	7.61	05	2.46	18	8.91	75	17.65	28.46	13.58
योग :		**74**	**35.06**	**127**	**37.60**	**88**	**49.98**	**41**	**30.68**	**95**	**56.35**	**425**	**100.00**	**209.67**	**100.00**
प्रतिशत :		**17.41**	**16.72**	**29.88**	**17.93**	**20.71**	**23.84**	**09.65**	**14.63**	**22.35**	**26.88**	**100.00**		**100.00**	

स्त्रोत : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रतलाम द्वारा हितग्राहियों को प्रदाय किए गए मध्यकालीन ऋणों की राशि का विश्लेषण प्रतिशत में (वर्ष 2005-06 से 2009-10)

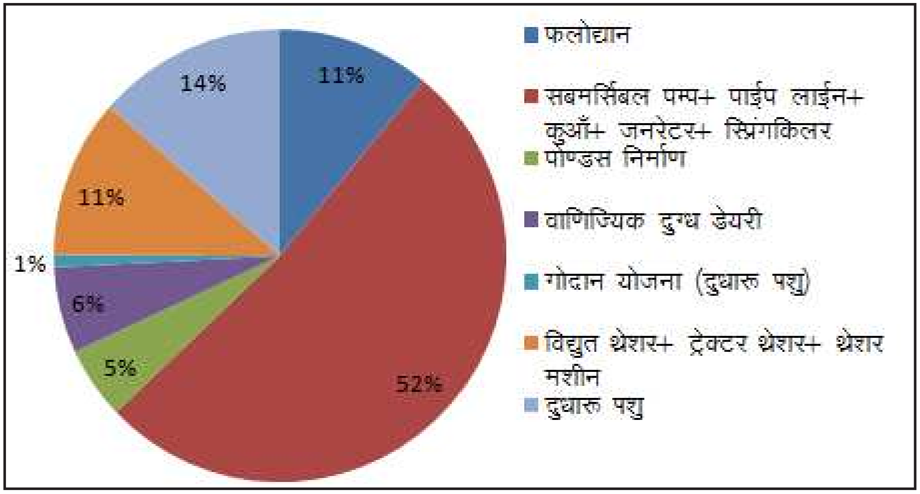

****

महिला सशक्तिकरण – संवैधानिक प्रावधान एवं आर्थिक सशक्तिकरण

डॉ. शैला सिद्ध *

शोध सारांश – आज के आर्थिक युग में महिलाऐं अधिक स्वावलम्बी हुई है। उनमें आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ा है। अपने अधिकारों के प्रति वे सचेत हुई है, मगर महिलाओं में आर्थिक क्रांति की लहर अधिकतर शहरों में ही देखने को मिलती है। यह नहीं कि ग्रामीण महिला कामकाजी नहीं है। परन्तु फिर भी वे आत्म निर्भर नहीं है। इसका सबसे बडा कारण है, उनका असंगठित होना। ग्रामीण महिला अधिकतर असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है इसलिए उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पडता है। असुरक्षात्मक माहौल में कठोरश्रम के बावजूद उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। और उन्हें दुसरी कई सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। भारत सरकार ने ग्रामीण विकास में महिला रोजगार की भागीदारी बढ़ाने के लिए समय–समय पर नीतियों का निर्माण किया है। महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को वांछित गति प्रदान करने के लिए 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन महिला और बाल विकास विभाग गठित किया गया है। 2006 से इसे स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के विकास की देखरेख करने वाली प्रमुख एजेंसी के रूप में योजनाए, नीतियॉ, और कार्यक्रम तैयार करता है। महिलाओं के बारे में कानून बनाता है और उनमें संशोधन करता है और महिलाओं के विकास के क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी और गैर–सरकारी दोनों तरह के संगठनों के प्रयासों का दिशा निर्देशन और समन्वय करता है। इसके अलावा विभाग महिलाओं के लिए कुछ अभिनव कार्यक्रमों को भी लागू करता है। ये कार्यक्रम प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण रोजगार और आमदनी बढ़ाने, कल्याण और सहायक सेवाओं तथा जागरूकता पैदा करने और महिलाओं में चेतना जगाने के क्षेत्र में होते हैं। इन सब कार्यक्रमों का अंतिम उद्देश्य महिलाओं को आत्म निर्भर और सक्षम बनाना है। भारत में ग्रामीण विकास, रोजगार संवर्धन व विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए तथा महिला के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाओं, महिला शिक्षा हेतु सघन पाठ्यक्रम, कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास सुविधा, प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम योजना, अल्प आवास गृह योजना, जागरूकता सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन आदि कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, साथ ही भारतीय संविधान में लैंगिक समानता और भेदभाव से बचाव व महिलाओं के लिए कई संवैधानिक, विशेष कानून की रचना की गई है। जिन्हें भारत सरकार व राज्य सरकार ने महिलाओं की रक्षा और उनकी प्रस्थिति में सुधार के लिए विशेष कई कानूनों, हिन्दु विवाह अधिनियम 1955, दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिबंध 1976, गर्भपात अधिनियम 1971, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 आदि कानूनों को लागू किया है। ताकि महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी व सामाजिक रूप से अति सुदृढ़ बनाया जा सके।

प्रस्तावना – किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक प्रगति को जानने के लिए वहाँ की महिलाओं की स्थिति एवं स्तर का आंकलन करना अति आवश्यक है। समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अत: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वतंत्र भारत में संवैधानिक प्रावधानों एवं विशेष योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस आलेख के माध्यम से इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों एवं विभिन्न योजनाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है। ताकि प्रबुद्धजन भी इन्हें जाने और अप्रत्यक्ष रूप से इनके प्रचार प्रसार रूपी यज्ञ में अपनी आहुति डालकर इसे सफल बनानें में मदद करें।

संवैधानिक प्रावधान, विशेष कानून और महिला सशक्तिकरण–

- भारतीय संविधान में लैंगिक समानता और भेदभाव से बचाव के लिये कई धाराओं की रचना की गई है। उनमें, विशेष रूप में, निम्नांकित प्रावधान हैं–
- कानून की निगाह में बराबरी और कानूनों के बराबर रक्षा (अनुच्छेद–14)
- अन्य वस्तुओं के साथ–साथ लिंग के आधार पर भेदभाव, हीनता विशेषतया सार्वजनिक स्थलों पर पहुँच की मुक्त उपलब्धता और राज्यों को महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के अधिकार (अनुच्छेद–15)
- जनसेवा योजन (रोजगार) के अवसरों की समानता (अनुच्छेद–16)
- राज्य द्वारा स्त्री–पुरूषों के स्वाथ्य एवं शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सार्वजनिक नीति का निर्धारण (अनुच्छेद– 39–ई तथा एफ)
- कार्य की मानवीय दशाएँ तथा महिलाओं के लिये मातृत्व राहत (अनुच्छेद–42)
- राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता बनाने के प्रयास (अनुच्छेद– 44)
- महिलाओं के सम्मान के विपरीत प्रथाओं को त्यागना प्रत्येक नागरिक का मूलभूत कर्तव्य (अनुच्छेद– 51ए–ई)
- संवैधानिक प्रावधानों की अनुरूपता में सरकार ने महिलाओं की रक्षा और उनकी प्रस्थिति में सुधार के लिए विशेष कानूनों को लागू किया

---

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, बदनावर, जिला – धार (म.प्र.) भारत

है।

- विशेष विवाह अधिनियम, 1954- किसी भी जाति अथवा धर्म की 18 वर्षीय लड़की तथा 21 वर्षीय लड़का इस कानून से लाभान्वित हो सकते हैं।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 – कुछ रीतियों, विशेषकर सप्तपदी के संपादित होने पर विवाह सम्पन्न माना जाता है। जब तक प्रथम विवाह अस्तित्ववान है, दूसरा विवाह वर्जित है, कानूनी अलगाव और तलाक का अधिकार विशेष आधारों पर उपलब्ध कराया गया है, जैसे- पागलपन, धर्म परिवर्तन, असाध्य या संक्रामक रोग इत्यादि।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 – दहेज माँगना, लेना या देना, राज्य के विरूद्ध एक गैर जमानती, संज्ञेय अपराध है और जिसमें कम से कम 5 वर्ष के कारावास तथा 15,000 या दहेज की राशि के बराबर आर्थिक दण्ड की व्यवस्था है।

बाल विवाह प्रतिबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 1976 – विवाह की आयु सीमा लड़कियों के लिए 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष तथा लड़कों के लिये 21 वर्ष कर दी गई है।

हिन्दू दत्तक एवं निर्वाह अधिनियम, 1955 – स्वस्थ मस्तिष्क की अविवाहित महिला, विधवा अथवा तलाकशुदा एक बच्चे को गोद ले सकती है।

हिन्दू उत्तराधिकार कानून, अधिनियम, 1956 – इसमें महिलाओं के लिए, पुरूषों के समान, सम्पत्ति के उत्तराधिकार तथा सम्पत्ति के अधिकार के हस्तांतरण के अधिकारों को सन्निहित किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला श्रमिकों की सुरक्षा हेतु कई कानून बनाए गए हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और समान पारिश्रमिक कानून, 1976 दो ऐसे पर्याप्त एवं विशिष्ट कानून है जिनमें शिशु जन्म के उपरांत छ: सप्ताह का वेतन सहित अवकाश, प्रसव के छ: सप्ताह पूर्व से ठीक पहले एक माह के लिए श्रम साध्य कार्यो में न लगाना तथा पुरूषों के समान, समान कार्य हेतु समान पारिश्रमिक का भुगतान का प्रावधान है।

अन्य कानूनों में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो क्रेच, शिशु को स्तनपान कराने हेतु कार्य विश्राम, पृथक् शौचालय इत्यादि की सुविधा प्रदान करते हैं। गर्भपात अधिनियम, 1971, चिकित्सकीय दृष्टिकोण से उचित होने पर, गर्भपात की अनुमति देता है। प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक (दुरूपयोग नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1994, भ्रूण लिंग निर्धारण हेतु परीक्षण को नियंत्रित करता है। लिंग निर्धारण परीक्षण प्राय: कन्या भ्रूण की पहचान तथा उसके गैर कानूनी गर्भपात हेतु किए जाते हैं। 'मानवीय शरीर के विरूद्ध हिंसा, चाहे पुरूष या स्त्री जो भी प्रभावित हो, साधारणतया दण्डनीय अपराध है। इस विषय को महिलाओं में प्रभावित करने वाले कानूनी प्रावधानों, विशेषकर दण्ड संबंधी प्रावधानों को और अधिक प्रभावी एवं अपराध रोकने में सक्षम बनाने हेतु समय-समय पर पुनरीक्षण एवं सुधार किया जाता है। बलात्कार, अपहरण, दहेज के लिये प्रताड़ित करके मार डालना, छेड़छाड़ व कार्यस्थल पर यौन शोषण सभी महिलाओं से संबंधित होने वाले अपराध हैं जिन पर बहुधा सामाजिक बहस एवं जाँच होती है।

यह सच है कि आज के आर्थिक युग में महिलाएं अधिक स्वावलंबी हुई हैं। उनमें आत्मविश्वास और मनोबल भी बड़ा है। अपने अधिकारों के प्रति वे सचेत हुई हैं मगर महिलाओं में आर्थिक क्रान्ति की लहर अधिकतर शहरों में ही देखने को मिलती है। यह नहीं कि ग्रामीण महिला कामकाजी नहीं हैं परन्तु फिर भी वे आत्मनिर्भर नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, उनका असंगठित होना। ग्रामीण महिला अधिकतर असंगठित क्षेत्र में कार्य करती हैं। इसलिए उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। असुरक्षात्मक माहौल में कठोर श्रम के बावजूद उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और उन्हें दूसरी कई सुविधाओं से वंचित रखा जाता है।

किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक प्रगति को जानने के लिए वहां की महिलाओं की स्थिति एवं स्तर का आंकलन करना अति आवश्यक है। समाज में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

भारत सरकार ने ग्रामीण विकास में महिला रोजगार की भागीदारी बढ़ाने के लिए समय-समय पर नीतियों का निर्माण किया है। इन सब नीतियों का अंतिम उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। भारत में ग्रामीण विकास, रोजगार संवर्द्धन व विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए तथा महिला के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण – सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए गए। इनके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु दो विशेष योजनाएं-महिला स्वाधार एवं महिला स्वयंसिद्धा योजनाएं प्रारम्भ की गई। इसी वर्ष कई अन्य रोजगार योजनाएँ प्रारम्भ की गई, जैसे कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना आदि जिनमें पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाये गये।

इन तथ्यों को ध्यान में रखकर सरकार को किसी भी महिला आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने से पहले महिलाओं को जागरूक बनाना एवं उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार संचालित करने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों को नई महिला योजनाएँ निर्मित करने से पहले पूर्व संचालित कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना चाहिए। इस कार्य को करने में प्रसार तंत्र अहम भूमिका निभा सकता है। इस कार्य के लिए आवश्यकता है अधिकाधिक महिला प्रसार कर्मियों की, जो कृषक महिलाओं की समस्याओं का अधिक सूक्ष्मता से अध्ययन कर, उनकी समस्याओं के मूल कारणों का पता लगा सकती हों, जिससे कि महिलाओं के लिए योजनाओं के निर्माण में सरकार को एक सही दिशा प्राप्त हो एवं योजनाएं अधिक केन्द्रित हों।

निष्कर्ष – आज के आर्थिक युग में महिलाऐं अधिक स्वावलम्बी हुई है उनमें आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ा है। अपने अधिकारों के प्रति वे सचेत हुई है। निश्चित तौर पर यह स्वतंत्र भारत में निर्मित संवैधानिक प्रावधानों एवं भारत सरकार के माध्यम से बनाई गई, विभिन्न योजनाओं को ही प्रतिफल है। यदि राष्ट्र की सभी महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति चेतना एवं जागरूकता का संचार करना है, तो उन्हें वर्तमान में लागू नीतियों एवं योजनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए ऐसा करना उन्मुखीकरण कार्यक्रम के माध्यम से सोने में सुहागा होने की युक्ति को चरितार्थ करना साबित होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्वप्निल सारस्वत, महिला विकास एक परिदृश्य, नमन प्रकाशन नई दिल्ली, 2007,
2. वी.एम.सिंह, जनमेजय सिंह, आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण,

रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010

3. राजबाला सिंह, मानवाधिकार एवं महिलाएँ, अविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2006
4. मानचन्द्र खंडेला, महिला सशक्तिकरण, सिद्धान्त एवं व्यवहार अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2008
5. नदीम हसनैन, समकालीन भारतीय समाज, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2011
6. तेजस्कर पाण्डेय, संगीता पाण्डेय, भारत में सामाजिक समस्याएं टाटा मेग्रा हिल्स, नई दिल्ली
7. प्रेमनारायण शर्मा, वाणी विनायक, गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ,
8. प्रेमनारायण शर्मा, संजीव कुमार झा, वाणी विनायक, स्वर्गीय सुषमा विनायक, महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेन्टर लखनऊ, 2008
9. जागृति, कल्याणकारी योजनाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, वर्ष 55, अंक 5 मार्च, 2009,
10. नीरज कुमार गौतम, ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, वर्ष 55, अंक 5 मार्च 2009
11. धनजी चौरसिया, रोजगार एवं स्वास्थ्य रक्षा से सशक्त हुई महिलाएं, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली वर्ष 57, अंक 11, सितम्बर 2011

****

उमरिया जिले की ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण की भूमिका

डॉ. राजू रैदास *

प्रस्तावना – उमरिया जिला समुद्र सतह से 489 मीटर ऊँचाई पर तथा 23^0–31'–37' उत्तरी अक्षांश 80^0–50'–10' पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। उमरिया जिले के उत्तर में सतना, उत्तर पश्चिम में कटनी, उत्तर पूर्व में शहड़ोल, पश्चिम दक्षिण में जबलपुर, उत्तर पूर्व में शहड़ोल, दक्षिण में डिंड़ौरी जिलों से घिरा हुआ है।

भारत के मानचित्र पर उमरिया जिले का नामकरण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है, स्वाधीनता के उपरान्त देशी राज्यों के विलीनीकरण प्रक्रिया में बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड की छोटी – बड़ी 36 रियासतों को मिलाकर विन्ध्यप्रदेश का गठन किया गया, जुलाई 1998 में करकेली, पाली एवं मानपुर तहसीलों को मिलाकर यह जिला बना। 1 नवम्बर 1956 को महाकौशल, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश एवं अन्य सीमावर्ती क्षेत्र के 43 हिन्दी भाषी जिलों को मिलाकर मध्यप्रदेश राज्य बनाया गया।

उमरिया जिला उत्तर से दक्षिण लगभग 115 किलोमीटर लम्बा तथा पूर्व से पश्चिम लगलग 95 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल 4503 वर्ग किलोमीटर है। उमरिया जिले को पूर्व में 3 तहसीलों में विभक्त किया गया था। मानपुर, बॉधवगढ़ एवं पाली तथा बाद में चौथी तहसील के रूप में चंदिया, नौरोजाबाद को दर्जा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 5 तहसीलों एवं 03 विकासखण्ड है। तहसीलों का क्षेत्रफल क्रमश: मानपुर 1952, करकेली 1678 एवं पाली 873 किलोमीटर है।

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासो के अंतर्गत गरीब महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सूक्ष्म) ऋण देने हेतु राष्ट्रीय महिला कोष का गठन 1963 में किया गया। महिलाओं में पोषण और बाल विकास की समस्या के समाधान के लिए पोषण शिक्षा योजना 1993 से शुरू की गई। इसके साथ ही 2003 से राष्ट्रीय पोषण मिशन भी चलाया जा रहा है। ग्रामीण गरीब महिलाओं हेतु मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू की गई। लड़कियों को शिक्षा देने तथा बाल विवाह की प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए 2008 में धनलक्ष्मी योजना शुरू की गई। गरीब महिलाओं को पारंपरिक कार्यो में कौशल विकास व नवीन जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से महिलाओं के प्रशिक्षण व रोजगार सहयोग हेतु कार्यक्रम (स्टेप) 2009 से आरंभ किया गया। 11–18 वर्ष की किशोरियों को पोषण, सुरक्षा, गृहजीवन व व्यावसायिक कौशल का प्रोत्साहन देने के लिए राजीव गाँधी किशोरवय युवती सशक्तिकरण योजना 2010 में शुरू की गई। इन सबके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन भी 2010 में आरंभ हुआ। इसके अंतर्गत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों के समन्वय से महिलाओं के अंतरविकास को प्रोत्साहन देना है। 2011 में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को प्रसव सुविधा, भोजन रक्त आदि की मुत व्यवस्था प्रदान करने के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना आरंभ की गई।

अध्ययन का उद्देश्य – ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की वर्तमान प्रवृत्ति का अध्ययन।

अध्ययन विधि– द्वितीयक समंको पर आधारित –

जब हम एक महिला को साक्षर करते है, तो हम एक परिवार को साक्षर करते है। एक शिक्षित महिला शिक्षा के महत्व को समझती है और अपने बच्चों को भी शिक्षित करने के प्रति उत्साहित रहती है। यही से एक बेहतर मानव संसाधन का निर्माण शुरू होता है, जो आर्थिक विकास और सशक्तिकरण का आधार है। महिला शिक्षा के इसी महत्व को समझते हुए अब केन्द्र सरकार ने हर बेटी को शिक्षित करने के लिए योजना बनाई है। इसे नाम दिया है– बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरूआत की। इस योजना में प्रारंभ में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 100 चयनित जिलों को सम्मिलित किया जा रहा है। खासकर उन जिलों को सम्मिलित किया गया है, जहाँ लिंगानुपात बेहद कम है। इस अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री ने महिलाओं को उनका मूलभूत अधिकार दिलाने की दिशा में एक नई पहल की है। हरियाणा से इसे शुरू करने का उद्देश्य यह है कि इस राज्य में लिगानुपात बेहद संवेदनशील स्तर (830) पर है।

'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओय एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है। इसका उद्देश्य लोगों में बेटियों के जन्म से संबंधित रूढ़िगत धारणा को तोड़ना है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से मार्च 2010 को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत की महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दो शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण तथा प्रमुख नीतियाँ, कार्यक्रमों एवं संस्थानात्मक प्रबंधनों की बाधाओं को दूर करना है। इन सबके अतिरिक्त महिलाओं के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित कई योजनाएँ और अभियान अमल में लाए गए है, जिनका लाभ मिला है। महात्मा गांधी के अनुसार – शिक्षा, बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मन तथा आत्मा की सर्वोत्तमता का सामान्य प्रकटीकरण है। शिक्षा राष्ट्र विकास का आधार स्तंभ है। कोई भी राष्ट्र या समाज बिना शिक्षा के विकसित नहीं हो सकता। वस्तुत: शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता है, जो उसके जीवन में पूर्णता की अनुभूति जगा सबके बीच समानता लाए, व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मनिर्भरता लाए तथा राष्ट्रीय एकता पर बल दे। साथ ही बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देकर देश में विद्यमान ज्वलंत समस्याओं जैसे जनसंख्या वृद्धि गरीबी, भूखमरी एवं भ्रष्टाचार से कुछ हद तक मुकाबला किया जाना संभव हो। शिक्षा के माध्यम से ही बालिकाओं में सही दृष्टिकोण, सही विचार और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो सकती

---

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत

है। इस आधार पर बालिका शिक्षा को परिवार समाज व देश के विकास की नींव कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

बालिकाएँ साक्षर व शिक्षित होकर ही अपने पारिवारिक व सामाजिक कर्त्तव्यों व दायित्वों के बारे में अधिक जागरूक व सचेत होकर उनकी परिपूर्ति अधिक सक्षम व प्रभावी ढंग से कर सकती है। शिक्षा के बल पर ही बालिकाएँ सामाजिक अर्थिक विकास व सशक्तिकरण की राह पर अपने कदम बढ़ा सकती है तथा गॉवों को विकास पथ पर अग्रसर करके विश्व में देश का नाम रोशन कर सकती है। सर्वविदित तथ्य है कि ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित किए बिना उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना संभव नहीं है। महिलाओं को सशक्त, स्वावलम्बी व आत्मविश्वासी बनाने में शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है। महिला शिक्षा से ही महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति संभव है। महिला सशक्तिकरण होने पर ही परिवार, समाज तथा राष्ट्र के चहुमुंखी विकास में पुरूषों के साथ महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इस प्रकार ग्रामीण महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं को अपितु संपूर्ण समाज व देश को लाभ होगा, आदर्श नागरिकों का निर्माण होगा। सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण निम्नलिखित प्रयास किए गए है –

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के द्वारा 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए रोजगार आरक्षित है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 47 प्रतिशत महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं।
2. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं-सहायता समूह बनाने में काफी मदद मिलती है।
3. राष्ट्रीय महिला कोष के द्वारा 7 लाख से अधिक महिलाओं को 500 करोड रू. से अधिक दिए गए है, जिससे आय सृजन गतिविधियों में मदद मिली है और इसके द्वारा ऋण प्रदान किया गया है।
4. रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण के लिए 6 लाख से अधिक महिलाओं को नौवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में व्यवसायों व कौशल शिक्षण का प्रावधान किया गया हैं।
5. सरकार के द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार नियम के अंतर्गत पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारियों में बेटियों को अधिकार दिया गया है।
6. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत सशर्त आर्थिक लाभ गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए प्रायोगिक तौर पर देश भर में चयनित 52 जिलो में प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2010 से संचालित इस योजना में सशर्त लाभार्थी को 6000 रू. प्रदान किए जाते है।
7. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत यह अनिवार्य किया गया है कि घर का पंजीकरण महिला के नाम पर होगा अथवा पत्नी व पति दोनों के नाम पर भी हो सकता है।
8. पंचायत व शहरी निकायों में राजनैतिक रूप से 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया गया है। जिसके फलस्वरूप आज के समय में 15 लाख से अधिक निर्वाचित सदस्य महिलाएं है जो कि समाज का उत्थान कर रही है। कुछ राज्यों में पंचायतो के लिए 50 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है जोकि राजनीतिक सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण है।
9. वर्ष 2010 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चयनित 250 जिलो में योजना प्रारंभ की गई है। जिसका उद्देश्य है किशोरी बालिकाओं का सर्वांगीण विकास जैसे कि पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, जीवन कौशल व व्यवसायिक कौशल में सशक्त बनाना।
10. सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल या वातावरण प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है।
11. महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए सरकारी बैंको से कम ब्याज दर पर ऋण देने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है।
12. इंदिर गांधी वृद्धावस्था पेंशन जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 वर्ष से ऊपर की महिला को 65 वर्ष से अधिक उम्र के पुरूष को 200 से 500 रू. प्रतिमाह देने का प्रावधान है।
13. सरकार के द्वारा महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम के द्वारा सशक्तिकरण की योजनाओं विकास और कल्याण के कार्यक्रमों को सुनिश्चित किया गया है। आंगनबाडी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का 1 अप्रैल 2011 से मानदेय दुगुना कर दिया गया है। समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) में एक महत्वपूर्ण भूमिका आंगनबाडी केन्द्रों की है जिनके द्वारा कुल 28 लाख महिला श्रमिको को रोजगार प्राप्त है। इसके साथ ही कुपोषण व महिलाओं से जुडी हुई समस्याओं को दूर करना ही मुख्य कार्य है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा हम सभी के लिए चिंता का मुख्य कारण है। आंगनबाडी कार्यकर्ताओं विशिष्ट रूप से महिलाओं को घरेलू हिंसा के बारे में जागरूक करना अनिवार्य किया गया है।
14. सामाजिक क्षेत्र के उत्थान के लिए पिछले बजट में महिला स्वसहायता समूहो के विकास कोष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 500 करोड रू. का प्रावधान किया गया था।
15. संयुक्त राष्ट्र महिला प्रकोष्ठ में भी भारत की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है।
16. कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों का 75 प्रतिशत योगदान है। आधुनिक समय में महिला उद्योग व सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। 93 प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के रूप में औपचारिक रूप से कार्य कर रही है।

ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण में बाधक तत्व –

1. घर के बाहर कार्य करने की स्थिति में घर-परिवार व कार्यक्षेत्र के दोहरे दायित्व का निर्वाह करने की बाध्यता।
2. महिलाओं की राजनीतिक जीवन में उनकी संलग्नता उस प्रकार की नहीं हो पाती, जैसे कि पुरूषों की होती है।
3. प्रजनन कार्य व शिशु पालन पोषण का एकांगी दायित्व।
4. अत्यधिक धन व शारीरिक बल पर आधारित निर्वाचन प्रणाली का वर्तमान स्वरूप महिलाओं के लिए राजनीतिक सहभागिता को कठिन बना देता है।
5. अशिक्षा व तुलनात्मक रूप से निम्न शैक्षणिक स्तर।
6. स्वयं के बल पर राजनीति में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या नगण्य है।
7. सशक्त संप्रेषण सफल राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण उपकरण है। अपर्याप्त प्रशिक्षण व ब्राह्य जीवन में पर्याप्त अंत: क्रिया के अभाव में महिलाओं की संप्रेषण क्षमता प्राय: पुरूषो के समान सशक्त नही होती।
8. पारम्परिक श्रम विभाजन के अनुरूप निर्धारित प्रदत्त भूमिकाओं के निर्वाह में अधिक समय व श्रम का व्यय होना।
9. एक तरफ महिलाओं के स्वास्थ्य की दशा चिंताजनक है तो दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं भी कम होने की बजाय दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।

10. महिलाओं को दोयम दर्जे की नागरिकता समाज ने दी है और तमाम कानूनों के बावजूद छोटी उम्र में ही विवाह और माँ बनने से उनकी सामाजिक स्थिति नहीं सुधर रही है।
11. कुरीतियाँ उनके आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। महिला साक्षरता के मार्ग में अनेक अवरोधक है, जिनको दूर करके ही अपेक्षित सफलता प्राप्त की जा सकती है। गरीबी व निम्न आय स्तर, सामाजिक-सांस्कृतिक विसंगतियाँ व कुरीतियाँ, बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, शिक्षा पर व्यय को अनुत्पादक व फिजूलखर्ची मानना जैसे तत्व भी महिला शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालने है। 'बेटी पराया धन है' की संकीर्ण मानसिकता भी महिला शिक्षा को हतोत्साहित करती है।

ग्रामीण क्षेत्रो में विद्यालयों में आधारभूत बुनियादी सुविधाओं की अपर्याप्तता बालिका शिक्षा पर प्रश्नचिन्ह लगाते है। बिजली की सुविधा न होने, ब्लैक बोर्ड की अनुपलब्धता, लड़कियों के लिए 'शौचालय' की सुविधा न होना जैसे निराशाजनक वातावरण में बालिका शिक्षा के विकास को गति नही मिलती।

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की भावी रणनीतियाँ -

1. राज्य का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह अपने समस्त नागरिकों, जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित हो, की राजनीतिक प्रक्रिया में लोकतांत्रिक उपस्थिति दर्ज कराएँ।
2. प्रणाली के वर्तमान स्वरूप के कारण भी लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं का कम संख्यात्मक प्रतिनिधित्व देखा जाता है। अत: निर्वाचन प्रणाली के वर्तमान स्वरूप पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।
3. लैंगिक न्याय व समानता के मूल्यो के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए राजनीतिक दलो को भी दलीय संस्तरण के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना चाहिए।
4. महिलाओं की आवाज सुनी जाए एवं उनको प्रोत्साहित किया जाए।
5. सार्वजनिक जीवन से संबधित नीतियों के निर्माण में उनके सार्थक योगदान हेतु स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में अधिकाधिक नामांकन हेतु उन्हे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

'देश की खुशहाली व समृद्धि का रास्ता गॉव की गलियों से होकर गुजरता है।' इस तथ्य को देखते हुए ग्रामीण महिलाओं के विकास, खुशहाली व समृद्धि के लिए व्यापक गरीबी, निवारण व बेरोजगारी उन्मूलन योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कृषि, पशुपालन, लधु कुटीर व हथकरघा उद्योगों में महिलाओं के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी योजनाओं व कार्यक्रमों को संचालित किया जाना अपेक्षित है, जिससे इन क्षेत्रों में महिलाओं की उत्पादकता कौशल व दक्षता में अभिवृद्धि हो सके। जिससे उनकी आय में वृद्धि होने से वे निर्धनता के दुष्चक्र से मुक्त हो सकेगी। चूंकि महिलाएं अपने कारण नही वरन् सामाजिक व्यवहार के कारण पिछड रही है। ऐसे में जब तक सामाजिक परिवेश को बदलकर न्यायोचित एवं मानवोचित परिस्थिति का निर्माण नहीं किया जाता, तब तक महिलाओं की उन्नति संभव नहीं है। आज महिलाओं के उत्थान के लिए जरूरी है कि समाज में परिवर्तन की मानसिकता और जनचेतना विकसित की जाए। साथ ही जरूरत है, बेटियों को शिक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की। देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को पूर्णत: निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। पंचायतों की बैठकों और कार्यकलापों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनके आरक्षण को तर्कसंगत बनाया जाए। पंचायत स्तर पर नि:शुल्क कानूनी सहायता और जागरूता की व्यवस्था की जाए। महिला कृषकों को भी अधिकार संपन्न बनाया जाए। महिलाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। वित्तीय समावेशन के लिए किए जा रहे प्रयासो को जिसमें जन धन योजना सम्मिलित है को महिला केन्द्रित बनाया जाए और उसमें महिलाओं की प्रमुख भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष - निष्कर्ष के रुप में कहा जा सकता है कि कुछ हद तक महिलाएं अपनी पराम्परिक भूमिका से रुपान्तरण के क्रम में हैं। समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन दिख रहा है। आजीविका मिशन में आर्थिक प्रयासों से ऊपर उठकर महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण प्रयास जारी हैं। जिले में अब तक महिलाओं के लगभग 151 ग्राम संगठनों का निर्माण किया गया हैं। इन ग्राम संगठनों में एक ग्राम में गठित सभी समूहों को जोड़ा गया हैं। ग्राम संगठन में शामिल सभी महिलाएं सामाजिक एंव सामुदायिक कार्यों में आगे आकर भाग ले रही हैं तथा नए उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। मिशन के अन्तर्गत महिलाओं, समूहों एंव ग्राम संगठन की क्षमता वर्धन हेतु लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से प्रयास जारी है। जिले में स्व-सहायता समूह के माध्यम से आए बदलाव को निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता हैं।

1. उमरिया जिले की लगभग 153 स्व-सहायता समूह महिलाओं ने संगठित होकर ग्राम को शराबमुक्त बनाने का सफल प्रयास किया हैं। जिसमें उमरिया जिले की संगठन की महिलाएं शराबियों के लिए खौफ का पर्याय बन गयी हैं।
2. उमरिया जिले के 17 समूह की 280 से अधिक महिलाओं को एक समूह सदस्य महिला ने साक्षर बनाने का सफल अभियान चलाया हैं।
3. उमरिया जिले की 10 स्वयं सहायता समूह की 343 महिलाएं अपने नियमित गतिविधियों के साथ अनाज समूह का भी संचालन कर रहे हैं। इस समूह में प्रति सप्ताह हर महिला एक मुट्ठी अनाज जमा करती है। इसका वितरण आवश्यकता के आधार पर उन परिवारों को किया जाता है, जो आजीविका चलाने में अक्षम हैं।
4. उमरिया जिले में गठित 27 स्वयं सहायता समूह में शामिल लगभग 445 परिवारों की महिलाओं ने स्वयं आगे आकर अपने घरों में शौचालय निर्माण का निर्णय लिया है। संगठन की इस पहल को शासन ने सहयोग प्रदान करते हुए प्रति शौचालय 12000 रू. अनुदान ग्राम संगठन के माध्यम से देने का निर्णय लिया है।
5. उमरिया जिले की लगभग 560 से अधिक महिलाओं ने एक जुट होकर लगभग 30 बोरी बंधान का निर्माण किया हैं। जिसके माध्यम से नाले के आसपास के लगभग 150 परिवार अपने खेत में पानी ले रहे हैं।
6. उमरिया जिले के लगभग 30 ग्रामों मे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएँ सरपंच निर्वाचित हुई हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट।
2. उद्योग व्यापार पत्रिका - वर्ष 2016
3. आजीविका मिशन की वेबसाइट।
4. विश्व बैंक की महिला सशक्तिकरण रिपोर्ट।
5. जिला सांख्यिकी पुस्तिका वर्श 2016
6. पंचायतों में महिलाएँ, सीमाएँ एवं संभावनाएँ, दिल्ली: साराशं प्रकाशन।
7. www.google.com/wikipedia.com

किसानों की समस्या का समाधान किसान काल सेंटर

डॉ. विजय ग्रेवाल [*] **अंजली ओहरिया** [**]

प्रस्तावना – जैसा कि हम जानते है की भारत की अधिकतर जनता रोजगार के लिए खेती पर निर्भर करती है। परंतु सभी के पास इस खेती को लेकर सम्पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति इसे अपने व्यवसाय के रुप मे चुनता है तो वह अपने पूर्वजों के द्धारा प्रयोग की गई तकनीकी को प्रयोग करता है। हमारे यहाँ ख़ेती करने के लिए यह जरूरी नही कि किसी व्यक्ति के द्धारा इसके लिए कोई विशेष शिक्षा या प्रशिक्षण लिया गया हो। वह बस वही प्रयोग करता है जो वह बचपन से देखता आया है। परन्तु आजकल खेती को और भी अधिक उन्नत बनाने के लिए कई तकनीक उपलब्ध है। इन तकनीकों को किसानों द्धारा प्रयोग भी किया जा रहा है। परन्तु जब वे खेती के लिए इन नई तकनीको का प्रयोग करते है, तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान अपनी समस्या का समाधान तुरन्त उसी समय कर सके। इसके लिए भारत सरकार ने किसान कॉल सेंटर बनाए है जिसमें किसान किसी भी समय कॉल करके मुफ्त मे अपनी समस्या का समाधान पा सकता है।

भारतीय कृषि मंत्रालय और भारत सरकार के प्रयासो के फलस्वरुप 21 जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई। यह सुविधा पूरे भारत में एक साथ शुरु की गयी। किसान कॉल सेंटर को शुरु करने का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या का समाधान तुरन्त ओर उनकी लोकल भाषा में उपलब्ध कराना है।

देश के प्रत्येक हिस्से में किसान कॉल सेंटर स्टार्ट किए। जो उस हिस्से में किसानों की समस्या का समाधान उनकी लोकल भाषा मे करते है। किसानों की समस्या जो भी कृषि से जुड़ी हुई होती है उनका समाधान इन किसान कॉल सेंटरों पर किया जाता है।

एक किसान जो की देश के किसी भी हिस्से में रहता हो किसान कॉल टॉल फ्री नंबर 5151या 1800–180–1551 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। किसान कॉल सेंटर पर उपस्थित व्यक्ति किसानों की समस्या का समाधान तुरन्त उसी वक्त करता है। अगर कॉल रिसीव करने वाला व्यक्ति किसान की समस्या का समाधान करने में समर्थ नही है, तो वह उसी समय उस कॉल को किसी स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर करता है। किसान कॉल सेंटर में किसानों की समस्या का समाधान कम्प्यूटर और फोन दोनों पर ही उपलब्ध कराया जा सकता है।परन्तु एक रिसर्च से सामने आया है कि अधिकतर गाँव में एक सार्वजनिक फोन उपलब्ध है ही। जिसका उपयोग करके किसान कॉल सेंटर पर बात कर सकता है और अपनी समस्या का समाधान कर सकता है।

पूरे देश में कुल 13 किसान कॉल सेंटर चल रहे है, जिनमें कुल 113 कृषि विशेषज्ञ कॉल रिसीव करके किसानों की समस्या का समाधान करते है। ये 113 लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों से चुना गया है। किसान कॉल सेंटर पर आए हुए कॉल को रिकार्ड किया जाता है तथा किसानो की जानकारी को दिन तारीख उनकी समस्या उनकी जगह व समाधान के हिसाब से एक डाटाबेस बनाया जाता है। किसानों के सवालों के जवाब 22 स्थानीय भाषाओं मे दिए जाते है।

देश मे किसान कॉल सेंटर की लिस्ट

क्र.	किसान कॉल सेंटर	राज्य जहाँ की समस्या का समाधान किया जाता है
1	मुम्बई	महाराष्ट्र , गोवा , दमन एवं द्धिप
2	कानपुर	उत्तरप्रदेश , उत्तराखण्ड
3	कोची	केरला लक्ष्द्धीप
4	बैंग्लोर	कर्नाटक
5	चैंन्नई	तमिलनाडु ,अंडमान निकोबार , आंध्रप्रदेश
6	हैदराबाद	आंध्रप्रदेश
7	चंडीगढ़	चंडीगढ़ , हिमाचल प्रदेश ,पंजाब
8	जयपुर	राजस्थान
9	इंदौर	मध्यप्रदेश ,छत्तीसगढ
10	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, उडिसा, झारखंड
11	कोलकाता	दक्षिण–पूर्व राज्य
12	दिल्ली	दिल्ली , हरियाणा
13	अहमदाबाद	गुजरात ,दादर नगर हवेली

किसान कॉल सेंटर में कॉल करने का समय – कॉल सेंटर सेवाये प्रत्येक किसान कॉल सेंटर से सप्ताह के सातों दिन सुबह 6.00 बजे से शाम 10:00 बजे तक उपलब्ध है।

किसान कॉल सेंटर एजेंट स्तर 1 एजेंट के रुप में जाना जाता है। यह एजेंट कृषि में या उससे सम्बधित (बागवानी,पशुपालन ,मत्स्य पालन ,कुक्कट, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि विपणन, जैव प्रोद्योयौगिकी, गृह विज्ञान)स्नातक या पी जी और डॉक्टरेट है। यह एजेंट स्थानीय भाषा में उत्कृष्ट होते है।

किसान कॉल सेंटर के उद्देश्य –

1. कृषि सेवाओं की सुचना पहुँच और गुणवता बढाने के लिए।
2. कृषि मे हस्तक्षेप पर जानकारी प्रदान कर उनकी समस्या का समाधान

---

[*] सहायक प्राध्यापक, श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय,इन्दौर (म.प्र.) भारत
[**] शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

करने के लिए।

3. स्थानीय विशेषज्ञों जैसे मित्रा किसान के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए केवीके कृषि विश्वविद्यालय कॉलेज कृषि आधारित एनजीओ एवं अन्य कृषि संबंधी विभाग और एजेंसिया।
4. जैविक कृषि के लिए किसानों को परामर्श देना।
5. किसान कॉल सेंटर का मुख्य उद्देश्य टेलीफोन के प्रश्नो का जवाब देना।
6. इन कॉल सेंटरों का उद्देश्य स्थानीय भाषा मे तुरन्त किसानो द्वारा उठाए गए मुद्दो का जवाब देना है।

किसान कॉल सेंटर की आवश्यकता – यह देखा गया है कि कृषि संबंधी सूचनाओं का उपयोग किसानों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याओं मे से एक है, जो कम उत्पादन और उत्पादकता के कारण है। जिसके लिए राज्य सरकार विश्वसनीय तकनीक प्रदान करने का प्रयास कर रही है और समय समय पर किसान को विस्तार से कर्मचारियों और अन्य सहायक एजेंसियों के माध्यम से मदद करता है, लेकिन कुछ समय तक समस्याओं को हल करने में असमर्थ है। कृषि पूरी तरह से एक समय आधारित व्यवसाय है। और इस समस्या को सुलझाने मे किसी भी देरी से उत्पादन में कमी आ सकती है।

किसान कॉल सेंटर की भूमिका – किसान कॉल सेंटर सभी कृषि संबंधी मुद्दो को संबोधित करने और टेलिफोन टेक्नोलॉजी में उन्नति के लाभ से मिट्टी की तैयारी से लेकर विपणन तक के सवालों का जवाब देने के लिए एक एकल बिंदू टेलिफोन कॉल आधारित प्रणाली है। कोई भी किसान टेलिफोन पर तुरंत कृषि संबंधी समस्या के बारे में जानकारी पाने के लिए एक टॉल फ्री नम्बर के माध्यम से इस कॉल सेंटर तक पहुँच सकते है। एक किसान सरकार या निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की कृषि सेवाओं के बारे मे कोई भी प्रतिक्रिया दे सकता है, जो हमें उन्हे सुधारने में मदद करेगा।

किसान कॉल सेंटर से किसानों की निम्न समस्याओं का समाधान किया जाता है –

- मौसम से संबंधित जानकारी
- बीज, बुआई, कीटनाशक, औषधि
- कृषि संबंधी नियमों की जानकारी
- किसान क्रेडिट कार्ड
- कृषि ऋण संबंधी जानकारी
- पशुओं की बीमारियों आदि के बारे में।
- सीजन के अनुसार पूछताछ

किसान कॉल सेंटर से कितने किसानो ने सम्पर्क किया – किसान कॉल सेंटर पर प्रतिवर्ष 60 से 70 हजार किसानो द्वारा अपनी समस्याए बताई जा रही है। इनसे महानगरों के किसानों के अलावा दुरस्थ ग्रामो मे बसे किसान भी शामिल है। खेती किसानों की समस्याओं को जानने के लिए प्रतिदिन डेढ सौ से दौ सौ कृषक किसान कॉल सेंटर की सेवाओ का उपयोग कर रहे है। कृषि संबंधी समस्याओ के निराकरण के लिए सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई। किसान कॉल सेंटर योजना अत्यंत सफल रही है। इसके अन्तर्गत कही से भी किसान भारत संचार निगम लिमिटेड के फोन नम्बर पर जानकारी ले सकते है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।किसाान कॉल सेंटर ने वर्ष 2008-11 के दौरान 5 लाख प्रश्नों का जवाब दिया है।

निष्कर्ष – ग्रामीणो को स्वालम्बी बनाने में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण योजनाओं में से किसान कॉल सेंटर भी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें किसान अपनी खेती से सम्बन्धित किसी भी समस्या का समाधान पा सकता है,किसान जो कि देश के किसी भी हस्से में रहता हो किसान कॉल सेंटर के टॉल फ्री नम्बर 5151 या 1800-180-1551 पर कॉल कर अपनी समस्या का समाधान कर सकता है।

किसान कॉल सेंटर भारत सरकार कि सफल योजनाओ में से एक है। किसान कॉल सेंटर योजना से किसान उन्नत बीज कि जानकारी लेकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहा है, जिससे देश के खाद्यउत्पादन में वृध्दि हुई है,जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अतः किसान कॉल सेंटर योजना किसानो को लाभ पहुँचाने के साथ-साथ देश के विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, मध्य प्रदेश।
2. योजना ,15 अक्टूम्बर, 1993
3. रोजगार और निर्माण भोपाल।
4. इन्टरनेट से प्राप्त विभिन्न आँकडे व सुचनाए।
5. gwaliortimes.wordpress.com

****

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ

डॉ. सुरेश कटारिया * मनीष जैन **

शोध सारांश – प्रस्तुत शोधपत्र में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के होने वाले लाभ पर विचार किया गया है। भारतीय बीमा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के इस अभूतपूर्व बदलाव का लाभ निश्चित ही प्रत्यक्ष रूप से बीमा पॉलिसीधारक को मिलेगा व इससे भारत में विदेशी मुद्रा आने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उसी ओर निजी जीवन बीमा कम्पनियॉ अपने वर्चस्व की रक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा की होड में उपभोक्ताओं को अधिक सुगम व श्रेष्ठतम तकनीक द्वारा भी सुविधाऐं उपलब्ध कराऐंगी। इस क्रांतिकारी बदलाव से संभव है कि बीमा की सुविधा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले भारतीय नागरिकों तक भी पहुंचेगा जो की भारत के चहुमुखी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

प्रस्तावना विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को सामान्य शब्दों में परिभाषित किया जाए तो किसी एक देश की कम्पनी का दुसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कहलाता है। ऐसे निवेश में निवेशकों को दुसरे देश की उस कम्पनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है, जिसमें वह निवेश करती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी निवेश को (FDI) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम कम्पनी में विदेशी निवेशक को 10 फीसदी शेयर खरीदना पड़ता है तथा इसके साथ उसे निवेश वाली कम्पनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है।

भारतीय बीमा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश – 12 मार्च 2015 का दिन भारतीय बीमा बाजार के लिए नये सवेरे के रूप में उभर कर आया। इस दिन लम्बे समय से चले आ रहे भारतीय बीमा बाजार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment)विधेयक को राज्य सभा में मंजूरी मिल ही गई। जिसके फलस्वरूप सभी प्रकार की भारतीय बीमा कम्पनी में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दर की सीमा 26 से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी गई। इस नये बीमा विधेयक को बीमा से जुड़ी सभी इकाईयों द्वारा सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। इस विधेयक के अन्तर्गत कई प्रभावी निर्णय भी लिए गए है जैसे– बीमा अभिकर्ताओं व मध्यस्थों का पारिश्रमिक/परितोषिक बीमा प्राधिकरण द्वारा नियत किए जाएंगे, बीमा अधिनियम से अनुच्छेद 40 व 40 बी को निकाल दिया गया। इस विधेयक के पारित होने से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की शक्तियों में संवर्धन किया गया है। यह विधेयक केवल जीवन बीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके आने से इसके आने से हमारे स्वास्थ्य, कृषि, फसल बीमा क्षेत्रों को भी लाभ पहुँचेगा। आज भी हमारे देश के 90 प्रतिशत लोग बीमा के रूप से वंचित है। इस विधेयक के माध्यम से जन–जीवन में जीवन बीमा व स्वास्थ्य बीमा के प्रसार में वृद्धि होगी। एक अनुमान के अनुसार आने वाले तीन वर्षों में भारतीय बीमा उद्योग में 25000 करोड़ रू का अतिरिक्त निवेश होगा जिसका सीधा–सीधा लाभ जनसाधारण को अधिक उन्नत तकनीक, विशिष्ट सुविधाऐं व शिकायत निवारण भी गति से होगा। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक आय वर्ग के व्यक्तियों को तक स्वास्थ्य पहुँच प्राप्त करने के यथा संभव प्रयास किए जा रहे।

भारत में बीमा उद्योग की स्थिति – अभी भी बीमा उद्योग की पहुंच भारत में सीमित आबादी तक ही पाई है। इसके अनुसार भारत में बीमा बाजार के लिये अपने विभिन्न उत्पादों जो कि प्रस्तावित बीमा उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार खरीदे जा सकते है, की अत्यधिक संभावना है। वर्ष 2013 में देश का बीमा बाजार 66.4 अरब डॉलर का था, जो कि वर्ष 2020 तक 300 से 400 डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक 75 करोड़ लोगों तक बीमा की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी।

बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की विधि – भारत सरकार ने फरवरी, 2015 में बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश को अधिसूचित कर दिया था। जिसके साथ कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक है जैसे– कोई भी कम्पनी सीधे–सीधे 49 प्रतिशत निवेश नहीं ला सकेगी, कम्पनी को 26 प्रतिशत निवेश के बाद विदेशी निवेश लाने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (Foreign Investment Promotion Board) से अनूमति प्राप्त करनी होगी। जबकी 26 प्रतिशत निवेश बिना किसी अनूमति के लाया जा सकेगा।

बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश के लाभ –भारतीय बीमा उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अधिनियम को लागू करने के बाद क्या–क्या लाभ होगे वो इस प्रकार है –

1. **बीमा कम्पनियों के लिये सरल होगी अभिकर्ताओं की नियुक्ति और रोजगार में होगी संवृद्धि –** बीमा संशोधन बिल पास होने के बाद बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्ति भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के बजाय अब अपने नियमों के अधार पर कर सकेंगी परन्तु बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण उनकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता व अन्य पक्षों का विनिमय करेंगा। इससे सभी कम्पनियों में अभिकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी। इस अवसर में फलस्वरूप रोजगार में वृद्धि होगी तथा बीमा व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी।
2. **विदेशी बीमा कम्पनियों का प्रबंधन एवं मालिकाना हक भारतीय**

---

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

बीमा कम्पनियों के स्वामित्व में होगा – नये नियमों में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है की भारतीय बीमा कम्पनी जिसमें 49 का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा उसका मालिकाना हक किसी भारतीय मूल व्यक्ति के पास होगा। साथ ही उसका प्रबंधन भी भारतीय कम्पनियों द्वारा किया जायेगा।

3. **भारतीय बीमा कम्पनियों के लिये अच्छे प्रतिफल –** विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की दर 49 करने के साथ ही बीमा क्षेत्र में निश्चय रूप से संवर्धन होगा। ऐसा अनुमान है, भारतीय बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की दर बढ़ाने से बीमा क्षेत्र में 7–8 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हो सकता है। इसके माध्यम से भारतीय बीमा क्षेत्र में तेजी से विस्तार होगा तथा बीमा जैसी सुविधाए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच सकेगी व देश का हर व्यक्ति बीमा सुविधाओं का लाभ लें सकेगा।

4. **भारतीय बीमा बाजार में अन्य विदेशी कम्पनियों की रूची –** वित्तीय विदेशी निवेशक इस तथ्य से भली–भाँती परिचित है कि भारत में जीवन बीमा तीव्र गति से प्रगति कर रहा है तथा आने वाले समय में यहॉ निवेश करने के अच्छे प्रतिफल मिलेगें। अत: विभिन्न देशों के सम्पति निधियाँ व विश्व व्यापी निजी इक्विटी कम्पनियॉ भारत के बीमा बाजार में निवेश करने के इच्छुक है। इनमें से प्रमुख है सॉवरीन वेल्थ फण्ड ऑफ कतर, बहरीन व जापान तथा स्काटलैण्ड कि और से एक जीवन बीमा, पेंशन व निवेश कम्पनी।

5. **बीमा कम्पनियों को पूंजी बढ़ाने की छूट –** विदेशी इक्विटी के अलावा संशोधित बीमा कानून में बीमा कम्पनियों को नए इन्टूमेंट्स के जरिए पूंजी बढ़ाने की सहायता प्रदान करता है। इस संबंध में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये है। लेकिन पूंजी की उपलब्धता से बीमा की पहुँच व वितरण उन क्षेत्रों में बढ़ाने में मद्द मिलेगी जहां बीमा सुविधाए उपलब्ध नहीं है। वहीं नये किस्म के उत्पाद आने, तकनीकी प्रयोग बढ़ने, ऊंचे दर्जे की सेवाएं मिलने व बीमा कम्पनियों की जवाबदेही बढ़ने से अतत: हर प्रकार के ग्राहकों की जरूरतें पूरी होंगी। इससे ग्राहक सन्तुष्टि का स्तर बढ़ेगा। नये कानून में बीमा की पहुंच को मौजूदा 3.9 फीसदी आगे बढ़ाने की अत्यधिक क्षमता है। इससे जनसंख्या के बड़े स्तर मक बीमा सुविधाओं को लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी जो नि:सन्देह वक्त की मांग है।

6. **ग्राहक के हितों की रक्षा –** बीमा कानून में संशोधन करने का उद्देश्य एक मात्र यही है, की ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है। कदाचार दोषी पाए जाने वाले एजेन्टों व बीमा कम्पनियों पर जुर्माने काफी बढ़ा दिए गए है। ग्राहकों को गलत जानकारी देकर बीमा पॉलिसी बेचने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। जवाबदेही व जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए नियम उल्लंघन की प्रकृति के अनुसार जुर्माने की राशि एजेंटों के मामलें में 10 हजार रूपये और बीमा कम्पनियों के संबंध में 1 करोड़ रू तक के जुर्माने का प्रावधान है। अब तीन साल पूरे होने पर के बाद बीमा कम्पनी द्वारा किसी भी पॉलिसी को किसी भी बहाने से रद्द नहीं कर सकती है। इसके संशोधन के पहले ऐसा नहीं था। बीमा कम्पनियॉ दो साल के भीतर किसी भी बीमा पॉलिसी को गलतबयानी या धोखाधड़ी के आधार पर रद्द कर सकती थी। नये नियमों से बीमा कम्पनियों की जवाबदेही व भुगतान मानकों में सुधार के लिए विवश होंगी, जबकि भरोसा बढ़ने से पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा होगी।

7. **कमीशन और अन्य भुगतान –** संशोधित बीमा कानून में कमीशन व अन्य खर्चो की राशि निर्धारण करने की जिम्मेदारी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। इससे प्राधिकरण को ज्यादा बेहतर व पारदर्शी उत्पाद लाने व अंतिम ग्राहक को लाभ पंहुचाने में मद्द मिलेगी।

8. **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में अधिकारों में बढ़ोतरी –** बीमा कानून में एक विशेषता बीमा संबंधी निमय–कायदे बनाने में नियामक के अधिकार बढ़ाए गए है। इससे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के बदलते वातारण के साथ खुद को परिवर्तित करने में सहायता मिलेगी। वहीं प्राधिकरण बीमा ग्राहकों के हितों की सुरक्षा बेहतर ढ़ग से कर सकेगा। प्राधिकरण को अब साल्वेंसी निवेश, खर्च व कमीशन जैसी बीमा कार्य–व्यापार से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों को नियमित करने का अधिकार होगा।

9. **स्वास्थ्य बीमा का बढ़ावा –** पुनरीक्षित नियमों के तहत बीमा कम्पनी में न्युनतम पुंजी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है, ताकि केवल गंभीर कम्पनियॉ ही इस व्यवसाय में रहें। स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय की परिभाषा का विस्तार करत हुए इसमें ट्रैवल व पर्सनल एक्सीडेंट कवर को भी शामिल किया गया है। इससे स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का और विसतार होगा जिसकी पंहुच भारत में अभी बहुत कम है।

निष्कर्ष – उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है की बीमा विधेयक भारत में बीमा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर है। इससे देश में बीमा के वैश्विक मानक स्थापित होगें और इससे बीमा उपभोक्ताओं को किफायती मुल्यों व विश्व स्तरीय सेवाओं के साथ नए व ग्राहक अनूकल उत्पाद पारदर्शी, सहज व सुविधाजनक ढंग से उपलब्ध होगें। इससे बीमा क्षेत्र का विस्तार तो होगा ही, अर्थव्यवस्था का विकास होने से रोजगार के नये अवसर भी प्राप्त होगें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Mishra Vinay. V, Bhatnagar Harshida, (2014)Foreign Direct Investment in Insurance Sector in India, Retrieved fromwww.academia.edu
2. Rhea Jinhal, (2014) benefits of FDI in insurance sector in India,
3. The Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 A Game - Changer for the Insurance Industry
4. Sharma Yogita,(2013) Analysis of FDI in insurance sector in India, International Journal of Research in Economics & social sciences,Retrieved
5. http://knowledge.policybazaar.com/ life-insurance/item/ 43-idbi-life-insurance-company.html
6. Retrieved from slideshare: http://www.slideshare.net/ santhu4siri/fdi-santu-ppt-4th5th-ppt

****

भारतीय कृषि में न्यून उत्पादकता की समस्याएँ एवं समाधान

डॉ. सुनीता बाथरे *आस्था रजक **

शोध सारांश – भारत में कृषि एक उद्योग का रूप ले चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के लिए कृषि पर निर्भर है। निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा व्यवसाय है। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का 0.3 प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है जबकि अमेरिका में 4 प्रतिशत है। भारत के 58.2 प्रतिशत जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है। अनेक उद्योगों के कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है जैसे वस्त्र,चीनी, चाय, काफी,रबड़, वनस्पति घी व तेल उद्योग। कृषि उत्पादकता हरित क्रांति के बाद बढ़ रही है व्यावसायिक कृषि बढ़ रही है, कृषि प्रारूप भी बदल गया है। बैंक अभी दो तिहाई कृषि ऋण की आपूर्ति कर पा रहे हैं। कृषि उपजों के विपणन व भण्डारण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। बिचौलिए अभी भी कृषि उपज को कम दाम में क्रय कर उनका शोषण कर रहे हैं। प्रशासनिक ढाँचा कमजोर है व भ्रष्ट है।

सार्वजनिक निवेश बढ़ा कर कृषि की उत्पादकता और बढ़ाया जा सकता है। सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार व अनुपालन बढ़ाया जाय। कृषि ऋण और आसान किए जाऐं। जैविक कृषि के कार्बनिक खाद का प्रयोग सुरक्षित व समृद्ध कृषि के लिए आवश्यक है। कृषि युवाओं का बेहतर कैरियर प्रदान कर सकता है।

प्रस्तावना – भारतीय कृषि में न्यून उत्पादकता की समस्याएँ एवं समाधान – कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था इसके चारों ओर घूमती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ (Back bone of Indian Economy) है। कृषि देश में जीविकोपार्जन का एक साधन ही नहीं बल्कि यह एक प्रमुख उद्योग बन गया है। सन् 1956 से 2014 तक औद्योगीकरण के अंतर्गत देश में उद्योग धंधो को बढ़ावा दिए जाने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के लिए कृषि पर निर्भर है। देश के उद्योग-धंधे, विदेशी-व्यापार, विदेशी मुद्रा का अर्जन, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार स्तर सभी कृषि पर निर्भर है। भारत में जनसंख्या का 49 प्रतिशत भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा व्यवसाय है। देश का संतुलित विकास एंव लोगो. के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने के लिए कृषि का विकास एक आवश्यक शर्त है। भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का 0.3 प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है जबकि अमेरिका में 4 प्रतिशत है। राष्ट्रीय किसान अयोग ने इसे 5 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है।

भारतीय कृषि की उत्पादकता की प्रवृत्तियां – भारत में आर्थिक नियोजन को शुरू किए जाने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के विकास को विशेष महत्व दिया गया। सन् 1965 के बाद खाद्यान्न के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति (Green Revolution) का प्रयोग किया गया। खाद्यान्न के क्षेत्र में आज देश आत्मनिर्भर हो गया है। अनाज का बम्फर स्टॉक है, और विदेशों को अनाज का निर्यात भी किया जा रहा है।

भारत में कृषि उत्पादन को दो वर्गो में बाँटा जा सकता है-

1. खाद्यान्न और
2. वाणिज्यिक फसलें

1. खाद्यान्न के अंतर्गत चावल, गेहूं, ज्वार, बजरा, जैसे प्रमुख अनाज एवं दालों को शामिल किया जाता है।
2. वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत तिलहनों, गन्ना, कपास, पटसन, एवं आलू को शामिल किया जाता है।

खाद्यान्नों की तुलना में वाणिज्यिक फसलों के अधिक उत्पादन करने से किसानों की आय बढ़ती है और उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है।

1. कृषिगत उपजों के अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य (वर्ष 2014-15)

उपज	**राज्य**	**कुल उत्पादन का प्रतिशत**
चावल	पं.बंगाल	14
गेंहू	उत्तर प्रदेश	28.4
मक्का	आन्ध्र प्रदेश	17.3
मोटा	अनाज राजस्थान	18.1
दालें	मध्यप्रदेश	27.4
कुल	खाद्यान्न उत्तर प्रदेश	16.8
मूंगफली	गुजरात	33.9
सरसों	राजस्थान	45.9
सोयाबीन	मध्यप्रदेश	60.3
सनफ्लावर	कर्नाटक	51.1
समस्त तिलहन	मध्यप्रदेश	29.0
गन्ना	उत्तरप्रदेश	38.5
कपास	गुजरात	31.3
जूट	पं.बंगाल	77.9

भारत-सरकार ने किसानों को कृषि-उत्पाद का उचितमूल्य मिलें व कृषि-उत्पाद प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य रबी व खरीफ फसलों हेतु घोषित कर रखे हैं। साथ ही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर

---

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) शासकीय पं.शं.ना.शु. शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत
** एम.बी.ए. (मैनेजमेन्ट) एस.जी.एस.आई.टी.एस., इन्दौर (म.प्र.) भारत

1999 से लागू किया गया है।

रबी फसलों के नए समर्थन न्यूतम (रू. प्रति क्विंटल)

फसल	फसल वर्ष 2014-15/ विपणन वर्ष 2015-16	फसल वर्ष 2015-16/ विपणन वर्ष 2016-17
गेहूं	1450	1525
जौ	1150	1225
चना	3175	3425
सरसों	3100	3350
तोरिया	3020	-
कुसुम	3050	3300
मसूर	3075	3325

न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 75 प्रति क्विंटल बोनस देय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादकों के लिए एक प्रकार की बीमा कीमत होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कृषि लागत एंव मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में दो बार (रबी एवं खरीफ) की फसल की जाती है। किसानों के हित एवं उत्पादन निर्भरता को देखते हुए सरकार 24 मुख्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती आ रही है।

खरीफ फसलों के नए समर्थन मूल्य (रू प्रति क्विंटल)

फसल	2014-15	2015-16
धान (सामान्य)	1360	1410
धान (ए ग्रेड)	1400	1450
मक्का	1310	1325
अरहर	4350	4425
मूंग	4600	4650
उड़द	4350	4425
बाजरा	1250	1275
मूंगफली	4000	4030
सूरजमुखी	3750	3800
सोयाबीन (पीली)	2560	2600
सोयाबीन (काली)	2500	2600

सरकार ने दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 200 रूपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया है। भारत सरकार कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रयासरत है रबी व खरीफ फसलों के नए समर्थन मूल्यों की घोषणा इसी दृष्टिकोण से उठाये गए हैं। कृषि के क्षेत्र में न्यून कृषि उत्पादकता के कारण है-

भारत में जोत का छोटा आकार होने से कृषि उत्पादकता कम होती है, यदि विश्व के अन्य देशों से जोत के आकार की तुलना करें तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है-

विश्व के अन्य देशों से कृषि जोत का आकार

देश	कृषि जोत का आकार (हेक्टेयर)
भारत	1.16
आस्ट्रेलिया	1993
अर्जेन्टाइना	270
कनाडा	188
अमेरिका	158
ब्रिटेन	55

साथ ही भारत में 82 प्रतिशत जोत 2 हेक्टेयर से कम है। अर्थात सीमांत एंव लघु कृषक है।

- भूमि का उपविभाजन व अपखंडन भी एक गंभीर समस्या है।
- भू-धारण प्रणाली अत्यंत ही दोषपूर्ण है। वर्तमान में बटाईदार या ठेका पद्धति के अंतर्गत कृषि भी जाती है। जिसमें आधा हिस्सा किसान व आधा हिस्सा मालिक को दिया जाता है। खेती के लिए किसान भूमि के मालिक से जो ऋण लेता है, उस पर उंची दर से ब्याज चुकाना पड़ता है।
- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भू-स्वामियों की अनुपस्थिति एक गंभीर समस्या है। वे शहरों में रहते हैं तथा नौकरी या अन्य व्यवसाय कर आय उपार्जित करते हैं। खेती उनके लिए गौण व्यवसाय होता है।
- किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, ग्रामीण बैंक, व वाणिज्यक बैंक है, किन्तु इसका लाभ बड़े किसानों को मिला है। ये बैंक किसानों की एक तिहाई ऋण की आवश्यकता पूर्ण करते है। दो तिहाई ऋण गांव के साहूकारों एंव महाजनों से लेते हैं, इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ये अनेक प्रकार से शोषण करते हैं।
- कृषि उपजों के विपणन की पर्याप्त सुविधाएं न होने से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। किसान गांव में ही अपनी अधिकांश उपज कम कीमत पर बिचोलियों को बेच देता है।
- भारतीय किसान परंपरागत कृषि प्रणाली को अपनाता व इसका प्रभाव कृषि उत्पादकता पर पड़ता है।
- भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। 48 प्रतिशत कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था है, शेष 52 प्रतिशत कृषि मानसून पर निर्भर है।
- कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो अनुसंधान एंव शोध कार्य हो रहे वे पंजाब, हरियाणा में हो रहे हैं। अन्य प्रदेश व सामान्य किसानों तक में तकनीक नहीं पहुंच पाती।
- कृषि विकास के लिए जो विकास एजेन्सियाँ है, वे कुशलता के साथ कार्य नहीं कर पा रही है। इनका प्रशासनिक ढाँचा अत्यंत कमजोर एंव भ्रष्टाचार में लिप्त है।
- अधिकांश किसान अशिक्षित, अंध विश्वासी, रूढ़िवादी एवं ग्रामीण परंपराओं एवं संस्थाओं से जुडे रहेते हैं। वे नवीन तकनीक को संदेह की दृष्टि से देखते हैं।
- जनाधिक्य के परिणामस्वरूप भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। भूमि की उपविभाजन व अपखंडन हो रहा, अनार्थिक जोतों की संख्या बढ़ रही है।
- गांवों में संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, छुआछूत का बोलबाला है।
- फसल की सुरक्षा का अभाव है। प्रतिवर्ष प्राकृतिक कारण जैसे- बाढ़, तूफान, सूखा, चक्रवात, बीमारियाँ, ओले आदि प्रकोप के कारण कृषि उत्पादन को भारी क्षति होती है। इसी प्रकार टिड्डी, कीड़े-मकोड़े के प्रभाव से कृषि उत्पादन में कमी होती है।

सुझाव -

- कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश योग की मात्रा में वृद्धि की जाए।
- तकनीक सुधार विशेषकर जैवीय तकनीक के विकास पर सरकार अधिक व्यय कर कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है।
- सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (Wage Employment program) के अंतर्गत वर्षा ऋतु के पानी को संरक्षित

करने की योजना लागू किए जाने से फसलों की सिचाई हो सकेगी।

- कृषि-निर्यात को बढ़ावा व कृषि साख की व्यवस्था की जाए।
- कमजोर वर्ग के लोगों को साख की राषनिंग करके समय पर ऋण प्रदान किया जाए।
- नरसिम्हा कमेटी के सुझाव के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत ऋण सीमा का एक चौथाई भाग कमजोर वर्ग को वितरित किया जाए।
- कृषि साख प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रबंध में सुधार किया जाए। उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग कर अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए।
- आधारभूत सेवाओं का विकेन्द्रीकरण किया जाये इनके प्रबंधन का कार्य पंचायती राज्य सेवाओं को दे दिया जाए।
- बीज की गुणवत्ता से कृषि उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत वृद्धि संभव।
- उर्वरकों का उचित मात्रा में प्रयोग ।
- सिंचाई के साधनों पर विशेष बल दिया जाए।
- कृषि में जोखिम को कम करने के लिए फसल बीमा आवश्यक है।
- कृषि विस्तार एंव तकनीक के राष्ट्रीय मिशन (NMAET) को सुदृढ़ बनाया जाए।
- भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष घोषित करती है। कृषि लागत एंव मूल्य आयोग 24 प्रमुख फसलों के लिए समर्थन मूल्य घोषित करता है।
- गहन कृषि एंव बहुफसली कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिऐ।
- मिश्रित खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।
- भू-क्षरण एंव पौधों की रक्षा की जानी चाहिए।
- सहकारी खेती को प्रोत्साहन।

संदर्भ ग्रंथ की सूची :-

1. इंटरनेट।
2. दैनिक भास्कर।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था - मिश्रा एवं पुरी
4. भारतीय अर्थव्यवस्था - डां. पंत व मिश्रा
5. प्रतियोगी पत्रिका।

****

भारत में राष्ट्रपति चुनाव की राजनीति

डॉ. मीनाक्षी पँवार *

प्रस्तावना – भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है, इसलिए राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान है और मंत्रिमण्डल वास्तविक कार्यकारी। संवैधानिक प्रधान होने के कारण राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियाँ नहीं दी है तथापि उनके पद को सत्ता और गरिमा से युक्त बनाया है। वे राष्ट्र के शक्तिशाली शासक होने की अपेक्षा भारतीय राष्ट्र की एकता के प्रतीक है। उनकी स्थिति वैधानिक अध्यक्ष की है, फिर भी शासन में उनका पद एक धुरी के समान है, जो संकट के समय संवैधानिक यन्त्र को सन्तुलित कर सकता है। सही मायनों में उनका पद गौरव, गरीमा और प्रतिष्ठा का है। शान-शौकत और गौरव की दृष्टि से राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति हैं। इसीलिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का चुनाव खूब सूझ-बूझ पर आधारित है।

अध्ययन का उद्देश्य –

- इस शोध पत्र का उद्देश्य प्रथम राष्ट्रपति से चौदहवें राष्ट्रपति तक राष्ट्रपति चुनाव की राजनीति का अध्ययन करना।
- भारतीय गणराज्य के विभिन्न राष्ट्रपतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।

अध्ययन की शोध पद्धति –

- प्रस्तुत शोध पत्र में विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।
- अध्ययन से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन प्राथमिक समंकों पर आधारित है तथा द्वितीय समंकों का संकलन अध्ययन से सम्बन्धित पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, विद्वानों की पुस्तकें आदि पर आधारित है।

भारत में राष्ट्रपति चुनाव की राजनीति – इस शोध पत्र का उद्देश्य उस निर्णय प्रक्रिया का विश्लेषण करना जिससे भारतीय गणराज्य के विभिन्न राष्ट्रपतियों का चयन हुआ है। राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशी का चुनाव अथवा ' राष्ट्रपति चयन की राजनीति 'भारत में 'राष्ट्रपति चुनाव' की प्रक्रिया में अत्यन्त महत्वपूर्ण सीढ़ी है। यदि प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक राष्ट्रपतियों की चयन प्रक्रिया का राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में विश्लेषण किया जाए तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव तो मात्र औपचारिकता है, सत्ताधारी दल द्वारा प्रत्याशी का चयन अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है।

प्रथम राष्ट्रपति – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का चुनाव – (26 जनवरी, 1950 – 13 मई, 1962) – भारत में राष्ट्रपति पद पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का चयन तीन बार हुआ। पहली बार वे अन्तरिम राष्ट्रपति (सन् 1950) में बनाए गए, दूसरी बार सन् 1952 में, आम निर्वाचन के पश्चात् और तीसरी बार सन् 1957 में द्वितीय आम निर्वाचन के पश्चात् उन्होंने इस महामहिम पद को धारण किया।

दूसरे राष्ट्रपति – डॉ. राधाकृष्णन का चुनाव – (13 मई, 1962-13 माई 1967) – राष्ट्रपति पद के लिए डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् के चयन के कई कारण थे, जैसे-एकशिक्षक, कूटनीतिज्ञ, विद्वान और दार्षनिक के रूप में उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। वस्तुत: डॉ. राधाकृष्णन बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के राष्ट्रपति पद के लिए सत्ताधारी दल के प्रत्याशी चुन लिए गए। उन्हें 98.30 प्रतिशत मत प्राप्त हुए।

तीसरे राष्ट्रपति – डॉ. जाकिर हुसैन का चुनाव – (13 मई 1967 -3 मई, 1969) – चौथा आम चुनाव (1967) के पश्चात् राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का चयन एक गंभीर समस्या थी। कांग्रेस दल ने, जिसका अब भी राष्ट्रपति निर्वाचक मण्डल में बहुमत था, दो कारणों से उप राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन को अपना प्रत्याशी मनोनीत किया। पहला कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता का आदर्श स्थापित करना चाहती थी और अल्पमत समुदाय को राष्ट्रीय जीवन में पर्याप्त आदर देना चाहती थी। दूसरा उपराष्ट्रपति के रूप में और एक शिक्षाशास्त्री के रूप में डॉ. जाकिर हुसैन ने पर्याप्त ख्याति अर्जित की थी। दूसरी तरफ कई विपक्षी दलों ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. सुब्बाराव को अपना प्रत्याशी बनाया। डॉ. जाकिर हुसैन को 56.20 प्रतिशत मत मिले। जबकि के. सुब्बाराव को 43.60 प्रतिशत मत मिले। इस प्रकार 12.80 प्रतिशत के अन्तर से कांग्रेस दल द्वारा चयनित उम्मीद्वार डॉ. जाकिर हुसैन राष्ट्रपति चुन लिए गए।

चौथे राष्ट्रपति – वी.वी. गिरि का चुनाव – (3 मई, 1969 से 20 जुलाई, 1974) – डॉ. जाकिर हुसैन के असामयिक निधन के पश्चात् जुलाई, 1969 में पुन: राष्ट्रपति चयन का सवाल उठ खड़ा हुआ। संसदीय बोर्ड में श्रीमती गांधी ने श्री जगजीवनराम को राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा, जबकि बोर्ड के अन्य सदस्य श्री नीलम संजीव रेड्डी को चयन करने के पक्ष में थे। जैसे ही श्री रेड्डी के नाम की घोषणा हुई, कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि ने भी घोषणा कर दी कि वे राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे। कतिपय विरोधी दलों ने डॉ. चिन्तामणि देशमुख को अपनी ओर से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में पहली बार सत्ताधारी कांग्रेस दल के अधिकृत प्रत्याशी की हार हुई। 52.20 प्रतिशत मतों से श्री वी.पी. गिरि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।

पांचवे राष्ट्रपति-फखरूद्दीन अली अहमद का चुनाव – (24 अगस्त, 1974-11 फरवरी, 1977) – 1 जुलाई 1974 को कांगेस अध्यक्ष ने घोषणा की कि कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने श्री फखरूद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी चुना है। उनके सामने जगजीवन राम

---

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

और स्वर्णसिंह के नाम थे। विपक्षी दलों को यथोचित व्यक्तित्व वाला उम्मीद्वार ही नहीं मिला। श्री अहमद ने सीधे संघर्ष में विपक्ष के प्रत्याशी त्रिदिव चौधरी को पराजित किया। श्री अहमद 80.20 प्रतिशत मतों से निर्वाचित हुए।

छठे राष्ट्रपति –श्री नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव– (25, जुलाई 1977 – 25 जुलाई 1982) – श्री नीलम संजीव रेड्डी के नाम पर राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय सहमति हो गई और बिना किसी औपचारिक निर्वाचन के भारत के छठे राष्ट्रपति बनाए गए। यह आश्चर्य की बात थी कि किसी भी विपक्षी दल ने अपनी ओर से किसी नाम का सुझाव नहीं दिया। इस प्रकार श्री नीलम संजीव रेड्डी सभी दलों की ओर से प्रस्तावित सर्वसम्मत प्रत्याशी थे।

सातवें राष्ट्रपति – ज्ञानी जैलसिंह का चुनाव – (25 जुलाई 1982–25 जुलाई, 1987) – 1982 के राष्ट्रपति चुनाव के प्रसंग में 10 विपक्षी दलों व्दारा इंदिरा कांग्रेस से प्रस्ताव किया गया कि 1977 की परम्पराओं का निर्वाह करते हुए राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीद्वार का चयन सर्वसम्मति के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन जब विपक्षी दलों को अपने इस प्रस्ताव का अनुकूल उत्तर प्राप्त न हुअ, तब 9 विपक्षी दलों ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीष श्री हंसराज खन्ना को अपना उम्मीद्वार बनाया। इंदिरा कांग्रेस व्दारा गृहमंत्री ज्ञानी जैलसिंह को अपना उम्मीद्वार बनाया गया। श्री जैलसिंह ने श्री हंसराज खन्ना को सीधे मुकाबले में 4, 71, 428 मतों से पराजित किया तथा देश के सातवें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।

आठवें राष्ट्रपति – आर. वेंकटरमण का चुनाव – (25 जुलाई, 1987 – 25 जुलाई, 1992) – 11 जुलाई 1987 को भारत के 8वें राष्ट्रपति का निर्वाचन सम्पन्न हुआ। इस बार चुनाव मैदान में तीन प्रत्याशी थे, आर. वेंकटरमण, कृष्ण अय्यर और मिथलेश कुमार सिंह। चुनाव में असली मुकाबला वेंकटरमण और कृष्ण अय्यर के बीच था। इंका प्रत्याशी वेंकटरमण को कुल 7,40,148 मूल्य के मत मिले, जबकि विपक्षी उम्मीद्वार कृष्ण अय्यर को 2,81,550 व निर्दलीय उम्मीद्वार मिथिलेश कुमार को 2,223 मूल्य के मत प्राप्त हुए।

नौवें राष्ट्रपति – डॉ. शंकरदयाल शर्मा का चुनाव – (25 जुलाई, 1992–25 जुलाई, 1997) – 13 जुलाई 1992 को भारत के 9वें राष्ट्रपति का निर्वाचन सम्पन्न हुआ। इस बार चुनाव मैदा में चार प्रत्याशी थे। चुनाव में असली मुकाबला डॉ. शंकरदयाल शर्मा और प्रो. जी.जी. स्वेल के बीच था। डॉ. शर्मा ने सीधे संघर्ष में विपक्ष के प्रत्याशी जार्ज गिलबर्ट स्वेल को 3 लाख 29 हजार 379 मतों से पराजित कर विजयी घोषित हुए। डॉ. शर्मा ने कुल वैध मतों के 64.78 प्रतिशत मद हासिल करने में सफलता अर्जित की, जबकि स्वेल के हिस्से में 33.21 प्रतिशत मत पड़े। इस प्रकार डॉ. शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति चुन लिए गए। **दसवें राष्ट्रपति – के.आर. नारायणन का चुनाव – (25 जुलाई, 1997 – 25 जुलाई, 2002) –** 25 जुलाई 1997 को श्री के.आर. नारायणन् ने भारत के 10वें राष्ट्रपति पद के रूप में शपथग्रहण की। के.आर. नारायणन् के नाम का प्रस्ताव मूलत: कांग्रेस की ओर से आया था। बाद में संयुक्त मोर्चे ने भी उसका समर्थन कर दिया। भाजपा ने भी उन्हें समर्थन देकर उच्च राजनीतिक आदर्शो की मिसाल कायम की। श्री के.आर. नारायणन् को 4,231 और शेबन को 240 वोट मिले। जिनका मूल्य क्रमश: 9 लाख 56 हजार 290 (94.97 प्रतिशत) और 50 हजार 961 (5.03 प्रतिशत) है।

ग्यारहवें राष्ट्रपति – डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का चुनाव– (25 जुलाई, 2002–25 जुलाई, 2007) – सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन ने देश के 11वें राष्ट्रपति ए.जी.जे. अब्दुल कलाम को मनोनीत किया। वाजपेयी और आडवानी दोनों की स्पष्ट मान्यता थी कि अगला राष्ट्रपति वामपथ या कांग्रेसी संस्कृति में रंगा नहीं होना चाहिए। कई नामों पर विचार लिया गया, किन्तु अन्त में ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नाम पर सहमति हुई। 15 जुलाई 2002 को सम्पन्न चुनाव में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किए गए। उन्होंने वामपन्थियों व्दारा समर्थित प्रत्याशी डॉ. लक्ष्मी सहगल को 459 के मुकाबले 4,152 मतों से हराया। कलाम को प्राप्त मतों का मूल्य 922885 तथा लक्ष्मी सहगल को प्राप्त मतों का मूल्य 45,569 था। कलाम को 89.89 प्रतिशत तथा सहगल को 10.42 प्रतिशत मत मिले।

बारहवें राष्ट्रपति – डॉ. प्रतिभा पाटिल का चुनाव – (25 जुलाई, 2007–25 जुलाई, 2012) – कांग्रेस और गांधी परिवार की वफादार मानी गई राज्यपाल प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति पर के लिए यूपीए प्रत्याशी चुनी गई। प्रतिभा पाटिल को 6,38,116 यानी करीब 65 प्रतिशत वोट मिले थे, वहीं भैरोसिंग शेखावत को 3,31,306 यानि 34.18 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इस प्रकार डॉ. प्रतिभा पाटिल भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। उन्होंने 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली।

तेरहवें राष्ट्रपति – प्रणव कुमार मुखर्जी का चुनाव – (25 जुलाई, 2012–25 जुलाई, 2017) – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने प्रणब मुखर्जी को अपना उम्मीद्वार घोषित किया। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिपक्षी प्रत्याशी पी.ए. संगमा को पराजित किया। संप्रग के प्रणव मुखर्जी को 7,13,763 यानी 69 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि राजग के संगमा को 3.15 लाख यानी करीब 31 प्रतिशत मत मिले। इस प्रकार प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति चुन लिए गए।

चौदहवे राष्ट्रपति – रामनाथ कोविंद का चुनाव :– (25 जुलाई, 2017 – कार्यरत्) – सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन व्दारा 19 जून, 2017 को भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीद्वार श्री रामनाथ कोविंद घोषित किए गए। 20 जुलाई, 2017 को राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम घोषित हुआ। जिसमें कोविंद ने यूपीए की प्रत्याशी मीरा कुमारी को लगभग 3 लाख 34 हजार वोटों के अन्तर से हराया। कोविंद को 65.65 फीसदी वोट हासिल हुए। 20 जुलाई, 2017 को कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 25 जुलाई, 2017 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलायी। (तालिका क्र. 1 एवं 2 अंतिम पृष्ठ पर देखें)

मूल्यांकन – भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के चयन का मुख्य कारण था सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद जैसे शक्तिशाली नेताओं व्दारा उनका समर्थन किया गया। दूसरे राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन के चयन का प्रमुख कारण था कि नेहरूजी चाहते थे कि इस बार दक्षिण भारतीय को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। तीसरे राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के चयन के समय मुख्य तर्क यह दिया गया कि इस बार अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को इस पद पर प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। चौथे राष्ट्रपति के रूप में कांग्रेस संगठन और प्रधानमंत्री के गुटों की टक्कर में श्री वी.पी. गिरि का राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन आसान हो गया। पांचवे राष्ट्रपति श्री अहमद के चयन के समय मुख्य तथ्य यही था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का व्यक्ति होना चाहिए। छठे राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रीय आम सहमति के आधार पर चुन लिए गए। सातवें राष्ट्रपति ज्ञानीजी को 'प्रधानमंत्री का प्रत्याशी' कहा गया। आठवें राष्ट्रपति वैंकट रमण को इंका व्दारा राष्ट्रपति पद पर

आसीन करने के पीछे यही धारणा थी कि वे संवैधानिक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वाह करेंगे। नौंवे राष्ट्रपति डॉ. शकर दयाल शर्मा को राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस (इ) प्रत्याशी बनाने का मुख्य कारण यह था कि वे विवादास्पद व्यक्ति नहीं रहे। श्री के.आर. नारायणन् के भारत के 10वें राष्ट्रपति चुने जाने पर यह कहा गया कि वे देश के इस सर्वोच्च एवं गरीमामय पद पर पहली बार दलित वर्ग का कोई व्यक्ति पदासीन हुआ है। वस्तुत: नारायणन् का राष्ट्रपति पद पर चुना जाना उनकी प्रशासनिक योग्यता, विद्धता, राजनीतिक सूझबूझ, संवेदनशीलता और गरिमापूर्ण व्यवहार का ही परिणाम था। 11वें राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम देश के पहले राष्ट्रपति थे जो गैर-राजनीतिक व्यक्ति थे। 12वें राष्ट्रपति पद पर श्रीमती प्रतिभा पाटील के चयन का मुख्य कारण था कि सबसे पहले तो वे महिला है और भारत में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगी। 13वें राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी कांग्रेस के पुराने नेता है, जिन्हें 40 साल का राजनीतिक अनुभव था। राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक जुड़ाव से दूर रहकर काम किया। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर अलग-अलग विचारधाराओं वाले व्यक्ति आसीन है। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चुने जाने के पहले तथा राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही ये साफ हो गया था कि अगले पांच वर्ष के लिए राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद ही विराजमान होंगे। इस हकीकत से विपक्ष और विपक्षी उम्मीद्वार मीराकुमार भी वाकिफ थे। तभी उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को वैचारिक संघर्ष का रूप देने की कोशिश की।

निष्कर्ष - राष्ट्रपति चुनाव को महज दलगत समीकरण के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते है। उन्हें संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक एवं संविधान का संरक्षक समझा जाता है। देश के प्रथम नागरिक के रूप में वे देशवासियों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश को यही अपेक्षा है कि राष्ट्रपति कोविंद अपने निष्पक्ष आचरण का अनुपालन करेंगे। इस उम्मीद् की वजह यह भी है कि कोविंद कानून के जानकार है। लोकतंत्र में स्वस्थ परम्पराएँ बेहद अहम् होती है। पिछले राष्ट्रपतियों ने ऐसी कई रवायतों को कायम किया, जिससे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के लिए मर्यादाएँ एवं मिसाले तय हुई। पिछले अनेक राष्ट्रपतियों ने अपनी खास विरासत निर्मित की। वो राष्ट्रपति ऐसा बेहतर ढंग से कर पाए, जिन्होंने अपने निर्णयों को अपनी पुरानी पार्टी के हितों या विचारों से प्रभावित नहीं होने दिया। राष्ट्रपति से अपेक्षित होता है कि उनकी एकमात्र आस्था संविधान और संवैधानिक उसूलों में हो। उम्मीद् है कि इस कसौटी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी खरे उतरेंगे और इस पद की गरिमा बढ़ाएंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 43
2. संविधन निर्मात्री सभा वाद-विवाद खण्ड-7, पृ. 33
3. डॉ. पुखराज जैन - राजनीति विज्ञान, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2017 पृष्ठ 87-89
4. Mahavir tyagi : How Nehru accepted Rajendra Babu as Indias First President, organiser, Jan 25, 1971, P.13
5. Hindu : March 25, 1952
6. Durga das : India from curzon to Nehru and after. P. 333
7. The Iiiustrated wakly of India, July 7, 1974, P.5
8. The times of India, New Delhi, Jyly 2, 1974
9. दिनमान, जुलाई 7, 1974
10. The Hindustan Times, New Delhi, Jyly 29, 1974
11. The Indian Express, July 8, 1977
12. डॉ. बी.एल. फड़िया एवं डॉ. कुलदीप फड़िया राजनीति विज्ञान, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, 2017
13. एम.वी. पायली-भारतीय संविधान (हिन्दी अनुवाद) 1975
14. डॉ. पुखराज जैन एवं डॉ. बी.एल. फडिया-भारतीय शासन एवं राजनीति साहित्य, भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2010, पृष्ठ 195-204
15. संजय गुप्त-विचारधारा के मार्चे पर लम्बी बढ़त, नई दुनिया स.प्र. 24 जुलाई, 2017
16. संपादकीय- नईदुनिया, 21 जुलाई 2017

तालिका क्र. 1
राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को प्राप्त मत प्रतिशत

क्र.	सन्	निर्वाचित प्रत्याशी	निकटतम प्रतिद्वंदी	निर्वाचित प्रत्याशी को प्राप्त मत प्रतिशत
1	1952	राजेन्द्र प्रसाद	के.टी. शाह	83.80%
	1957	राजेन्द्र प्रसाद	एन.एन. दास	99.30%
2	1962	राधाकृष्णन्	सी.एच.राम	98.30%
3	1967	जाकिर हुसैन	के. सुब्बाराव	56.20%
4	1969	वी.वी. गिरि	संजीव रेड्डी	52.20%
5	1974	फखरूदीन अली अहमद	टी. चौधरी	80.20%
6	1977	संजीव रेड्डी	आम सहमति से निर्वाचित	
7	1982	ज्ञानी जैलसिंह	एच.आर. खन्ना	72.70%
8	1987	आर. वेंकटरमण	आर.कृष्ण अय्यर	72.30%
9	1992	शंकरदयाल शर्मा	जी.जी. स्वेल	64.78%
10	1997	के.आर. नारायणन्	टी.एन. शेषन	94.97%
11	2002	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	लक्ष्मी सहगल	89.58%
12	2007	डॉ. प्रतिभा पाटील	भैरोसिंह शेखावत	65.82%
13	2012	प्रणव कुमार मुखर्जी	पी.ए. संगमा	69%
14	2017	रामनाथ कोविंद	मीरा कुमार	66%

तालिका क्र. 2
भारत के राष्ट्रपति

नाम	जन्म–मृत्यु	अवधि
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	1884–1963	26, जनवरी 1950–13 मई,1962
डॉ. राधाकृष्णन्	1888–1975	13 मई 1962–13 मई 1967
जाकिर हुसैन	1897–1969	13 मई 1967–3 मई 1969
वी.वी. गिरि (कार्यवाहक)	1884–1980	3 मई, 1967 – 20 जुलाई,1969
मो. हिदायतुल्लाह (कार्यवाहक)	1905–1992	20 जुलाई, 1969–24 अगस्त, 1969
वराह गिरि वेंकटगिरि	1884–1980	24 अगस्त,1969–24 अगस्त, 1974
फखरूद्दीन अली अहमद	1905–1977	24 अगस्त,1974–11 फरवरी, 1977
बी.डी. जत्ती (कार्यवाहक)	1913–2002	11 फरवरी, 1977–25 जुलाई 1977
नीलम संजीव रेड्डी	1913–1996	25 जुलाई, 1977–25 जुलाई, 1982
ज्ञानी जैलसिंह	1916–1994	25 जुलाई, 1982–25 जुलाई, 1987
आर. वेंकटरमण	1910–2009	25 जुलाई 1987–25 जुलाई, 1992
डॉ. शंकरदयाल शर्मा	1918–1919	25 जुलाई, 1992 – 25 जुलाई, 1997
के.आर. नारायणन्	1920–2007	25 जुलाई, 1997 – 25 जुलाई, 2002
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	1931–2015	25 जुलाई, 2002 – 25 जुलाई, 2007
डॉ. प्रतिभा पाटील	1934 25	जुलाई, 2007– 25 जुलाई, 2012
प्रणव कुमार मुखर्जी	1935 25	जुलाई, 2012 – 25 जुलाई 2017
रामनाथ कोविंद	1945 25	जुलाई, 2017 – कार्यरत्

****

ब्रिटिशकाल में नरसिंहपुर नगर का सामाजिक रूपान्तरण

डॉ. भूषण कुमार कुरोठे *

शोध सारांश – सामाजिक रूपान्तरण का संबंध सामाजिक संरचना एवं उसकी व्यवस्था से हैं। कोई भी समाज एक ही रूप में स्थायी नहीं रह सकता है अर्थात् रूपान्तरण एक निरन्तर प्रक्रिया हैं। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था निरन्तर परिवर्तित होती रहती हैं। सामान्यतया मानव समाज चाहे वह प्रागैतिहासिक काल का हो अथवा आधुनिक काल का हो कभी भी स्थिर नहीं रहा हैं, अपितु सतत् परिवर्तनशील रहा है। उसकी उन्नति, अवनति, उतार-चढ़ाव और पुनर्परिवर्तन होता रहा हैं। इसकी सदस्यता के स्वरूप बदलते रहे हैं, इसके आदर्श, मूल्य, विश्वास, विचार, प्रथा आदि सदैव परिवर्तित होते रहे हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में मध्यप्रदेश में स्थित नरसिंहपुर जिले में ब्रिटिशकाल में हुए सामाजिक रूपांतरण पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

शब्द कुंजी – सामाजिक रूपांतरण।

प्रस्तावना – नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है, इसमें ऊपरी नर्मदा घाटी का एक भाग सम्मिलित है। इसके उत्तर और दक्षिण में क्रमश: विंध्य और सतपुड़ा पर्वत है। यह जबलपुर संभाग के अंतर्गत पश्चिमी मध्य जिला है और 22°45‘ और 23°15‘ उत्तरी अक्षांश तथा 78°38‘ और 79°38‘ पूर्वी देशांश के मध्य स्थित है। जिले का धुर उत्तरी भाग कर्क रेखा के दक्षिण में 17 मील से भी अधिक दूरी पर है। नरसिंहपुर नगर का सामाजिक ढाँचा अनेक वर्गो से मिलकर बनता है,जिनमें डॉक्टर, वकील, शिक्षक, क्लर्क, बैंक कर्मचारी, रेल कर्मचारी, छोटे खुदरा व्यापारी, बड़े थोक व्यापारी, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत छोटे-बड़े कर्मचारी इत्यादि से मिलकर नरसिंहपुर का नगरीय समाज बनता है। इसके अतिरिक्त यहाँ छोटे-छोटे धन्धों में लगे अनेक लोग तथा श्रमिक की संख्या भी अत्याधिक है ।

नरसिंहपुर के नगरीय समाज में हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इत्यादि अनेक सम्प्रदाय के लोग एक साथ बसते हैं। जातिगत आधार पर सर्वाधिक जातियाँ हिन्दुओं में विभाजित है। इनमें से प्रमुख जातियाँ ब्राम्हण, वैष्य, क्षत्रिय, यादव, लोधी, कुर्मी, गुप्ता, कलार, अग्रवाल, रजक, पटेल, अहिरवार, कोरी, कुम्हार, जुलाहा, लोहार, तेली, नाई, सुनार आदि है। इस नगर में मुस्लिमों में सिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोग निवास करते है, जबकि जैनों में श्वेताम्बर समुदाय के लोग अधिक पाए जाते है। नरसिंहपुर साम्प्रदायिक दृष्टि से हिन्दू बाहुल्य नगर है, लेकिन अन्य सम्प्रदाय भी यहाँ पाए जाते है। यह एक शैक्षणिक व्यापारिक नगर है, इसलिए यहाँ सभी समुदाय के लोग कहीं न कहीं सरकारी, गैर सरकारी नौकरी अथवा व्यापार में कार्यरत हैं इसलिए इस नगर को इसकी जनसंख्या की बनावट एवं अन्य दृष्टि से एक मध्यमवर्गीय नगर की संज्ञा दी जा सकती है।[1] नरसिंहपुर नगर के सामाजिक ढाँचे को निम्न तीनों भागों कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग में बाँटा जा सकता है।

अंग्रेजों के भारत आगमन के पश्चात् अंग्रेजी शिक्षा, सामाजिक सुधार आदि के परिणामस्वरूप परम्परागत कुलीन वर्ग की परिभाषा में परिवर्तन हुआ एवं समाज में आर्थिक रूप से सम्पन्न श्रेणी के लोग भी निम्न जाति वर्ग के होने के बावजूद कुलीन वर्ग की श्रेणी में मान्य होने लगे। शिक्षा के प्रचार-प्रसार से नये नये उद्योगों की स्थापना, नवीन सरकारी तंत्र की स्थापना से अधिकारियों के एक नये वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग में बड़े उद्योगपति, व्यापारी, ठेकेदार, मिल मालिक, थोक व्यापारी, बड़े पदों पर कार्यरत अधिकारी, इत्यादि शामिल है, जो किसी भी जाति अथवा धर्म के लोग आते है। भारत के अन्य भागों के नगरों की तरह इस नगर का भी सामाजिक ढाँचा अंग्रेजों के भारत आगमन के पूर्व वर्ण व्यवस्था पर आधारित होने के कारण दो वर्गो-कुलीन वर्ग एवं निम्न वर्ग में विभाजित था। लेकिन अंग्रेजों के भारत के अधीन होने के कारण भारत में विज्ञान, तकनीकी, पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता तथा प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा परम्परागत भारतीय समाज में नवीन मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग का विकास हुआ, जिसने परम्परागत भारतीय समाज में व्यापक प्रक्रिया आरंभ की।[2]

नरसिंहपुर नगर के नगरीय विकास के साथ साथ इसमें सरकारी कार्यालय, न्यायालय, शिक्षण संस्थान एवं प्रशासनिक व्यवस्था का भी प्रसार हुआ हैं। जिससे इस नगर में डॉक्टर, वकील, शिक्षक, पत्रकार, व्यापारी इत्यादि वर्ग का उद्‌भव एवं विकास हुआ। मध्यम वर्ग समाज का सर्वाधिक शिक्षित वर्ग भी था। इस वर्ग के लोग वे थे, जो अपना कार्य करते हुए लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी वर्ग ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। नरसिंहपुर नगर में स्वतंत्रता संग्राम में इस वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।[3] नरसिंहपुर नगर के मध्यमवर्गीय सामाजिक ढांचे में प्रमुख रूप से डॉक्टर, वकील, शिक्षक, पत्रकार, कारीगर को सम्मिलित किया जा सकता है।

जिले में वकालत व्यवसाय का प्रारम्भ सन् 1860 से हुआ, जबकि न्यायालयों में वकालत करने के लिए प्रथम बार लाइसेंस दिए गए थे, ऐसे लाइसेंस तहसीलदार द्वारा दिए जाते थे। उस समय वकालत करने वाले वकीलों की कोई शैक्षणिक अर्हताएँ निर्धारित नहीं थी। कालांतर में केवल मैट्रिक उत्तीर्ण व्यक्तियों को इस संबंध में शासन द्वारा संचालित अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् वकालत करने की अनुमति थी परन्तु अब वकालत करने के लिए इच्छुक व्यक्ति के लिए उपाधि आवश्यक है। सन् 1861 में मध्य प्रांत की स्थापना के समय विधि व्यवसायी वकील, जिले के स्थानीय वकील तथा मुख्तार थे। 1862 के पूर्व तक अप्राधिकृत तथा गैर-लायसेंस धारी वकीलों के प्रवेश पर कोई निर्बन्ध नहीं लगाया गया था। सन् 1931 की जनगणना के अनुसार जिले में विधि व्यवसायों में अर्जकों तथा काजियों, कानूनी एजेन्टों तथा मुख्तयारों सहित सभी प्रकार के वकीलों की संख्या 123 थी। इनमें से वकीलों, मुहर्रिरो तथा अर्जिनविसों की संख्या केवल 28 थी। इसके विपरीत सन् 1961 में जिले में केवल 39 विधि व्यवसायी थे, जिनमें 34 प्लीडर तथा पांच एडवोकेट थे।[4]

समाज कल्याण कार्यक्रम में जनता के चिकित्सा उपचार की व्यवस्था

---

* सहायक ग्रेड-3 , कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

करना बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए शासकीय चिकित्सालय तथा औषधालयों के जरिए जनता के लिए नि:शुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करने का काम शासन ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया।[5] 1931 की जनगणना के अनुसार जिले में नेत्र रोग विशेषज्ञों को मिलाकर 59 पंजीयत चिकित्सक थे। जनगणना के अनुसार 34 अन्य ऐसे व्यक्ति थे, जो बिना पंजीयन के उपचार करते थे। विभिन्न चिकित्सा पद्धति के अनुसार पंजीयत चिकित्सकों का वर्गीकरण उपलब्ध नहीं था। इसी प्रकार दाईयों, टीका लगाने वालो, कम्पाउण्डरों, नर्सो आदि की संख्या 208 थी।

किसी भी क्षेत्र में पत्रकारिता का उद्‌भव एवं विकास उस क्षेत्र विशेष की तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सामाजिक राजनैतिक चेतना का मूल आधार उस क्षेत्र में शिक्षा प्रचार प्रसार पर निर्भर करता हैं। जिले की पहली हिन्दी मासिक पत्रिका 1 मार्च 1885 को नरसिंहपुर के लिथो मुद्रणालय से प्रकाशित हुई।[6] जिले में समाचार पत्रों के इतिहास का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि इस संबंध में जिले का योगदान अधिक नहीं है। स्वभाविक रूप से पाठकों की बढ़ती हुई संख्या को समाचारों तथा सूचना के लिए जिले के बाहर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों तथा नियतकालिक पत्रिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। नरसिंहपुर नगर की परम्परागत आबादी में शैक्षणिक संस्थाओं के विकास के कारण एक नया शिक्षक वर्ग उत्पन्न हुआ। शिक्षक वर्ग नरसिंहपुर नगर के सामाजिक रूपान्तरण के मध्यम वर्ग की एक कड़ी के रूप में जाना जाता है। अत: शिक्षक वर्ग नरसिंहपुर नगर की प्रतिनिधित्व वर्ग है।[7]

नरसिंहपुर नगर परम्परागत व्यापार व्यवसाय में आरम्भ से सम्पन्न रहा है। इन उद्योग धन्धों में लगे कारीगर नगर के उद्योग शिल्प के मूल रहे हैं। नरसिंहपुर में उद्योगों के विकास में जैसे- फुटकर तथा थोक व्यापारी, साहूकारी, सूत कताई, वस्त्र रंगाई, ऊन की कताई, सोना और चांदी का काम, कांसा पीतल तथा ताँबे का काम, लोहे का सामान बनाना, नाई, धोबी, सिलाई व्यवसायी, साइकिल मरम्मत करने वाले, घरेलू नौकर, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, चमड़े आदि का काम करने वाले कारीगर तथा मजदूर वर्ग में आते थे।[8] सन् 1931 की जनगणना के अनुसार नगर में व्यापार में अर्जकों की संख्या 9,986 थी। सन् 1961 की जनगणना के अनुसार व्यावसायिक वर्ग अर्थात व्यापार तथा वाणिज्य में कुल 6,384 व्यक्ति कार्यरत थे। सन् 1931 की जनगणना में विभिन्न वाणिज्यिक वस्तुओं का थोक तथा फुटकर व्यापार के रूप में वर्गीकरण नहीं किया गया था। मानक औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार सभी प्रकार के फुटकर व्यापार में 5,311 पुरूष तथा महिलायें काम करती थी लेकिन अनाज, दाल, साग-सब्जी, फल, शक्कर, मसाले, तेल, मछली, दुग्ध उत्पाद, अण्डे तथा मुर्गीपालन संबंधी फुटकर व्यापार में लगे व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक थी।

देश की प्राचीन अर्थव्यवस्था में साहूकारों की भूमिका भी लोक प्रसिद्ध हो गई थी। वर्तमान में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में साहूकार तथा उसकी गतिविधियों का उल्लेखनीय योगदान है। प्राचीनकाल में व्यवसाय के रूप में साहूकारी बहुत कम लोग किया करत थे। सन् 1961 में जिले में बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या 117 थी, जबकि देशी साहूकारी कार्य करने वाले केवल 35 व्यक्ति थे।9 होटल, भोजनावास (बोर्डिंग हाउस), भोजनालय, जलपान गृह, और इसी प्रकार के अन्य संगठन जो आवास तथा भोजन की सुविधायें प्रदान करते हैं, न केवल नगरों तथा और शहरों में खुल रहे हैं अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुल रहे हैं। इस व्यापार वृद्धि का कारण सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन बढ़ती हुई औद्योगिक गतिविधियां तथा यात्रा संबंधी सुविधाएं हैं।

नरसिंहपुर नगर में आवास स्थान के अलावा खाद्य पदार्थों की श्रेणी साफ सफाई और सेवा व्यवस्था संबंधी मानकों के अभाव में सड़क के हर मोड़ पर, मनोरंजन गृह के आसपास, बाजारों, बस स्टैण्ड तथा धर्मशालाओं के आसपास कई होटलें स्थापित हो गयी है लेकिन इस नगर में अधिकाशंत: होटलों में चाय तथा अल्पाहार की वस्तुएं बेची जाती हैं। नरसिंहपुर में औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के अभाव में होटल तथा उपाहार गृह समृद्ध स्थिति में नहीं है। नरसिंहपुर जिले में सन् 1961 में बैरों, बेटरों, नौकरों, आदि के रूप में 314 व्यक्ति कार्य कर रहे थे। जिनमें से 144 व्यक्ति और 170 महिलाए थी।

उपरोक्त उद्योग-धंधों के लगे मजदूरों के अलावा अन्य व्यवसायों में हस्तकला उद्योग, दाल मिल, तेल मिल, चर्म उद्योग, लौह उद्योग, पीतल तांबा उद्योग, बांस उद्योग, खनि, कुम्हारी उद्योग, रंगाई कार्य आदि उद्योगों में अनेक कारीगर कार्य करते हैं। नयी-नयी मशीनों कारखानों की स्थापना होने से हजारों कारीगरों तथा श्रमिकों को रोजगार मुहैया हुआ। अत: नरसिंहपुर नगर में श्रमिकों की पम्परागत श्रेणी में बदलाव आया और विकास के अनुसार श्रमिकों की श्रेणी में भी परिवर्तन हुआ।10 नरसिंहपुर नगर में विविध कार्यो में संलग्न अनेक तरह के श्रमिक निवास करते हैं, जो नये और पुराने दोनों तरह के श्रम उद्योगों में लगे हुए हैं। नगर का श्रमिक ढांचा विभिन्न तरह के क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें बीडी उद्योग तथा गुड़ उद्योग में मुख्य रूप से श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराता है।

इस प्रकार नरसिंहपुर नगर में सामाजिक ढांचे में स्वतंत्रता के पष्चात् उपरोक्त व्यापारियों के क्षेत्र में विस्तार हुआ और नगर में अनेक थोक व्यापारियों ने कारोबार आरंभ किया जिसमें फुटकर एवं खुदरा व्यापारियों का सामाजिक स्तर भी बढ़ता गया नगर में सामाजिक ढांचे में बड़े व्यापारियों के साथ फुटकर और फेरी वाले व्यापारियों की संख्या भी बढ़ती गई। विचारों में स्वतंत्रता और परम्परागत वर्ग व्यवस्था का विरोध तथा शिक्षित और रूढ़िवाद के विरोधी होने के कारण मध्यमवर्ग में डॉक्टर, वकील, शिक्षक को सम्मिलित किया गया। अत: नरसिंहपुर नगर के सामाजिक ढांचे में सामाजिक, आर्थिक दबदबा कुलीन व्यापारी वर्ग का रहा, बड़े व्यापारी वर्गो के सामाजिक प्रतिष्ठा समाज के राजा महाराजाओं जैसी रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीवास्तव, प्रेमनारायण, नरसिंहपुर जिला गजेटियर, विभाग म.प्र. भोपाल 1972 , पृ. 89
2. प्रताप सिंह एवं मंगलानी, डॉ. ए.एच., आधुनिक भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, पृ 180
3. अहमद शाह, रफीक (सं.), प्रयास, भारतीय यूथ फोरम, कंदेली, नरसिंहपुर (वार्षिक स्मारिका 2001), पृ. 94
4. नरसिंहपुर जिला गजेटियर, पूर्वोक्त, पृ. 222
5. संचालनालय, स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण, म.प्र. भोपाल के प्रतिवेदन से प्राप्त।
6. सी पी एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1888-89, परिशिष्ट-सी-1
7. जिला शिक्षा कार्यालय, नरसिंहपुर से प्राप्त जानकारी
8. नरसिंहपुर जिला गजेटियर,पूर्वोक्त, पृ. 223
9. भारत की जनगणना 1971, जिला जनगणना पुस्तिका, जिला नरसिंहपुर, पृ. 87
10. राय, चन्द्रभानु, नरसिंह नयन, पृ. 35

सिवनी का नगरीय विकास 1861 से 1975 तक

डॉ. संकेत कुमार चौकसे *

शोध सारांश – नगरीकरण से तात्पर्य नगरों के क्रमिक विकास की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक ग्रामीण जीवन में नगरीय जीवन की विशेषताओं का समावेश होता जाता है। अर्थात् ग्राम धीरे-धीरे नगर में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्रामीण समुदायों में शहरीपन आ जाता है जिसके द्वारा नगर की उत्पत्ति और विकास होता है। सिवनी सतपुड़ा पर्वत की मनोरम वादियों में नागपुर-जबलपुर मुख्य मार्ग पर स्थित महत्वपूर्ण स्थल है। यह 18वीं शताब्दी के अंत तक एक साधारण सा गाँव था। इस समय तक यहाँ कोई विशेष ऐतिहासिक घटना भी नहीं घटी जिसमें सिवनी का स्पष्ट उल्लेख हो। 1774 में तत्कालीन पठान सूबेदार मोहम्मद अमीर खान ने अपना मुख्यालय छपारा से स्थानान्तरित कर सिवनी बनाया। इसके पश्चात् सिवनी ग्राम का तीव्र गति से विकास होने लगा तथा शनै:शनै: यह ग्राम नगर में परिवर्तित हो गया। प्रस्तुत शोध पत्र में सिवनी के नगरीकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है।

शब्द कुंजी – नगरीकरण।

प्रस्तावना – इतिहास में **नगर** के दो मुख्य लक्षण माने जाते है - प्रथम एक सीमित स्थान पर आबादी का उच्च घनत्व और द्वितीय जनसंख्या का मुख्यत: गैर-कृषक स्वरूप। इस प्रकार मनुष्य-स्थान अनुपात और व्यवसायिक विभिन्नता तथा उनके परिणामत: संबंध भी नगरों और ग्रामों में भिन्नता के आधार है। **नगरीकरण** शब्द **नगर** से बना है। नगरीकरण से तात्पर्य नगरों के क्रमिक विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके अन्तर्गत एक ग्रामीण जीवन में नगरीय जीवन की विशेषताओं का समावेश होता जाता है। इसके द्वारा ग्राम धीरे-धीरे नगरों में तथा नगर धीरे-धीरे विशाल नगरों में परिवर्तित होते जाते है। नगर प्रारंभ से ही ग्रामीणों की अपनी ओर आकर्षित करते आ रहे है। नगर में उन्हें रोजगार के अवसर, शिक्षा व्यवस्था, उच्च चिकित्सा व्यवस्था आदि की सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण गाँवों से पलायन करने को प्रेरित करती है। नगर सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से भी गाँवों से बेहतर होते है। इन कारणों से नगरों तथा नगरीय केन्द्रों का तीव्र गति से विकास होता जा रहा है।

भारत में प्राचीन काल से ही नगरीय सभ्यता और संस्कृति के साक्ष्य दृष्टिगोचर होते है। सिन्धु घाटी सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वास्तव में प्राचीन काल में नगरीकरण का इतिहास **उदय-उत्कर्ष-पतन** की प्रक्रिया का इतिहास रहा है। वाराणसी, हस्तिनापुर, कन्नौज, तक्षशिला, नालंदा, अयोध्या, पाटलीपुत्र, उज्जैन, कौशाम्बी इत्यादि अनेक नगरों का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है। इनमें से कई नगर वर्तमान में भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को संजोए हुए है। भारत में तुर्क आगमन के पश्चात् तेरहवीं और चौदहवीं सदी में नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। मुगलकाल में नगरों की संख्या, आकार और उनकी धन सम्पदा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ ही औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई जिसके फलस्वरूप नगरीकरण का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। इस समय अनेक छोटे-छोटे नगर विशाल नगरों में और बड़े-बड़े नगर तेजी से विकसित हुए। वर्तमान में भी नगरीकरण की यह प्रक्रिया निरंतर जारी है।

सिवनी सतपुड़ा पर्वत की मनोरम वादियों में नागपुर-जबलपुर मुख्य मार्ग पर स्थित महत्वपूर्ण जिला है। यह जिला बहुत ही विषमता लिए हुए दक्षिण की ओर कुछ संकरा तथा उत्तर की ओर अपेक्षाकृत चौड़ा है।[1] जिले का आकार वाराह या मछली के समान दृष्टिगोचर होता है।[2] जिले की सबसे ऊँची चोटी मनोरी है। जिले की सीमा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। यह जिला उपयोगी एवं समृद्ध वनों के लिए विख्यात है। जिले का पर्याप्त भाग वनाच्छादित होने के कारण यहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है।

सिवनी जिले के दक्षिणी भाग में 22°5' उत्तरी अक्षांश एवं 79°33' पूर्वी देशांतर पर इस जिले का मुख्यालय नगर सिवनी स्थित है। इस नगर की नागपुर से दूरी लगभग 126 किलोमीटर एवं जबलपुर की दूरी लगभग 138 किलोमीटर है।[3] इस नगर में अधिक प्राचीन इमारतें नहीं है। कुछ इमारतें 1839 के भीषण अग्निकाण्ड में नष्ट हो गयी। सिवनी में ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से शिवमठ मंदिर, जैन मंदिर शुक्रवारी, दीवान खाना, मोहम्मदशाह वली की दरगाह, मोती तालाब पर स्थित कायस्थ की समाधि एवं लुण्डेखां की कब्र इत्यादि उल्लेखनीय है। नगर के मध्य में स्थित दलसागर तालाब लगभग 50 एकड़ भू-भाग में फैला हुआ है। इस तालाब का निर्माण 13-14वीं शताब्दी में हुआ था।[4]

सिवनी जिले का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से स्वीकार किया जाता है। महाजनपद काल में संभवत: यह चेदि महाजनपद के अन्तर्गत रहा होगा। तत्पश्चात् यह नंद, मौर्य, शुंग, सातवाहन, वाकाटक, कल्चुरि, चंदेल इत्यादि अनेक राजवंशों के प्रभाव में रहा होगा। मध्यकाल में यह क्षेत्र गढ़ा-मण्डला के गोंड राजाओं तत्पश्चात् देवगढ़ के गोंड राजाओं के अधीन हो गया।[5] इसके बाद यह क्षेत्र नागपुर के भौसलें शासन के अन्तर्गत आ गया। इस समय तक सिवनी एक साधारण सा गाँव था। इस समय तक यहाँ कोई विशेष ऐतिहासिक घटना भी नहीं घटी जिसमें सिवनी का स्पष्ट उल्लेख हो। इस समय तक सत्ता का मुख्य केन्द्र छपारा था। 1774 में तत्कालीन पठान सूबेदार मोहम्मद अमीर खान ने अपना मुख्यालय छपारा से स्थानान्तरित कर सिवनी बनाया। इस समय यहाँ एक किले का निर्माण करवाया गया

---

* अतिथि विद्वान, राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)भारत

जिसे **दीवानखाना** के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात् सिवनी ग्राम का तीव्र गति से विकास होने लगा तथा शनै:शनै: यह ग्राम नगर में परिवर्तित हो गया। इस नगर के निर्माण के समय इसमें सिवनी ग्राम के अतिरिक्त मंगलीपेठ ग्राम तथा भैरोगंज ग्राम इत्यादि का भी समावेश हुआ।[6]

1818 ईसवीं सन् की ब्रिटिश और मराठों के बीच हुई संधि के अन्तर्गत यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत आ गया। 1843 ईसवीं से नगर में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की जाने लगी। 1861 ईसवीं में मध्यप्रांत के गठन के अवसर पर सिवनी को मध्यप्रांत का एक जिला बना कर जबलपुर संभाग के अधीन कर दिया गया। सिवनी में नगरीय प्रशासन के विकास के लिए 1867 ईसवीं में नगरपालिका का गठन किया गया। इसकी आय से सर्वप्रथम पुलिस व्यवस्था की गई,शेष राशि से स्वच्छ पानी व सड़क निर्माण की ओर ध्यान दिया गया। सन् 1932 में सिवनी को छिन्दवाड़ा जिले का एक सब डिवीजन बना दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्य पुनर्गठन के अवसर पर 01 नवम्बर 1956 को सिवनी पुन: जिला बना दिया गया।[7]

सिवनी नगर में प्रारंभ में पेय जल की आपूर्ति स्थानीय कुओं एवं बावलियों द्वारा होती थी। सन् 1897-98 में नगर में बाबरिया तालाब का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। 1901 ईसवीं में इस तालाब के निर्माण के पश्चत् साइफिन प्रणाली द्वारा इस तालाब से नगर में जलापूर्ति की जाने लगी जो लगभग आगामी 60 वर्षो तक सतत् रूप से होती रही।[8] नगर में 1938 में एक बिजली घर की स्थापना इस नगर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण रहा। बीसवीं सदी के प्रारंभ में नगर में चिकित्सा सुविधा हेतु जिला अस्पताल, पुलिस अस्पताल एवं मिशन महिला अस्पताल इत्यादि प्रमुख संस्थाएं थी।

किसी भी नगर का विकास उसकी जनसंख्या पर निर्भर करता है। जनसंख्या केवल उत्पादन का साधन ही नहीं वरन् उत्पादन का साध्य भी होती है। इस नगर के जनसंख्यात्मक परिवर्तन संबंधी आकंड़ों का अवलोकन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि भारत के अन्य औद्योगिक नगरों की अपेक्षा सिवनी नगर की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कम रहा है। इस नगर में उद्योगों का पर्याप्त विकास न हो पाने के कारण यहाँ ग्रामीण पलायनकर्ताओं के आगमन की आवृत्ति कम रही है। यह नगर केवल सुरक्षा, गैर-तकनीकी रोजगार एवं नगरीय आकर्षण के आधार पर केवल ग्रामीणों को आकर्षित करता रहा है। देश के प्रमुख व्यवसायियों तथा प्रशिक्षित वर्ग को आकर्षित करने में यह नगर असफल रहा है। इस नगर के स्त्री-पुरूष अनुपात का अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इस नगर में प्रारंभ में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक थी किन्तु धीरे-धीरे स्थिति विपरीत हो गई। सिवनी नगर की स्थापना के समय यहाँ मुख्यत: स्थानीय मूल निवासी ही थे। यह नगर एक मुख्य व्यापारिक मार्ग पर स्थिति होने के कारण यहाँ शनै:शनै: आसपास के प्रदेशों से व्यापार वाणिज्य और नौकरी इत्यादि के उद्देश्य से विभिन्न समुदाय आकर बसे। ब्रिटिशकाल में बसाहट की यह प्रक्रिया और अधिक तीव्र हो गयी। इस नगर में मुख्य रुप से हिन्दु निवास करते है। इनकी संख्या नगर में सर्वाधिक है। इनके साथ ही नगर में मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई और जैन धर्मावलंबी भी निवास करते है। भारत विभाजन के समय इस नगर में बड़ी संख्या में सिंधी समुदाय के लोग आकर बस गए थे।[9]

वास्तव में नगरीकरण को आर्थिक प्रगति का द्योतक माना जा सकता है। सिवनी नगर नागपुर-जबलपुर मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण यहाँ आवागमन के साधनों की उत्तम व्यवस्था रही है। इस कारण इस नगर में व्यापार-वाणिज्य उन्नत अवस्था में रहा है। इस नगर में व्यापार-वाणिज्य के विकास के लिए 1904 ईसवीं में बंगाल-नागपुर नैरोगेज रेलवे तथा 1938 में बिजली घर का निर्माण करवाया गया।[10] इसके साथ ही नगर में 1912 में को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक की स्थापना की गई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण 1969 में नगर बैंकों का क्रमिक रुप से विकास हुआ। किन्तु यह नगर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ नगर रहा है। यद्यपि इस जिले में औद्योगिक महत्व की कई वस्तुएं आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, जिनसे सरलता से विभिन्न उद्योग विकसित किये जा सकते है। परन्तु यहाँ का अधिकांश कच्चा माल दूसरे स्थानों को निर्यात कर दिया जाता रहा है। सिवनी में हस्त उद्योगों का कुछ विकास अवश्य देखने को मिलता है।

सिवनी नगर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 पर स्थित होने के कारण इसे ब्रिटिशकाल से ही राजनैतिक तथा आर्थिक लाभ के साथ-साथ शैक्षणिक लाभ भी प्राप्त होता रहा है। यहाँ शिक्षा का विकास क्रमिक रुप में हुआ। नगर में सर्वप्रथम हिन्दी मेनबोर्ड प्रायमरी स्कूल की स्थापना 1863 ईसवीं में की गई। इसके पश्चात् 1878 ईसवीं में मिशन हाई स्कूल स्थापित किया गया।[11] 1917 ईसवीं में षिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई। इस नगर ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में सतत् रुप से विकास किया। 1958 ईसवीं में यहाँ स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा 1963 ईसवीं में एक तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना की गई।[12] यद्यपि इस जिले में शिक्षा का पर्याप्त रुप से विकास हुआ किन्तु वर्तमान में भी छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु आसपास के जिलों विशेषकर जबलपुर अथवा नागपुर में जाकर विद्याध्ययन करना पड़ता है। अत: इस क्षेत्र में विकास की और अधिक आवश्यकता है। निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि सिवनी नगर का निर्माण एक सुनियोजित तरीके से हुआ है एवं इसका विकास क्रमिक रुप से होता आ रहा है। चूंकि विकास तो एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। अत: इस नगर के विकास की और अधिक सम्भावनाएं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुरू, एस.डी. मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर सिवनी, भोपाल,1989 पृ. 01
2. हीरालाल,रायबहादुर. ; **एक संकलन: सिवनी सरोजनी**, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर, राष्ट्रीय न्यास, जबलपुर,1988 पृ. 277
3. गुरू एस.डी. वही पृ. 01
4. रसल, आर.व्ही., सेन्ट्रल प्रोविन्स सिवनी डिस्ट्रिक गजेटियर, भोपाल, 1907 पृ.193
5. अग्रवाल, रामभरोस, ;गढ़ा मंडला के गोंड राजा, ओशी कम्प्युटर्स एण्ड प्रिंटर्स, मंडला, 2002,पृ. 48-58
6. पाठक, जे.पी. ; सिवनी कल आज और कल, कोणार्क कम्प्यूटर्स,सिवनी, 2004 पृ. 08-09
7. गुरू एस.डी. वही पृ. 36
8. पाठक, जे.पी.; वही, पृ. 215
9. शर्मा,एस.एन.; सिवनी प्राचीन एवं अर्वाचीन,शाला परियोजना,नगरपालिका,बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक, विद्यालय, सिवनी, 1961,पृ.69
10. पाठक, जे.पी.; वही, पृ. 05
11. वही, पृ.26
12. गुरू, एस.डी. वही ;पृ. 16-17

शहडोल जिले के बैगा जनजाति का सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन पर अध्ययन

अमरनाथ सिंह कमल *

शोध सारांश – बैगा जनजातियां की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि– इस प्रकार प्रमुख विद्वानों एवं मानव शास्त्रियों द्वारा व्यक्त उपरोक्त प्रजातीय धारणाओं से स्पष्ट है कि बैगा जनजाति आस्ट्रेलाइड प्रजाति के अंतर्गत आती है तथा इनका मुख्य प्रभेद या मूलवंश गोड है और गोडों की उपजाति भुईया की शाखा भारिया, भुंजिया और बैगा है। गोडों का वर्गीकरण निम्नानुसार है– बैगा जनजाति की उत्पत्ति सम्बन्धी भिन्न–भिन्न अवधारणाएं है। इनके प्रजातीय स्वरूप का विद्वानों द्वारा किए गए विश्लेषण से स्पष्ट है कि बैगा जनजाति का मूलवंष गोड है तथा यह भुइयॉ उपजाति की एक शाखा है। **प्रो0 रसल एवं हीरालाल** ने भी बैगा जनजाति को भुइयॉ की शाखा निरूपित किया है।

विद्वान ग्रिगसन ने भी यह मत व्यक्त किया है कि प्राचीनकाल में बैगा छत्तीसगढ़ के मैदान में फैले थे। वहां से राजपूतो द्वारा दुर्गम क्षेत्रों की ओर भगाए गए। इसी प्रकार **स्मिथ एवं हीरालाल** भी बेगाओं को छोटा नागपुर की आदिम जनजाति भुइयॉ की शाखा मानते हैं जिसे बाद में बैगा कहा जाने लगा। इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भुईयां की इस शाखा (बैगा) ने छोटा नागपुर से सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया हो और कालान्तर में अन्य आदिवासियों के द्वारा ये मण्डला, बालाघाट एवं शहडोल के दुर्गम वनों में खदेड़ दिए गए हों। मण्डला जिले का बैगा चक्र आज भी सघन वनों से पूर्ण है। इस क्षेत्र में बैगा आज भी जंगली जीवन बिता रहे हैं। शहडोल जिले के विकासखण्ड पुष्पराजगढ़ में रहने वाले बैगाओं की बोली में भी छत्तीसगढ़ी का प्रभाव है क्योंकि यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के सबसे समीपस्थ है तथा विलासपुर जिले की सीमा में स्थित है। शहडोल जिले के अन्य विकासखण्डों सोहागपुर एवं गोहपारू में निवासरत बैगाओ की बोली बघेलखण्डी मिश्रित छत्तीसगढ़ी है। **(मजूमदार एवं मदान 1961)** विद्धान रसल एवं हीरालाल बैगा का तात्पर्य ही जादूगर, चिकित्सक एवं पुजारी के रूप में कार्य करने वाले भुइयांर जाति से मानते हैं।

बैगा जनजाति का सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन. बैगा जनजाति के लोग देवी–देवताओं के बड़े उपासक होते हैं, इस जनजाति के लोग भूत–प्रेत, जादू टोना, झाड़–फूंक पर काफी विश्वास करते है। बालकों की नजर बचाने हेतु ताबीज बांधते हैं। ये लोग मूठ मारने का जादू करते है इससे व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो जाती है एवं वह मर भी जाता है। यह लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं तथा काफी अंधविश्वासी होते है बैगा स्त्री–पुरूष दोनो टोटके करते है। इनके मतानुसार नीबू एवं मिर्च घर में लटकाने से कोई बीमारी नहीं होती। गुनिया बैगा इनका धार्मिक चिकित्सक होता है जो झाड़ फूंक कर तथा तरह–तरह के टोना टोटकों के द्वारा इलाज करता है समाज में उसे बड़ा सम्मान प्राप्त होता है तथा किसी भी विपत्ति आने पर दैव की तरह उसकी बातों पर विश्वास किया जाता है तथा उसकी सलाह मानी जाती है। बैगा जनजाति के लोग रोगों की उत्पत्ति का कारण देवी–देवताओं की नाराजगी या क्रोध मानते हैं। अनेक देवी देवताओं का सम्बंध विभिन्न रोगों से होता है। सर्प या हिंसक पशुओं के काटने का कारण रातमाई देवी का नाराज होना मानते है। रातमाई देवी मनुष्य को हिंसक पशुओं से बचाती है ऐसी इनकी मान्यता है। धरती माता की नाराजगी से शराब या अन्य पेय पदार्थ जहर के रूप में बदल जाते हैं। इनका सेवन करने के पूर्व थोड़ा सा अंश अवश्य ही धरती पर छिड़का जाता है। इसी प्रकार त्यौहार या विवाह के अवसर पर जो भोजन तैयार किया जाता है उसे अवश्य ही धरती माता को अर्पण करने के पश्चात खाया जाता है। अग्नि देवता की नाराजगी से घर में आग लग जाती है एवं फसलों में आग लग जाती है। इसके अलावा वेहरवासी, अन्नमाता मारकी देवी भी बैगाओं के शरीर की रक्षा करती है। यदि किसी के हाथ पैर में दर्द होता है, तो ऐसा माना जाता हैं कि बूढ़ा देव का प्रकोप है महरानी देवी के प्रकोप से चक्कर आने लगते हैं। म्हारा देवता की नाराजगी से उल्टी होने लगी है। ठाकुर देव की नाराजगी से पूरे गांव को उल्टी दस्त की बीमारी होने लगती है। इस स्थिति में शीघ्र ही ग्राम के सभी व्यक्ति ठाकुर देव की पूजा सामूहिक रूप से करते है। ठाकुर देव का निवास महुआ के वृक्ष में होता है। बनजारिन देवी के प्रकोप से यात्रा करते व्यक्ति दुर्घटना के शिकार हो जाते है। इसलिए इस देवी की स्थापना वीहड़ वनों में दुर्गम स्थान में जहां से व्यक्ति गुजरते है, वहां की जाती है। जो व्यक्ति वहां से गुजरता है, एक पत्थर रख देता है, इस प्रकार वहां पत्थरों का एक ढेर सा दिखाई देता है। जो व्यक्ति पत्थर रख देता है वह अभयदान प्राप्त कर लेता है। सम्पूर्ण वंश की रक्षा हेतु नारायण देव की पूजा की जाती है। विवाह के अवसर दुल्हा–दुल्हिन देव की पूजा अवश्य की जाती है यदि यह पूजा न की जाए तो विवाह असफल हो जाता है। कभी–कभी विवाह के अवसर पर दुर्घटना हो जाती है वर अथवा वधू पागल हो जाते हैं।

शब्द कुंजी – बैगा जनजाति के सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन का अध्ययन।

प्रस्तावना – शहडोल जिले के आदिवासियों अध्याय क्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अंचल में अनेक से आदिवासियों की सांस्कृतिक परंपराए उनके जीवन की असाधारण धाराएँ सुरक्षित हैं। आदिवासियों की अनेक जातियां, उनके रीति–रिवाज एवं उनमें एवं उनमें प्रचलित लोक विश्वास सहज ही शोध की जिज्ञासा उद्बुद्ध करते हैं। शहडोल जिले के आदिवासियों का मूल स्थान कहाँ हैं? यह विवाद का विषय है।

---

* ठाकुर रणमत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

भाषा की दृष्टि से भारत की अनेक अदिवासी जातियों के मूल स्वरूप का अनुमान करना कठिन हैं क्योंकि या तो उनकी मूल भाषा का स्थान कालांतर में अड़ोस-पड़ोस के भू-भाग की बोलियां ने ले लिया हैं। या वे अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं का प्रयोग भी करने लगे हैं मध्यप्रदेश के आदिवासियों मे भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती हैं। यद्यपि बहुसख्यक गोड़ तथा ओराल लोग अपनी ही बोली का प्रयोग भी करने लगे हैं। इतना ही नहीं गोंडी भाषा के विषय में कहा तक हैं कि वह आन्ध्रप्रदेश की और द्रविड़ों की भाषा के बीच का स्वंय रखती है किन्तु धीरे धीरे आदिवासियों में बहु-प्रचलित बोलियों की ओर झुकाव बढ़ता जा रहा हैं। इस प्रकार आदिवासियों की वर्तमान भाषा का जो रूप हैं।

बैगा जनजाति का सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन – बैगा जनजातियों की संस्कृति आधुनिकता से प्रभावित हुई है अब इनकी भाषा को आसानी से समझा जा सकता है। इसी प्रकार पहले जहाँ यह ठाकुर देव को बूढ़ा देव, दूल्हा देव, खेरमाई की मुख्यत: पूजा करते थे। अब दुर्गा जी, शंकर जी की भी उपासना करते हैं। नवरात्रि के उत्सव को मनाते हैं, रामनवमी के त्यौहार को भी मनाते हैं। शादी विवाह के अवसर पर सजावट एवं लाउड स्पीकर इत्यादि का उपयोग करते हैं। बारातियों को मिठाई इत्यादि खिलाते हैं जबकि पहले यह सामान्य वर्ग के लोगों तक ही सीमित था पहले यह दीवालों पर ठाकुर देव, बूढ़ादेव, भूत-प्रेत इत्यादि के चित्र उकेरते थे अब यह बहुत कम देखने को मिलता है तथा अन्दरूनी गाँवों में ही मिलता है पहले शादी के बारात की विदाई तीसरे दिन होती थी, अब बैगा जनजातियों के लोग भी प्राय: दूसरे दिन विदाई कर देते हैं। इस प्रकार आधुनिकता का काफी प्रभाव इसकी संस्कृति पर पड़ा है तथा इनकी बोली-भाषा, रीति-रिवाज मान्यताओं एवं सामाजिक संस्कारों में परिवर्तन हुआ है।

धार्मिक विश्वास तथा त्यौहार – प्रमुख देवता रूप बूढ़ा देव इनके प्रमुख देव होते हैं इनका विश्वास है कि साजा के वृक्ष पर इनका निवास होता है। जेठ के महीने में बूढ़ा देव को बकरा नारियल एवं महुआ की शराब इन्हें चढ़ाया जाता है। गांव के भूमि के देवता ठाकुर देव हैं तथा बीमारी से सुरक्षा के लिये दुलहा देव की पूजा करते है। इसी प्रकार भीमसेन (वारिश देवता) को भी बलि दी जाती है। नारायन देव को सुअर की बलि दी जाती है। इनके गांव के पास एक देवी का स्थान होता है, जिसे वह खेरवा कहते हैं। इनका विश्वास है कि यह देवी ही गांव में आने वाले सुख-दु:ख आदि की एकमात्र स्वामिनी है। कष्ट आने पर बड़े यत्न पूर्वक ये लोग देवी की पूजा-अर्चना करते हैं।

त्यौहार – रामनवमी का त्यौहार इनका प्रमुख त्यौहार हैं। इस दिन बैगा जनजातियों का बड़ा जुलूस निकलता है। इसमें पुरूष व स्त्रियॉ सभी शामिल होते हैं। स्त्रियॉ हाथों में जवारे (नव दिन पूर्व बोये गये जौ के पौधे (जवारा) लिए जो कि मिट्टी के पात्रों में बोए जाते हैं निकलती हैं तथा गीत गाते हुए चलती हैं। इनके पीछे-पीछे भक्त लोग चलते है। बैगा लोगों के त्यौहार मौसम और फसल पर आधारित होते हैं। वे चैत और आश्विन की दोनों नवरात्रे मानते हैं। दोनों में जवारे बोते हैं। होली, दीवाली और हरियारी अमावस भी मानते हैं। श्रवण मास की अमावस्या को हरियाली या हरीरी हरथिल्ली भी मानते हैं। श्रवण मास की अमावस्या को हरियाली या हरीरी का त्यौहार मनाया जाता है। भादों में वे अपने सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिसे बैगा लोग नवाखाना कहते हैं। भादों में भदीली कुटकी की नई फसल आ जाती है। इस पूजा में परिवार के सभी लोग शामिल होते है। इस पूजा के लिए नव वधू स्वयं अपने हाथि से चरवा तैयार करती है। दीवाली का त्यौहार भी नाच गाकर मनाते हैं, दीवाली के नृत्य में युवक युवतियॉ सब काम छोड़कर नृत्य में भाग लेते हैं। जबानी की मस्ती, मादर का मादक स्वर, और नृत्य में भाग लेते हैं। अनुसंधान कार्य के दौरान बैगा विकास अभिकरण शहडोल के क्षेत्रान्तर्गत नगरीय क्षेत्र से लगे कई बैगा ग्रामो में बैगा बच्चो को डिस्को डांस करते देखा गया जबकि शैला नृत्य जो बैगाओ का प्रमुख नृत्य है, बारे में वह पूर्ण रूप से अनभिज्ञ से मालुम हुए।

पोषाक – बैगा पुरूष बहुत ही छोटा वस्त्र उपयोग करते है। कमर में लिपटी हुई सकी धोती को वह लंगोटी की तरह प्रयोग में लेते हैं। बैगा महिलाएं एक छोटी धोती पहनती है। वह कमर के सहारे घुटनों तक नीचे लटकी रहती है। इसी का एक छोर वे सीने के ऊपर से डाल लेती है। इस धोती को वे कपची कहते है। इस सकरी धोती से महिलाएं अपनी स्तन को भी ठीक से नहीं ढक पाती है। बैगा महिलाएं इस कपची में अपने छोटे बच्चों को भी बांध लेती है तथा काम पर अथवा बाजार-हाट चली जाती है। शरीर के ऊपरी हिस्से में बैगा पुरूष या महिलाएं प्राय: वस्त्र नहीं पहनते। नगरीय क्षेत्र के आस-पास के रहने वाले बैगाओं की स्थिति इससे भिन्न है। पुरूष जहां पैंट शर्ट पहनते है वहीं महिलाएं साड़ी, पेटीकोट एवं ब्लाउज पहनती है।

आभूषण – प्रकृति ने महिलाओं को सौन्दर्य का पर्याय बनाया है, वहीं हर सुन्दर वस्तु के प्रति उनका आकर्षण भी होता है। बैगा महिलाएं इससे अछूती नहीं है। बैगा महिलाओं को भी गहनों का शौक रहता है। ये गहने किसी भी धातु के हो सकते हैं। पैरों में वे घुघरू तथा पैरों की उगलियों में चुटकी पहनती है। सिर के बालों में फुन्दरों का भी आभूषण इस्तेमाल करती है। बैगा महिलाए नाक में कोई भी आभूषण धारण नहीं करती। ज्ञातव्य है कि भारत में मुसलमानों के आने के पहले तक भारतीय महिलाए नाक में कोई आभूषण धारण नहीं करती थी। बैगा लोगों में नासिकाभूषण की कमी यह बतलाती है कि ये लोग शेष समाज से पिछले लगभग एक हजार वर्ष से कटे हुए है। **(मजूमदार एवं मदान 1961)**

अस्त्र-शस्त्र – बैगाओं का प्रमुख अस्त्र धनुष बाण है। सघन वनों में निवास के कारण उनका अस्त्र-शस्त्र से बड़ा लगाव होता है क्योंकि इससे जहां वे वनों में जंगली जानवरों से अपनी आत्मरक्षा करते रहे हैं वहीं शिकार के द्वारा अपना भरण पोषण भी करते थे। बैगा लोग वनस्पति रसायनों से विष वाण तैयार कर हिंसक जानवरों का शिकार प्रारंभ से करते रहे है। बैगा फन्दा तैयार करने में भी कुशल होते है। पक्षियों को पकड़ने के लिए यह एक तरह का लेप तैयार करते है, इस लेप को चेंफ कहते है। जो ऊमर एवं बड़ के दूध से तैयार किया जाता है, इस लेप को चेंफ कहते है।

सभ्यता एवं संस्कृति के विकास से देश की कोई जनजाति अछूती नहीं है। इसी क्रम में बैगा जनजातियों के पोषाक, आभूषण, रहन-सहन एवं खान-पान में भी काफी परिवर्तन हुआ है।

इसी प्रकार बैगा पुरूष एवं महिलाओं के परम्परागत आभूषणों का स्थान आधुनिक कलात्मक स्टील, गिल्ट एवं इमीटेसन ज्वेलरी ने ले लिया है। नगरीय क्षेत्रों के सम्पर्क में आने के साथ ही तथा टी. व्ही. चैनलों के प्रचार-प्रसार के कारण बैगा परिवार सोने-चांदी के आभूषण मंहगे होने के कारण क्रय न कर सस्ते धातुओं के आभूषण से ही अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं।

निष्कर्ष एवं परिणाम – बैगा जनजातियों की संस्कृति आधुनिकता से प्रभावित हुई है, अब इनकी भाषा को आसानी से समझा जा सकता है। इसी प्रकार पहले जहाँ यह ठाकुर देव को बूढ़ा देव, दूल्हा देव, खेरमाई की मुख्यत: पूजा करते थे। अब दुर्गा जी, शंकर जी की भी उपासना करते हैं। नवरात्रि के

उत्सव को मनाते हैं, रामनवमी के त्यौहार को भी मनाते हैं। शादी विवाह के अवसर पर सजावट एवं लाउड स्पीकर इत्यादि का उपयोग करते हैं। बारातियों को मिठाई इत्यादि खिलाते हैं, जबकि पहले यह सामान्य वर्ग के लोगों तक ही सीमित था। पहले यह दीवालों पर ठाकुर देव, बूढ़ादेव, भूत-प्रेत इत्यादि के चित्र उकेरते थे। अब यह बहुत कम देखने को मिलता है तथा अन्दरूनी गाँवों में ही मिलता है पहले शादी के बारात की विदाई तीसरे दिन होती थी, अब बैगा जनजातियों के लोग भी प्राय: दूसरे दिन विदाई कर देते हैं। इस प्रकार आधुनिकता का काफी प्रभाव इसकी संस्कृति पर पड़ा है तथा इनकी बोली-भाषा, रीति-रिवाज मान्यताओं एवं सामाजिक संस्कारों में परिवर्तन हुआ है। पहले सिनेमा विलासता की वस्तु थी, वर्तमान समय में 60 से 70 प्रतिशत शहरी बैगा श्रमिक साप्ताहिक अवकाश के दिन सिनेमा / वीडियो देखते हैं, जिसका गहरा प्रभाव इनके रहन-सहन संस्कृति एवं सभ्यता पर पड़ता है।

सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि जब बैगा उत्तरदाताओं से पूछा गया कि आपके समाज में युवा गृह पाए जाते हैं, तो अप्रत्याशित रूप से 86.40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं में जबाब देते हुए बताया कि यह इतिहास की बातें हो गई। अब किसी भी जगह युवा गृह जैसी संस्थाएं नहीं पाई जाती है। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, जो गांव में ही स्थित है। यह आंकड़ा शिक्षा के बढ़ते हुए प्रतिशत को भी बता रहा है एवं बैगा जनजाति की संस्कृति के पतन को भी स्पष्ट दिखा रहा है। जब बैगा समाज आधुनिक समाज के सम्पर्क में आकर अपनी मूल संस्कृति को खो रहा है यह सकारात्मक परिणाम दे रहा है कि वह शिक्षित भी हो रहा है एवं साथ ही आधुनिकता एवं विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। साथ ही इस आंकड़े का नकारात्मक पक्ष यह है कि आदिम संस्कृति के कारण यह जनजाति जानी जाती थी, वह विलुप्त होने की कगार पर है।

ग्राफ तालिका क्र.1

अशिक्षा बाह्य सम्पर्क में बाधक सम्बन्धी विवरण – बैगा समाज के उत्तरदाताओं से पूछा गया कि बाह्य सम्पर्क में सबसे बड़ा बाधक तत्व आप अशिक्षा मानते हों तो कुल 250 उत्तरदाताओं से सर्वाधिक 66.80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हां में जबाब देते हुए बताया कि हम अशिक्षित होने के कारण हम बाह्य समाज से मिलने-जुलने में झिझकत भी हैं और वे हमारी अज्ञानता का लाभ उठाकर हमारा शोषण भी करते हैं।

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
01	हां	167	66.80
02	नहीं	33	13.20
03	मालूम नहीं	50	20.00
04	योग	250	100.00

भाग्यवादिता का सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव संबंधी विवरण. जब बैगा समाज के उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या भाग्यवादिता सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव डाल रही है, तो कुल 250 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 75.20 प्रतिशत ऐसा था। जो यह मानता है कि हां भाग्यवादिता हमारे सामाजिक गतिशीलता पर को अत्यधिक प्रभावित करता है, क्योंकि हम लोग यह मानते हैं कि भाग्य होता है और सब कुछ ईश्वर या बड़ा देव के हाथ में होता है। भाग्य से ज्यादा और अलग कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यह विचारधारा हमारे समाज को आगे नहीं रहने दे रही है।

संस्कृति संरक्षण हेतु किए जा रहे सरकारी उपाय संबंधी विवरण – बैगा समाज के उत्तरदाताओं से जानकारी चाही गई कि सरकार द्धारा आप लोगों के वर्गों के लिए किये जा रहे संस्कृति संरक्षण के उपाय कितने हित में है तो कुल 250 उत्तरदाताओं में से 67.20 प्रतिशत ने हां में जबाब दिया एवं 28.80 प्रतिशत उत्तरदाता नहीं में जबाब दिए तथा 04.00 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता थे जो ऐसे किसी भी उपाय के बारे में जानकारी नहीं रखते थे।

सांस्कृतिक विरासत को संभाल पाने संबंधी जानकारी – उपर्युक्त **सांस्कृतिक विरासत को संभाल पाने** से स्पष्ट होता है कि जब बैगा जनजाति के उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या आप अपनी सांस्कृतिक विरासत को सम्हाल पा रहे हैं तो कुल 250 उत्तरदाता परिवारों में से सर्वाधिक 59.20 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता हैं, जिन्होंने नहीं में जबाब देते हुए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी असमर्थता दिखाई। यद्यपि इसके पीछे कारणों की बात जब की गई तो अलग अलग तरह के जबाब मिले जैसे कुछ उत्तरदाता ऐसे थे जो ग्रामीण क्षेत्रों क्षेत्रों में निवास करते हैं उनका कहना था कि सरकार हमारी विरासत को सुरक्षित रखने का कोई प्रयास नहीं कर रही है जबकि कुछ का मानना है कि बाह्य सम्पर्क के कारण हमारी विरासत नष्ट हो रही है और उसी ने नौकरी पेशा लोगों जो मूल ग्राम से दूर रहते हैं वे नौकरी करने के कारण सांस्कृतिक विरासत को सम्हालने के प्रयास को भी कम कर दिया और कहा कि हम अपनी रोजी-रोटी कमाने में ही हमारा सारा समय निकल जाता है।

धार्मिक मान्यता सम्बन्धी विवरण – जब बैगा समाज के उत्तरदाताओं से धार्मिक मान्यताओं के बारे में प्रष्न पूछा गया तो कुल 250 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 66.80 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता थे, जिन्होंने हिन्दू धर्म एवं धर्म से सम्बन्धित देवी-देवताओं एवं कर्मकाण्डों को मानना स्वीकार किया। यद्यपि उनका मानना था कि पूर्ण रूप से वे हिन्दू धर्म को स्वीकार नहीं करते किन्तु लगभग उसी से सम्बन्धित मान्यता पाई जाती है।

पेड़ों की पूजा सम्बन्धी विवरण – जब बैगा समाज से पूछा गया कि क्या आप लोग पेड़-पौधों की पूजा पर विश्वास करते हैं, तो कुल 250 उत्तरदाताओं मे से सर्वाधिक 74.80 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाताओं का रहा जो हाँ में जबाब देते हुए कहता है कि हम लोग पेड़-पौधो की पूजा करते हैं हमारा प्रमुख ईष्वर बड़ा देव है और वे पेड़ पर निवास करते हैं।

जादू-टोना सम्बन्धी विवरण – बैगा समाज के उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या आप लोग जादू टोना को मानते है तो कुल 250 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 78.00 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाताओं का रहा जो हां में जबाब देते हुए कहते है कि हम लोगों के समाज मे जादू टोना का अत्यधिक प्रभाव होता है कई लोग दूसरे का नुकसान करने के लिए टोने वगैरह का प्रयोग करते हैं।

शगुन-अपषगुन मानने सम्बन्धी विवरण – जब बैगा समाज के उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या आप शगुन-अपशगुन मानते हैं तो कुल 250 उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 84.80 प्रतिशत ऐसा था जिसने हां में जबाब दिया और बताया कि हम प्रत्येक कार्य शुभ मुहूर्त देखकर ही करते हैं। जब भी हमें कोई महत्वपूर्ण कार्य करना होता है हम अपने पुराहित या बड़े बुजुर्ग से राय मशविरा करते हैं क्योंकि इन सब बातों का अत्यधिक महत्व पाया जाता

कुल बैगा जनसंख्या – विकासखण्ड सोहागपुर बैगा ग्रामों की संख्या 104 बैगा परिवार का संख्या 5077 बैगा जनसंख्या 27288, गोहपारू बैगा ग्रामों की संख्या 69 बैगा परिवार का संख्या 1995 बैगा जनसंख्या 10288 बैगा कुल बैगा जनसंख्या जनसंख्या 37576 हैं।

आभार – प्रस्तुत शोध आलेख को पूर्ण करने में मेरे मार्गदर्शक डॉ. तारामणि श्रीवास्तव, डॉ. राधेश्याम नापित, वनस्पति शास्त्र, एवं डॉ. पी. डी. रावत

प्राणीशास्त्र, डॉ. दिलीप सोनी, समाजशास्त्र और समस्त बैगा बंधुओं का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे हर कदम पर शोध कार्य में मदद किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ0 हरदेनिया एन.के.-म0प्र0 के आदिवासी जीवन में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास पृष्ठ 113.
2. डॉ0 मजूमदार एवं मदान (1961)-दि रेसेज एण्ड कल्वर्स ऑफ इंडिया एन्थ्रोपोलॉजी पृष्ठ -1533
3. मजूमदार एवं मदान (1957)- इन्टोडक्सन टू शोसल एन्थ्रोपोलाजी पृष्ठ -267
4. डॉ0 पटेल जी.पी. - बैगा जनजाति का मानव शास्त्रीय अध्ययन जिला-मण्डा प्रतिवेदन संचालनालय आदिम जाति अनुसंधान संस्थान भोपाल प्रकाशन पृ.क्र.-144
5. उप्रेती हरिष्चन्द (1970)- भारतीय जनजातियां ,सामाजिक विज्ञान, हिन्दी रचना केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय पृष्ठ -12
6. दि एबोरजिनल सोकाल्ड देयर फयूचर 1943 पृष्ठ से उद्धृत सी.बी. मेमोरिया टाइबल डेमोग्राफी इन इंडिया किताब महल दिल्ली 1957 पृष्ठ -20
7. वेरियर एल्विन (1961)- ए न्यू डील फार टाइबल इंडिया, गृह मंत्रालय शरत सरकार पृष्ट 01
8. दैनिक समय स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री।

बैगा जनजाति एवं शोधार्थी

****

घरेलू वृद्धजनों की सामाजिक दशाएँ का समाजशास्त्रीय अध्ययन

सरोज वर्मा *

प्रस्तावना - सन् 2001-11 के दशक में 60 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग में 2.5 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी हुई है यह बढ़ोतरी सन् 1961 में 60 के लोगों की कुल संख्या के बराबर होगी। पुन: सन् 1991-2016 के बीच पच्चीस वर्षो में इस आयु वर्ग में 5.54 करोड़ लोगों की वृद्धि संभावित है जो सन् 1991 में इसी आयु वर्ग के लोगों की कुल आबादी के करीब-करीब संभावित है, जो सन् 1991 में इसी आयु वर्ग के लोगों की कुल आबादी के करीब करीब बराबर है दूसरे शब्दों में सन् 1991 से अगले पच्चीस वर्षो की अवधि में 60 वर्ष से अधिक आयु के संख्या करीब दोगुनी हो चुकी है।

अलगाव सिद्धांत - इस सिद्धान्त की यह अवधारणा है कि समाज में वृद्धजनों की सक्रिय भूमिका का समय के साथ-साथ कम हो जाना है। अलगाव सिद्धांत, जो सबसे पहले कर्मिंग और हेनरी द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ने जेरोंटोलॉजी में कई लोगों का ध्यान खींचा है, किन्तु इसकी बहुत अधिक आलोचना की गई है। मूल आँकड़े जिस पर कर्मिंग और हेनरी का सिद्धांत आधारित है, कंसास शहर के वृद्ध लोगों के अपेक्षाकृत छोटे और कम निदर्शन थे और कर्मिंग और हेनरी ने इन चुने हुए निदर्शन में से ही अलगाव को सार्वभौमिक सिद्धांत बनाया। ऐसे शोध पत्र उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि जो वृद्ध समाज से अलग थे, वे वृद्ध थे जो प्रारंभ में एकांतप्रिय थे और इस प्रकार का अलगाव आयु बढ़ने का विशुद्ध कारण नहीं है।

अध्ययन से संबंधित प्राकल्पनाएं इस प्रकार है :

1. घरों में रह रहे वृद्धजनों की सामाजिक कार्यो में सहभागिता का प्रतिशत अधिक है।
2. घरों में रह रहे वृद्धजन बच्चों से लगाव की वजह जीवन में समायोजन कर लेते है।

तथ्य संकलन - प्रस्तावित अनुसंधान में प्राथमिक एवं द्वैतीयक तथ्य सामग्री का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु मुख्य रूप से साक्षात्कार, अनुसूची, सहभागी अवलोकन एवं वैयक्तिक अध्ययन प्रणाली को काम में लिया गया है।

निदर्शन एवं अध्ययन क्षेत्र - प्रस्तुत अध्ययन में निदर्शन प्रविधि का उपयोग करते हुए उद्देश्यात्मक सुविधाजनक निदर्शन प्रणाली को काम में लिया गया है। घरों में निवासरत वृद्धजनों की संख्या को भी मन्दसौर से 30, नीमच से 30, रतलाम से 30 और उज्जैन से 30 कुल मिलाकर 120 निर्धारित किया गया है इसमें स्त्री-पुरूष का अनुपात समान है।

वृद्धजन एवं समाज - आधुनिक जीवन शैली, पीढ़ियों में अन्तर, आर्थिक-पहलू, विचारों में भिन्नता आदि के कारण आजकल की युवा पीढ़ी निष्ठुर और कर्तव्यहीन हो गई है। जिसका खामियाजा बुजुर्गों को भुगतना पड़ता है। बुजुर्गों का जीवन अनुभवों से भरा पड़ा है, उन्होंने अपने जीवन में कई धूप-छाँव देखे हैं जितना उनके अनुभवों का लाभ मिल सके लेना चाहिए। गृह-कार्य संचालन में मितव्ययिता रखना, खान-पान संबंधित वस्तुओं का भंडारण, उन्हें अपव्यय से रोकना आदि के संबंध में उनके अनुभवों को जीवन में अपनाना चाहिए जिससे वे खुश होते हैं और अपना सम्मान समझते हैं। बुजुर्ग के घर में रहने से नौकरी पेशा माता-पिता अपने बच्चों की देखभाल व सुरक्षा के प्रति निश्चिंत रहते हैं। उनके बच्चों में बुजुर्ग के सानिध्य में रहने से अच्छे संस्कार पल्लवित होते हैं। बुजुर्गों को भी उनकी निजी जिंदगी में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनके रहन-सहन, खान-पान, घूमने-फिरने आदि पर रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। तभी वे शांतिपूर्ण व सम्मानपूर्ण जीवन जी सकते हैं। बुजुर्गों में चिड़चिड़ाहट उनकी उम्र का तकाजा है। वे गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए परिवार के सदस्यों को उनकी भावनाओं व आवश्यकता को समझकर ठंडे दिमाग से उनकी बात सुननी चाहिए। कोई बात नहीं माननी हो तो, मौका देखकर उन्हें इस बात के लिए मना लेना चाहिए कि यह बात उचित नहीं है। सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात न करें जो उन्हें बुरी लगे।

दण्ड आरेख संख्या 01

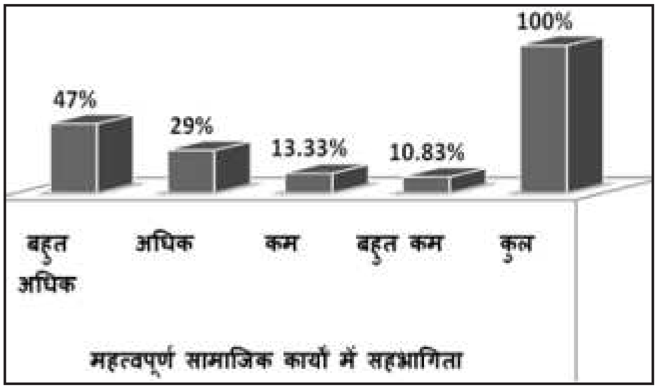

दण्ड आरेख संख्या 01 के अनुसार उज्जैन संभाग के चार जिलों नीमच, मन्दसौर, रतलाम और उज्जैन के 120 वृद्धजनों में से 56 (47 प्रतिशत) वृद्धजन समाज के महत्वपूर्ण कार्यो में बहुत अधिक सहभागिता देते है एवं 35(29 प्रतिशत) वृद्धजन समाज के महत्वपूर्ण कार्यो में अधिक सहभागिता देते है और 16(13.33 प्रतिशत) वृद्धजन समाज के महत्वपूर्ण कार्यो में कम सहभागिता देते है तथा 13(10.83 प्रतिशत) वृद्धजन समाज के महत्वपूर्ण कार्यो में बहुत कम सहभागिता देते है।

बच्चों से लगाव - हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो बचपन में गलती करने पर पापा मम्मी की डांटफटकार से बचने के लिए अपने ग्रैंडपेरैंट्स की

---

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) पेसीफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान) भारत

गोद में न छिपा हो। कई बार माता–पिता के कामकाजी होने से बच्चों के कोमल हृदय में इस तरह की गांठें भी पड़ जाती हैं कि मम्मी–पापा इतने व्यस्त रहते हैं कि मेरे लिए उन के पास टाइम ही नहीं बचता है। पर घर में इन बुजुर्गों के रहने से बच्चों को अकेलापन महसूस नहीं होता और उन के मन में सहज ही सुरक्षा का भाव आ जाता है। बच्चों के साथ–साथ उन के माता–पिता भी चिंतामुक्त रहते हैं कि बच्चे घर में किसी अपने के पास हैं। कई लोगों का मानना है कि बुजुर्ग वटवृक्ष के समान होते हैं जिन की छत्रछाया में रहना एक सुखद अनुभव कराता है।

दण्ड आरेख संख्या 02

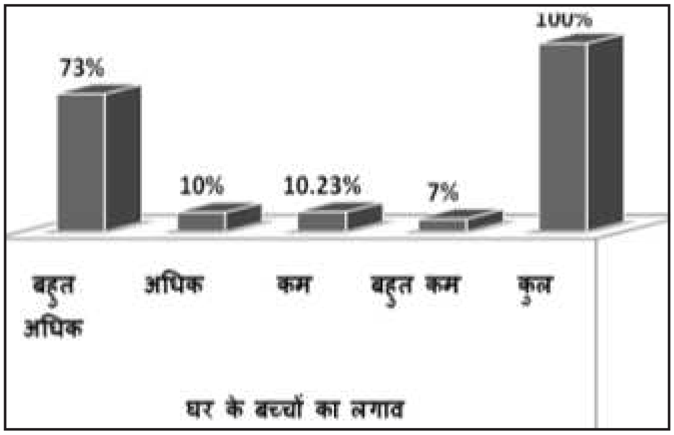

उज्जैन संभाग के चार जिलों नीमच, मन्दसौर, रतलाम और उज्जैन के 120 वृद्धजनों में से 87 (73 प्रतिशत) वृद्धजनों को अपने परिवार के बच्चों से बहुत अधिक लगाव है एवं 12(10 प्रतिशत) वृद्धजनों को अपने परिवार के बच्चों से अधिक लगाव है और 13(10.23 प्रतिशत) वृद्धजनों को अपने परिवार के बच्चों से कम लगाव है तथा 8(6.63 प्रतिशत) वृद्धजनों को अपने परिवार के बच्चों से बहुत कम लगाव है।

एक प्रसिद्ध कहावत है, मूलधन से सूद ज्यादा प्यारा होता है। ग्रैंडपेरैंट्स को अपने ग्रैंडचल्ड्रिेन से ज्यादा लगाव महसूस होता है। शायद इसलिए कि बुढ़ापा बचपन की पुनरावृत्ति माना जाता है। अपने बच्चों के समय पर जब आप दादा–नाना बनने की उम के होते हैं, तब तक रिटायरमैंट का समय आ जाता है। जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं तथा समय की कमी रहती है, चाहते हुए भी समय निकालना संभव नहीं होता। जिम्मेदारियां भी काफी हद तक कम हो जाती हैं। तब तक समय, अनुभव तथा धैर्य भी पर्याप्त मात्रा में हमारे अंदर आ जाता है। ऐसे में बच्चों की बातें सुनना, उन की मासूम परेशानियों को समझना और उन के साथ खेलना बहुत सुकून देता है।

सुझाव – अपने घरों में निवास करने वाले वृद्धों की स्थिति का अध्ययन करने पर जो सामने आया उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. वृद्धावस्था बहुत ही कष्टकारक है शारीरिक रूप से।
2. वृद्धावस्था को ज्यादातर (वृद्ध बस काट रहे है)।
3. कुछ वृद्धों में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिला।
4. घर के सदस्यों द्वारा स्वयं को उपेक्षित किया जाता है।
5. ज्यादा उम्र के वृद्धजन बड़े हठी एवं जिद्दी पाये गये।
6. बिमारी से सभी वृद्धजन ग्रस्त पाए गए।
7. दवाईयां उनके जीवन का प्रमुख अंग बन गयी हैं।
8. घर के बच्चे उनको समय नहीं दे पाते है इसकी शिकायत है।
9. अपने साथी के मृत्यु के बाद के वृद्ध ज्यादा दुखी पाए गए।
10. अपने कमरे को ही ज्यादातर वृद्धों ने अपनी दुनिया बना रखती है।
11. समाज में आना जाना, उठना–बैठना लगभग वृद्धों ने बंद कर दिया है।
12. वृद्धजन अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाते है, इसलिए ज्यादातर वृद्धों के पास स्वच्छता का अभाव पाया गया।
13. वृद्धों के लिये सभी के पास समयाभाव है।

स्वयं हम भी यदि अपनी दिनचर्या देखें तो पाएगे कि हमारे दिनचर्या में भी वृद्धों के लिए समय नहीं है क्योंकि हम अपने कार्य में इतने व्यस्त हो गये है कि पूरी परिवार व्यवस्था ही चरमरा रही है, जिससे सिर्फ वृद्ध है। अछूते नहीं है घर के छोटे बच्चे और सभी इसकी चपेट में आ गए है। वृद्धावस्था में जो सम्मान एवं सुरक्षा की अपेक्षा वृद्धजन करते है वह उन्हें भी प्राप्त नहीं होता है जिससे उनके मन में यह बात बार–बार आती है कि जीवन के इस पड़ाव पर क्या प्राप्त हुआ। यह सब बाते उनमें निराशा लाती है जिससे वे मानवीय रुग्ण हो जाते है।

सुझाव :

1. भारत सबसे अधिक युवाओं का देश है जो कि आगे समयनुसार वृद्धजन हो जाएंगे अत: वृद्धजनों हेतु बेहतर स्वास्थ्य, आवस और जीवन व्यापन की सुविधाओं की योजनाओं को अभी से बना सकते है।
2. समाजिकरण में वृद्धों को सम्मान,आदर एवं उनके साथ जीवन व्यापन की आदतों को बच्चों एवं युवाओं में आत्मसात करवा सकते है।
3. महिला सशक्तिकरण का पैमाना बदल सकते है, जिसमें जो महिला बुजुर्गों की बेहतर सेवा एवं संरक्षण देती हो वह सबसे अधिक सशक्त मानी जावे।
4. अस्पतालों से लेकर दफ्तरों तक अन्य तरह की सरकारी सुविधाएं लेने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को लंबी कतारों में ना लगे इस हेतु नयी सरंचना बना सकते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Vern L. Bengtson; Norella Putney (2009). Handbook of theories of aging. Springer Publishing Company. p. 32.
2. Bandura, Albert (December 23, 2015). Moral Disengagement: How People Do Harm and Live with Themselves. Worth Publishers.

****

उत्तराखण्ड में ग्रामीण महिलाओं का जीवन आधार (कृषि, पशुधन)

डॉ. अर्चना कुकरेती सकलानी *

प्रस्तावना – किसी भी क्षेत्र के निवासियों की जीवन शैली पर वहां की भौगोलिक स्थिती, परिस्थिती व वहां के परिवेश का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। एक विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिती में जीवन निर्वाह करने के कारण यह माना जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वालो लोगों का जीवन अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों के अधिक संघर्षशील होता है। उस पर भी यहां पर पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं में परिश्रम एवं संघर्ष करने की शक्ति अधिक होती है। व परिस्थितीवश कार्य का बोझ भी महिलाओं पर अधिक होने के कारण संघर्ष भी ग्रामीण महिलाओं को ही अधिक करना पड़ता है। इसका एक मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूषों का शहरो को और रोजगार के लिए पलायन है। यही एक मुख्य कारण है कि उत्तराखण्ड में गामीण महिलाओं की कार्यशीलता पुरूषों की अपेक्षा अधिक देखी जाती है। क्योंकि पुरूषों की अनुपस्थिती में महिलाओं को ही सभी प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। चाहे वह कार्य घरेलू या आर्थिक हों। परिणाम स्वरूप यहां की अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता भी महिलाओं पर केन्द्रित है। इस काराण –(1) महिलाओं का कार्यभार बडा (2) महिलाए ही अर्थव्यवस्था की धुरी बनी।

महिलाओं के कार्य के प्रतिशत का निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। कि ग्रामीण महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों (आर्थिक/घरेलू/सामाजिक) में बच्चों व पुरूषों की तुलना में कितना समय अधिक व्यतीत करती हैं। कर्नाटक में हुए एक सर्वे के अनुसार ग्रामीण महिलाएं एक माह में कुल 195 से 215 घण्टे गृहकार्य में व्यतीत करती है। यह समय उस समय और अधिक बढ़ जाता है जब घरेलू कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण महिलाएं आर्थिक कार्य भी करती हैं। इस प्रकार निम्न तालिका के अनुसार महिलाओं के कार्य के प्रतिशत को पुरूषों और बच्चों की तुलना में अधिक पाया गया है। जब घरेलू कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण महिलाएं आर्थिक कार्य भी करती हैं।

समूह	कार्य का प्रतिशत
स्त्री	46
पुरूष	37
बच्चे	17

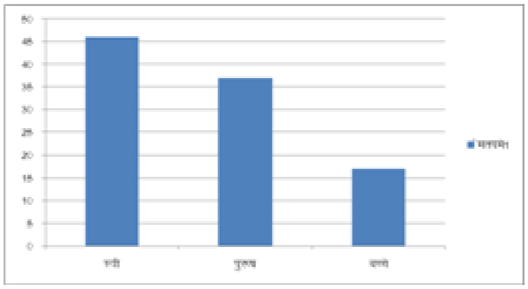

पर्वतीय क्षेत्रों (उत्तराखण्ड के) में अधिकांश पुरूषों के पलायन के कारण महिलाओं का कार्यभार बडा है यहां की अर्थव्यवस्था जो कि मुख्य रूप से महिलाओं के ही कार्यों पर निर्भर है। (1) कृषि (2) पशुपालन

कृषि–कृषि के अर्न्तगत उतराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में यहां की महिलाओं का अधिकांश समय कृषि कार्यों में ही व्यतीत होता है। इसके भी अनेक कारण हैं

1. कृषि क्षेत्रों का एक स्थान पर न होकर अलग–अलग दूरी पर होना पर्वतीय ग्रामों में महिलाएं जो कृषि कार्यों में अत्यधिक परिश्रम करती हैं। इसके उपरान्त भी महिलाओं के परिश्रम का प्रतिफल अपेक्षानुरूप नहीं मिल पाता क्योंकि अधिक समय खेतों की दूरी को तय करने में लगता है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में खेती सीढीनुमा होती है जिसका बिखराव अलग–अलग होता है यहां निवासियों के आवास स्थल से कृषि क्षेत्र दूर–दूर बिखरे होते हैं। इस कारण महिलाओं को परिश्रम अधिक करना पड़ता है व खेती (कृषि) से उपयुक्त लाभ भी अपेक्षा के अनुसार प्राप्त नहीं होता है।
2. **वर्षा पर निर्भरता –** उतराखण्ड के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए अधिकांश निर्भरता वर्षा पर होती है। अधिकांश क्षेत्रों में जहां सिंचाई के उपयुक्त साधन नहीं होते हैं वहां वर्षा हो एक मात्र कृषि का आधार होता है। वर्षा के अभाव में कृषि को भी अत्यधिक नुकसान होता है।
3. **महिला अशिक्षा –** शिक्षा के क्षेत्र में जबकि उतराखण्ड की स्थिती अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी है। व वहां महिला साक्षरता 59.69 है लेकिन पुरूष साक्षरता की तुलना में यह आज भी कम है व महिलाएं कृषि कार्यों को आज भी पुरानी पारम्परिक तकनीक /शैली से करती है जिस कारण भी कृषि से इच्छित लाभ प्राप्त नहीं करती हैं।

खेती की आधुनिक तकनीक उर्वरकों का ज्ञान बीजों का ज्ञान कृषि का उपयुक्त समय ज्ञान के अभाव व अशिक्षा का महत्वपूर्ण हाथ है।

4. **जंगली जनवरों द्वारा कृषि को नष्ट करना –** उतराखण्ड के ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि को अधिक जंगली पशु जैसे – सूअर, बंदर इत्यादि जानवरों द्वारा नष्ट किया जाता है।

कृषि कार्यों मे महिलाओं की निर्भरता व परिश्रम तो अत्यधिक है परन्तु कृषि को उपयुक्त तरीके से न करना व उपरोक्त अन्य कारणों के लिए ग्रामीण महिलाओं को कृषि से लाभ तो प्राप्त नहीं हो पाता है। वरन उनके द्वारा जो कृषि कार्य करके जो उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। उनका अधिकांश उपयोग तो घरेलू कार्यों में किया जाता है या जो आर्थिक प्रयोग किया जाता है उसे नजदीकी बाजार में ही कम मूल्यों पर विक्रय किया जाता है। इस कारण महिलाओं को उपयुक्त लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है व महिलाओं को कम मूल्यों पर ही उत्पाद का विक्रय करना पड़ता है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों उतराखण्ड

---

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर (संविदा) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार (उत्तराखण्ड) भारत

के ग्रामीण क्षेत्रों अत्यधिक परिश्रम करने के उपरान्त भी महिलाओं का उसका प्रतिफल इच्छानुसार/परिश्रमानुसार प्राप्त नहीं हो पाता है।

5. पशुधन – उत्तराखण्ड के परिपेक्ष में पशुधन की यदि बात की जाए तो जहां महिलाओं की निर्भरता जहां कृषि पर देखी जाती है वहीं जीवनजन्तुओं से भी उसका घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। उत्तराखण्ड के ग्रामीण परिवेश में पशुपालन जिसमें पशु की देख-रेख व पालन पोषण का कार्य मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। जिसमें कि पशुओं की संख्या निम्न है-

गाय	21.89 लाख	मुर्गी-9.65.012
भैस	12.28	अन्य- 17.256
बकरी	11.58	
भेड़	2.96	
	पशु	मुर्गी व अन्य पक्षी

इस प्रकार महिलाओं द्वारा पशुओं से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्य व निर्भरता आसानी से दृष्टिगत होती है जैसे

1. गाय, भैंस, बकरी पालन।
2. मुर्गी, शशक पालन।

गाय, भैंस, बकरी पालन के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाएं दूध, दही, घी का विक्रय अधिकांशत: करती है जो कि घरेलू स्तर से ही आसानी से किया जाता है व आर्थिक लाभ के लिए ग्रामीण महिलाओं को घरों से बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है व दुग्ध, दही, घी का विक्रय घरेलू स्तर से ही हो जाता है।

3. मुर्गी पालन में भी उपयोग महिलाओं द्वारा रुचि दिखाई जाती है व पशुधन में भी सर्वाधिक संख्या भी मुर्गी की पाई गई है क्योंकि मुर्गी पालन का कार्य घर में ही आसानी से किया जाता है व घरेलू उपयोग के साथ-साथ विक्रय के अन्तर्गत जैसे-मांस प्राप्ति के लिए अण्डों का विक्रय भी आसानी से करके महिलाएं अधिक लाभ प्राप्त कर लेती है।

तीसरे स्थान पर बकरी पालन में भी ग्रामीण महिलाएं आर्थिक लाभ उपभोक्त अधिक प्राप्त कर लेती है क्योंकि भेड़ बकरी पालन लाभप्रद है क्योंकि धर्म से जुडे व भेड़/बकरी की बलि प्रथा भी उत्तराखण्ड में प्रचलित होने के कारण भेड़/बकरी का विक्रय पूजा के कार्यो के लिए किया जाता है व लाभ प्राप्त किया जाता है।

इस प्रकार पशुपालन के द्वारा भी ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रुप से सशक्त हो रही है व इस कार्य को आसानी से बढ़ाया और इस कार्य से लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।

इस प्रकार यदि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में केवल कृषि व पशुधन की बात की जाए तो महिलाओं की कुल संख्या में निम्न संख्या कृषि व पशु सम्बन्धी कार्यो में संलग्न होकर लाभ प्राप्त कर रही है-

क्र.	**कार्य**	**महिलाओं**	**प्रतिशत**
1	कृषि कार्य	9566	29.6
2	कृषि मजदूर	5795	50.4
3	पशुपालन	783	2.5
4	खदानों के कार्य	124	0.4
5	घरेलू उत्पादक कार्य	1331	4.3
6	संगठन के साथ कार्य	865	2.8
7	निर्माण कार्य	203	0.6
8	व्यापार उद्योग	557	1.8
9	यतायात सम्बन्धी कार्य	146	0.5
10	अन्य सेवाएं	2229	7.1

इस तालिका के आधार पर स्पष्ट रुप से कहा जा सकता है कि उत्तराखण्ड में सर्वाधिक ग्रामीण महिलाओं की निर्भरता कृषि व पशुपालन सम्बन्धी कार्यो में है क्योंकि कृषि व पशुपालन का कार्य आसानी से किया जा सकता है।

कृषि व पशुधन के क्रय में ही उत्तराखण्ड की ग्रामीण महिलाएं कृषि व पशुधन पर आश्रित है अपितु जितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है, उतना प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाओं को जागरुक किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जिससे कि वे अपनी आर्थिक उन्नति तेजी से कर सके। कृषि के फसल व दाल की पैदावार व सब्जी की पैदावार के अतिरिक्त फूलों की खेती को व अन्य विदेशी सब्जियों को उगाया जा सकता है, जिससे कृषि में व उत्पाद में थोड़ा सा बदलाव करने के उपरान्त अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया जा सकता है जैसे-

1. कृषि करने के तरीकों में परिवर्तन करके कृषि पैदावार बढ़ाई जा सकती है।
2. महिलाओं को शिक्षित करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
3. कृषि के लिए उन्नत प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण महिलाओं को लाभ (आर्थिक) प्राप्त हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

स्वतंत्रता से पूर्व स्वःसहायता समूह एवं विकास योजनाओं का समन्वय

विजयादित्य प्रधान *

शोध सारांश – स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण विकास के लिए किए गए प्रयास ग्रामीण विकास को एक निश्चित दिशा देने में आंशिक रूप से सफल रहे। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात् से यह अनुभव किया जाने लगा कि ग्रामीण विकास योजना के बिना ग्रामीण समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। अतः सरकार ने ग्रामीण विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करते हुये इस दिशा में चौमुखी कदम उठाए और स्वतंत्र भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास को विशेष महत्व दिया गया। सन् 1952 में इटावा पायलेट परियोजना, सामुदायिक परियोजना के रूप में एलवर्ट मेयर के नेतृत्व में नीव का पत्थर माना जा सकता है। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के लिये इटावा के ही महेव विकास खण्ड के 97 ग्रामों को चुना गया और विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया।

प्रस्तावना – एलवर्ट मेंयर के अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम छोटे समुदायों में स्वयं के विकास का माध्यम गांधीवादी विश्वास के साथ आत्म संतोष, भौतिक पूर्णता एवं कल्याणप्रद हो सकता है। उनकी विचारधारा में सफल स्थायी विकास ही सम्मिलित होता है, समस्याए विषद रूप से हल होती हैं तथा बेरोजगारी का निराकरण होता है लेकिन प्रशासकीय परिस्थितियों पर विचार करते समय उन्होंने पाया कि इसमें कई अवगुण भी हैं। नैतिकता एवं ईमानदारी की कमी, वैयक्तिक आवश्यकता की कमी, ऊपर से नीचे के अधिकारियों एवं व्यक्तियों में आपसी सम्बन्धों की कमी इत्यादि इस योजना में कठिनाईयां थीं। इन कठिनाईयों को दूर करते हुए ग्रामीण जीवन के उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारम्भ 2 अक्टूबर, 1952 को 55 सामुदायिक विकास योजनाओं को लागू किया गया।[1]

जिन क्षेत्रों में योजनाए लागू हुई, उनमें इन विकास योजनाओं की सफलता को देखते हुये अन्य क्षेत्रों में भी इन्हें लागू किए जाने की मांग होने लगी। अक्टूबर, 1953 से विकास सम्बन्धी एक अन्य योजना, जिसे राष्ट्रीय विस्तार सेवा के नाम से जाना जाता है, लागू की गई। यह तुलनात्मक रूप से कम गहन योजना थी। राष्ट्रीय विस्तार सेवा–योजना एवं सामुदायिक विकास योजना दोनों ही विकास खण्ड स्तर पर लागू की गई।

इन कार्यक्रमों का सीधा असर गरीबों एवं गाँव पर नहीं पड़ा क्योंकि इसके क्रियान्वयन में बहुत सी त्रुटियां थी। मात्र क्षेत्र विशेष ही इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हो पाता था। इस परिकल्पना का साकार करने के लिये भारत सरकार ने सन् 1980 में महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत के समस्त विकास खण्डों में लागू किया गया।

भारत सरकार द्वारा इसके अतिरिक्त गाँव के विकास के लिए अनेकों योजनाए बनाई जो आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही हैं। इनमें प्रमुखतः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, समग्र स्वच्छता अभियान, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, समेकित बंजर भूमि विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मध्यप्रदेश आजीविका परियोजना इत्यादि।

ग्रामीण क्षेत्रों तथा ग्रामीण जनता का विकास देश की आर्थिक योजना तथा विकास प्रक्रिया का प्रमुख प्राथमिक विषय रहा है। ग्रामीण गरीबों को एक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराने के लिए नए कार्यक्रम शुरू करके तथा मौज कार्यक्रमों को पुनः बनाकर ग्रामीण विकास को उच्चतम् वरीयता दी गयी है।[2] ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास के लिये प्रतिबद्ध है, जिनका उद्देश्य है, बेहतर आर्थिक अवसरों तथा उन्नति के लिये ग्रामा लोगों को आधारभूत सुविधाए तैयार करना, सम्मानजनक जीवन की व्यवस्था करना, भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना, शहर–गाँव के अंतर को पाटना, रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण भारत का निर्माण, ग्रामीण विकास मंत्रालय गाँव के विकास के लिए कई योजनाए चला रहा है, जो कि निम्नानुसार है–

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है तथा इसे राज्यों द्वारा पंचायतों को दिए जाने वाले विषयों के साथ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में रखा गया है। इस कार्यक्रम में समस्याग्रस्त गाँव को कवर करने की गति तेज करने के लिए ऐसे गाँव में पेयजल आपूर्ति परियोजनायें क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने 1972–73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना शुरू की। वर्ष 1972–86 दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने पर अधिक जोर दिया गया।

द्वितीय चरण कार्यक्रम सन् 1986–87 में प्रौद्योगिकी मिशन के साथ शुरू हुआ। ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में जल गुणवत्त, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का पता लगाने, मानव संसाधन विकास सहायता तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाकलपों पर जोर देना शुरू किया गया।[3]

तृतीय चरण का कार्यक्रम वर्ष 1999–2000 में तब शुरू हुआ जब पेयजल से सम्बन्धित योजनाए बनाने, कार्यान्वित करने तथा उनका प्रबंध करने में समुदाय को शामिल करने के लिए क्षेत्र सुधार परियोजना तैयार की

---

* शोध छात्र (समाजशास्त्र) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

गई, जिसे बाद में वर्ष 2002 में स्वजल धारा के रूप में विस्तारित किया गया था। वर्ष 1991 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन किया गया तथा 1991 में पेयजल आपूर्ति विभाग बनाया गया। विभिन्न तकनीकि विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए सरकार ने वर्ष 2010 में विभाग के नाम को पुन: बदलकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग किया गया।

इन सभी मुद्दों को हल करने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से ग्रामीण जल आपूर्ति दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया तथा उसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का नाम दिया गया। इसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित किया जाता है। बसावट स्तर पर कवरेज हासिल करने के बाद परिवार स्तर पर पेयजल कवरेज हासिल करना। जल वजट बनाकर ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करके परिवार स्तर पर पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना।

यह सबसे पुराना क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जिसे केन्द्र सरकार ने उन क्षेत्रों में जहाँ पर लगातार भयंकर सूखे की स्थिति बनी रहती है। इस विकट समस्या को हल करने के लिए वर्ष 1973-74 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। इन क्षेत्रों में मानव जनसंख्या और पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण भोजन, चारे तथा ईंधन के लिये यहाँ के उन प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार अधिक दबाब पड़ा रहा है, जो यहाँ पहले से ही काफी कम है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन, पशुधन तथा भूमि की उत्पादकता, जल और मानव संसाधनों पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है तथा इसके द्वारा अंतत: प्रभावित क्षेत्रों को सूखे के प्रभाव से मुक्त कराना है।

राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के गर्म मरूभूमि के क्षेत्रों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के शीत मरूभूमि क्षेत्रों दोनों में ही वर्ष 1977-78 में शुरू किया गया था। वर्ष 1995-96 से इसकी कवरेज को आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ और जिलों के लिए भी बढ़ा दिया गया है।[4] गर्म रेतीले मरूभूमि वाले क्षेत्रों में रेत के टीलों के स्थरीकरण और आड़ी पट्टियों (शेल्टर बेल्ट) में वृक्षारोपण पर अधिक जोर दिया गया था।

दूसरी ओर शीत मरूभूमि वाले क्षेत्रों में वर्षा कम होती है अत: फसल उगाने और वनीकरण का कार्य केवल सुनिश्चित सिंचाई के द्वारा ही शुरू किया गया। इन क्षेत्रों में मुख्य कार्य-कलाप ग्लेशियरों और झरनों से जलप्रवाह को मैदानों की ओर ले जाने के लिए चैनलों का निर्माण करके घाटियों में उठाऊ सिंचाई कार्यो के द्वारा जलसंसाधनों का विकास करना था।

आवास मानव जीवन की महत्वपूर्ण बुनियादी जरूरत है। ग्रामीण आवास की कमी की समस्या का समाधान करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे भारत सरकार ने गरीबी उपशमन प्रयासों के रूप में शुरू किया गया है। इंदिरा आवास योजना ग्रमीण क्षेत्रों में निर्धनों को आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अनुदान आधारित योजना है।

वर्ष 1985-86 में इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की उपयोजना के रूप में प्रारम्भ की गई और 1989 से यह जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) की उपयोजना बन गई। 1 जनवरी, 1996 को इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) से अलग कर स्वतंत्र योजना बना दी गई।[5]

प्रारंभ में इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के ग्रामीण परिवारों एवं मजदूरों को आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराना तथा बाद में इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गो की ग्रामीण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ग्रामीण गरीबों को भी शामिल किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियों की कवरेज इंदिरा आवास योजना के कुल आवंटन का 60 प्रतिशत रखा गया तथा शेष 40 प्रतिशत में से 3 प्रतिशत आवास गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1 जोशी, पूरणचंद, भारतीय ग्राम: संस्थानिक परिवर्तन और आर्थिक विकास, दिल्ली, 1966

2 राम, अजीत, इकानोमिक्स एण्ड पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ, कलकत्ता, 1973

3 भारत सरकार, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार एवं कार्यक्रमों की नियम पुस्तिका 1987

4. बघेल, डॉ. डी.एस. सामाजिक अनुसंधान, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. आगरा, संशोधित संस्करण, 1999

5 भारत सरकार स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2004।

****

डूँगरपुर जिले में जनजातियों की आर्थिक-सुविधाएँ एवं विकास (1981 से 2010)(एक भौगोलिक अध्ययन भू.अ.नि.वृ. के आधार पर)

गोविन्द लाल सरगड़ा *

प्रस्तावना – जनजाति या आदिवासी शब्द का विन्यास 'आदि' अर्थात् पुरातन तथा वासी अर्थात 'रहने वाला' या 'निवासी' के रूप में माना जाता है। अँग्रेजी में इनको 'Tribe' कहा गया है, जो लेटिन भाषा के 'Tribus' शब्द से बना हैं। रोमन एवं ग्रीक लोग राजनैतिक विभाजन और भौगोलिक क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त करते हैं। वास्तव में यह शब्द ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त है, जो नैसर्गिक जीवन जीते हैं। अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, भारत और अन्य पिछड़े देशों में इनके लिए आदिवासी शब्द ही प्रयुक्त किया जाता है। इन जनजातियों को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। वन्य जाति, वनीय जाति, वनवासी, वनों के आश्रय में रहने वाले, पहाड़ी लोग, पहाड़ियों पर रहने वाले, आदिम जाति, प्रारम्भिक लोग, आदिवासी तथा कई स्थानीय नामों से भी इन्हें जाना जाता रहा है।

किसी भी क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने हेतु सामाजिक सुविधाओं का सम्यक नियोजन एक महती आवश्यकता है। विकास प्रक्रिया में सामाजिक उत्थान के साथ ही संस्थागत परिवर्तन भी महत्त्वपूर्ण होता है। इस माध्यम से सामाजिक सुविधाओं व पद्धतियों में परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन लाकर क्षेत्र के सामूहिक व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है इस दृष्टिकोण से अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक अवस्थापनात्मक तत्वों की उपलब्धता तथा सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन एवं विश्लेषण करके उपलब्ध सुविधाओं में अभिवृद्धि हेतु नियोजन एवं विकास ही शोध का प्रमुख उद्देश्य है। नयी संस्थाओं के निर्माण के साथ-साथ संस्थागत सुविधाओं के सदुपयोग हेतु जनसंख्या में जागरूकता, विकासपरक सामाजिक मूल्यों का विकास भी होता है। सामाजिक सेवाओं व सुविधाओं को क्षेत्र में सही रूप में विकेन्द्रित करके अर्थ तल के विकास एवं सांस्कृतिक उन्नयन हेतु एक निश्चित दिशा प्रदान की जा सकती है।

सम्पूर्ण विकास एवं नियोजन की प्रक्रिया में सामाजिक सेवाएं एवं सुविधाएं एक महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाहन करती है। इस सन्दर्भ में 'रोडीनेली' का विचार है कि यदि आर्थिक प्रगति के साथ ही समानता एवं सन्तुलन के उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो सामाजिक सुविधाओं, सेवाओं, उत्पादन गतिविधियों एवं अवधात्मक तत्वों का तर्क संगत तथा उत्प्रेरक वितरण प्रमुख समस्या के रूप में उभरता है। सामाजिक तत्व- जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, वितरण, जातिय संगठन, साक्षरता, शिक्षण संस्थान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं व उनका स्तर, सामाजिक विकास को गति प्रदान करने वाले ऐसे संसाधन है, जो ठोस आधार प्रस्तुत करते हैं इनके माध्यम से ही सामाजिक स्तरों में उत्थान किया जा सकता है।

विलियम प्लोट्ज़र (1944) ने डूँगरपुर में भीलों का मानव शास्त्रीय अध्ययन किया है। 'ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट (1955)' द्वारा राजस्थान के भीलों पर एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई। **बी.आर. चौहान** ने आदिवासियों के सांस्कृतिक इतिहास को स्पष्ट करने के लिए कबीलीकरण अवधारणा विकसित की तथा उन्होंने बताया कि राजपूतों से पूर्व, राज्य विभिन्न भागों में, जनजातियों के प्रभावी नियंत्रण में था।

पी.आर. व्यास (1991) में 'Social Amenities and Regional Development' नामक शोध कार्य में राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के प्रादेशिक विकास को सूक्ष्म स्तर पर सुनियोजित एवं संतुलित विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर विभाजित कर प्रदेश के लिए व्यूह रचना प्रस्तुत की है।

नाज़िम मोहम्मद एवं **सिद्दीकी** (1996) ने 'Social–Economic Characteristics of Migrant and Non-Migrant Household in Kosi Plant, Bihar'नामक शीर्षक में अपना अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसमें स्थानान्तरित एवं पूर्व में स्थायी रहने वाली जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक व्यवहार पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। इस कार्य के अन्तर्गत बिहार के कोसी नदी के बेसिन की जनसंख्या को केन्द्र माना है।

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक परिचय (Introduction of Geographical Study Area) - राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टिकोण से धनी प्रदेश की श्रेणी में आता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से डूँगरपुर जिला राजस्थान के **'वागड प्रदेश'** का अंग रहा है, लेकिन सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक तथ्यों के आधार पर यह क्षेत्र सदैव पूर्णरूप से एक भौगोलिक इकाई के रूप में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है तथा यह क्षेत्र **'वागड प्रदेश'** के नाम से जाना जाता है।

डूँगरपुर जिला राजस्थान की अरावली पर्वत मालाओं के दक्षिणांचल में स्थित विस्तृत पहाड़ी भाग में बसा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति $23^{0}20'$ से $24^{0}01'$ उत्तरी अक्षांश और $73^{0}21'$ से $74^{0}23'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जिले के उत्तर में उदयपुर जिले का विस्तार है तथा दक्षिण-पश्चिम में गुजरात राज्य की लम्बी सीमा रेखा लगभग 100 किलोमीटर है, जो प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। पूर्व में बाँसवाड़ा जिला स्थित है। जिले की लम्बाई उत्तर से दक्षिण में 67.5 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में 80 किलोमीटर है। इस जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3855 वर्ग किलोमीटर है एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले का राज्य में 26वाँ स्थान है। अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी-पश्चिमी में 100 किलोमीटर लम्बी सीमा रेखा, जिसमें गुजरात के दो जिले साबरकांठा व पंचमहल आते हैं। इस आधार पर अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, दृष्टिकोण से भी विशेष महत्त्व रखता है।

जिले में खनिजों के भण्डार में भी अग्रणीय स्थान रखता है। भू-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन क्षेत्र प्री-केम्ब्रियन अरावली श्रृंखला का भाग हैं

---

* शोधार्थी (भूगोल) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

यहाँ के केन्द्रीय भाग में विशेष रूप से डूँगरपुर नगर के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में क्वार्ट्ज की धारियों वाला स्लेट पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता हैं, साथ ही यहाँ एसबेस्टोस, क्रोमाईट, मेगनेटाइट और टेल्स (स्टीटाइट्स) के महत्त्वपूर्ण सम्भाव्य स्त्रोत के रूप में अल्ट्रा बेसिक में भी दिखाई पड़ती है। खनिजों में सोप स्टोन, एसबेस्टोस, बेरिस और फ्लोराइट मुख्य है। उच्चावच की दृष्टि से जिले का अधिकांश भाग 150 से 130 मीटर (औसत समुद्र तल से) ऊँचा है। इस प्रदेश में जिले की सर्वोच्च चोटी धनमाता स्थित है, जो औसत समुद्र तल से 572 मीटर (1876 फीट) ऊँचा है। अन्य पहाड़िया अमीझरा (449 मीटर), डूंगरपुर मढार (424 मीटर), रीठड़ा (415 मीटर) इत्यादि स्थित है।

अध्ययन क्षेत्र के जनजातियों की सामाजिक विकास में नदियों का विशेष महत्त्व है। नदियों से न केवल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, अपितु पीने का पानी, वृक्षारोपण, वन विकास, हरे-भरे मैदानी क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों के लिए कृषि उत्पादन के लिए उपजाऊ मिट्टी के विकास में भी सहायक होती है। अध्ययन क्षेत्र की नदियों के अपवाह क्षेत्र प्राचीन काल से ही बहुत परिवर्तन हुए है। क्षेत्र में वर्ष पर्यन्त बहने वाली नदियों में माही नदी, सोम नदी, तथा जाखम नदी है।

उद्देश्य - प्रस्तुत शोध कार्य के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों को आधार माना गया :

1. जनजाति प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं (जैसे धरातलीय स्वरूप, जल प्रवाह, मिट्टी आदि) की व्याख्या प्रस्तुत करना।
2. अध्ययन क्षेत्र की जनानांकीय संरचना (जैसे- जनसंख्या वितरण, वृद्धि, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, कार्यशील जनसंख्या आदि) की व्याख्या प्रस्तुत करना।
3. अध्ययन क्षेत्र की जनजातिय आर्थिक संरचना का अध्ययन प्रस्तुत करना।
4. जनजातियों की समस्याओं को प्रस्तुत करना।

अनुसंधान विधि - प्रस्तुत शोध कार्य में विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध विधियों का प्रयोग किया जाएगा। शोध के अन्तर्गत द्वितीयक सूचनाओं व आँकड़ों को आधार रूप में प्रयोग किया जाएगा। आँकड़ों के अन्तर्गत क्षेत्र की भौगोलिक, जनसंख्या, सामाजिक विकास से संबंधित सूचनाओं आदि की जानकारी हेतु जनगणना पुस्तिका 1981, 1991, 2001, 2011 जिला पुस्तिका, डूँगरपुर विषय से संबंधित प्रकाशित - अप्रकाशित पुस्तकें, समाचार पत्र-पत्रिकाएं इत्यादि को आधार बनाया गया।

जनांनाकीय विश्लेषण - डूंगरपुर में वर्ष 1981 में 6,82,445, 1991 में 8,74,549, 2001 में 11,07,643 तथा 2011 13,88,552 में थी जिले की साक्षरता दर 1981 में 17.19, 1991 में 20.67, 2001 में 36.93 तथा 2011 में 48.19 तथा लिंगानुपात राज्य के औसत से अधिक रहा है। डूंगरपुर जिला अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहां पर लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की निवास करती है। इस कारण जिले की साक्षरता दर राज्य की साक्षरता दर से अति न्यून है। वर्ष 2011 के अनुसार जिले में कुल 21 भू अभिलेख निरीक्षक वृत है।

सामाजिक विकास - जहाँ तक सामाजिक विकास का प्रश्न है, यह मूलत: आर्थिक विकास से जुड़ा है किन्तु विशिष्ट रूप में सामाजिक विकास, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने, सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण कार्यक्रमों को चलाने एवं सामाजिक न्याय व समानता को स्थापित करने से है। सामाजिक विकास एक व्यापक अवधारणा है इसके अन्तर्गत न केवल आर्थिक अपितु सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक में होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। सामाजिक विकास विशेष तौर पर सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण कार्यक्रमों को चलाने, व सामाजिक न्याय एवं समानता को स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण कारक है। सामाजिक विकास को कई कारक प्रभावित करते हैं किन्तु इन कारकों को नियन्त्रित रखते हुए विकास की ओर बढ़ा जा सकता है जिससे विकास को नये आयामों पर पहुँचाया जा सकता है।

इस अध्याय में भू. अ. नि. वृत स्तर पर सामाजिक विकास के स्तरों का विश्लेषण किया है, जिससे अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक सुविधाओं के स्थानिक वितरण कि असमानता को देखा गया है। सामाजिक सुविधाओं के स्थानिक वितरण को मापने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न सुविधाओं के शामिल किया जाए इसके लिए 20 सूचकों का एक संयुक्त सूचकांक बनाया। जो तुलनात्मक अध्ययन व विकास के ढ़ाँचे को समझने में आवश्यक है। सामाजिक विकास के सूचकांक के अन्तर्गत जनसंख्या कि विशेषताएँ, शिक्षा सुविधाएँ एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि के 11 सूचकों, शैक्षिक विकास के 5 सूचकों व स्वास्थ्य के 5 सूचकों अर्थात् कुल 21 सूचकों के आधार पर सामाजिक विकास सूचकांक ज्ञात किया है।

सारणी 1 से स्पष्ट होता है कि सामाजिक विकास स्तर सूचकांक भिन्नता पाई गई। सारणी के अनुसार अति उच्च इस वर्ग के अन्तर्गत डूँगरपुर (0.66), गणेशपुर (0.64) एवं आसपुर (0.57) भू.अ.नि. वृतों में पाया गया है। इस वर्ग में सामाजिक विकास स्तर उच्च होने का मुख्य जिला मुख्यालय, नगरीकरण, शिक्षा में वृद्धि एवं रोजगार के अवसर, सिंचाई सुविधा आदि उपलब्ध है। अति न्यूनतम स्तर के अन्तर्गत 7 भू. अभिलेख निरीक्षक वृत क्रमश: ठाकरड़ा, सरोढा, पाडवा, कुआँ, झोंतरी, देवलखास एवं चिखली आते हैं इनमें निम्न सामाजिक विकास का कारण जिला मुख्यालय से दूरी तथा उपजाऊ भूमि में कमी तथा साक्षरता दर में कमी पाया जाना है। मध्यम स्तर के अन्तर्गत चितरी, जोगपुर, बिच्छीवाड़ा, साबला एवं सागवाड़ा तथा न्यून स्तर के अन्तर्गत पीठ, गैंजी, आंतरी, थाना, धम्बोला एवं फलौज आदि को सम्मिलित किया गया है (सारणी 1 एवं मानचित्र 1)।

वर्ष 1991 में सामाजिक विकास स्तर सूचकांक के अनुसार अति उच्च इस वर्ग के अन्तर्गत आसपुर (0.76) भू.अ.नि. वृतों में पाया गया है तथा उच्च स्तर में , डूँगरपुर, गणेशपुर, सागवाड़ा, चितरी आदि पाए गए। इन वृत्तों में पिछले दशक के मुकाबले में विकास स्तर में वृद्धि पाई गई। अति न्यूनतम स्तर के अन्तर्गत 3 भू. अभिलेख निरीक्षक वृत क्रमश: देवलखास, कुआं एवं चिखली आते हैं इनमें निम्न सामाजिक विकास का कारण जनसंख्या में वृद्धि, जिला मुख्यालय से दूरी, उपजाऊ भूमि में कमी, जनजातिय जनसंख्या में बहुलता तथा शिक्षा के स्तर में अत्यधिक कमी पाया जाना है। मध्यम स्तर के अन्तर्गत फलौज, ठाकरड़ा, जोगपुर एवं धम्बोला भू-अभिलेख निरीक्षक वृत आते हैं। सर्वाधिक भू-अभिलेख निरीक्षक वृत के न्यून स्तर के अन्तर्गत पाये गये हैं जिनमें मुख्यत: आंतरी, थाना, गैंजी, बिच्छीवाड़ा, सरोढा, पाड़वा, पीठ, साबला एवं झोतरी को सम्मिलित किया गया है (सारणी 1 एवं मानचित्र 1इ)।

सारणी 1 एवं 2 मानचित्र से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2001 में सामाजिक विकास स्तर सूचकांक के अनुसार अति उच्च इस वर्ग के अन्तर्गत डूँगरपुर (0.94), आसपुर (0.89), गणेशपुर (0.81) तथा धम्बोला (0.75) भू.अ.नि. वृतों में पाया गया है। इन चारों वृत्तों में पिछले दशक के मुकाबले में विकास स्तर में वृद्धि हो रही है। जिसका मुख्य कारण यहां जनजातिय निवासियों द्वारा सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता रखना तथा उससे

होने वाले सम्पूर्ण लाभों को प्राप्त करना है। अति न्यूनतम स्तर के अन्तर्गत दो भू.अ.नि. वृत देवलखास तथा पाडवा है तथा एवं न्यून स्तर के अन्तर्गत 7 भू. अभिलेख निरीक्षक वृत पाए गए है, जो क्रमश: आंतरी, थाना, गैंजी, चिखली, सरौदा, कुआँ, ठाकरड़ा आदि को सम्मिलित किया गया है। उच्च स्तर के अन्तर्गत मात्र 3 भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बिच्छीवाड़ा, जोगपुर एवं साबला तथा मध्यम स्तर के अन्तर्गत फलोज, झोंतरी, चितरी, पीठ एवं सागवाड़ा को सम्मिलित किया गया है।

वर्ष 2011 में सामाजिक विकास स्तर सूचकांक के अति उच्च इस वर्ग के अन्तर्गत डूँगरपुर (0.88), गणेशपुर एवं आसपुर (0.82), धम्बोला (0.79) एवं साबला (0.75) भू.अ.नि. वृतों में पाया गया है। पिछले दशक के मुकाबले में विकास स्तर में कमी आई है। अतिन्यून स्तर के अन्तर्गत एक मात्र वृत देवलखास पाया गया। जबकि मध्यम स्तर के अन्तर्गत चिखली, जोगपुर, फलोज, झोंतरी तथा उच्च स्तर में सागवाड़ा तथा न्यून स्तर में पाडवा, थाना, आंतरी, गैंजी, सरोदा, बिच्छीवाड़ा, चितरी, ठाकरडा एवं कुआँ को सम्मिलित किया गया (सारणी 1 एवं मानचित्र 1क)।

चार दशकों (1981–2011) के सामाजिक विकास स्तर सूचकांक सारणी 2 एवं मानचित्र 2 के अनुसार सामाजिक विकास के स्तरों में विभिन्ता पाई गई। सारणी के अनुसार अति उच्च इस वर्ग के अन्तर्गत भू. अ. नि. वृत डूँगरपुर, आसपुर एवं गणेशपुर को सम्मिलित किया गया है।

सारणी 1 : डूँगरपुर जिला : सामाजिक विकास स्तर सूचकांक (1981–2011)

क्र.	भू.अ.नि. वृत	सामाजिक विकास सूचकांक मूल्य				
		1981	**1991**	**2001**	**2011**	**औसत**
1	डूँगरपुर	0.66	0.68	0.94	0.88	0.79
2	आंतरी	0.30	0.33	0.26	0.26	0.28
3	फलोज	0.38	0.47	0.42	0.44	0.43
4	देवलखास	0.19	0.13	0.12	0.15	0.15
5	थाना	0.34	0.21	0.27	0.23	0.25
6	गेंजी	0.22	0.32	0.27	0.27	0.27
7	बिच्छीवाड़ा	0.43	0.25	0.55	0.35	0.39
8	सागवाड़ा	0.47	0.57	0.54	0.57	0.54
9	जोगपुर	0.42	0.53	0.56	0.42	0.48
10	चितरी	0.39	0.56	0.51	0.37	0.46
11	ठाकरड़ा	0.02	0.42	0.33	0.38	0.29
12	सरोढा	0.09	0.29	0.30	0.33	0.25
13	पाड़वा	0.12	0.21	0.13	0.22	0.17
14	आसपुर	0.57	0.76	0.89	0.82	0.76
15	गणेशपुर	0.64	0.67	0.81	0.82	0.73
16	साबला	0.46	0.37	0.66	0.75	0.56
17	धम्बोला	0.35	0.44	0.75	0.79	0.58
18	पीठ	0.20	0.27	0.52	0.54	0.38
19	झोंतरी	0.17	0.23	0.46	0.50	0.34
20	कुआँ	0.16	0.09	0.31	0.38	0.23
21	चिखली	0.12	0.06	0.29	0.39	0.35
	Mean	**0.33**	**0.36**	**0.47**	**0.47**	**0.41**
	S.D.	**0.14**	**0.17**	**0.22**	**0.22**	**0.18**
	C.V.	**42.42**	**47.22**	**46.81**	**46.81**	**43.90**

स्रोत : गणना (Computed)

सारणी 2 : डूँगरपुर जिला : सामाजिक विकास स्तर सूचकांक (1981–2011)

क्र.	स्तर	सूचकांक मूल्य	भू.अ.नि. वृत की संख्या	प्रतिशत
1.	अति उच्च	0.67 – 0.79	3	14.28
2.	उच्च	0.54 – 0.67	2	9.52
3.	मध्यम	0.41 – 0.54	4	19.04
4.	न्यून	0.28 – 0.41	5	23.80
5.	अति न्यून	0.15 – 0.28	7	33.32
	कुल		**21**	**100.00**

स्रोत : गणना (Computed)

अति न्यूनतम स्तर के अन्तर्गत 7 भू. अभिलेख निरीक्षक वृत क्रमश: आंतरी, देवलखास, थाना, गैंजी, सरोदा, पाडवा एवं कुआं आते हैं। इनमें निम्न विकास दर का कारण जिला मुख्यालय से दूरी तथा पहाड़ी व उपजाऊ भूमि में कमी, सिंचाई सुविधाओं में तथा शिक्षा के स्तर में अत्यधिक कमी पाया जाना है। मध्यम स्तर के अन्तर्गत फलौज, सागवाड़ा, जोगपुर एवं चितरी भू–अभिलेख निरीक्षक वृत आते हैं। जबकि भू–अभिलेख निरीक्षक वृति न्यून स्तर में बिच्छीवाड़ा, ठाकरड़ा, पीठ, झोंतरी एवं चिखली आदि सम्मिलित है। जबकि उच्च स्तर के अन्तर्गत मात्र 3 भू–अभिलेख निरीक्षक वृत सागवाड़ा, साबला एवं धम्बोला सम्मिलित है (सारणी 2 एवं मानचित्र 2)।

निष्कर्ष – अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक विकास को मापने के लिए 20 सूचकों का प्रयोग करके तीन सूचकांक जनसंख्या विकास, स्वास्थ्य विकास व शैक्षिक विकास के आधार पर विकास के स्तर को मापने के जिए पाँच वर्गीकरण – अति उच्च, उच्च, मध्यम, न्युन एवं अति न्युन किये गये। संयुक्त सामाजिक विकास के स्तर में डूँगरपुर भू. अ. नि. वृत कि स्थिति प्रथम रही तथा अन्तिम स्थान पर देवलखास भू. अ. नि. वृत बना रहा। जिसका कारण अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र, निम्न साक्षरता दर, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, शैक्षणिक संस्थानों का वितरण व कमी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Majumdar, 1958 : ***“Races and Cultures of India”,*** Bombay : Asia Pub. House, p. 367.
2. Chouhan, B.R., 1970; ***“Towm in Tribal Setting”,*** Banswara National Published House, New Delhi.
3. Vyas, P.R., 1991; ***“Social Amenities and Regional Development”,*** Rawat Publication, Jaipur, p. 75-80.
4. Nazim, Mohd., and Siddiqui, 1996; ***“Social Economic Characteristics of Migrant and Non-Migrant House Holds in Kosi Plain, Bhiar”,*** The Geographer, Vol. 43, No. 2, p. 55-67.
5. District Handbook Census, District Dungarpur 1981, 1991, 2001, 2011.
6. www.censusindia.gov.in
7. www.censusrajasthan.gov.in
8. www.dungarpur.nic.in

जिला डूँगरपुर : सामाजिक सुविधा सूचकांक भू-अभिलेख निरीक्षक वृत अनुसार (1981-2011)

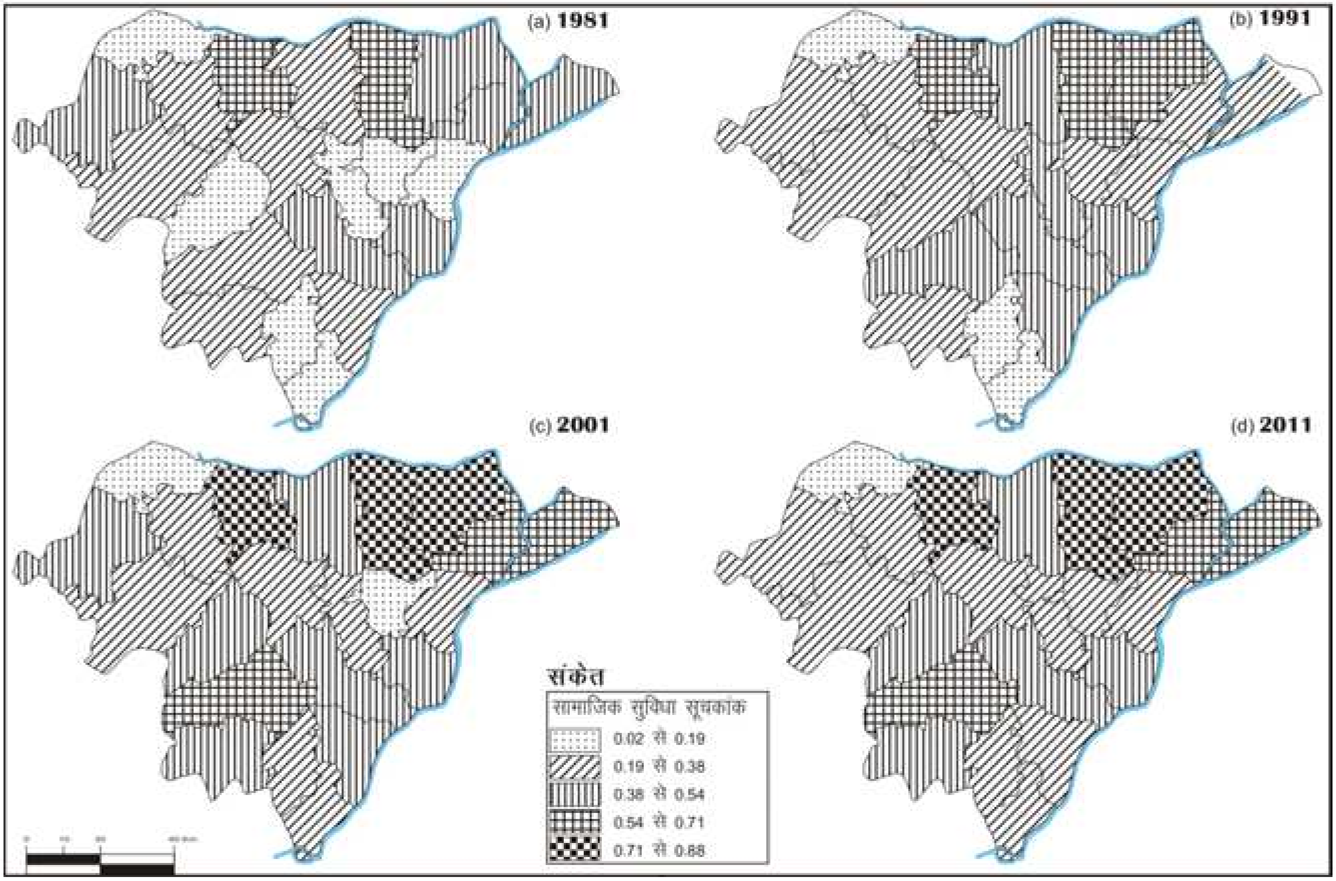
(a) 1981
(b) 1991
(c) 2001
(d) 2011
संकेत
सामाजिक सुविधा सूचकांक
0.02 से 0.19
0.19 से 0.38
0.38 से 0.54
0.54 से 0.71
0.71 से 0.88
0 10 20 40 Km

जिला डूंगरपुर : सामाजिक विकास स्तर सूचकांक (1981-2011)

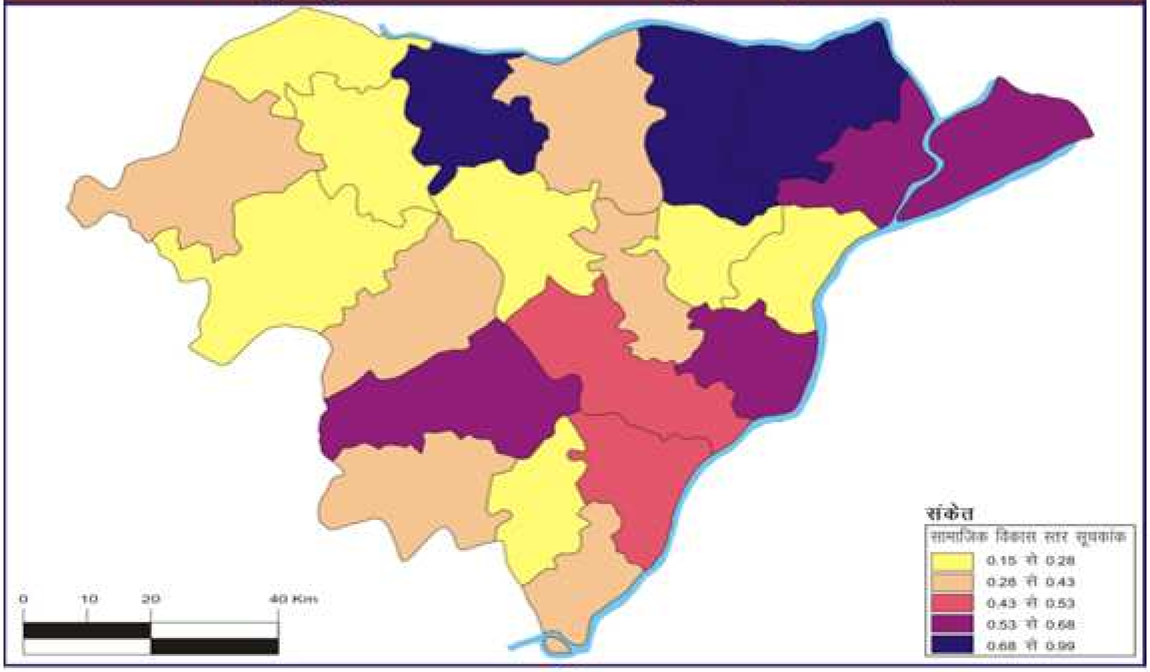
संकेत
सामाजिक विकास स्तर सूचकांक
0.15 से 0.28
0.28 से 0.43
0.43 से 0.53
0.53 से 0.68
0.68 से 0.99
0 10 20 40 Km

मानचित्र 2

समकालीन युगीन साहित्यिक परिस्थितियाँ

डॉ. कला जोशी * रेमी जायसवाल **

प्रस्तावना - स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय बाद ही आजादी का उल्लास न जाने कहाँ विलुप्त हो गया, उसके स्थान पर विकट विद्रोह का दौर प्रारम्भ हो गया। इस समय के रचित साहित्य में अपने युग की समस्त चेतना व संवेदना को महसूस किया जा सकता है। इस समय हिन्दी काव्य धारा में अनेकानेक वाद उत्पन्न हुए। कहीं कविता को अकविता के नाम से पुकारा गया, कहीं कविता को मौत के नाम से नयी काव्यवृत्ति को प्रस्तुत कर दिया गया। हिन्दी काव्य धारा में उत्पन्न इन विभिन्न वाद या आंदोलनों का प्रभाव क्षणिक रहा और पुन:श्च ये वाद लुप्त होते गए। डॉ. जगदीश गुप्त ने स्वातंत्र्य हिन्दी काव्यधारा में उभरे क्षणिक काव्यान्दोलनों को इस प्रकार नामांकित किया है -

1. सनातनी सूर्योदयी कविता
2. अपरंपरावादी कविता
3. सीमांत कविता
4. युयुत्सावादी कविता
5. अन्यथावादी कविता
6. कबीर पंथी कविता
7. अधुनातन कविता
8. सांप्रतिक कविता
9. कोलॉज कविता
10. शुद्ध कविता
11. सहज कविता
12. अश्रु कविता
13. अभिनव कविता
14. समारात्मक कविता
15. गीत कविता
16. नूतन कविता
17. उत्कविता
18. नाटकीय कविता
19. ठोस कविता
20. मुहूर्त की कविता
21. नंगी कविता - क्रमंश:

उपरोक्त नामों को गिनते हुए डॉ. गुप्त ने कहा कि मैं क्या, इस बात का कोई भी दावा नहीं कर सकता कि यह सूची पूरी हो गई है क्योंकि यह असंभव नहीं है, कि इसके छपते-छपाते लोगों तक पहुँचते-पहुँचाते दो-चार नाम वर्षा-मेकवत् और पैदा हो जाएँ।

इन काव्यान्दोलनों के पीछे कवियों का कोई विशेष लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति होना नहीं था, काव्यात्मक स्तर पर आकलन करने पर इन काव्य प्रवृत्तियों में साहित्यिक मूल्यवत्ता का नितांत अभाव पाया गया और ये आंदोलन क्षणिक मात्र सिद्ध हुए क्योंकि स्वयं को अत्याधुनिक प्रकट करने एवं कवि कर्म की संतुष्टि का समाज में कवि रूप में प्रतिष्ठित होने का अभीष्ट दिखाई देता है। जीवन दृष्टि के अभाव में ये काव्य आंदोलन अकाल ही विलुप्त होते गए।

स्वतंत्रता के पश्चात् कविता की आज तक विकास यात्रा पर दृष्टि डालने पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी काव्य-सृजन में परिवेशवश दो तरह की मनोवृत्ति के कवियों का सृजन निरन्तर चलता रहा। प्रथम मनोवृत्ति को हम आवेश की मनोवृत्ति मान सकते है - जिसमें क्रोध है, घृणा है, अस्वीकृति है, पलायन है, छटपटाहट है, अनास्था है, खीज है, उत्तेजना है और इन सबसे नकारात्मक विचारों से उपजी कुंठा है। ये कुंठित विचार उचित चिंतन, धैर्य के अभाव में सीधे कागज पर बिना वैचारिक एवं भाषिक परिष्कार के उतार दिए गए और सिर्फ कागज तक ही सीमित होकर रहे।

कवित्व के लिए जिस साधना की गूढ़ आवश्यकता होती है, वह आस्था/ साधना प्राय: यहाँ नदारद ही थी। दोष कवियों का नहीं परिवेश का था, किन्तु परिवेश का दिशा-निर्देश करना कवि का कर्तव्य होता है। जब कवि ही तत्कालीन परिस्थितियों का अनुगामी हो तो भला वह समाज को कैसे दिशा दे सकता है।

इस प्रथम वर्ग के कवि के साथ ऐसा ही हुआ, परस्पर प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ कवियों के रचना कर्म की नींव की मूल्य विहीन एवं साहित्यिक श्रेष्ठता से परे अलग ही धरातल पर टिकी थी।

ऐसा नहीं था कि कवियों का प्रथम वर्ग ही मूल्यहीनता को घेरे में था, बल्कि दूसरे वर्ग के कवियों की यंत्रणा भी मूल्यहीनता से तीव्रतर होती जा रही थी। इस द्वितीय वर्ग के कवियों के चहुँओर दायित्व से बेखबर सरकार, राजनीति की जोड़तोड़ में लगे स्वार्थी नेतागण, भ्रष्टाचार में लीन सरकारी अफसर एवं दीनता और हीनता से ग्रस्त बुद्धिजीवी का जमाव था। इस वर्ग में भी आक्रोश का लावा उगल रहा था, किन्तु इस लावे को द्वितीय वर्ग के कवियों ने सही दिशा प्रदान की। इन कवियों ने भाषिक एवं वैचारिक रूप से अपने आवेश को परिष्कृत कर साहित्य सृजन किया। यही वर्ग समकालीन कवियों का प्रथम एवं नितांत विद्रोही किन्तु आम आमदी के लिए आत्मीयता का बिगुल बजाता उदित हुआ। कविता की रचना के लिए इन्हीं कवियों ने अपनी धरती अपना आकाश निर्मित किया, जहाँ आत्मीयता के संसार का नवसृजन हुआ तथा यही से इस आत्मीयता को व्यष्टि से प्रारम्भ कर समष्टितक ले गए परिणामत: खोखली आक्रमक एवं कोरी उत्तेजना से कविता क्रमश: मुक्त होती गयी और प्रभावोत्पदात्कता में वृद्धि आई।

अब कविता में आम आदमी की जिन्दगी को प्राथमिकता मिली, उसकी समस्याओं पर खुलकर विचार हुआ, जिससे गहरी सामाजिक चेतना इस कविवर्ग में परिलक्षित हुई है। विद्रोह एवं व्यंग्य से परिपूर्ण इस साहित्य में मानवतावादी दृष्टिकोण को सर्वथा वरीयता दी गई। स्वतंत्र भारत की साठोतरी कविताओं की तत्कालीन स्थिति के लिए धूमिल ने लिखा है 'तत्कालीक मोहभंग से उपजी मानसिकता ने मूल्यहीन अभिव्यक्तियों को तरजीह देते हुए जिस नंगी और निस्संग भाषा को गढ़ा, वह मूल्यों की रचनात्मक जुगाली के विरूद्ध एक तीखी प्रक्रिया थी। इस तीखेपन में आवेगहीनता के स्वीकार के बाजवूद आवेगों की तीव्रता देखी जा सकती ह

---

* प्राध्यापक (हिन्दी) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (हिन्दी) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रक्रिया सर्वथा अप्रासंगिक नहीं थी। जब नई कविता अपने शिखर पर पहुँचकर केन्द्रीय सांस्कृतिक संकट से कतरा रही थी, उसकी सैद्धांतिक मूल्यवता के खोखलेपन की ओर ऊँगली उठाने का इससे सहज और आसान तरीका और क्या हो सकता था ? यह प्रतिक्रिया अपनी विविध भंगिमा के साथ इस जड़ता को तोड़ने का प्रयास था, जो कलात्मकता के नाम पर कल्पनामय सपनों में डूबी हुई थी तथा इसीलिए अप्रासंगिक भी हो चुकी थी।

पचास का कवि अपने सरोकारों में इतना राजनीतिक था और इतनी विश्लेषण क्षमता रखता था, संभवत: इसी वजह से वह स्वतंत्रता पश्चात् की सच्चाई को गहराई से समझ पाया, इसकी तुलना में हिन्दी साहित्य की अन्य विधाओं (कविता) का इतना वैचारिक वितान इतना वृहद विस्तृत नहीं था। साठ और सत्तर के दशक के रचनात्मक परिवेश ने इस गहन काव्यगत रवैये से बहुमूल्य प्रेरणा ग्रहण की थी।

हिन्दी कविता में 'समकालीन' शब्द एक विशेष अर्थ में संवेदनशील पाठकों के मानस में गहरी पैठ बनाता है। जहाँ छायावादी कविता का काव्य मर्म रोमानियत, अंतर्मुखता, आध्यात्मिकता के विभिन्न संदर्भों में परिलक्षित किया गया, प्रयोगवादी कविताओं के रचना मर्म को उनकी प्रयोगधर्मी अन्वेषी दृष्टि के आधार पर अभिव्यक्त किया गया, वहीं समकालीन कविता का काव्य मर्म इनसे पृथक नये संदर्भों में (परिवेशानुसार) में नयी चेतना, नयी दृष्टि, नये संकल्पों के अभिव्यंजना करने में अंतर्निहित है।

समकालीनता का अर्थ समसामयिकता नहीं होता। तत्कालीनता से इसका अर्थ ग्रहण कर लेने से इसके अर्थ में संकोच को महसूस किया जा सकता है। वस्तुत: समकालीनता एक व्यापक और बहुआयामी शब्द है और आधुनिकता का विस्तृत पर्याय आधार तत्व भी है। जो समकालीन है, वह आधुनिक भी हो यह आवश्यक नहीं किन्तु जो आधुनिक चेतना से संचालित दृष्टि है, वह निश्चित रूप से समकालीन कही जा सकती है। यूँ तो काव्य संसार का सृजन वैचारिक धरातल पर परिवेश विचारधाराओं के धरातल से प्रतिफलित एवं पुष्टित होता आया है, पर वास्तविक रूप में वही कविताएँ या काव्य कर्म समाज में दीर्घकालीन प्रभाव स्पष्ट रूप से अंकित करता है, जिसमें वास्तव में समय के तल्ख सरोकारों के साथ नित नयी चुनौतियों को प्रबल एवं समर्थ रूप में स्वीकार किया गया हो। समय की तमाम आहटें कविता में ही दर्ज होती है। समकालीन कविता में अपने–अपने लेखकीय दायित्वों के साथ प्रगतिशील चेतना का दिशा बोध प्रस्फुटित हुआ। जहाँ तक इस काव्य धारा ने कथ्य परिवर्तित करते हुए नयी दिशाएँ नए आधार खोजे, वहीं समीक्षा के नए प्रतिमान गढ़नें की आवश्यकता भी तीव्रता के साथ महसूस की।

डॉ. बलदेव बंशी के मत को यहाँ समकालीन कविता की साहित्यिक परिस्थितियों के अनुसार संदर्भित किया जा सकता है – 'समकालीन हिन्दी कविता अपनी प्रकृति एवं प्रभुत्व से जिस मानवीय संघर्ष की साझेदारी में उतरी है, उसके पास भिड़ने के लिए आधार और शस्त्र विचार है, यह विचार वैज्ञानिक दक्षता एवं विचारात्मक कठोरता से रहित, सामाजिक से उद्भूत भानवी एवं संवेदनात्मक विचार है।'[1]

समकालीन काव्य की युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण हम व्यापक रूप में तो काव्य की रचना यात्रा विभिन्न पड़ावों या दौर से गुजरी है – ये दौर या पड़ाव समकालीन कविताओं की युगीन परिस्थितियों की उपज है।

(अ) पहला पड़ाव या पहला दौर 1950 से 1960 के बीच का है, जिसे हम नई कविता के आंदोलन का दौर भी कह सकते है।

(ब) दूसरा दौर 1960 के बाद 1970 के बीच का रहा जिसे साठोत्तारी कविताओं का दौर माना गया। इसमें अकविता का आंदोलन विशेष रूप से उभरा।

(स) सातवें–आठवें दशक की कविताओं का दौर तीसरा दौर माना गया। जो 1970 से 1980 के बीच का दौर माना गया।

इस प्रकार से पड़ाव समकालीन कविता के तीन दौर हुए और इन तीनों की पृष्ठभूमि में ही मुख्य रूप से तीन काव्य आंदोलनों का बीजान्वयन एवं विकसन भी माना गया।

नयी कविता आन्दोलन की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता प्राप्ति का उल्लास और भारत विभाजन का संत्रास दोनों ही स्थापित थे। पाँचवें दशक के प्रारम्भ में जो विविध स्त्रोत एक–दूसरे से मिलकर एक प्रवाह बन रहे थे, वे इस दशक के अंत तक एक धारा का रूप धारण कर लेते है। आगे चलकर इस काव्य धारा का संघात इतना गहन एवं प्रभावपूर्ण हो उठा कि पिछले दशक के कवियों ने भी इसका अनुभव किया। पंत ने स्वीकार किया है कि 'नयी कविता विश्व वर्चस्व से प्रेरणा ग्रहण करने तथा आज के प्रत्येक बदलते हुए युग पट को अपने मुक्त छंदों के संदेशों की तीव्र मंद गति लय में अभिव्यक्त कर युग मानव के लिए भाव–भूमि प्रस्तुत कर रही है।'[2] इसी प्रकार 'चक्रवाल' की भूमिका में दिनकर ने भी उल्लासित होकर कहा है – 'कविता पूर्नजन्म लेने की तैयारी में है और तैयारी नयी कविता के जन्म के पश्चात् बहुत काल तक चलने वाली है।'[3] ये शब्द प्रसन्नता एवं प्रोत्साहन के नहीं है, लेकिन इनमें इस बात की स्वीकृति है कि आज के युग का संवेदन, पिछले युग से परिवर्तित हो गया है।

सन् 1943 ई. में अज्ञेय के संपादन में छपे 'तारसप्तक' के कवियों ने 'मार्क्स' और 'प्रयोग' दोनों को एक साथ स्वीकार करने की अवधारणा तय की थी, किन्तु 'मार्क्स' एवं 'प्रयोग' की यह मिश्रित व्यवस्था एक साथ तालमेल नहीं बैठा सकी और इन कवियों ने अपने प्रयोजन के लिए मार्क्स को त्याग दिया। इस प्रकार समूहबद्धता से हटकर प्रथमत्व: व्यक्तिगत दु:ख सुख को काव्य का विषय बनाया साथ ही प्रामाणिक अनुभूति के साक्ष्य हेतु व्यक्ति यथार्थ को महत्व दिया।

'नयी कविता' पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त ने 'अर्थ की लय' की स्थापना की तो लक्ष्मीकांत वर्मा तथा विजयदेव नारायण साही ने 'विराट ऐतिहासिक मानव' के स्थान पर काव्य में 'लघु मानव' के चित्रण की अभिव्यक्ति की। यह अभिव्यक्ति तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का काव्यात्मक फलक था, जिसमें पं. जवाहरलाल नेहरू तथा राममनोहर लोहिया का गहन प्रभाव दृष्टिगत होता है। गांधी के राजनीतिक आदर्श अब तक केवल छल मात्र प्रतीत हुए। इसलिए इस काव्य आंदोलन में गांधी के प्रति श्रद्धा का अभाव मिलता है। यह कविता महानगर एवं मध्यमवर्ग से जुड़ी कविता है। महानगरीय जीवन की विशेषता, विषमता और विडम्बना पर ध्यान खींचने का श्रेय नयी कविता को ही प्राप्त है। यहाँ आदमी अजनबीपन और अकेलेपन का शिकार है। जो मशीन में बदलता जा रहा। संबंधों का अपनत्व नष्ट होकर सही अर्थों में बदल गया। यह बदलाव इस काव्यांदोलन के कारण ही उभरकर आया। सन् 1950 तक प्रयोगवादी काव्य की सैद्धांतिकता अतिवादिता की ओर अग्रसर हो चली थी। स्वतंत्रता के बाद सुखी होने का दिवास्वप्न लोक भी तितर–बितर हुआ। शनै: शनै: विकसित होने वाली नयी कविता, नये मूल्यों, मन:स्थितियों, संवेदनाओं की कविता का रूप धारण करने लगी जिसे अज्ञेय ने नयी कविता का नाम देने का प्रस्ताव रखा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जगदीश चंद्र गुप्त – नई कविता : स्वरूप और समस्याएँ, पृ. 22
2. धूमिल और उनका काव्य संघर्ष – साठोत्तरी हिन्दी कविता और धूमिल, पृ. 34
3. सं. शुभ दर्शन – समकालीन कविता : प्रमाणिक दस्तावेज, पृ. 23

कवि श्री कृष्ण ‘सरल’ के राष्ट्रीय चिंतन को प्रेरित करने वाले घटक

डॉ. भारती शर्मा *

प्रस्तावना – राष्ट्रीयता का नव जागरण आधुनिक युग में अंग्रेजों के आगमन से हुआ। डॉ. श्रीकृष्ण लाल का यह मत है कि – ‘उन्नीसवीं शताब्दी के पहले भारतीय साहित्य में जन्मभूमि अथवा राष्ट्र पर कोई कविता नहीं थी, भारत में राष्ट्र की भावना सम्भवत: कभी थी नहीं, जन्मभूमि अथवा मातृभूमि नाम की वस्तु तो थी परन्तु हम अपने गाँव को ही जन्मभूमि मानते थे, भारत वर्ष को जन्मभूमि मानना हमने परिचय से सीखा।’ और यह परिचय अंग्रेजों के आगमन से हुआ और राष्ट्रीयता की जो भावना अभी तक सुप्तावस्था में थी वह पूर्ण रूपेण विकसित हुई। साहित्य जगत में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनके समकालीन कवियों ने भारत–दुर्दशा का वर्णन तो किया ही साथ ही अतीत का गौरवगान और भारत वन्दना तथा प्रशस्ति के द्वारा देशवासियों को राष्ट्रीय चिंतन के लिए उत्प्रेरित भी किया। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता का विकास राष्ट्र–कवि मैथिलीशरण गुप्त और इस युग के अन्य कवियों द्वारा किया गया। तथा जिसे आगे चलकर रामधारी सिंह दिनकर माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी आदि साहित्यकारों ने राष्ट्रीयता का अलख जगाया। इस राष्ट्रीयता को हमारी नसों में रक्त में उत्तेजित करने का काम श्रीकृष्ण ‘सरल’ जी ने किया हैं। उन्होंने शहीदों और क्रांतिकारियों के बलिदानों की अमर गाथा का चित्रण कर जन समूह में अमर आशा का संचार कर चिरकाल तक दुष्प्राप्त स्वाधीनता को बनाए रखने का आव्हान किया है –

‘प्रेरणा शहीदों से हम अगर नहीं लेगें,
आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी,
यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो
यह सच मानों वीरता बाँझ हो जाएगी।।’

अब प्रश्न उठता है कि श्रीकृष्ण ‘सरल’ के राष्ट्रीय चिंतन को प्रेरित करने वाले घटक कौन से है ? आखिर वे परिस्थितियाँ या घटक कौन से है ? जिन्होंने ‘सरल’ जी के मन और मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना जागृत ही नहीं की बल्कि कूट–कूट कर इतनी भर दी कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया। यहाँ पर हम ‘सरल’ जी के जीवन में घटित उन घटनाओं पर विचार करेंगे, जिन्होंने ‘सरल’ जी के राष्ट्रीय चिंतन में अपनी अहम् भूमिका निभाई –

1. दिल पर घाव – बचपन में अंग्रेज सैनिक के द्वारा मारे जाने पर ‘सरल’ जी को शारीरिक चोट के साथ–साथ दिल पर घाव लगा था।
2. देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष
3. काव्य–मय वातावरण तथा क्रांतिकारी भावना का प्रभाव
4. प्रगति चेतना जागृत करने वाले कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का प्रभाव
5. राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन का प्रभाव मार्ग–दर्शन एक मसीहा का।
6. शहीद की माँ से प्रेरणा और आर्शीर्वचन
7. समर्पण और त्याग की भावना
8. विभिन्न स्थलों की यात्राएँ
9. गोली मार दूंगा ?
10. एक क्रांतिकारी से परिचय
11. क्रांतिकारी को प्रश्रय
12. परिवार का सहयोग
13. अमर शहीदों का चारण

1. दिल पर घाव – ‘सरल’ जी के बचपन की घटना है। अंग्रेज लोग राजगुरू को रेलमार्ग से ले जा रहे थे। गाड़ी रूकी और भारत माता की जय का नारा लगाया गया। तभी अंग्रेजों ने डिब्बे के पास घेरा बना लिया। ऐसे में ‘सरल’ जी ने गोरे के माथे पर पत्थर मार दिया। उन लोगों ने ‘सरल’ जी को हाथ–घूसों और बूटों से बुरी तरह मारा। इस घटना के बाद ‘सरल’ जी के शारीरिक घाव तो ठीक हो गए लेकिन दिल में लगा घाव कभी ठीक नहीं हुआ और उनके मन में ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा पैदा हो गई तथा राष्ट्र प्रेम और क्रांतिकारियों के प्रति अनुराग की भावना भर गई जो जीवन भर बनी रही।

2. देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष – जिस समय ‘सरल’ जी ने इस संसार में जन्म लिया उस समय देश में अंग्रेजी साम्राज्य का बोलबाला था। देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। गाँधी जी सत्य और अहिंसा के माध्यम से देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रतिज्ञा बद्ध थे, तो दूसरी ओर युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राजगुरू, सुभाष चन्द्र बोस, अशफाक उल्ला खाँ, राम प्रसाद बिस्मिल आदि बम और पिस्तौलो के खेल खेलते हुए अपने प्राणों के मूल्य पर भारत माता के बंधन काटने के लिए कटिबद्ध थे। सारे देश में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय चेतना फैल रही थी, संघर्ष बढ़ रहा था, ऐसे में बालक ‘सरल’ का झुकाव गाँधी जी के प्रति न होकर क्रांतिकारियों के प्रति हो गया, और उनके मन मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना कूट–कूट कर भर गई।

3. काव्यमय वातावरण तथा क्रांतिकारी भावना का प्रभाव – ‘सरल’ जी को बचपन से ही काव्यमय वातावरण मिला था। उनके मोहल्ले में बहुत ही विद्धान श्री रामनारायण माथुर तथा श्री गिरिजा कुमार माथुर जी रहते थे। दोनों विद्धान कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। उनके सान्निध्य में ‘सरल’ जी को बहुत कुछ सीखने को मिला। इस प्रकार काव्यमय वातावरण के रह कर ‘सरल’ जी ने छात्र जीवन से ही अच्छी कविता लिखना प्रारंभ कर दिया

---

* अध्यापक (हिन्दी) शासकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय, रघुराज क्र. 2, शहडोल (म.प्र.) भारत

था।

'सरल' जी विद्यालय से ही क्रांतिकारी कविता किया करते थे। वे कवि-सम्मेलनों में विद्रोही रचना सुनाते थे। ऐसे ही एक समय पुलिस अधीक्षक ने यह घोषित कर दिया कि यदि कोई आपत्तिजनक कविता पढ़ेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसे में अधिकांश लोग कन्नी काट रहे थे, परन्तु 'सरल' जी ने एक बहुत ही विद्रोही रचना लिखी थी और सुनाने का दु:साहस भी किया। कविता थी – 'क्यों डाली तुमने चिनगारी ?' इस कविता को सुन पुलिस अधीक्षक 'सरल' जी की पीठ थपथपा कर चले गए। इस प्रकार बचपन से ही उनके काव्य पर क्रांतिकारी भावना का प्रभाव पड़ा।

4. प्रगति चेतना जाग्रत करने वाले श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रभाव – 'सरल' जी दिनकर जी को अपना आदर्श कवि मानते थे। उन्होंने इस संबंध में स्वयं कहा है –

'मैं प्रारम्भ से ही श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' का प्रशंसक और भक्त रहा हूँ। उस समय तक मैंने उनकी सभी प्रकाशित कृतियाँ पढ़ डाली थी और उनकी वीर रस की कविताएँ मुझे बेहद पसंद थी। यह मेरा सौभाग्य था कि कवि रूप में प्रतिष्ठित हो जाने के पश्चात् मैं दिनकर जी के संपर्क में आया और उनसे मुझे स्नेह और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।'

इस प्रकार प्रगति चेतना जागृत करने वाले श्री 'दिनकर' जी का 'सरल' जी के साहित्य में बहुत प्रभाव पड़ा इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय काव्य के क्षेत्र में मैथिलीशरण गुप्त, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी तथा सुभद्राकुमारी चौहान आदि कवियों का व्यक्तित्व, सान्निध्य 'सरल' जी को प्राप्त हुआ।

5. मार्ग-दर्शन एक मसीहा का – 'सरल' जी को एक मसीहा के रूप में राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन जी का भी सौभाग्य से सान्निध्य प्राप्त हुआ था, उनके सानिध्य से उन्होंने बहुत कुछ सीखा।

इसी मसीहा ने 'सरल' जी को शहीदों पर महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रथम महाकाव्य भगत सिंह का विषय भी सुझाया था।

6. शहीद की माँ से प्रेरणा और आर्शीर्वचन – 'सरल' जी ने अपना पहला महाकाव्य 'सरदार भगत' सिंह 23 मार्च सन् 1963 को भगत सिंह की समाधि पर बैठकर लिखना प्रारंभ किया और उन्होंने 7 महीने एवं 23 दिन में 14 नवम्बर 1963 को उज्जैन में पूर्ण कर दिया। इतने शीघ्र लिख लेने का श्रेय 'सरल' जी भगत सिंह की माँ विद्यावती जी को देते है कि उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से थकान और निराशा अनुभव ही नहीं हुई। 'सरल' जी जब शहीद की माँ से मिलने गए थे और वहाँ से जब वे वापस लौट रहे थे, विदाई के समय शहीद की माँ ने यह कहा था –

'बेटे ! आशीर्वाद बोल कर क्या दूँ। मेरा रोम-रोम तुझे आशीर्वाद दे रहा है। मेरी तो तमन्ना है कि जब लिखना प्रारंभ करे तो पूरा करके ही दम ले। ऐसा न हो कि मैं ग्रंथ को बिना देखे ही चली जाऊँ।'

इन आर्शीवचनों का 'सरल' जी के साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा और क्रांतिकारी राष्ट्रीय साहित्य में उनकी लेखनी तीव्र होती गई।

7. समर्पण और त्याग की भावना – जब तक व्यक्ति के मन में समर्पण और त्याग की भावना जागृत नहीं होती, तब तक वह राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बारे में सोच भी नहीं सकता। त्याग और समर्पण ही व्यक्ति को राष्ट्रीय चिंतन की ओर प्रेरित करता है। 'सरल' जी बचपन से ही क्रांतिकारियों के समान जीवन यापन करने लगे। उन्होंने दूध, घी, मक्खन, मिठाई तो खाना छोड़ ही दिया साथ ही वे भूमि पर शयन करने लगे। कहीं से भी पारिश्रमिक मिलता था तो उसे भी अस्वीकार कर देते। ऐसी स्थिति में लोग उन्हें पागल समझने लगे। राष्ट्र की चिंता में दिन-रात परिश्रम करते घर से बाहर घूमते रहते। त्याग और समर्पण की भावना के कारण उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन राष्ट्र के नाम कर दिया। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था क्रांतिकारियों के जीवन को साहित्य के माध्यम से पाठकों के सम्मुख रखे ताकि लोगों में राष्ट्र के प्रति समर्पण और त्याग की भावना का संचार हो और वे स्वहित से राष्ट्र हित को ऊँचा समझे तथा सर्वस्व न्यौछावर को तत्पर रहे।

8. विभिन्न स्थलों की यात्राएँ – 'सरल' जी सामाजिक यथार्थ का साहित्य में अंकन करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साहित्य को लिखने के पूर्व तथ्यों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से विभिन्न स्थलों की यात्राएँ की। सबसे पहले वे शहीद भगत सिंह पर महाकाव्य लिखने से पहले वे शहीद के गृहग्राम पहुंचे और उनकी माँ विद्यादेवी से मिले। उनके हाथों से बनी रोटियाँ खाई। वे शहीद की समाधि के दर्शन करने के लिए फीरोजपुर भी गए। इस प्रकार उन्होंने शहीदों पर लेखन के लिए तथ्य जुटाने के लिए स्वयं के खर्च से दस देशों के भ्रमण क्रम में बीस लाख किलोमीटर की यात्राएँ की और अण्डमान निकोबार की उस काल कोठरी में भी रात्रि बिताई जिसमें वीर सावरकर को रखा गया था।

9. गोली मार दूँगा – 'सरल' जी भगत सिंह की समाधि के दर्शन करने जब फीरोजपुर गए तब वहाँ चर्चाएँ थी कि उज्जैन से एक शायर आया है वह भगत सिंह पर कुछ लिखना चाहता है। वहाँ एक दुबले-पतले व्यक्ति ने 'सरल' जी से कहा कि वे भगत सिंह पर लिखने का विचार त्याग दे। जब 'सरल' जी ने कहा कि मैंने ठान लिया है कि अवश्य लिखूँगा तब वह उत्तेजित होकर बोला कि यदि आपका लिखा ठीक नहीं हुआ तो गोली मार दूँगा ? जब 'सरल' जी ने उससे कहा कि मैं नेक इरादे से शहीद पर कुछ लिखना चाहता हूँ,तो आप एक कवि को गोली का निशाना क्यों बनाना चाहते हो ? इस बार उसका उत्तर था –

'भाई ! बुरा न मानना..............। आपके लिखने और बोलने का असर लोगों पर पड़ता है। यदि आप लोग ही क्रांतिकारियों के विषय में गलत बाते लिखने लगेंगे तो उनके प्रति लोगों में श्रृद्धा कम होती जाएगी। फिर मैं कहता हूँ कि क्रांतिकारियों के ऊपर लिखना सॉपों से खेलने के बराबर है। क्रांतिकारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है पर वह यह कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई व्यक्ति उसके सिद्धांत की हत्या करे। इसीलिए मैंनें आपसे निवेदन किया कि आप लिखने का विचार छोड़ दें। पर जब लिखना ही चाहते है तो लिखे और शौक से लिखे पर एक बात याद रहे कि क्रांतिकारियों के प्रति ऊल-जलूल लिखने का पुरस्कार गोली भी हो सकती है और उसके प्रति वफादारी निभाने का नतीजा शाही-मेहमानदारी भी हो सकती है।'

इस प्रकार 'सरल' जी ने सॉपों से खेलने का काम उम्र भर किया और इतना उत्कृष्ट साहित्य सृजन किया कि लोग उसे पढ़कर दांतो तले अंगुली दबा लिए।

10. एक क्रांतिकारी से परिचय – 'सरल' जी सरदार भगत सिंह महाकाव्य की पाण्डुलिपि किसी क्रांतिकारी को दिखाना चाहते थे, ताकि यदि कोई घटना गलत हो तो समय रहते सुधार ली जाए, इसके लिए वे भगतसिंह के साथी क्रांतिकारी डॉ. भगवान दास माहौर से मिले जो स्वयं भी एक कवि भी थे। 'सरल' जी से महाकाव्य सुनते-सुनते वे किसी दूसरे लोक में पहुंच गए और उनकी आँखों से ऐसा लग रहा था मानों खून टपक रहा हो। उनकी लाल आँखों को देख कर वे महाकाव्य बंद करने लगे, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लिखा है। मैं इसे एक और क्रांतिकारी साथी श्री सदा शिवराव मलकापुरकर जो झाँसी में रहते है उन्हीं के साथ शहीद चन्द्रशेखर आजाद

की कुटियाँ पर पूरा सुनेगें और फिर सुनने के बाद सभी को यह बहुत पसंद आया। इस प्रकार भगत सिंह महाकाव्य पर उनके ही क्रांतिकारी साथियों की स्वीकृति की मुहर लग चुकी थी, और शीघ्र ही यह प्रकाशित हो गया।

11. **क्रांतिकारी को प्रश्रय –** 'सरल' जी अशोक नगर से ट्रेन द्वारा गुना की यात्रा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति होमियोपैथी की दवाएँ खरीदने के लिए उनके साथ चल पड़ता है फिर बाद में वह गुना में रूक कर उनके मेहमान बने और घर पहूंचकर उन्होंने अपना असली परिचय इस प्रकार दिया –

'आपको पहचानने में मैंने भूल नहीं की। आप क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति है और क्रांतिकारियों के हिमायती भी। मैं स्वयं भी शहीद भगत सिंह और चन्द्रशेखर आजाद के दल का एक अवशिष्ट क्रांतिकारी हूँ। मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का वारेंट है। कुछ दिन मैं सुरक्षा की दृष्टि से इस ओर रहना चाहता हूँ। मेरा नाम छैल बिहारी है................। क्या आप मेरी कुछ व्यवस्था कर सकेंगे।' तब 'सरल' जी ने निकटस्थ पडोसी श्री ओंकार लाल पाठक के साथ मिलकर एक सिलाई की दुकान खुलवा दी। बाद में वे अचानक चले गए। इस प्रकार राष्ट्रीय चिंतन को प्रेरित करने में इन घटनाओं का अमूल्य योगदान है।

12. **परिवार का सहयोग –** 'सरल' जी का लेखन पारिवारिक सहयोग के कारण ही बढ़ता ही गया अन्यथा वे इतना साहित्य न लिख पाते। शहीद माता को दिया गया वचन 'सरल' जी को प्रतिपल चिंतित कर रहा था तब उनके बच्चों ने आश्वासन दिया –

'हम लोग अपनी–अपनी आवश्यकताओं को कम से कम कर देंगे और कोई ऐसी वस्तु नहीं माँगेंगे, जिसमें आपको अधिक पैसा खर्च करना पड़े। पत्नी ने कहा– 'मेरे पास सोने–चाँदी के जितने आभूषण है, उन्हें आप बेच दीजिए और किताब छपवा लीजिए।'

इस प्रकार 'सरल' जी के राष्ट्रीय साहित्य के सृजन तथा प्रकाशन में परिवार का अमूल्य योगदान है, तभी उनकी राष्ट्रीयता और बलवती होती गई जो राष्ट्रीय चिंतन को प्रेरित करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

13. **अमर शहीदों का चारण –** 'सरल' जी ने स्वयं को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। वे स्वयं को कवि या महाकवि नहीं बल्कि सरल शहीदों का चारण मानते थे उस समय जब लोग पैसे और वाहवाही लूटते थे तब 'सरल' जी भूखे पेट देश के शहीदों, क्रांतिकारियों पर लिखा करते थे। वे कलम के साथ–साथ तलवार के भी धनी थे और काँटो की राहों पर जीवन भर चलते रहे। उनके मन में देश का कल्याण, राष्ट्रोत्थान ही बसता था। वे वास्तव में धरती के सच्चे सपूत थे।

इन्हीं घटनाओं का प्रभाव 'सरल' जी के जीवन और सहित्य पर पड़ता गया जिससे राष्ट्रीय चिंतन सदैव प्रभावित होता गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्री कृष्ण सरल – कु. गोमती शनकुशल, प्रकाशक – सर्वोदय प्रकाशन भोपाल, 1989 ई.
2. सरल ग्रंथावली – श्रीकृष्ण 'सरल', राष्ट्रीय प्रकाशन, उज्जैन, 1992 ई.

****

साहित्यिक परिदृश्य में बुंदेलखंड का इतिहास

डॉ. अमित शुक्ल *

शोध सारांश – बुन्देलखण्ड के मूल निवासियों की मातृभाषा बुन्देली या बुन्देलखण्डी कहा जा सकता है। प्राचीन समय में बुन्देलखण्ड को चेदि जनपद के नाम से जाना जाता रहा। मध्यभारत के इतिहास में जुझौति, जैजाकभुक्ति, दषार्ण, चंदेरी तथा गुड़ानों आदि इसी जनपद के नाम समय–समय पर रहे है। इस जनपद का वर्तमान नाम बुन्देलखण्ड तथा इसकी प्रधान बोली या विभाषा बुन्देली है। बनाफरी, लोधान्ती, भदावरी, तिरहारी, तोमरी, कुन्डरी, कोष्टी निभट्टा जादौमाटी तथा खटोला आदि बुन्देली की ही सहायक उप बोलियाँ हैं। बुन्देली तथा उसकी उपबोलियों के नामकरण निराधार नहीं हैं, बल्कि यहाँ के मूल निवासियों तथा उनके भाषायी साहित्य, लोकसाहित्य, लोकसंस्कृति, लोकजीवन तथा लोक इतिहास पर किए गए शोधकार्यों के आधार पर अन्वेषकों द्वारा इनको नामांकित किया गया है। है। बुंदेलखंड के तीन प्रमुख सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनैतिक और कलात्मक केन्द्र पाए जाते हैं। जिनके माध्यम से बुंदेली की अमूल्य रचनाए आज हमारे समक्ष दृष्टिगत होती हैं।

शब्द कुंजी– साहित्य, बुन्देली, इतिहास, प्रधान, विभाषा, बुंदेलखंड, परम्पराओ, असंकलित, परिपूर्ण ग्रन्थों, विन्ध्य पर्वत, प्राचीन, सावर क्षेत्र, भक्ति–साहित्य, ब्रजभूमि ।

प्रस्तावना – बुन्देली का अधिकांश साहित्य यहाँ के संकलित तथा असंकलित दोनों परम्पराओं में पाया जाता है।[1] लोकगाथाएँ, लोकगीत, लोकोक्तियाँ तथा पहेलियाँ बुन्देलखण्ड की वाचिक परम्परा के असाधारण साहित्यिक भंडार हैं। बुन्देलखण्ड का साहित्य वीरगाथा कला, भक्ति और रीतिकालीन कवियों की रचनाओं से परिपूर्ण रहा, जो राजदरबारों से प्रवाहित हुआ। अनेक कवियों ने आदर्शवादी श्रृंगार रस से परिपूर्ण ग्रन्थों की रचना की, जिसमें राजा और उनके दरबारी विलास वैभव सरिता रस में अपना मनोरंजन रूपी मज्जन किया करते थे। राजदरबारों से उत्पन्न साहित्य जनसाधारण की आर्थिक विपन्नता, शोषण, दासता और मानसिक, सामाजिक रूढ़ियों से अच्छादित विघटित सामाजिक स्थिति की यथार्थ अभिव्यक्ति न कर सका और न समाज की पीड़ा को राजदरबारों तक पहुँचा सका।पन्ना के महाराजा छत्रसाल के दरबारी राजाश्रित कवि गोरेलाल (लाल कवि) ने छत्रप्रकाश ग्रन्थ तथा भूषण ने छत्रसाल दशाक ग्रन्थ की रचना की थी। इसी समय के कवि विष्णुदास ने एकादशी महात्म्य, हरिकेश ने बृजलीला ग्रन्थ एवं जगनसिंह ने दिग्विजय ग्रन्थ की रचना की थी। महाराजा हृदयशाह और सभासिंह के दरबारी कवि मानदास ने कृष्ण विलास ग्रन्थ, शिवनाथ ने रसरंजन, लेखारीदास ने छंदप्रकाश, श्रृंगाार निर्णय, रूपशाह ने रूपविलास और करनभट्ट ने रामचद्रिका ग्रन्थ की रचना की थी। महाराजा हिन्दूपत के भाई जसवन्तसिंह ने जसवंत विलास, भानकवि ने नरेन्द्रभूषण काव्य और बोधा कवि ने विरह वारिस ग्रन्थों तथा इश्कनामा ग्रन्थ की रचना की थी। बक्सी हंसराज उर्फ प्रेम सखी कवि ने स्नेह सागर, विरह विलास, बारहमासा एवं चुरहारिन लीला ग्रन्थों की रचना की थी। छतरपुर दरबार में राजनगर के अमरसिंह कवि थे जिन्होंने सुदामा चरित्र और अमर चन्द्रिका ग्रन्थों को रचना की थी। प्रसिद्ध साहित्यकार बाबू गुलाबराय इस राज्य के दीवान भी थे। वियोगी हरि ने वीर सतसई ग्रन्थ ओर साहित्य सागर ग्रन्थ की रचना की थी। महेन्द्र कुमार मानव ने जैन साहित्य में कृष्ण ग्रन्थ की रचना की है। बिजावर के राजा लक्ष्मणसिंह के दरबारी कवि प्रयागदास थे। बिजावर के हो जगन्नाथ लिटौरिया ने रसामृत ग्रन्थ एवं बिहारीलाल भट्ट ने सरस काव्य साहित्य सागर ग्रन्थ की रचना की थी। कुल मिलाकर अजयगढ़ के दरबारी कवि मदनसिंह ने कृष्णलीला ग्रन्थ और अम्बिका प्रसाद दिव्य–निमियाँ अनुवेदना, पिपासा, दिव्य दोहावली, पावस आदि अनेक ग्रन्थों के रचनाकार है। चन्देरी के राजा देवीसिंह ने देवीसिंह विलास, नृसिंह लीला, रहस्य लीला ग्रन्थों की रचना की थी। झाँसी और समथर दरबारों के कवि हरिदेव (1844ई.) थे जिन्होंने नागर नवरस ग्रन्थों की रचना की थी। बाँदा में रसिक लाल और हरिदास कवि, जालौन में वंशगोपाल भट्ट, मऊरानीपुर (झाँसी) में कुंजीलाल दुबे स्फुट श्रृंगार कवि थे।[2] गढ़ाकोटा के दरबारी कवि दुर्गसिंह ने रघुजी माल्पू भौंसले और राजा मर्दनसिंह के युद्ध का वर्णन, अमानराव ने रघुजी भौंसले, जीन बैप्टिस्ट और अर्जुनसिंह के युद्ध का वर्णन किया है। गढ़ाकोटा दरबार में ही घासीराम भट्ट और रमेश जुझौतिया (गढ़पहरा) भी थे। सागर के रघुनाथराव के दरबारी कवि पद्माकर भट्ट थे जो मौधा बाँदा और दतिया के राजदरबारों में भी जाते थे, ने पद्माभरण, प्रबोधपचासा, रामरसायन, हिम्मत बहादुर विरुदावली और गंगालहरी ग्रन्थें की रचना की थी। चरखारी दरबार के गोपालप्रताप शाह ने हरि भक्त, विनयचन्द्रिका ग्रन्थ, बिहारीलाल ने रसिक विलास और अलंकारभूषण ग्रन्थों की रचना की थी। साहित्य को जन–जन तक पहुँचाने में मधुकर पत्रिका कुण्डेश्वर (टीकमगढ़), लोकेन्द्र और विजय दतिया, विन्ध्यभूमि, पन्ना, विन्ध्यवाणी टीकमगढ़ एवं विन्ध्याचल, छतरपुर का विशेष योगदान था।[3] बुन्देलखण्ड' भू–भाग प्रागैतिहासिक काल में भी अपने अस्तित्व में था और आज भी है। यह वह भू–भाग है जो प्रमुख रूप से बुन्देले राजपूतों की निवास भूमि अथवा उनके द्वारा शासित भूमि रहा है। द्वितीय मान्यता के अनुसार बुन्देले इस भू–भाग के मूल निवासी नहीं हैं। यहाँ आकर बसने के पश्चात् ही बुन्देले कहलाए। जनश्रुति है कि गहरवार क्षत्रिय महाराज हेमकरन, काशी का राज्य छिन जाने पर इस भुभाग में आए तथा पुनश्च राज्य प्राप्ति हेतु उन्होने विन्ध्यवासिनी देवी की आराधना की। देवी को अपना सिर समर्पित करने के लिए जैसे ही अपनी तलवार उठाई, देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया, किन्तु उनके मस्तक पर तलवार की खरौंच लग ही गई और रक्त की कुछ बूँदे भूमि पर देवी के सामने गिर पड़ीं। अपने रक्त की बूँद देवी को समर्पित करने वाले हेमकरन महाराज की सन्तान बुन्देले कहलाए तथा इनकी निवास

---

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

भूमि 'बुन्देलखण्ड' नाम से सम्बोधित होने लगी। बुन्देलखंड विस्तृत भू-भाग में फैला हुआ है। बुन्देलखंड अनेक शासको के अधीन रहा है। इस कारण समय-समय पर इसका नाम भी बदलता रहा। महाभारत में भी इस प्रदेश का उल्लेख है, पुराण काल में यह चेदि जनपद के नाम से अभिहित हुआ है चेदि का दूसरा नाम 'डाहल' माना जाता है। इसको दस नदियों वाला 'दर्षाण' प्रदेश भी कहा गया है। विन्ध्य पर्वत की श्रेणियों से आवेष्टित होने के कारण इसे 'विन्ध्य भूमि' या 'विन्ध्य निलय', 'विन्ध्य पार्श्व' आदि संज्ञाएं भी मिली हैं। बुंदेलखंड में पुलिन्द जाति और शबरों का अनेक समय तक निवास रहा इसलिए कतिपय विद्धान इसे 'पुलिन्द प्रदेश' अथवा 'सावर क्षेत्र' भी घोषित करते हैं। बुन्देलखंड का वास्तविक इतिहास वि.सं. की नवीं सदी से प्रारम्भ होता है। चन्देल शासनकाल के उपरांत बुंदेलाओं का शासन काल प्रारंभ होता है, जिन स्थानों में चन्देलों ने राज्य किया था वे चन्देलों के शासन की समाप्ति के बाद बुंदेलों के अधीन हो गये थे। बुंदेलखंड के विभिन्न हिस्सों पर विभिन्न राजाओं के शासन रहे हैं।[4] दसवीं शताब्दी के पश्चात् देशी राजाओं ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना प्रारम्भ किया, हेमकरन ने बुंदेलखंड के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था और वे 'आदि-बुंदेला' की संज्ञा से अभिहित किए गए। हेमकरन के बाद वीरभद्र ने अफगान सरदार तातार खाँ को हराकर कालपी का क्षेत्र बुंदेला राज्य में मिलाया था इतिहासकारों ने सोहनपाल को भी बुंदेला शासन के सही संस्थापक के रूप में स्मरण किया है परन्तु महाराज रूद्रप्रताप के समय से ही बुंदेला राज्य की वास्तविक उन्नति मानी जाती है। रूद्रप्रताप ने परिहारों की राजधानी ओरछा का उद्धार किया और बुंदलखंड की नींव मजबूत की थी। उनके बाद महाराज मधुकर शाह ने अकबर के शासन काल में ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखा था। तत्पष्चात् वीरसिंह देव के साथ अकबर की अनबन हो गई, शाहजहाँ के शासनारूढ़ होते ही स्वतंत्र बुंदेलखण्ड की कल्पना साकार हुई। वीरसिंह देव को दबाने की असफल चेष्टा की गई, वीरसिंह देव के बाद चम्पतराय का न्यूनाधिक अर्थ में तथा महाराज छत्रसाल का विशेषतौर से बुंदेलखंड के निर्माण में योगदान रहा है। छत्रसाल के उपरान्त बुंदेलखंड मराठों के अधीन हुआ और राजविद्रोह के बाद अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। बुंदेलखंड के उपरोक्त इतिहास से यह स्पष्ट है कि दसवीं शताब्दी के बाद इसका निर्माण प्रारम्भ हुआ और मराठों के शासनकाल तक वह अनवरत गति से उन्नत करता गया। छत्रसाल की मृत्यु के उपरान्त बुंदेलखंड छिन्न-भिन्न हो गया। इन सात-आठ शताब्दियों में इस प्रदेश की कुछ निश्चित सांस्कृतिक, सामाजिक परम्परायें बनीं, जो आज तक विद्यमान हैं। हिन्दी का भक्ति-साहित्य ब्रजभूमि की देन है तो बुंदेलखंड ने हिन्दी रीति-साहित्य को समृद्ध करने में यथेष्ट योगदान दिया हैं।[5]

बुंदेलखंड, जिसे प्राचीन मध्य-देश कहा जाता है, काल्पी में वाल्मीकि आश्रम, जालौन में पाराशर कृष्ण द्वैपायन-वेदव्यास का स्थान आदि के लिए ही नहीं बल्कि उन स्थानों के लिए भी यह भूमि प्रसिद्ध है, जो महाभारत और रामायण में वर्णित है। बुंदेलखंड की अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परा है। इस प्राचीन मध्य-देश में जैनधर्म की (स्वर्णगिरि) समृद्ध और प्रसार हुआ, यही कुण्डलपुर तथा अन्य प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र हैं। 'चेदि' जनमत में यमुना और नर्मदा के मध्य का भाग था। चन्देल काल में नर्मदा के उत्तर पूर्व में तमसा तक, पश्चिम में वेत्रवती और उत्तर में यमुना के विशेष भाग थे। इसी क्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर, ओरछा, छतरपुर और पन्ना जैसे राज्यों को सांस्कृतिक केन्द्रों के रूप में विभिन्न शताब्दियों तक वह प्रसिद्धि मिली है जो संगीत, धर्म, उपदेश और साहित्य के माध्यम से आयी है। इस समय की व्यापक भाषा का स्वरूप चौदहवीं शताब्दी की भाषा से भिन्न हैं। चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी तक भाषा का एक निश्चित रूप बन चला था, जिसकी झलक विष्णुदास, सूर तथा तुलसी जैसे कवियों के साहित्य में मिलती है। बुंदेली में पर्याप्त साहित्य है, परन्तु शासन की उपेक्षा और बुंदेलखंड वासियों की मानसिक शिथिलता के कारण यह वांछित रूप से विकसित नहीं हो पाई। फिर भी विद्धानों ने बुंदेली में जो साहित्य लिखा वह कम महत्व का नहीं है, पर यह तो निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि बुंदेली का जन्म तो नवमी-दसमीं शताब्दी में ही हो चुका था। राहुल साँकृत्यायन ने ब्रज और बुंदेली के समानता पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है-'तुगलको के शासन के अंत में दिल्ली के सल्तनत के कमजोर पड़ जाने पर ब्रजग्वालियरी भाषा के क्षेत्र में राज्य कायम हुआ उसका केन्द्र ग्वालियर था, इसलिए 'ब्रज-बुंदेलखंडी' को 'ग्वालियरी' भाषा भी कहा जाने लगा। साथ ही राहुल जी ने लिखा है 'ब्रजभाषा और ग्वालियरी को कभी पर्याय माना जाता था। वस्तुतः बुंदेली और ब्रज इतनी समानतायें रखती हैं कि अभी भी कितने ही ब्रजभाषा भाषी बुंदेली को ब्रज की एक बोली ही मानते हैं और जब इस समय इतनी समानता है तो आज से साढ़े तीन सौ वर्ष पहले तो वह और भी रही होगी।[6]

निष्कर्ष यह है कि बुंदेलखंड का इतिहास साहित्यिक भंडार से भरा हुआ है। काव्य, भाषा और साहित्य पर यहां के लेखकों का अमूल्य योगदान है। बुंदेलखंड के तीन प्रमुख सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनैतिक और कलात्मक केन्द्र पाए जाते हैं। जिनके माध्यम से बुंदेली की अमूल्य रचनायें आज हमारे समक्ष दृष्टिगत होती हैं। इन क्षेत्रों में ओरछा, दतिया और पन्ना को लिया जाता है। शेष छुटपुट केन्दों में छतरपुर, झाँसी, टीकमगढ़, सागर (गढ़ाकोटा, गढ़पहरा) आदि आते हैं। ग्वालियर संगीत और साहित्य की दृष्टि से बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। जिसके माध्यम से विष्णुदास, रामदास, बख्शू, बैजू का पद साहित्य उपलब्ध होता है। भावभट्ट का अनूप संगीत रत्नाकर ग्वालियर के संगीतज्ञों और उनके पद साहित्य का यथेष्ट परिचय देता है। ग्वालियर की प्रसिद्धि 'ध्रुपदगायिकी' के कारण अधिक हुई थी। इसमें विष्णुदास के पदों को इतना महत्व मिला कि वे संगीत तक ही सीमित हो गए। बाद में पंडित हरिहर प्रसाद द्विवेदी की कृपा से मध्यदेशीय भाषा में एक ऐसी कवि के रूप में सामने आए कि ब्रजभाषा की प्राचीनता के विषय में अनेक प्रश्न उठने लगे। यह प्रश्न इस कारण भी उठा कि मथुरा और ग्वालियर के बीच की दूरी बहुत ही कम है। राजा मानसिंह को मृत्यु के पष्चात यह क्षेत्र भी बिखर गया और ओरछा में वीरसिंह देव जू के आश्रय में संगीत साहित्य की वृद्धि हुई। इस संगीत साहित्य की समृद्धि में केषवदास ने अपनी रचनाओं में उस समय के मध्य-देश का उल्लेख किया। केषवदास ने न केवल मध्य-देश का स्मरण किया है वरन् भारतभूमि की साँस्कृतिक परम्परा में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, उसको इसी मध्यप्रदेश में निहित माना है। इस प्रकार बुंदेलखंड के इतिहास का साहित्य भंडार वर्तमान समय तक आते - आते अत्यंत समृद्ध हो चुका है।[7]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दैनिक भास्कर, समाचार पत्र छतरपुर 27, दिसंबर 2015, पृष्ठ 04
2. नई दुनिया समाचार पत्र, इन्दौर, 05 फरवरी 2012 , पृष्ठ 05
3. जनसत्ता समाचार पत्र , नई दिल्ली , 04, अगस्त,2010, पृष्ठ, 05
4. आजकल, साहित्य की मासिक पत्रिका, नई दिल्ली, जनवरी 2011, पृष्ठ, 42
5. साहित्य अमृत, दिसंबर, 2016, पृष्ठ, 34
6. नव भारत समाचार पत्र, पन्ना , 06 जुलाई 2015, पृष्ठ , 04
7. स्वयं का सर्वेक्षण और निष्कर्ष।

संप्रेषणशील भाषा के रूप में हिन्दी का शिक्षण - वैश्विक परिदृश्य

संदीप सिद्ध * डॉ. शैला सिद्ध **

शोध सारांश – विश्व की प्रमुख संप्रेषणशील भाषा के रूप में हिन्दी उभर रही है। संप्रेषणशील भाषा के रूप में हिन्दी के शिक्षण को गति देने के लिए नई रणनीतियाँ बनानी होगी। इस तरह के किसी भी पाठ्यक्रम में बोलचाल की हिन्दी एवं संस्कृति और भाषा के गठबंधन को केन्द्रीय बिन्दु के रूप में रखना चाहिए। विश्वभर के विश्वविद्यालयों में जनसंचार माध्यमों की मदद लेकर हिन्दी के शिक्षण के नए प्रयोग किए गए हैं। विश्व हिन्दी सम्मेलनों और हिन्दी शिक्षण कार्यशालाओं में जो निष्कर्ष और संस्तुतियाँ पेश की जाती है। उनके आधार पर संप्रेषणी हिन्दी के पाठ्यक्रम आयोजित करने का प्रयास होना चाहिए। भाषा प्रोद्योगिकी एवं मल्टीमीडिया की मदद से हिन्दी के शिक्षण की सामग्री तैयार करने में विश्व के देशों से सहयोग लिया जा सकता है।

प्रस्तावना – दुनिया की महत्वपूर्ण संप्रेषणशील भाषाओं में हिन्दी का अग्रणी स्थान रहा है। संप्रेषणशील भाषाओं की प्रमुख पहचान यह है कि भाषिक सरलता, व्यपनशीलता एवं जनसंचार की क्षमता के कारण बाजारों, तीर्थ स्थानों एवं पर्यटन केन्द्रों में वे बोलचाल की माध्यम भाषाएँ बन जाती है। और कई भाषाओं को जोड़ने वाले माध्यम का कार्य करती है। इनकी तुलना में दुनिया की अनेक छोटी बड़ी भाषाएँ है। जो अपनी भाषिक सीमाओं को तोड़कर बाहर के विश्व में व्याप्त नहीं हो पाती विश्व भाषाओं में हिन्दी के अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पैनिश आदि संप्रेषणशील भाषाओं की कोटि में आती है। जनसंचार के क्षेत्र में हिन्दी अत्यंत लोकप्रिय भाषा रही है। और दुनियाभर में अनेक टीवी चैनलों से हिन्दी के दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम बहुभाषा-भाषी विश्व जनता तक पहुँच रहे है। टेलीविजन में संप्रेषित हिन्दी धारावाहिक भारत भर में और एशिया के हमारे पडोसी देशों में पसंद किए गए हैं। हिन्दुस्तानी संगीत और हिन्दी फिल्मी गीत भारत के हिंदीत्तर प्रदेशों, रूस, कजाकिस्तान, श्रीलंका, जापान आदि कई देशों में पहुत पसंद किए जाते है। दृश्य-श्रृव्य माध्यमों में हिन्दी का बोलचाल का रूप चूंकि बहुत लोकप्रिय है। इसलिए उसे जानने और सीखने की ललक लोगों में रहती है। इस संप्रेषणशीलता के कारण मध्यकाल के भक्ति आंदोलन और आधुनिक काल के स्वतंत्रता आंदोलन में हिन्दी के ऐतिहासिक महत्व की भुमिका रही। राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में गांधीजी और डॉ.अंबेडकर आदि नेताओं के द्वारा स्वीकृति मिलने के कारण ही हिंदी भारतीय संविधान के अनुसार राजभाषा बनी। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत के उच्च प्रशासन अधिकारी और शिक्षित उच्च वर्ग अंग्रेजी के जादु से जितना भी प्रभावित रहे, देश की 22 से अधिक प्रांतीय भाषाओं को बोलने वाली सामान्य जनता कि लिए हिन्दी ही प्रमुख सम्पर्क भाषा है। विश्व की शिक्षा संस्थाओं में हिन्दी शिक्षण के क्षेत्र में जो प्रयोग हो रहे हैं। उनके विश्लेषण से पता चलता है कि संप्रेषणशीलता भाषा के रूप में हिन्दी सीखने की मांग तेजी से बढ़ रही है।

2. एशिया की संपर्क भाषा हिन्दी का शिक्षण – दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए भारत के साथ जनसंपर्क की प्रमुख भाषा है हिन्दी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए यह बोलचाल की भाषा जिसे अकसर हिन्दुस्तानी कहा जाता है। एक सामान्य पैतृक संपत्ति है। इस कारण से पाकिस्तान वालों के लिए हिन्दी सीखना उतना मुश्किल नहीं है। लाहौर तथा पाकिस्तान के कुछ अन्य उच्च अध्ययन केन्द्रों में हिन्दी के अध्ययन की शुरूआत हुई है। हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध सुदृढ़ होगा तो हिन्दी के अध्ययन का यह कार्यक्रम भी प्रगति करेगा अफगानिस्तान के लोग भारतीयों के साथ अकसर इसी बोलचाल की हिन्दी के माध्यम से वार्तालाप करते हैं। दोनों देशों की सरकारों की नई पहल के रूप में हिन्दी के माध्यमिक और उच्च अध्ययन का कार्यक्रम काबुल में शुरू हुआ है। लेकिन द्विभाषी कोष, व्याकरण और दृश्य-श्रव्य पाठ्य सामग्री का कार्य अभी प्रारंभिक स्थिति में है। लगभग ऐसी ही स्थितियाँ बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया आदि देशों की है। सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा बांग्लादेश में हिन्दी का सफल अध्ययन संभव है। बर्मा में सैनिक शासन के बाद हमारा पुराना सांस्कृतिक संबंध लगभग समाप्त है। फिर भी कई संस्थानों में हिन्दी सीखने वाले लोगों की भी कमी नहीं। मलेशिया में पर्यटन के कारण हिन्दी शिक्षण की माँग बढी है। तिब्बत, नेपाल और चीन के सीमा क्षेत्रों में पर्यटकों, बौद्ध भिक्षुओं और व्यापारियों के द्वारा हिन्दी के प्रयोग का माहौल बनाया जाता है। पूरे नेपाल में हिन्दी लोकप्रिय भाषा है और यह उनके लिए संप्रेषण की दूसरी भाषा है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमांडु का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के समकक्ष ही है। वहाँ कॉलेजो में भी हिन्दी की पढ़ाई होने के कारण हिन्दी में मौलिक लेखन और अनुवाद में नेपाली विद्वान और छात्र माहिर हो जाते हैं। हिन्दी अध्ययन के विषय में श्रीलंका की स्थिति भी नेपाल जैसी ही है। गांधीजी द्वारा 1918 में दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार आंदोलन शुरू करने के बाद बहुत से हिन्दी प्रचाराक श्रीलंका में सक्रिय हुए थे। वहाँ के स्कूलों के हिन्दी पाठ्क्रम पर भी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के पाठ्यक्रम का प्रभाव था। चीन और जापान में हिन्दी के अध्ययन की काफी प्रगति हुई है। हांगकांग के बाजारों में एक व्यापारिक भाषा के रूप में हिन्दी पहले से ही चलती थी। चीन के पेइचिंग तथा अन्य कुछ विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा और साहित्य के उच्च अध्ययन की पुरी व्यवस्था है। एशिया के देशों में हिन्दी की उच्चतर

---

* शोधार्थी (हिन्दी) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, बदनावर, जिला धार (म.प्र.) भारत

पढ़ाई दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में स्थित हांकुक विश्वविद्यालय में भी होती है। कोरिया के अध्यापकों के अलावा भारतीय अध्यापक भी इसमें मदद देते हैं। हिन्दी शिक्षण एवं कोरियाई साहित्य का हिन्दी अनुवाद, पाठ्यपुस्तक निर्माण आदि में भारतीय अतिथि अध्यापक भी सहयोग देते हैं। हांकुक विश्वविद्यालय का हिन्दी पाठ्यक्रम बहुत ही स्तरीय है। एशिया के देशो में इसराइल के तेलअवीव विश्वविद्यालय में भी हिन्दी की उच्चस्तरीय पढ़ाई हो रही है। एशिया के हिन्दी विद्वानों में आम धारणा है। कि यदि भारत में हिन्दी को उचित स्थान मिलेगा तो एशिया के देशों में भी उसके अध्ययन-अध्यापन की स्थिति सुधरेगी।

3. विश्व भाषा हिन्दी का शिक्षण - किसी भी देश के लिए गौरव की बात होती है कि उसकी भाषा या भाषाओं का अध्ययन विदेशियों द्वारा उच्च स्तर पर तथा व्यापक रूप में हो और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उन्हें ख्याति प्राप्त हो भारत की भारती यानी हिन्दी भाषा अपनी गरिमा के कारण केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों के महाविद्यालयों, विश्व विद्यालयों में गौरव पूर्ण स्थान पा चुकी है। इससे भारतीय ही नहीं विदेशी भी अपने को गौरवान्वित समझते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर हिन्दी फैल गई है तथा विकसित भी हुई है, बोलने वालों की संख्या के हिसाब से हिन्दी विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत को समझने की दृष्टि से संसार के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन होता है। योरप के अधिकांश समाजवादी देशों में हिन्दी अध्ययन की व्यवस्था भारत सरकार तथा इन देशों की सरकारों के बीच विभिन्न सांस्कृतिक विनिमय समझोतों के एक अंग के रूप में की जाती है। समय-समय पर भारतीय हिन्दी प्रोफेसर हिन्दी अध्यापन के लिए भेजा जाता है। रोमानिया, बुल्गारिया तथा पूर्वी जर्मनी में इसी प्रकार की व्यवस्था है, रूस, चेकोस्लोवाकिया, पौलेंड, युगोस्लाविया तथा हंगरी के विश्वविद्यालयों में हिन्दी अध्यापन का कार्य लगभग पूरी तरह से स्थानीय हिन्दी प्राध्यापकों द्वारा संचालित किया जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में 33 विश्वविद्यालय में हिन्दी का अध्ययन होता है यह अध्ययन मुख्यत: हिन्दी व्याकरण तथा व्यवहार की भाषा के अध्ययन के रूप में होता है। आज अमेरिका के पैनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय का फिलाडेल्फिया स्थित लॉडर इंस्टिट्युट और वॉर्टन स्कूल के बी.ए. और एम.ए. कोर्स में हिन्दी के दो वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं सोवियत संघ में हिन्दी भाषा और साहित्य का व्यापक आधार पर अध्ययन, अनुवाद और अनुसंधान कार्य चल रहा है। चीन में हिन्दी भाषा का शुभारंभ 1942 में हुआ तथा चीन के विभिन्न प्रांतो से विद्यार्थियों को हिन्दी सीखने के लिए पेइचिंग विश्वविद्यालय में बुलाया जाता है। ब्रिटेन में हिन्दी का नियमित शिक्षण तीन विश्वविद्यलयों में होता है। लंदन विश्वविद्यालय, केंब्रिज और यॉर्क विश्वविद्यालय में भाषा के साथ-साथ क्षेत्रिय संस्कृति, सामाजिक जीवन और राजनीति आदि पर विशेष जोर दिया जाता है। पश्चिम जर्मनी के 14 विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में हिन्दी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन होता है। हॉलेण्ड में चार विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन हो रहा है। फ्रांस में पेरिस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बोलचाल की हिन्दी, संस्कृति तथा साहित्य तीनों पर विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दो विश्वविद्यालयों कैनबरा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और मेलबर्न विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ाई जाती है ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना के विश्वविद्यालय में भी हिन्दी अध्यापन का प्रबंध है। बेल्जियम के तीन विश्वविद्यालय कैट, लेर्ब और लैगी विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ाई जाती है। नीदरलैंड के लीरडिन और यूट्रेक विश्वविद्यालय में भी हिन्दी पढ़ाई जाती है। जापान में हिन्दी भाषा काफी लोकप्रिय है फिजी में हिन्दी भाषा को असाधारण गौरव प्राप्त है। यहाँ पर हिन्दी व्यापार की भाषा है, बाजार की भाषा है, किसान और कारखानों की भाषा है। मॉरिशस में हिन्दी नियमित रूप से पढ़ाई जाती है, आज विदेशी हिन्दी भाषा में साहित्य सृजन कर रहे हैं, इसलिए हिन्दी आज विश्व की एक प्रतिष्ठित भाषा बन गई है और पूरे विश्व में धीरे-धीरे अपनी जडें ज़माने लगी है।

4. निष्कर्ष - वर्तमान में हिन्दी भाषा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिष्ठित भाषा का स्थान ले चुकी है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को राजभाषा का स्थान मिला इसके बावजूद हिन्दी भाषा का विकास धीरे-धीरे चला। सन् 1960 से 1971 तक हिन्दी भाषा की स्थिति में परिवर्तन होता गया। सन्1971 से 1981 के बीच हिन्दी विश्व सम्मेलनों की शुरूआत हुई। और एक स्वतंत्र भाषा विभाग की स्थापना हुई। 1981 से 1990 तक प्रौद्योगिकी विकास के साथ-साथ हिन्दी भाषा का व्यापक प्रसार प्रचार हुआ। जन संचार के माध्यम से हिन्दी शिक्षण देश-विदेश में फैलने लगा। वर्तमान में विज्ञान के विकास के साथ-साथ हिन्दी भाषा का विकास तेजी के साथ देखा जा रहा है। आज हिन्दी भाषा न केवल देश में वरन् अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सर्वोच्च स्थान बना सकी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चतुर्वेदी विजय शंकर (2009 सितम्बर) हिन्दी के दिन लदे या फिरे?: (दैनिक भास्कर)।
2. गोरे सुधीर (2009 अप्रेल) उभार पर हिन्दी भाषी क्षेत्र : (इंडिया टुडे)
3. जोशी गौतम (2009 सितम्बर) क्या आप हिन्दी में बात कर सकते हैं प्लीज : (नईदुनिया)
4. कौल लोकेश, (2007) शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, नई दिल्ली : विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा.लि.।
5. मिश्र केशरीनन्दन (2007) हिन्दी भाषा संरचना इन्दौर : अलंकार प्रकाशन।
6. पाण्डेय रामशकल, (2005) नई शिक्षा नीति आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
7. सिंह कर्ण, (2002) भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएँ: गोविन्द प्रकाशन।
8. शर्मा राजकुमारी (2002) हिन्दी शिक्षण : राधा प्रकाशन।
9. शर्मा गंगाराम भारद्वाज सुधीर कुमार (2007) हिन्दी भाषा शिक्षण : आगरा : एच.पी. भार्गव बुक हाऊस।
10. शर्मा आर.के. (2007) हिन्दी भाषा शिक्षण : आगरा राधा प्रकाशन मंदिर।
11. शर्मा राजीव (2005) हिन्दी भाषा : इन्दौर : देवी अहिल्या प्रकाशन
12. शर्मा शंकर दयाल (2005) शिक्षा के आयाम : दिल्ली : प्रभात प्रकाशन
13. सिंह गोपाल (2010 सितम्बर) अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन रही है हिन्दी: (नईदुनिया)।
14. शर्मा दुष्यंत (2010 सितम्बर) क्यों नहीं हुआ भाषा का भला (नईदुनिया)।
15. शर्मा शैलेन्द्र (2010 सितम्बर) हिन्दी है हम (दैनिक भास्कर)।
16. विद्याश्री (2009) हिन्दीत्तार प्रदेशों में हिन्दी भाषा शिक्षण।

समाचारों में भाषागत निहित संभावनाएँ

डॉ. चन्द्रकला चौहान *

प्रस्तावना– समाचार मात्र सूचना ही नहीं ज्ञान एवं प्रेरणा का भी आधार है। समाचार को पढ़ते ही सृजन एवं विध्वंस की समस्त संभावनाएँ मूर्तिमान हो उठती है। पराधीन भारत में समाचार तूफानी झंझावातों के मध्य में फंसा रहा और देशवासियों के मार्गदर्शन में भी समाचार ने अहम भूमिका निभाई। आदर्श पत्रकारिता निर्माण की पृष्ठभूमि समाचार ने ही तैयार की। समाचार ने क्रूर और कठोर शासन की अवहेलना की और समय आने पर राष्ट्रीय आवेश में गलत राह पकड़ने वालों की भी समाचार ने परवाह नहीं की। समाचार ने अत्याचार का भी खुलकर विरोध किया। इस तरह समाचार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और रहेगी। पर समाचार का महत्वपूर्ण हथियार है भाषा। भाषा ही समाचार के अस्तित्व का मूल कारण है। अत: यह अपरिहार्य सत्य है कि सामचार की भाषा कैसी हो।

हिन्दी भाषा के शब्द इस विशेषता से वंचित नहीं है। उसका अपना इतिहास और वही इतिहास हमारी संस्कृति का भी इतिहास है। उन शब्दों में अर्थ की अपेक्षा उनकी ध्वनि में हमारी आत्मा प्रस्फुटित होती है। इन भेदों में प्रांतीय विशेषता है और यह विशेषता बहुत प्राचीन काल से धीरे-धीरे हमारी जातीय जीवन के साथ-साथ विकसित हुई है। हमारी जातीय आत्मा और हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी बोली, हमारी मानसिक विशेषता और हमारे उच्चारण ये सब एक दूसरे से संबंद्ध हैं, एक-दूसरे पर आश्रित है और एक-दूसरे के बिना जी नहीं सकते। [1]

पत्रकारिता को लिटरेयर इन हेस्ट, शीघ्र साहित्य, माना जाता है। इस शीघ्र साहित्य से हमारी भाषाएँ विकसित और संपन्न हुई है। तिलक जी ने ब्यूरोक्रेसी के लिए नौकर शाही शब्द चला दिया बाबूराव विष्णु पराड़कर ने ऐसे कितने ही सरल शब्दों से हिंदी को संपन्न बनाया। नेशन के लिए राष्ट्र तथा इंफलेशन के लिए राष्ट्र तथा इंफलेशन के लिए मुद्रास्फीति जैसे शब्द प्रचलित हो गए। [2]

समाचार पत्रों में भाषा एक लेखनी का परिणाम नहीं होती। क्योंकि समाचार-पत्रों में काम करने वाले पत्रकारों की अध्ययनगत पृष्ठभूमि भी भिन्न ही होती है। एक ओर जहाँ अंग्रेजी पत्रों की तुलना में हिंदी पत्रों की कुछ सीमाएँ हैं वहीं दूसरी ओर पत्रों के कुछ विशेषाधिकार भी हैं। अत: हिन्दी पत्रकार विविध, स्तंभों की भाषा के स्वरूप रचना के समय सभी वर्गों की ओर दृष्टि रखता है। वर्तमान जीवन की नव्यतम स्थितियों को सबसे पहले लिखित रूप से पाठकों तक पहुँचाने का उत्तरदायित्व दैनिक समाचार-पत्रों का है। किसी घटना या स्थिति विशेष के लिए शब्द भाषा या अभिव्यंजना पद्धति की गठन की समस्या का सामना सर्वप्रथम समाचार-पत्र ही करते है। इसके लिए उन्हें अनेक बार प्रचलित पद्धति से हटना पड़ता है। [3]

1. आज हर वस्तु बाजारीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है, भले ही वह वैश्विक, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या भाषायी बाजार हो। आज जबकि समस्त महाद्वीप, देश तथा राष्ट्र बाजार का अंग बन चूके है, तब ऐसी स्थिति में भारतीय पत्रकारिता इससे अछूती कैसे रह सकती है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं हैं कि पत्रकारिता के अन्याय के विरूद्ध अभियान तो जारी रखना होगा ही, साथ ही उसे आर्थिक अभिवृद्धि एवं विकास के अधिवक्ता के रूप में भी सामने आना होगा।
2. बड़े पत्र-पत्रिकाओं के प्रबन्ध के शीर्ष पर जो लोग वर्तमान में आसीन है, उनकी प्रथम प्राथमिकता अंग्रेजी है। वे सारे लोग अंग्रेजी में ही पढ़ते, लिखते तथा सोचते है, उनकी चिन्ताएँ जीवन-शैली तथा औचित्य अंग्रेजियत वाले ही है। इन लोगों को अपने भारतीय भाषा से संबंध पत्र-पत्रिका से वैसा लगाव नहीं है, जैसा अंग्रेजी पत्र-पत्रिका से है। अंग्रेजी के पत्रों को या तो सरकारी रियायती कागज दिया न जाए, अगर दिया भी जाए, तो भारतीय भाषायी पत्रों के मुकाबले अधिक मूल्य पर इस संरक्षण से जहां भारतीय भाषाओं के पत्रों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी साथ ही भारतीय भाषाओं के विकास का भारत सरकार का दायित्व भी पूरा होगा। यद्यपि यह सुझाव अत्यन्त सरल संरचना वाला तथा दूरगामी शुभ परिणामों वाला है, किन्तु शीर्ष पर बैठे कालनेमियों को यह रास नहीं आएगा।
3. पत्र-पत्रिकाओं की अर्थव्यवस्था में विज्ञापनों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञापनों के बिना समाचार-पत्रों को बहुत दिनों तक चला पाना असंभव है। विज्ञापन प्राप्त करने के लिए समाचार-पत्र की प्रसार संख्या का अधिक होना ही पर्याप्त नहीं है, विज्ञापनदाता की मानसिकता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए बड़े अखबार समूहों के सामर्थ्यवान मालिकों को अपनी भूमिका बदलनी होगी तथा भारतीय भाषाओं के पत्र-पत्रिकाओं के लिए नये सिरे से कुछ करना होगा।
4. समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन यह बताते है कि अधिकतर को वेतन बहुत कम मिलता है, यहाँ तक कि दिल्ली में एक अकुशल मजदूर को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी से भी कम। उनके पत्रों में तो सम्पादक तथा सहायक सम्पादक जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी वर्षों तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता तथा उन्हें तदर्थ आधार पर लटकाए, रखा जाता है। विधान सम्मत आर्थिक सुविधाएँ प्रदान करना तो बहुत दूर की बात है। इस व्यापक दुर्दशा को दूर करने के लिए समाचार-पत्र उद्योग में कर्मचारियों के नियमन तथा सेवाशर्तों को कठोरता से लागू कराने की तत्काल आवश्यकता है।
5. अभी तक विशुद्ध विज्ञापन की मानसिकता से यह माना जाता था कि अंग्रेजी समाचार-पत्रों के पाठक वर्ग की क्रय शक्ति भारतीय भाषाओं

---

* शोधार्थी (हिन्दी) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

के पत्रों के पाठक वर्ग से अधिक है। समाचार-पत्र उद्योग में अखबारी कागज की महत्वपूर्ण भूमिका है। कागज की कमी उद्योग के समक्ष संकट उत्पन्न कर देती है, जैसे-जैसे साक्षरता का प्रसार हुआ है, वैसे-वैसे पाठकीयता का भी फैलाव हुआ है। भारतीय भाषाओं में एक विशाल पाठक वर्ग तैयार हुआ है। जिसके चलते सिनेमा, खेल तथा अन्य विशिष्ट विषयों की पत्रिकाओं की मांग काफी बढ़ी है। पत्र-पत्रिकाओं का प्रसार नि:सन्देह बढ़ा है, किन्तु विचार पत्रकारिता के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। आज अधिकांश पत्र-पत्रिकाओं पर हल्के-फुल्के तथा चालू लेख व समाचार छाए हुए है जिससे गम्भीर विचार हाशिए पर आ गए है। सूचना विस्फोट के आधुनिक युग में भी पाठकों को नए विचार तथा नयी जानकारी के अतिरिक्त आत्मिक जुड़ाव चाहिए। इस कार्य को अधिक सार्थकता के साथ पत्रकारों विशेषकर नए पत्रकारो केा करना होगा। उनको आधुनिकतम ज्ञान को अपने पाठकों तक पहुंचाने के साथ-साथ यह भी बताना पड़ेगा कि कौन लोग राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध खड़े है। भारतीय पत्रकारिता की ठोस पहचान पाठकों के साथ जुड़कर संघर्ष से ही बनेगी। पाठकों से सीधा संवाद ही सत्ता व समाज के चरित्र में बदलाव का हथियार बनेगा। इस नए इतिहास को पत्रकारों को अपने साधारण तथा संघर्ष से लिखना पड़ेगा।

6. भारतीय पत्रकारिता को जन्म देने, उसे उत्कृष्ट बनाने में बाबू राव विष्णु पराड़कर, पं. अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, गणेशशंकर विद्यार्थी, श्री लक्ष्मी नारायण गर्दे, लोकमान्य तिलक, योगी श्री अरविन्द, महाप्राण पं. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, महामना मालवीय, भारतेन्दु हरिषचन्द्र, श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी, पं. रामचन्द्र शुक्ल आदि का अप्रतिम योगदान है। भारतीय पत्रकारिता का यह पुनीत दायित्व है कि वह इनके व्यक्तित्व व योगदान का व्यापक प्रचार-प्रसार करे तथा इनकी जयन्तियों को उत्साह पूर्वक मनाया जाए, ताकि हम पर कृतघ्न न होने का आरोप न लग सके।
7. वर्तमान समय में भाषा सभी खबरों को तेज गति से प्रेषित कर रही है। संसद सत्रों में इसकी गति और भी बढ़ जाती है। इस प्रकार भाषा एजेन्सी हिन्दी पत्रकारिता को नया आयाम देने की कोशिश कर रही है। डॉ. वेदप्रताप वैदिक का तो कहना यह है कि भाषा की खबर उसी के नाम से बिकनी चाहिए जैसे स्टील टाटा की, जूते बांटा के और खबर भाषा की।[4] भाषा ने हिन्दी में अत्यन्त सरल व बोधगम्य भाषा तो अपनाई ही है, साथ ही रूटीन समाचारों की लीक से हटकर साहित्यिक व सांस्कृतिक समाचारों को भी स्थान देकर नए मूल्य स्थापित कर समाचारों की एक नई परिभाषा कायम की हैं,जिसमें ताजगी व मौलिकता का अनुभव होता है।
8. विगत वर्षो, विशेषकर पिछले दो दशकों में मूल्यों का सर्वाधिक शरण हुआ है। राजनेताओं अफसरों तथा माफिया गिरोह के बीच सांठगांठ से हिंसा तथा सार्वजनिक धन की लूट का नया कीर्तिमान बनाया गया है। इस चुनौती का सामना करने के लिए जनमत तैयार करने का कार्य पत्रकार नहीं कर सके है। विम्बल्डन टेनिस चैम्पियनशिप के अवसर पर बी.बी.सी. ने एक प्रतिवेदन में यह सूचना दी कि वहां कवरेज के लिए एकत्र पत्रकारों में अस्सी प्रतिशत से अधिक स्वतन्त्र पत्रकार (फ्रीलान्सर) थे। इस प्रकार का कोई आयोजन यदि भारत में हो तो स्वतन्त्र पत्रकारों की यह संख्या काफी नीचे तक आ जाएगी। अपनी बिरादरी द्वारा उपेक्षा का प्रभाव समाज के अन्य क्षेत्रों पर पड़ा है। भारतीय पत्रकारिता में सरलीकरण का एक रोग जोरों पर है। आज आवष्यकता इस बात की भी है, कि सरलीकरण के नाम पर भाषा को विकृत न बनाया जाए बल्कि पाठकों के समक्ष एक संस्कारित व उत्तम भाषा में ही विचार रखे जाए तथा भाषा को अपने ही कोष से समृद्ध बनाने का सार्थक प्रयास किया जाए।
9. देश में साक्षरता बढ़ रही है, पाठक भी बढ़ रहे है। अंग्रेजी पत्रकारिता का क्षेत्र एवं प्रभाव बहुत सीमित है, जो कालान्तर में ओर कम होगा। हिन्दी तथा अन्य भाषायी समाचार-पत्र देशव्यापी है। इस स्थिति का अनुचित लाभ विज्ञापनदाता उठा रहे है। अपनी स्थिति का फायदा उठाकर वे नितान्त अश्लील, परम्परा, विरूद्ध भ्रामक विज्ञापन प्रकाषित कराने में सफल हो रहे है। इस प्रवृत्ति पर तत्काल नियन्त्रण की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया यह सुझाव अत्यन्त प्रभावी सिद्ध होगा कि एक विज्ञापन संघ बनाया जाए जो कि प्रकाशन से पूर्व विज्ञापन की सत्यता, शालीनता, तथ्यपरकता की जांच करें। इसके बाद ही विज्ञापन प्रकाषित हों। जब तक यह सुझाव मूर्त रूप नहीं लेता तब तक पत्र-पत्रिकाओं को आत्मसंयम से काम लेते हुए ऐसे विज्ञापनों को रोकना चाहिए।
10. भारत में पत्रकारिता शिक्षा का इतिहास मात्र पचास वर्ष पुराना है। यदि हम यह मान लें कि भारत में व्यवस्थित ढंग से पत्रकारिता 19वीं शताब्दी की तीसरे चौथे दषक में आरम्भ हुई तो भी पत्रकारिता षिक्षा का आरंभ होने में पूरी एक शताब्दी लगी। इतना ही नहीं?, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय सहित कई केन्द्रों में डाक द्वारा भी पत्रकारिता पढ़ाई जा रही है। पत्रकारिता शिक्षा का तेजी से विकास हो रहा है। किन्तु इसके बावजूद प्रशिक्षण सेवाएं, जनसंचार उद्योग की आवश्यकताएँ पूर्ण करने में असमर्थ प्रतीत होती है। इसलिए आवष्यकता इस बात की है कि पत्रकारिता शिक्षा के स्वरूप पर खुली बहस हो तथा उसे समाचार-पत्र उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर इस दिशा में कार्यारम्भ किया जाए।

अत: कहा जा सकता है कि समाचार -पत्रों ने जहां भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं भाषा के मानक रूप की अवहेलना के लिए भी वे ही जिम्मेदार है। अपनी भाषा के गौरव को बनाए रखना हम सबका दायित्व है। समाचार-पत्रों के सम्पादकों को भी इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए, जो राष्ट्र की समस्याओं पर गहन चिन्तन करते है। पाठक वर्ग समय-समय पर इस संबंध में संपादकों का ध्यान आकर्षण करें, तभी हम अपनी भाषा की अस्मिता को यथावत बनाये रखने का कुछ प्रयास कर सकेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. आकाशवाणी पत्रिका: हिन्दी का स्वरूप: पराड़कर जी के विचार, पत्रिका अंक, 16 जुलाई, 1983, संपादक- ओमप्रकाश केजरीवाल, पृ.सं. 2
2. महाराष्ट्र मानस, 25 नवंबर 1983, पृ.सं. 44
3. हिन्दी पत्रकारिता विविध आयाम, वेद प्रताप वेदिक, पृ.सं. 498
4. पत्रकारिता के सिद्धांत एवं मूल तत्व, मनीषा द्विवेदी, शशीप्रभा शर्मा, पृ.सं. 148

गुणों के रत्नाकर वर्धमान महावीर-संस्कृत काव्यों के आलोक में

डॉ. संगीता मेहता *

प्रस्तावना - वर्धमान महावीर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की परम्परा में चौबीसवें तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। अत: वे जैन संस्कृति के त्रेसठशलाका पुरूषों में शीर्षस्थ पर परिगणित है। वर्धमान महावीर ऐतिहासिक महापुरूष रहे हैं। ये वैशाली के महाराजा सिद्धार्थ तथा महारानी त्रिशला के पुत्र हैं।

समग्र जैन साहित्य तीर्थंकर महावीर की दिव्य ध्वनि के आधार पर गणधरों द्वारा निबद्ध द्वादशांग वाणी के दिव्य संदेश को जनजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से लिखा गया है। अत: वाङ्मय का मूलाधार भी द्वादशांग वाणी ही है। तीर्थंकर महावीर के उदात्त जीवन एवं दर्शन पर आधारित विविध विधाओं में विरचित संस्कृत वाङ्मय में जैन संस्कृत पुराण, महाकाव्य, गद्य, पद्य एवं चम्पू काव्य, कथा एवं स्तोत्र साहित्य आदि की सुदीर्घ श्रृंखला है। इनमें महाकवि असग (वि.सं.910) विरचित 'वर्धमान चरितम्,' भट्टारक सकलकीर्ति (ई.सन् 1433 के लगभग) कृत 'वीरवर्धमानचरितम्' तथा आचार्य ज्ञानसागर (ई.सन् 1892) प्रणीत 'वीरोदयकाव्य' विशेष महाकाव्य हैं। कवि पदमनन्दिकृत 'वर्धमानचरितम्' अद्यापि अप्रकाशित है। श्रीमद्बुद्धिसागर सूरि ने 'जैन महावीरगीता' मुनि न्यायविजय ने 'वीरविभूति' एवं पं.मूलचन्द्र शास्त्री ने 'वर्धमान चम्पू' काव्य का प्रणयन किया। पण्डितरत्न श्रीपादशास्त्री हसूरकर प्रणीत 'वर्धमानस्वामि-चरितम् गद्यकाव्य, श्री बिहारीलाल शर्मा प्रणीत 'मंगलायतनम्' गद्यकाव्य, शिवप्रसाद भारद्वाज प्रणीत 'महावीरचरितम्' शतककाव्य आदि काव्य भी उल्लेखनीय हैं। संस्कृत काव्यों के आलोक में वर्धमान महावीर के पूर्व भवों का इतिवृत्तात्मक वर्णन तथा उनकी उदात्त चारित्रिक विशेषताओं का शब्दांकन यहां प्रस्तुत है।

वर्धमान महावीर के पूर्वभव - महावीर की तीर्थंकर अवस्था उनके पूर्वभवों की साधना का ही विकसित रूप है। असग ने वर्धमानचरितम् के प्रथम सोलह सर्गो में महावीर के पूर्वभवों तथा अन्तिम दो सर्ग में महावीर क्र वर्तमान भव वर्णित है। उनके पूर्वभवों के नाम है। पुरूरवा, सौधर्म स्वर्ग में देव, मरीचि, पंचम स्वर्ग में देव, मैत्रायण, प्रथम स्वर्ग में देव, पुष्पमित्र, ऐशानस्वर्ग में देव, अग्निमित्र, माहेन्द्र स्वर्ग में देव, भारद्वाज माहेन्द्र स्वर्ग में देव, स्थावर, दशसागर की आयु का देव, विश्वनन्दी, महेन्द्रकल्प में देव, त्रिपृष्ठ, सातवें नरक में नारकी, सिंह, प्रथम नरक में नारकी, सिंह, हरिध्वज नामक देव, कनकध्वज, कापिष्ठ स्वर्ग में देव, हरिषेण, महाशुक्र स्वर्ग में प्रीतिकरदेव, प्रियमित्र सहस्रसार स्वर्ग में सूर्यप्रभ नामक देव, नन्दन एवं पुष्पोत्तर विमान में देव।

मुनि पद्मनन्दि कृत वर्धमानचरित दो परिच्छेदों में विभक्त है। इस काव्य के 528 पद्यों में से 429 पद्यों में पूर्वभव तथा 117 पद्यों में महावीर का चरित्रांकन है।

वीरवर्धमानचरितम् में वर्णित महावीर के पूर्वभव असगकृत वर्धमानचरितम् के समान ही है। केवल वीरवर्धमानचरितम् में मैत्रायण के स्थान पर जटिल तथा कनकध्वज के स्थान पर कनकोज्जवल नाम है। मुनि ज्ञानसागर कृत वीरोदय काव्य में 29 पद्यों में महावीर के इक्कीस पूर्वभव वर्णित हैं।

वर्धमान महावीर का व्यक्तित्व। धीर, वीर, वीतरागी, उग्रतपस्वी, एवं परीषहजयी, केवलज्ञानी, अहिंसा की साक्षात् प्रतिमूर्ति, समदर्शी, तत्त्वार्थदर्शी, महान् उपसर्ग एवं लोककल्याणकारी महापुरूष के रूप में वर्धमान महावीर के अलौकिक गुणों एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व का चित्रण संस्कृत काव्यों में किया गया है।

अलौकिक व्यक्तित्व- महावीर के गर्भावतरण के छ: मास पूर्व ही दिक्कुमारी देवियों ने माता की सेवा तथा कुबेर ने रत्नवृष्टि आरम्भ कर दी। माता ने सोलह शुभ स्वप्न देखे। गर्भावतरण के समय देवों ने गर्भ- कल्याणकोत्सव सम्पन्न किया।[1] महावीर के जन्म के माहात्म्य से समस्त प्राणियों के हृदय के साथ समस्त दिशाएं प्रसन्न एवम् आकाश निर्मल हो गया। मदोन्मत्त भ्रमरों से व्याप्त देवपुष्पों की वृष्टि होने लगी। इहलोक में ही नहीं अपितु देवलोक में भी परिवर्तन होने लगे। चतुर्निकाय के देवों के सिंहासन कांपने लगे, स्वत: घण्टा, भेरि, शंख एवं सिंहनाद आदि अनेक दिव्य घटनाएं होने लगी।[2]

शिशु वर्धमान को सुमेरू पर्वत पर ले जाकर देवानुगत इन्द्र ने क्षीर सागर के जल से परिपूरित स्वर्ण मणिमय एक हजार आठ कलशों से अभिषिक्त किया।[3] तीर्थंकर का अनन्त बल स्वभाव से ही होता है। अभिषेक के समय नासिका में प्रविष्ट जल से बालक जिनेन्द्र ने निरन्तर छींक ली, जिससे सुमेरू पर्वत कांप उठा, देवेन्द्र जीर्ण तृण के समान उनके चरणों में गिर गए। नम्रीभूत हो देवेन्द्र ने जिनेन्द्र बालक को 'वीर' नाम से विभूषित किया।[4]

जन्माभिषेक के पश्चात् इन्द्रों ने लोक-व्यवहार की प्रसिद्धि के लिए सार्थक और सारभूत कर्मरूपी शत्रुओं ने नाश हेतु 'महावीर' तथा वर्धमान गुणों के आश्रय से 'वर्धमान' नाम से अलंकृत किया।[5] महाकवि असग ने वर्धमान चरितम् में कहा है कि बालक वर्धमान के गर्भकाल से बढ़ती हुई कुल की लक्ष्मी को देखकर हर्ष से पिता सिद्धार्थ ने अपने पुत्र का नाम श्रीवर्धमान रखा।[6] चारणऋद्धिधारी संजय एवम् विजय नाम मुनियों ने उनका संशय दूर हो जाने पर 'सन्मति' नाम रखा।[7]

महावीर के गर्भ एवं जन्म समय ही नहीं, अपितु तप, ज्ञान एवं निर्वाण के अवसरों पर भी देवों के तपकल्याणक[8] ज्ञानकल्याणक[9] एवं निर्वाणकल्याण्कोत्सव[10] सम्पन्न किए। वर्धमान महावीर का दिव्य औदारिक शरीर उत्कृष्ट सौन्दर्य -सम्पन्न, समचतुरस्र संस्थान से भूषित, वज्रवृषभनाराचसंहनन का धारक, अनन्त महावीर्य युक्त, सप्त हस्तोन्नत, कान्तिमान, दिव्य दस अतिशययुक्त, एक हजार आठ शुभ लक्षण एवं नौ सौ व्यजंनों से अंलकृत था।[11] उनका समग्र व्यक्तित्व अलौकिक तेजस्विता

---

* प्राध्यापक (संस्कृत) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

तथा अद्वितीय आभा से मण्डित है।

धीर – वीर– महावीर धैर्य, स्थैर्य एवं शौर्यादि की प्रतिमूर्ति थे। संगमदेव ने बाल्यकाल में ही वर्धमान के धीर –वीरादि गुणों की परीक्षा ली ओर प्रसन्न होकर महावीर नाम से विभूषित किया।[12] कुण्डलपुर में मदोन्मत्त गज से त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए वीर बालक ने गज पर आरूढ होकर मस्तक पर मुष्ठियों के प्रहार से उसे निर्मद कर दिया।[13] अत: अतिवीर नाम से विख्यात हुए।[14]

परमात्मध्यान में लीन वीर वर्धमान की प्रशंसा सुनकर दुष्ट रूद्रदेव ने घोर उपद्रव किए, किन्तु उनके स्थैर्य के सम्मुख यह परास्त हो गया और प्रभावित होकर उसने 'महावीर' और 'महातिवीर' नाम से विभूषित किया।[15] महावीर धीरता एवं वीरता के पर्याय थे।

परम वीतरागी – राजैश्वर्य सम्पन्न होते हुए भी महावीर में वैराग्य और त्याग वैसे ही विद्यमान थे, जैसे पुष्प में सुगन्ध और वस्त्र में तन्तु। बाल–क्रीड़ाओं में तत्पर महावीर गिल्ली डण्डा खेलते हुए भी यह अनुभव करते थे, कि मोही पुरूष संसार – रूपी गड्ढे में गिर कर बार–बार दण्ड को प्राप्त होता है तथा आंख मिचौली खेलते हुए वे सोचते कि अनात्म बुद्धि से जीव की दृष्टि आच्छादित हो जाती है।[16] आठ वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने श्रावक के द्वादशव्रत अंगीकार किए।[17]

धर्म सिद्धि हेतु वे शुद्ध मन–वचन–कर्म से नित्य व्रतों का शुभ ध्यानों का चिन्तन तथा स्वपुण्योपार्जित दिव्यादिव्य शुभ एवं महान भोगों में रहते हुए भी महावीर उनसे निर्लिप्त ही रहे। पिता सिद्धार्थ द्वारा प्रस्तावित विवाह के आग्रह को अस्वीकार कर दिया।[18] तीस वर्ष व्यतीत कर चरित्रावरणीय कर्मो के क्षयोपशम से अपने कोटि पूर्व भवों का स्मरण कर वे संसार, शरीर और भोग विषयों से विरक्त हो गए।[19]

वैराग्य वृद्धि हेतु उन्होंने अनित्य, अशरण आदि द्वादशानुप्रेक्षाओं का चिन्तन किया।[20] तथा ज्ञातृखण्ड नामक महावन में पद्मासनस्थ होकर तथा सिद्धों को नमस्कार कर, केश समूह को परित्याग कर, अट्ठाईस मूल गुणों एवम् उत्तरगुणों को धारण कर दीक्षा ग्रहण की।[21]

संस्कृत काव्यकारों में केवल शिवप्रसाद भारद्वाज ने ही महावीरचरितम् में महावीर को विवाहित माना है। महावीर जल में खिले कमल की भांति ऐश्वर्य व विलास से निर्लिप्त परम वीतरागी थे।

उग्रतपस्वी – वर्धमान महावीर उग्रतपस्वी थे। राजकुमार वर्धमान ने युवावस्था में ही दीक्षा ग्रहण कर अत्यन्त कठोर तपस्या की। वे शीतकाल में चौराहे पर, वर्षाकाल में वृक्षों के नीचे तथा गीष्म ऋतु में पर्वत शिखरों पर कठोर तपस्या करते थे।[22]

वायु के समान निर्ममत्व होकर अनेक देश, ग्राम, पुर, आदि में नित्य विहार करते हुए ध्यान – सिद्धि के लिए अहर्निश भयंकर गिरि–कन्दरा, दुर्ग– श्मशान आदि में और निर्जन वन प्रदेशों में भी एकाकी सिंह के समान निवास करते थे।

कैवल्य प्राप्ति हेतु वर्धमान महावीर ने कठोर तपश्चरण किया। बेला, तेला आदि से लेकर छ: मास तक के उपवास, अवमोदर्यतप, वृत्तिपरिसंख्यान तप, रस परित्याग, विविक्तशयनासन तप एवं कायक्लेषादि छ: प्रकार के सुदु:सह बाह्य तप किए तथा समस्त कर्म शत्रुओं के नाश हेतु उन्होंने संकल्पों विकल्पों से रहित कायोत्सर्ग करके आत्म–ध्यान में तल्लीन हो सर्व प्रकार के अभ्यन्तर तप किए।[23]

उपसर्ग एवं परीषहजयी – वर्धमान महावीर ने तपश्चरण काल में क्षुधा, तृषा जनित सर्व घोर परीषहों को तथा वनादि विहार स्थलों में होने वाले भयंकर उपसर्गो को समभाव से सहन किया और तूफानों में अडिग रहने वाले पर्वत की तरह अडिग रहते हैं।

उज्जयिनी के अतिमुक्तकश्मशान में कायोत्सर्ग एवं परमध्यान में लीन महावीर के धैर्य व स्थैर्य की परीक्षा लेने रूद्रदेव ने भयानक उपसर्ग किए उनका ध्यान भंग करने के लिए विशाल वेतालों के अट्टाहासों, घोर ध्वनि, विविध प्रकार के लययुक्त नृत्यों, तीक्ष्ण शस्त्रों, मांसयुक्त हाथों, विक्रियाजनित विशाल सर्पो, सिंहों, हाथियों, प्रचण्डवायु, ज्वालाओं एवम् भयानक शस्त्रों वाली भीलों की विकराल सेना आदि अनेक प्रकार के घोर उपद्रव किए[24] किन्तु वीर वर्धमान मेरूसम अचल ही रहे। सुरांगनाओं के मनोहर कामोद्दीपक नृत्य तथा स्वयं रखे गए प्रणय प्रस्ताव उनको किंचित् भी आकर्षित नहीं कर सकें।[25]

जन्मप्रभृति ही वे मति, श्रुत और अवधिज्ञान प्राप्त थे। निर्मल क्षायिक सम्यक्त्व उन्हें पूर्वभव से ही प्राप्त था। देह वृद्धि के साथ ही ज्ञान की भी उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। ज्ञान के प्रकर्ष से उनका सर्वपदार्थ परिज्ञान, सर्वकलाएं, सर्वविद्याएं, गुण तथा धार्मिक विचार आदि स्वयं ही ईश्वरत्व को प्राप्त हुए। परिणामत: वे सहज ही मनुष्यों एवं देवों के गुरू बन गए।[26] तीस वर्ष की अवस्था में दीक्षोपरान्त उन्हें सप्त ऋद्धियाँ एवं मन:पर्ययज्ञान[27] प्राप्त हुआ। साढ़े बारह वर्ष तक कठोर तप कर त्रेसठ कर्म प्रकृतियों का विनाश कर उन्होंने कैवल्य[28] प्राप्त किया।

अहिंसा की साक्षात् प्रतिमूर्ति– जीओ और जीने दो का संदेश देने वाले महावीर का सम्पूर्ण जीवन अहिंसा का अनुपम उदाहरण था। प्राणिमात्र की रक्षा का भाव महावीर में था। मात्र शारीरिक हिंसा नहीं वरन्मन, वचन तथा कर्म से भी किसी के हृदय को दु:ख पहुंचाने के भाव को वर्धमान ने हिंसा की संज्ञा दी है। प्रमादपूर्ण जीव–नाश तथा हिंसा का भाव रखना भी हिंसा है। घर में बैठे धीवर द्वारा मछली मारने का भाव उसकी हिंसक प्रवृत्ति का उदाहरण है। दूसरी ओर परहित के लिए खेत जोतने वाला कृषक जीवघात करने पर भी अहिंसक है।[29]

यज्ञीय हिंसा एवं पशुबली का भी महावीर ने तीव्र स्वर में विरोध किया।[30] विश्व में अहिंसा माता की गोद की भांति प्राणियों को अभय देने वाली है।[31] शान्ति का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र मानते हुए महावीर ने अहिंसा परमो धर्म: कहा है। अहिंसा के अभाव में धर्म तो क्या धर्म का अंश भी टिक नहीं सकता है।[32]

समदर्शी – समदर्शी महावीर न तो हर्ष में प्रसन्न होते थे और न ही दु:ख में खिन्न, न उन्हें सत्कार प्रिय था और न ही भर्त्सना अप्रिय, न ग्राम के प्रति घृणा थी और न ही नगर के प्रति स्नेह। नर, पशु कृमि, तरू, तृण आदि सभी समान रूप से उनकी करूणा के पात्र थे।[33] निर्धन एवं धनी में समभाव रखते थे।[34] उनके अनुसार इस भूतल पर जन्म लेने वाले विद्वान् या मूर्ख, राजा या सेवक, गज या अज सभी को समान अधिकार है।[35]

स्वामी और सेवक को लक्ष्य में रखकर उन्होंने कहा है, जिस प्रकार मछलियों का आश्रयदाता सरोवर है, किन्तु मछली के बिना सरोवर के जल की शुद्धता सम्भव नहीं है, उसी प्रकार सेवकों के बिना स्वामी का सम्मान सम्भव नहीं है। अत: किसी को भी अपने स्वामित्व का अभिमान नहीं करना चाहिए।[36] महावीर ने सदैव ऊंच–नीच, छोटे–बड़े की भावना का विरोध करने को प्रेरणा दी। जिस प्रकार कैंची से छोटी होने पर भी सुई का कार्य कैंची नहीं कर सकती[37] उसी प्रकार प्रत्येक छोटा बड़ा प्राणी महत्वपूर्ण होता है।

तत्त्वज्ञानप्रदर्शक – तत्त्वार्थदर्शी महावीर ने उपदेशों में जैन धर्म और दर्शन के गूढ तत्त्वों को समझाया। समस्त प्राणियों को आत्मकल्याण के लिए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म का उपदेश दिया। पाप पुण्य के कारण और परिणाम, [38] श्रावक एवं मुनि धर्म[39], वस्तु के

अनन्तधर्मात्मक ज्ञान के लिए अनेकान्तवाद एवं स्याद्वाद का स्वरूप तथा जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष रूप सप्त तत्वों की ज्ञान-गंगा प्रवाहित कर[40] धर्म का सारतत्त्व समझाया।

महान उपदेशक -महावीर ने तत्त्वज्ञान के अतिरिक्त मानवजीवनोपयोगी अनेक उपदेश दिए। जैसे पाप से घृणा करो पापी से नहीं। वृद्धजनों के अनुकूल आचरण तथा छोटों की तन-मन धन से सेवा करने की प्रेरणा देते हुए वसुधैव कुटुम्बकम् का उपदेश दिया।[41] द्योषान्वेषण एवं दूसरों के गुणों से ईर्ष्या न करते हुए गुणों का अनुसरण करना चाहिए। स्वार्थ की रक्षा करते हुए परमार्थ भी करना चाहिए। मनुष्य को विपत्ति में हताश तथा सम्पत्ति में अति प्रसन्न नहीं होना चाहिए। सदैव प्रसन्नचित्त रहकर कर्तव्य पालन करना चाहिए।[42] आचरण से ही मनुष्य उच्च एवं निम्न कहलाता है। जाति, कुल, धन, तप, बल आदि का मद नहीं करना चाहिए।[43] कर्म में पवित्रता होना चाहिए।[44] कीट से गज प्रभृति जीवों में आत्मीय भाव होना चाहिए।[45]

वर्धमान महावीर ने मानव जीवन में श्रद्धा, प्रेम, धर्म, नीति, संस्कार, शिक्षा, शक्ति, दान, ब्रह्मचर्य, तप, त्याग, सत्संग, गुरू भक्ति, ज्ञान एवं योग का महत्त्व बताया।[46] हृदय से ईर्ष्या, अहंकार आदि का त्यागकर निर्द्वन्द भाव से आत्मा को जीतने वाले ही जिन कह कर[47] मानव कल्याण का पथ प्रशस्त किया।

उनके उपदेशों का सर्वव्यापी प्रभाव हुआ। देवों और मनुष्यों ने ही नहीं अपितु परस्पर विरोधी जाति के तिर्यंचों ने भी उसे ग्रहण किया। उनके उपदेशों का श्रवण कर गौतम गणधर ने द्वादशांग वाणी की रचना की। अनेक राजाओं, सम्राटों, श्रेष्ठियों एवम् सामान्य जनों ने यथाशक्ति श्रावक एवं मुनिधर्म स्वीकार किया, मन्दिरों का निर्माण भी कराया।[48] चतुर्विध संघ महावीर के उपदेशों का ही प्रभाव था।[49]

वर्धमान महावीर में लोककल्याण की भावना प्रबल थी।[50] वर्धमान महावीर का समग्र जीवन स्व पर कल्याण की भावना का जीवन्त प्रतीक था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महाकवि असग - वर्धमानचरितम् 17/30-49
2. वही - 17/59/68
3. वही 17/81, वीरवर्धमानचरितम् 9/89, 30 वीरोदय काव्य 7/22, मुनि पद्मानन्दि - वर्धमानचरितम् 1/45
4. महाकवि असग- वर्धमानचरितम् 17/82-83
5. भ.सकलकीर्ति - वीरवर्धमान् 9/88, 89
6. असग - वर्धमानचरितम् 17/91
7. वही 17/92,
8. पद्मनन्दि -वर्धमानचरितम् 1/60
8. वीरवर्धमान् 12/99-136
9. असग - वर्धमानचरितम् 17/130
10. वीरर्धमान् 19/239-241
11. असग-वर्धमानचरितम् 17/92, वीरर्धमान. 8/61, 83, 87 9/60
12. असग - वर्धमानचरितम् 17/95-98, - वीरवर्धमान. 13/52,पद्मनन्दि- वर्धमानचरितम् 1/69
13. पं. मूलचन्द शास्त्री - वर्धमान चम्पू
14. श्री बिहारीलाल शर्मा - मंगलायतनम् सोपान, पृष्ठ 33
15. असग-वर्धमानचरितम् 17/125, 126 पद्मनन्दि- वर्धमानचरितम् 1/97
16. वीरोदय काव्य 8/14, 15
17. अष्टमे वत्सरे देवो गृहिधर्माप्तये स्वयम्।
    आददौ स्वस्य भोग्यानि व्रतानि द्वादशेय हि।। वीरवर्धमान् 10/16
18. वीरोदय काव्य - 8/22-45, वर्धमान चम्पू, चतुर्थ स्तबक, पृष्ठ 94-102
19. वीरवर्धमान् 10/81-82
20. वीरवर्धमान् 11/2-4
21. वीरवर्धमान् 12/95-100, मुनि पद्मनन्दि- वर्धमानचरितम्
22. वीरोदयकाव्य 12/33-35, वर्धमानचम्पू-षष्ठ स्तबक, पृष्ठ138, वीरवर्धमान् 13/44-45
23. वीरवर्धमान् 13/39, 50
24. वीरवर्धमान् 13/61-68
25. मंगलायतनम् तृतीय सोपा पृष्ठ 55-56
26. वीरवर्धमानचरितम् 10/12-15
27. महाकवि असग - वर्धमानचरितम् 17/118
28. वीरोदय काव्य 12/40, मुनि पद्मनन्दि-वर्धमानचरितम् 1/100
29. वीरोदय काव्य 16।13,14
30. वीरोदय काव्य 16।9, वर्धमान चम्पू, अष्टम, स्तबक पद्य 49
31. वीरोदय काव्य 16।11
32. वर्धमानचम्पू-अष्टम स्तबक पद्य 47, श्री शिवप्रसाद भारद्वाज - महावीरचरितम्-पद्य 73
33. श्री बिहारीलाल शर्मा - मंगलायतनम् तृतीय सोपान पृष्ठ 49
34. निर्धनोऽयं धनी चैष मनाग्र हृद्योत्यचिन्तयन्। वीरवर्धमानचरितम् 13।4
35. वीरोदय काव्य 17।1
36. वीरोदय काव्य 17।16
37. वीरोदय काव्य 17।3
38. वीरवर्धमानचरितम् 18।14-84
39. वीरोदय काव्य 19।1-22
40. वीरवर्धमानचरितम् 16।32-178
41. वीरोदय काव्य 17।7, 8
42. वीरोदय काव्य 17।9-11
43. वीरोदय काव्य 17।41-4
44. मंगलायतनम् पंचम सोपान पृष्ठ 62
45. महावीरचरितम्पद्य 93
46. श्रीमद् बुद्धिसागर सूरि - जैन महावीर गीता - 1।1, 2।11, 3।57 4।2, 5।220, 6।2, 7।24, 8।93, 9।1, 10।2, 11।1, 12।1, 13।3, 14।2, 15।2, 16।1
47. वीरोदय काव्य - 17। 45
48. वीरोदय काव्य - 15।7-55
49. वीरवर्धमानचरितम् 19।206-214, वर्धमानचम्पू, अष्टम स्तबक पृष्ठ 204
50. वीरोदय काव्य 16।1, 2, 6 17।6, 16।5

****

वैदिक वाङ्मय में वाक् की महिमा

डॉ. सरिता यादव *

शोध सारांश – वाक् सर्वगत है। वाक् दिश, देश और काल से परिच्छिन्न है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर को प्राण की आवश्यकता है, उसी प्रकार उसके विचारों की अभिव्यक्ति को वाक् की आवश्यकता है। इसका अपना महत्त्व है। वेद, ब्राह्मण, आख्यक, एवं संहिता आदि सभी में इसका विस्तृत विवेचन और गुणगान किया गया है। ऋग्वेद में वाक् को होता रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि यह वैश्वानर अग्नि पिण्ड में रहकर चारों और फैले हुए आपोलोक से शक्ति का आह्वान करती है। वाक् के द्वारा ही अन्न खाया जाता है और बोला जाता है। आत्मा के तीन घटक हैं – मन, प्राण और वाक्। वाक् का मन और प्राण दोनों के साथ तादात्म्य का सम्बन्ध है। वाक् ही स्वयम्भू और नित्य है। वाक् को इन्द्र पत्नी संज्ञा दी गई है। वाक् के चार भेद हैं – परा, पश्यन्ती, वैखरी, मध्यमा। हम सब वैखरीवाक् का प्रयोग करते हैं।

शब्द कुंजी – जड–पिण्ड, वैश्वानर–अग्नि, कर्ण–विवर, आदान–विसर्ग, परमाणु, अपलोक, रूद्र, स्थूल, त्रिकत्रयी, मिथुन, प्रजापति, पंचभूतात्मक, स्वयम्भू, परमेष्ठिनी, एकाक्षरा।

प्रस्तावना – मनुष्य की प्रवृति सहज होती है। इसलिए स्वाभाविक है कि नित नए विचार उसके मन–मस्तिष्क में उत्पन्न होते रहते हैं। वह अपनी इच्छा, जिज्ञासा और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करने के लिए वाक् का सहारा लेता है। जबकि वह अपने विचारों और इच्छाओं को संकेतों व अन्य किसी और माध्यम से भी समझा सकता है, लेकिन बिना वाक् के वह सन्तुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए हृदय के भावों के आदान–प्रदान का सबसे सुगम रास्ता वाक् ही है। वेदों में भी वाक् की महिमा का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में मन और वाक् का संवाद सूक्त भी है। प्राण, मन और वाक् में वाक् को सबसे स्थूल माना गया है।

विवेचन – वाक् स्थान रोकती है। उसमें विकार होता है। वह प्राण को ग्रहण करती है और छोड़ देती है। उसका केन्द्र होता है। वह मूर्त है।वाक् स्थानावरोधक है, अत: जब तक एक वाक् अपना स्थान न छोड़े, दूसरी वाक् वहाँ नहीं आ सकती। वाक् के विकार के कारण वह अपना स्वरूप बदल देती है, उदाहरणत: घास दूध बन जाती है। वाक् एक प्राण को छोड़ कर दूसरा प्राण ग्रहण कर लेती है। वाक् दिक्, देश और काल से परिच्छिन्न होती है। वाक् का अपना वैशिष्टय होता है, जिसके कारण एक वाक् दूसरी वाक् से भिन्न होती है। मन और प्राण, वाक् के द्वारा ही अभिव्यक्ति होते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि वाक् ही सब पदार्थो का आधार है।

वाक् के चार भेद हैं – 1. परा बुद्धिस्थ है। 2. मानसजप स्वरूप पश्यन्ती है। 3. नाद ध्वनिरहित मध्यमा है, तथा 4.नाद ध्वनि से पूर्व वैखरी है। मनुष्य वैखरीवाणी का ही प्रयोग करता है। वाक् इन्द्र है। इन्द्र के बिना कुछ भी पवित्र नहीं है। ऋग्वेद का दसवें मण्डल का 125 वां सूक्त वाक् सूक्त कहलाता है, जिसमें स्वयं वाक् ही अपनी महिमा बताती है। इस सूक्त के चौथे मन्त्र में वाक् कहती है – जो देखता है, जो प्राण व्यापार करता है तथा जो कथित वक्तव्य को सुनता है वह मेरे द्वारा अन्न खाता है। अत: वाक् का यह कहना कि सब मेरे द्वारा अन्न खाते हैं, बहुत अटपटा लगता है, किन्तु यदि हम ब्राह्मण ग्रन्थों के वक्तव्यों पर दृष्टि डालें तो इस वक्तव्य का वैज्ञानिक रहस्य सामने आता है। जैमिनीय ब्राह्मण कहता है – वाक् के द्वारा दो कार्य होते हैं– इसके द्वारा अन्न खाया जाता है और बोला जाता है।[1] वाक् के द्वारा बोला जाता है। यह तो मनुष्य के मस्तिष्क का समझ का विषय है, किन्तु अन्न खाना यह उसकी समझ से बाहर का विषय है। इसको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों के उन वक्तव्यों को सामने रखना होगा। जो वाक् का अग्नि में तादात्म्य बताते हैं। जैमनीय ब्राह्मण कहता है **– अग्निर्वै वाक्।**[2] शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है **– वागेवाग्निः।**[3] गोपथ ब्राह्मण भी इसका समर्थन करता है **– या वाक् सोऽग्निः।**[4]

ऐतरेय – आरण्यक इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अग्नि ही वाक् बनकर मुख में प्रविष्ट हो गई। जड़पिण्ड हो या चेतन, सब में वैश्वानर अग्नि है। यह वैश्वानर अग्नि ही अन्न को पचाती है – **'येनेदं अन्नं पच्यते'** इसी वैश्वानर अग्नि के लिए गीता में कहा है **– अहं वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नं चतुर्विधम्।**

मनुष्य के मस्तिष्क रूपी सागर में हजारों इच्छाएँ जिज्ञासाएँ हिलोरे लेती हैं। अन्य प्रश्न उठता है कि वाक् तो सामान्यत: शब्द है, फिर इसे अग्नि कैसे कहा गया? ब्राह्मण ग्रन्थ समाधान करते हैं कि दोनों कर्णविवरों को अंगुलियों से बन्द कर लेने पर जो शब्द सुनाई पड़ता है, वह इस वैश्वानर अग्नि का ही है। अत: अग्नि का वाक् से तादात्म्य मानना युक्त ही है। यह अग्नि केवल चेतन कहे जाने वाले पिण्डों में ही नहीं, जड़ पदार्थो में भी है। यदि जड़ पदार्थों में यह अग्नि न हो तो उनमें आदान–विसर्ग की क्रिया ही न हो और ये पदार्थ कूटस्थ हो जाए, किन्तु कोई भी पदार्थ कूटस्थ दृष्टिगोचर नहीं आता। यह इस बात का सूचक है कि इनमें आदान–विसर्ग की क्रिया हो रही है। यह आदान विसर्ग की क्रिया उस पदार्थ में स्थिर वैश्वानर–अग्नि के कारण ही है। यही अग्नि पदार्थ में स्थिर वैश्वानर–अग्नि के कारण ही है। यही अग्नि पदार्थ में निरन्तर परिवर्तन कर रही है। तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता है **– 'योऽग्निर्मृत्युः सोऽग्निर्वागेव सा'।**[5]

वैदिक भाषा में मृत्यु परिवर्तन का सूचक है, अमृत कूटस्थता का कारण

---

* म.नं. 16 नया बस स्टेण्ड, वाया पोस्ट – मजरी कालां, तहसील – नीमराना, जिला – अलवर (राज.) भारत

है। प्रत्येक पदार्थ में इस वैश्वानर–अग्नि के कारण कुछ परमाणु आकार पदार्थ का अंग बन जाते है। यही अन्न का पचना है। कुछ परमाणु इसी अग्नि के कारण विशीर्ण होकर पदार्थ से अलग हो जाते हैं। यही मृत्यु है। पदार्थ का आदान–विसर्ग ही अग्निहोत्र है। यह अग्निहोत्र मृत्यु है। यह अग्निहोत्र प्रत्येक पिण्ड में चल रहा है। यदि यह अग्निहोत्र न चले तो पिण्ड में परिवर्तन ही न हो। इस अग्निहोत्र को करने के कारण वाक् अग्निहोत्र कहलाती है – **वाग् वा अग्निहोत्री।**[6] वैश्वानर–अग्नि पिण्ड में रहकर चारों ओर फैले हुए आपोलोक से शक्ति का आह्वान करती है। इसलिए उसे होता कहा जाता है। अधिदैव में जिसका नाम अग्नि है, अध्यात्म में उसी का नाम वाक् है– **'अग्निर्वै' होता अधिदैवम् वाग् अध्यात्म'।**[7] अर्थात् होता अथवा शक्ति के आह्वान करने का जो कार्य अग्नि कर रहा है। वैश्वानर के रूप में अध्यात्म में यही कार्य वाक् कर रही है। अग्नि का यही रूप जो शक्ति का आह्वान करता है, रूदन करने के कारण रूद्र भी कहलाता है – **'रूद्रो अग्नि**[8] **तथा सोऽरोदीत् तद्धा अस्य एतन्नाम रूद्र इति'।**[9] इसी पृष्ठभूमि में तैतिरीय–आरण्यक कहता है कि अन्न वाक् के लिए है – **वाचे अन्नम्।**[10]

आत्मा की घटक – वाक् – शतपथब्राह्मण के अनुसार आत्मा के तीन घटक हैं – मन, प्राण और वाक्, इनमें पूर्व की अपेक्षा पर स्थूल है, अर्थात् मन से प्राण स्थूल हैं, प्राण से वाक् स्थूल है। यह सूक्ष्म, स्थूल और स्थूलतर का त्रिक त्रयी के समकक्ष है। यजुर्वेद कहता है – **ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजु: प्रपद्ये सामं प्राणं प्रपद्ये'।**[11] मन–प्राण–वाक् के त्रिक का ऋक्–यजु–साम की इस त्रयी से सम्बन्ध होने के कारण त्रयी विद्या के सभी त्रिक–मन, प्राण, वाक् से जुड़े हैं। उदाहरणत: वाक् यदि अग्निदेव से जुड़ी है तो प्राण वायु से जुड़े हैं – **अयं वै प्राणो योऽयं पवते**[12] मन एवं सविता[13] गीता के अव्यय, अक्षर और क्षर क्रमश: मन, प्राण, वाक् से जुड़े है।

सूक्ष्म होने के कारण मन असीम है तो स्थूल होने के कारण वाक् सीमित है **अपरिमितरमिव हि मन: परिमितरेव हि वाक्**[14] सूक्ष्म से स्थूल पैदा होता है, इसलिए मन से वाक् उत्पन्न होती है – म**नसो हि वाक् प्रजायते।**[15] मन पहले है, वाक् बाद में – **यमनो वै पूर्वम् अथ वाग्र'।**[16] इस प्रकार वाक् और मन का मिथुन है – **वाक च वै मनश्च देवाना मिथुनम्।**[17] वाक् और मन का परस्पर इतना गहरा सम्बन्ध है कि जैमिनीय उपनिषद में वाक् को ही मन कह दिया गया है – **यवागिति मन:'।** स्थूल होने के कारण वाक् मन की अपेक्षा छोटी है – **वाग् वै मनसो ह्सीयसी।**[18] वाक् यदि समुद्र है तो मन मानो उस समुद्र को देखने के लिए चक्षु है – **वाग् वै समुद्रो मन: समुद्रस्य चक्षु:।**[19]

प्राण, मन की अपेक्षा वाक् के और भी निकट है, क्योंकि वे इतने सूक्ष्म नहीं है कि जितना मन। शतपथब्राह्मण वाक् और प्राण को मिथुन बताता है – **वाक् च प्राणश्च मिथुनम्।**[20] जैमिनीय ब्राह्मण वाक् और प्राण के इस मिथुन को दिव्य मिथुन बताता है – **तद् वै दिव्यं मिथुन यद् वाक् च प्राणश्च।**[21] वस्तुत: ऐतरेय – आरण्यक का कहना है कि प्राण ही वाक् को जोड़े रहता है – **वाक् प्राणेन संहिता।**[22] इसलिए जैमिनीय उपनिषद में प्राणों को वाक् का रस बताया है – **तस्यैष प्राणो एवं रस:।**[23] जिस प्रकार वाक् और मन् के घनिष्ट सम्बन्ध को देखकर मन को ही वाक् कह दिया गया था उसी प्रकार प्राण और वाक् के घनिष्ठ सम्बन्ध को देखकर प्राण को ही वाक् कह दिया गया था – **प्राणो वै वाक्।**[24] प्राण वाक् का पति है – **प्राणो वाचस्पति:।**[25] प्राण ही वाक् का विस्तार कर रहा है – **प्राणैर्वाक् सन्तता।**[26] प्राण, वाक् और मन को जोड़ने वाली कड़ी है – **वाक् पूर्वरूपम् मन उत्तररूपम् प्राण: संहिता।**[27] अभिप्राय यह है वाक् स्थूल है, मन सूक्ष्म है, प्राण न मन दोनों को परस्पर जोड़ने में कड़ी का काम देता है। वाक् मानों गौ है, प्राण उसका गर्भ – **वागस्य जन्मना वशा सा प्राणं गर्भमधत्ता।**[28]

प्रजापति वाक्

तैत्तिरीय ब्राह्मण वाक् को प्रजापति बताता है – **प्रजापति वाक्।**[29] जिस प्रकार प्रजापति दो प्रकार का है उसी प्रकार वाक् भी दो प्रकार की है – निरूक्त और अनिरूक्त। वस्तुत: वाक् प्रजापति की ही तो महिमा है – **वाग्वा अस्य प्रजापति: स्वो महिमा।**[30] सर्जन के लिए दो भी आवश्यक है माता और पिता। प्रजापति पिता है और वाक् माता है। **प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीत्। तस्य वाग् द्वितीया आसीत तं मिथुनं समभवत्। सा गर्भमधत्ता।**[31] यदि प्रजापति सर्व व्यापक है तो वाक् भी विराट है – वाक् वै विराट। जिसे परवर्ती दर्शन में पुरूष और प्रकृति युगल कहा गया है। वैदिक परिभाषा में वहीं प्रजापति और वाक् का मिथुन है। प्रकृति पंच भूतात्मक है। पंचभूतों में आकाश भौतिक होते हुए भी नित्य ब्रह्म के निकटतम है। आकाश का गुण होने के कारण शब्द आकाश में सर्वव्यापक है। कण्ठादि उच्चारण स्थानों के द्वारा वायु के संघर्षण में उत्पन्न होने वाला शब्द भी उसी शब्द की अभिव्यक्ति है, जो परिमित है, व्यक्त है, मर्त्य है, मूर्त है और अनित्य है। यहि वाक् वेदान्त दर्शन की वह माया है, जो असीम को ससीम बनाती है, अव्यक्त को व्यक्त बनाती है, अनिरूक्त को निरूक्त बनाती है। वाक् यदि व्यक्त है, तो मन अव्यक्त है। यहि वाक् का त्रिवृत रूप है – **त्रेधा विहिता हि वाक्।**[32]

जब भी दो मिलकर तीसरे को जन्म देते हैं, तो उन दो को मिथुन कहा जाता है। । इस दृष्टि से वाक् और प्राण भी मिथुन हैं, वाक् और मन भी मिथुन हैं – **वाक्च वै प्राणश्च मिथुनम्।**[33] **वाक्च वै मनश्च देवानां मिथुनम्।**[34] षड्विंश ब्राह्मण वाक् को प्राण पत्नी बतलाते है। जब प्राण और वाक् मिथुन बनते हैं तो प्राण को ऋषभ, वाक् को गौ और मन को वत्स बताया जाता है – **प्राण ऋषभ मनो वत्स:।**[35] इसी दृष्टि से वाक् को गौ कहा गया है – **गौर्वै' वाक्।**[36]

पंचपर्वों में वाक् – विश्व के प्रथम पर्व स्वयम्भू में यही नित्य है। मनु ने कहा है – **अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा,** विश्व के दूसरे पर्व परमेष्ठी में यह वाक् परमेष्ठिनी वाक् कहलाती है। इस वाक् को महिषी तथा राष्ट्री भी कहते हैं। **महिषी हि वाक् तथा वाग वै राष्ट्री।** महिषी और राष्ट्री पर्यायवाची है। दोनों का ही अर्थ सम्राज्ञी है इस परमेष्ठी वाक् में शब्द और अर्थ में भेद नहीं है। इसलिए शब्द यहाँ स्वर और व्यंजन के रूप में अभी निरूक्त नहीं हुआ है। इसे ही एकाक्षरावाक कहा जाता है – **एकाक्षरा वै वाक्।**[37] इस एकाक्षरा वाक् का उदाहरण बृहदारण्यक उपनिषद में प्रजापति के द्वारा 'द' अक्षर का तीन बार उच्चारण करना है जिसका अर्थ देव, मनुष्यं तथा असुरों ने अपने–अपने अभिप्राय के अनुसार लिया था।[38] यहा परमेष्ठिनी वाक् सौरदेवों द्वारा सौरी वाक् में बदल दी गयी – **दैवीं वाचामजयन्न देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति।**

यह देवी वाक् ही इन्द्र पत्नी है, जहाँ वाक् क, च, ट, त, प इत्यादि वर्णों में व्याकृत हो जाती है, इसलिए संस्कृत के वैयाकरण इन्द्र को प्रथम वैयाकरण कहते है। वाक् का यह स्वरूप यज्ञ है – **वाग् वै यज्ञ:।**[39] वाक् का सूर्य के साथ संबंध होने का फल है – **युन्जामि वाचं सह सूर्येण।** यहाँ वाक् देवताओं की मनोता बन गई। विश्व के चौथे पर्व चन्द्रमा में रहने वाली वाक् सुबह्मण्या कहलाती है – **वाग्घ चन्द्रमा तथा वाग् वै सुब्रह्मण्या।** स्वयम्भू सूर्य और पृथिवी की वाक् अग्नि प्रधान होने से ब्रह्म है तथा परमेष्ठी और चन्द्रमा की वाक सोम प्रधान होने से सुब्रह्म है – **वाग वै ब्रह्म सुब्रह्म चेति।** तीन अग्नि प्रधान और दो सोम प्रधान इन – पाँच वाक् का संकेत ऋग्वेद में ही है –

त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपा द्वा बृबूकं वहत: पुरीषम्। पृथिवी की वाक् अनुष्टुप् कहलाती है **– वाग्वा अनुष्टुप्।**[40]

सर्वराज्ञी वाक् – इस प्रकार वाक् पंचपर्वा विश्व में व्याप्त होने के कारण समुद्र कहलाती है – वाक वै समुद्र: तथा न वै वाक् क्षीयते न समुद्र: क्षीयते। वाक् अपने शुद्ध रूप में शक्ति रूप है, जिसे **आप:** अथवा **शरीर** कहा जाता है **– वाग् वै सरिरम्**[41]**।** इस आप: में जब क्षोभ होता है तब वह सरिर अथवा सलिल कहलाने लगता है। यही वाक् का सर्पण है, जिसके कारण वाक् सर्पराज्ञी कहलाती है **– वाग् वै सर्पराज्ञी।**[42]

साहस्त्री वाक् – निदान विद्या में वाक् को साहस्त्री कहा जाता है, क्योंकि सहस्त्र अनन्त का वाचक है – वाग् वा एषा निदानेन यत् साहस्त्री। ऋग्वेद में तीन सहस्त्रों का उल्लेख है **– त्रेधा सहस्त्रमवितदेश्येथाम्।** ऐतरेय ब्राह्मण इन तीनों सहस्त्रों की व्याख्या करते हुए कहता है कि लोक, वेद और वाक् ये तीन सहस्र हैं अर्थात् तीन पदार्थ अनन्त हैं **– तदाहु किं तत् सहस्त्रमितीमे लोका इमे वेदा अथो वागिति।**[43]

सुपर्णी वाक् – वाक् को पक्षी बताया गया है **– वागेव सुपर्णी।** सुपर्णी शब्द दो पंखों का वाचक है। प्राणों का आकुन्चन और प्रसारण ही वाक् के दो पंख है **– प्राणो वै समन्चप्रसारण**[44] बिना वाक् अथवा पिण्ड नहीं रह सकता।

वेद की वाक् सम्बन्धी चर्चा का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव – परवर्ती दार्शनिक साहित्य में परावाक् कही जाने वाली वाक् स्वम्भू की नित्यावाक् है, जबकि पश्यन्ति वाक् परमेष्ठिनी अथवा आम्भृणी वाक् है। मध्यमा वाक् पश्यन्ती और वैखरी के बीच की स्थिति है। वैखरीवाक् का प्रयोग हम सब करते है। वैखरीवाक् आकाश मे उत्पन्न होती है– विशेषण खम्–आकाशं राति–ददाति। अलंकार कौस्तुभ में परावाक् का सम्बन्ध मूलाधार से, पश्यन्ति का हृदय से, मध्यमा का बुद्धि से और वैखरी का मुख से जोड़ा गया है। बाद में काव्यशास्त्रियों ने परा सम्बन्ध रस से, पश्यन्ति का अर्थ से, मध्यमा का छन्द से और वैखरी का शब्द से सम्बन्ध बताया। इसी भाव को लेकर रामचरितमानस में तुलसीदास ने **यवर्णनामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपिय** लिखा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जैमिनीय ब्राह्मण, 1.254, द्वयं वाचा करोति अन्न चैनयति वदति च
2. जैमिनीय ब्राह्मण, 2.58
3. शतपथ ब्राह्मण, 3–2–2–13
4. गोपथ ब्राह्मण, 2–4–11
5. जैमिनी ब्राह्मण, 1–248
6. जैमिनीय ब्राह्मण, 1–18
7. शतपथ ब्राह्मण, 12–1–1–4
8. काठक संहिता, 1–5
9. मैश्रायणि संहिता, 4–2–12
10. तैत्तिरीयारण्यक 3–10–3
11. यजुर्वेद, 36.1
12. शतपथ ब्राह्मण, 5–2–4–10
13. गोपथ ब्राह्मण, 1–1–13
14. शतपथ ब्राह्मण, 1–4–4–7
15. जैमिनीय ब्राह्मण, 1–320
16. जैमिनीय ब्राह्मण, 1–128
17. ऐतरेय ब्राह्मण, 5–23
18. शतपथ ब्राह्मण, 2–4–4–7
19. ताण्ड्य ब्राह्मण, 6–4–7
20. शतपथ ब्राह्मण, 1–4–1–2
21. जैमिनीय ब्राह्मण, 1–306
22. ऐतरेय आरण्यक, 3–16
23. जैमिनीय उपनिषद, 1–1–1–7
24. मैत्रायणी संहिता, 3–2–8
25. शतपथ ब्राह्मण, 6–31–16
26. शतपथ ब्राह्मण, 6–31–16
27. ऐतरेय आरण्यक, 3–1–1
28. तैत्तिरीय संहिता, 2–13–15
29. तैत्तिरीय ब्राह्मण, 1–3–4–5
30. शतपथ ब्राह्मण, 2–2–44
31. ताण्डय ब्राह्मण, 20–14–2
32. शतपथ ब्राह्मण, 6–5–3.4
33. शतपथ ब्राह्मण, 1–4–1–2
34. ऐतरेय ब्राह्मण, 5–23
35. शतपथ ब्राह्मण, 14–8–6–2
36. मैत्रायणी संहिता, 9–2–1
37. जैमिनी ब्राह्मण, 2–392
38. बृहदारण्यकोपनिषद, 5–2–1–3
39. ऐतरेय ब्राह्मण, 5–2
40. मैत्रायणी संहिता, 2–3–7
41. शतपथ ब्राह्मण, 7–5–2–3
42. कौषीतकि ब्राह्मण, 27–4
43. ऐतरेय ब्राह्मण, 6–15
44. शतपथं ब्राह्मण, 8–1–4–10

****

वेदों में भारतीय संस्कृति का महत्व

विष्णु उपाध्याय *

शोध सारांश - वेदों के बारे में यह घोषणा आज से हजारों वर्ष पहले ऋषि- महर्षियों ने की थी और आज सब प्रकार से वैज्ञानिक प्रगति कर लेने के बाद भी हम इस प्राचीन सत्य को नकार नहीं सकते। भारतीय धर्म, संस्कृति एवं सभ्यता का भव्य प्रासाद जिस दृढ़ आधारशिला पर प्रतिष्ठित है, उसे वेद के नाम से ही जाना जाता हैं। भारतीय आचार-विचार, रहन-सहन तथा धर्म-कर्म को भली-भाँती समझने के लिए वेदों का ज्ञान अत्यावश्यक हैं। सम्पूर्ण धर्म-कर्म का मूल और यथार्थ कर्तव्य-धर्म की जिज्ञासा वाले लोगों के लिए वेद सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हैं। इसी आधार पर वेदों को श्रुति कहकर पुकारा गया। यदि श्रुति का भावनात्मक अर्थ लिया जाये, तो श्रुति स्वयं साक्षात्कार किए गए ज्ञान का भण्डार है। इस तरह समस्त धर्मो के मूल रूप में माने जाने वाले, देव संस्कृति के रत्न-वेद हमारे समक्ष ज्ञान के एक पवित्र कोष के रूप में आते हैं।

प्रस्तावना - वैदिक संस्कृति के बिना मानव जीवन अपूर्ण और अधूरा है। **वेदों का ज्ञान नित्य है और उसे ईश्वरीय प्रेरणा से उन ज्ञानी जनों ने प्रकट किया है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पर पूर्ण विजय प्राप्त करके मनुष्य-मात्र को आत्मवत् देखते थें और वे जो कुछ कहते थे, उसमें मानवता मात्र ही नहीं, समस्त सृष्टि के कल्याण और सुख की भावना सन्निहित रहती थी।'**[1] उन्होंने जो उपदेश दिए, जीवन का जो मार्ग प्रदर्शित किया, आचार-विचार और व्यवहार के जो नियम बताए, वे सब सत्य सिद्धान्तों पर आधारित हैं।

वेदों में समाज और व्यक्तियों का आचरण और पारस्परिक सम्बन्धों के लिए जो विधान बताया गया है, उसके मूल तत्व अपरिवर्तनीय हैं। जब कभी मनुष्य उन तत्वों से दूर रहता है अथवा उनके विपरीत चलने लगता है, तभी संसार के ऊपर कष्ट और विनाश की घटाएं छा जाती हैं। वेदों के नियम स्वाभाविक और प्राकृतिक हैं और पूर्णतया परमात्मा के आदर्शो के आधार पर निश्चित किए गए हैं। इसलिए वे किसी भी दशा में मनुष्य के लिए हानिप्रद सिद्ध नहीं होते।

इसके विपरीत जो धर्म-ग्रन्थ या धर्म-प्रचारक केवल अपने समुदाय या समाज के हित को ध्यान में रखकर उपदेश देते हैं और नियम बनाते हैं, उनमें स्वार्थ की भावना किसी-न-किसी रूप में सन्निहित रहती हैं, उनका अन्तिम परिणाम राग-द्वेष की उत्पत्ति होता है; परिणामत: लोगो को कष्ट सहन करना पड़ता है।

वेदों की ऋचाओं में निहित ज्ञान अनन्त है। उसकी शिक्षाओं में मानव-मात्र ही नहीं, वरन् समस्त सृष्टि के जीवधारियों के कल्याण एवं सुख की भावना निहित है। उनकी शिक्षा में छिपे मूल तत्व अपरिवर्तनीय हैं। वे हर काल, समय, परिस्थिति में लागू होते है। आज की परिस्थिति में भी व्यावहारिक और विज्ञान समस्त है।

मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिए जिन तीन बातों- ज्ञान, उपासना और कर्म की आवश्यकता होती है, उनका पूर्ण समन्वय वेदों में पाया जाता है। विद्वानों ने ऋग्वेद को ज्ञान, यजुर्वेद को कर्म, सामवेद को उपासना और अथर्ववेद को आध्यात्म का विवेचन करने वाला माना है, पर चारों वेदों का ज्ञान एक ही हैं। स्वयं वेदों में स्थान-स्थान पर इसकी घोषणा की गयी हैं।

तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋच: सामानि जज्ञिरे।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत।।'[2]

अर्थात ऋक्, यजु, साम, अथर्ववेद चारों वेद एक ही ईश्वरीय ज्ञान से प्रादुर्भूत हुए हैं। उनमें किसी प्रकार का अन्तर करना अथवा भेदभाव प्रकट करना अनुचित और अनावश्यक है। इस प्रकार असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि वेदों का मूल लक्ष्य मनुष्यों की आध्यात्मिक प्रगति और आत्म-कल्याण ही है। वे मनुष्य को सृष्टि के मूल स्वरूप का ज्ञान प्रदान करते हैं और उसी के अनुसार आत्मज्ञान के अनुकूल जीवन व्यतीत करने का मार्ग-प्रदर्शन करते हैं।

ऋग्वेद के बारे में मान्यता है कि वेद में दुर्गम द्वार में प्रवेश करने के लिए यह विशाल सिंहद्वार है। ऋग्(ऋक्) का अर्थ है शस्त्र। यज्ञ करने वाले के द्वारा सामान्य ढंग से प्रयुक्त किए जाने वाले मंत्र को ऋक् कहते है। इस दृष्टि से ऋक् का महत्व प्रथम रूप में प्रतिपादित किया जाता है। विराट यज्ञ पुरूष से ऋक्, साम प्रकट हुए। उसी से यजु, अथर्वादि के छन्दों का प्रकटीकरण हुआ। वेद का यह विभाग क्रम अतिप्रचीन है।

ऋग्वेद में कुछ ऐसी ऋचाएं है, जो अध्ययन काल में चतुष्पदा और प्रयोगकाल में द्विपदा मानी जाती है। ऐसी ऋचाएं नैतित्तिक द्विपदा कही जाती हैं। इनकी संख्या 140 मानी गई हैं। इस प्रकार कुछ ऋचाएं नित्य द्विपदा कही जाती हैं। इनकी संख्या 17 है। इस प्रकार ऋग्वेद के बारे में कहा जा सकता हैं कि ऋग्वेद, ऐसा वेद है, जो उत्पन्न स्थूल और सूक्ष्म तत्व, अनुशासन विशेष का अनुपालन कराते हुए सृष्टि चक्र को सतत प्रवाहमान बनाए रखता हैं।

वेद, साहित्य के सबसे प्राचीन धर्म-ग्रन्थ है। वेदों का ज्ञान अनादि और अनन्त है। इनका ज्ञान आध्यात्मिक सत्य की परख हैं। वेदों की महत्ता को लेकर ही कहा जाता है कि प्राचीन युग में भारत जगदगुरू था। संसार के समस्त मत-मतान्तरों का उद्भव वैदिक धर्म से ही हुआ है। आधुनिक वैज्ञानिक खोज करने वालो ने भी सिद्ध किया है कि मिस्र, बेबीलोनिया,

---

* शोधार्थी (संस्कृत) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

असीरिया आदि की सभ्यताएँ ही नहीं सुदूरवर्ती मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका आदि प्राचीन सभ्यताओं के मूल में भी भारतीय धर्म की प्रेरणा और सिद्धांत दृष्टिगोचर होते है।

वेदों में मुनष्य के कल्याणार्थ जिस सदाचार भरे युक्त सरल, सात्विक आधार पर आधारित, ब्रह्मचर्य नियमानुसार, शान्तिमय व्यवहार और उदारताभरा जीवन जीने का मार्ग बताया गया है, उसे ही आगे चलकर अन्य धर्मो ने अंगीकार किया है।'[3] ऐसी सादगी, सरल और संयमित जीवन पर ही चीन, मिस्र, यूनान की सभ्यतओं के लेख और उपदेश प्रतिपादित किए गए है। हमारे वैदिक ऋषियों ने तो इन सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया था। उनहोनें अपने अनुयायियों को भी उसी प्रकार आचरण जीने का उपदेश दिया।

वेदों के ज्ञान के आधार पर ही भारतीय मानस ने चार आश्रमों- ब्रह्मयर्च, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन की स्थापना की और मानव-जीवन को चार भागों में बाँटकर उसकी उपयोगिता स्थापित की। आश्रममय जीवन जीते हुए उन्हें संयम और त्यागपूर्ण जीवन की शिक्षा मिल जाती थी और वे आजीवन उसी प्रकार संयम और त्यागपूर्ण भी करते थे। इस कारण उनका पूरा जीवन धर्ममय हुआ करता था। वे धर्म की रक्षा करते हुए सच्चे सुख और शान्ति का उपयोग किया करते थे।

वेदों के बारे में धारणा है कि वे 'मनुष्यकृत नहीं, ईश्वर-प्रेरित हैं।' क्योंकि वेदों में जो ज्ञान है, वह मनुष्य की रचना-शक्ति से बाहर प्रतीत होता है। उस ज्ञान को धारण करने में ईश्वर ही समर्थ प्रतीत होता है। वेद समस्त सिद्धान्तों का मूल कुंजी या बीज है। वेदों की मौलिक प्रकृति की रचना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये जीवन के सिद्धांतो के मूल बीज हैं। उन्हें ऐसे काष्ठ के रूप मे माना जा सकता है जो बीजरूप में उगकर पूर्ण वृक्ष का रूप धारण करता हैं। विशाल-पूर्ण वृक्ष से काष्ठ निर्मित होता है।

काष्ठ से कुशल बढ़ई नाना प्रकार की उपयोगी सामग्रियों का निर्माण करता है। काष्ठ सामग्रियों को देखकर बढ़ई की कला की प्रशंसा की जाती है; पर मूल में उस काष्ठ वृक्ष और बीज का ही महत्व छुपा होता है, जिसके आधार पर उसे तैयार किया गया है। वेद सभी धर्मो के मूल नियमों का आधार है क्योंकि वे सार्वजनिक प्राचीन सत्साहित्य है।

वैदिक साहित्य पर दृष्टि डालने से हम पाते है कि आर्यो के रहन-सहन रीति-रिवाज, तिथि-त्यौहार, संस्कार और व्यवहार में जो भी कुछ है, उसके मूल में मोक्ष है। मनुष्य को ऐसा जीवन जीने का सिद्धांत दिया गया है। दीर्घ और शान्तिमय जीवन मुख्य अवधारणा थी। नियम दिया गया कि मनुष्य ऐसा जीवन प्राप्त कर सके जिसके कारण किसी भी प्राणी की आयु और योगी में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो। जिसके लिए वर्णाश्रम द्वारा संगठन बनाया गया, जिसके द्वारा सबकी रक्षा होती रहे। आर्यो के प्राचीन राजा, रानी, ऋषि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के जीवन और चरित्र का अध्ययन किया जाए, तो उनमें एक-दूसरे की रक्षा का सिद्धान्त पाया जाता है। इससे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्यो की सभ्यता में अपनी रक्षा कर लेने की पूर्ण योग्यता और उसको चिरंजीवी रखने की पूर्ण शक्ति हैं।

वैदिक धर्म की शिक्षाओ में सीधे-सादे जीवन, जंगलो में आश्रम बनाकर रहने, कम-से-कम और यथा सम्भव बिना सिले-सिलाए वस्त्र पहनने, फल, दूध या मोटा अन्न खाने, कुटियों, आश्रमों, या घास-फूंस ओर मिट्टी के साधारण घरों मे रहने का जो वर्णन मिलता है- उसका सार ही सादगीभरा और संयमित जीवन था। यह जीवन सबके लिए सहज था, अतः समाज समतामूलक था। उसमें सृष्टि रचना, मानव मन के कार्य, आचार-व्यवहार ऊँचे-नीचे नियमो का समावेश था। वैदिक जीवन वेदों का जीवन था। इस जीवन और सिद्धान्त को संसार की बाद की सभ्यत, के लोगों ने देखा, समझा उसकी गहराई में जाने की चेष्टा की, तो उनकी आँखे खुली-की-खुली रही गई। उन्होंने मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया कि वेदों की सभ्यता संसार की अन्य समस्त सभ्यताओं जननी है और तुलनात्मक दृष्टि से सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है।

विश्व प्रसिद्ध योरोपिय विद्धान् और इतिहासकार **मैक्समूलर** ने अपनी आयु के 45 वर्ष लगातार वेदों का अंग्रेजी भाषान्तेर किया था। उन्होने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था- **'विद्यमान ग्रंथों में वेद सबसे अधिक प्राचीन है। यह यूनान की 'होयट' की कविताओं से भी अधिक प्राचीन हैं, क्योंकि इनमें मानव-मस्तिष्क की प्रथम उपज मिलती है।'**[4]

मैक्समूलर की ही तरह योरोप के एक अन्य सुप्रसिद्ध दार्शनिक मोटरलिक ने वेदों की प्रशंसा में कहा है- **'वेद ही एकमात्र ज्ञान के भण्डार है, जिनकी तुलना हो ही नहीं सकती। वेदों में गूढ' रूप से अर्थात बीज रूप से संसार की समस्त विद्याओं का आरेख सन्निहित है। केवल सूक्ष्मदर्शी की अन्तर्दृष्टि ही वेदो में भरे सूक्ष्म ज्ञान को प्रकट कर सकती है। यह तथ्य नि:सन्देह आश्चर्योत्पादक है कि हमारे आद्य ऐतिहासिक काल के पूर्वजों ने, जिनके विषय में यह कल्पना की जाती है कि वे अज्ञान की भयंकर अवस्था में थे, कहाँ से और कैसे असाधारण और अन्तर्ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जो आज भी हमारे लिए असम्भव सिद्ध हो रहा है।'**[5]

भारत के पूर्वी और पश्चिमी दर्शन शास्त्र के विद्वान् **श्री राधा कृष्णन्** ने वेदों की विदेशी आलोचनाओ का उत्तर देते हुए कहा है- **'यदि हम हिन्दु धर्म के सबसे बड़े विरोधियों की आलोचनाओं का ही अध्ययन करें तो उनसे भी यही ध्वनि निकलती है कि वेदों का ज्ञान सत्य के ऊपर आधारित है, जो मानव-जीवन को बहुत उच्च बनाने की सामर्थ्य रखता है।'**[6] वेदों में सत्य को ही मनुष्य के सदाचार अथवा धर्म की एममात्र कसौटी माना गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. The Vedas are the aearlisest documents of the human mind that we possess-Indian Philosophy, Vol. 1 (p.63)
2. The Vedas give us abundant information respecting all that is most interesting in the contemplation of antiquity- J.R.A.S. Vol.13 (p.206)
3. वेदा: अपौरूषेया:
4. वेदाऽखिलो धर्ममूलम्। मनुस्मृति।
5. ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो षडलो वेदाऽध्येयो ज्ञेयश्च।
6. छन्द, कल्प, ज्योतिष, निरूक्त, शिक्षा, व्याकरण।

****

वृहदारण्यकोपनिषद् में याज्ञवल्क्य और अश्वल आख्यान

डॉ. बालकृष्ण प्रजापति *

शोध सारांश – वृहदारण्यकोपनिषद शुक्लचन्द्र शाखा के अन्तर्गत है। एक समय मिथिला देश के राजा जनक ने बहुदक्षिणा नामक यज्ञ को किया, और कहा कि जो ब्रह्मविद् पुरूष इस यज्ञ निमित्त यहां एकत्र होगें उनमें से कौन अतिश्रेष्ठ ब्रह्मवेता निकलेगा, जो मेरे को उपदेश करने को योग्य होगा। उस यज्ञ में देश देशान्तर के ब्रह्मविद ब्राह्मण बुलाए गए। राजा ने कहा हे माननीय, पूज्य, ब्राह्मणों। आप लोगों में से जो अतिशय करके ब्रह्मविद हों वे इन गायों को अपने घर ले जाए, इतना कहकर चुप हो गए। इसके पश्चात गायों को ले जाने में कोई समर्थ नहीं रहा। तब राजा ने अपने शिष्य को कहा कि इन गायों को घर ले जाओं। ऐसा सुनकर याज्ञवल्क्य के घर गायों को ले जाता है। तभी अश्वल नामक ब्राह्मण क्रोधित होकर याज्ञवल्क्य से अनेक प्रश्न पूंछता है। याज्ञवल्क्य ने उनके प्रश्नों का उत्तर आधात्मिक एवं तार्किक ढंग से प्रस्तुत किए। वृहदारण्यकोपनिषद ज्ञानोपदेश प्रधान है। जिसमें कर्मोपसना का समुच्चयरूप से उपदेश दिया गया है। जो ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के लिए आवष्यक है। जिसमें तीसरे और चौथे अध्यायों में याज्ञवल्क्य ने राजा जनक के आध्यात्मिक तत्व का उपदेश दिया है और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है।

शब्द कुंजी – उपनिषद्, ब्रह्म, ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मवेता, यज्ञ, गायों, याज्ञवल्क्य, अश्वल, ऋचाएं।

प्रस्तावना – वृहदारण्यकोपनिषद शुक्लचन्द्र शाखा के अन्तर्गत है। इसके छः अध्याय हैं। जिसमें तीसरे और चौथे अध्यायों में याज्ञवल्क्य ने राजा जनक के आध्यात्मिक तत्व का उपदेश दिया है। इनमें याज्ञवल्क्य के आध्यत्मिक ज्ञान वैभव का पूर्ण परिचय मिलता है। यह ज्ञान पिपासुओं के लिये उत्तम तारक सिद्ध होता है। अतः ये दोनों अध्याय याज्ञवल्क्य काण्ड के नाम से जाना जाता है। यह उपनिषद् दशोपनिषदों में से अंतिम उपनिषद् है। परिमाण में बड़ा हाने के कारण इस उपनिषद को वृहत् अरण्य (वन) में पढ़े जाने के कारण 'आरण्यक' तथा ब्रह्मज्ञान उपदेश प्रधान होने के कारण उपनिषद कहा गया है। इस प्रकार ये तीनों नाम मिलकर वृहदारण्यकोपनिषद नाम पड़ा है।

याज्ञवल्क्य और अश्वल का आख्यान – एक समय मिथिला देश के राजा जनक ने बहुदक्षिणा नामक यज्ञ को किया, उस यज्ञ में देश देशान्तर के ब्रह्मविद ब्राह्मण बुलाए गए, उसमें से विशेष करके कुरु और पंचाल देश के ब्राह्मण थे, ऐसा विचार करके राजा जनक इस यज्ञ का आरम्भ किया कि जो ब्रह्मविद् पुरूष इस यज्ञ निमित्त यहां एकत्र होगें उनमें से कौन अतिश्रेष्ठ ब्रह्मवेता निकलेगा, जो मेरे को उपदेश करने को योग्य होगा, ऐसी विशेष जिज्ञासा करके एक सहस्र नवीन दुग्धवती गायों को सींगों में सुवर्ण के प्त्र मढ़वाकर दान निमित एकत्र करवाया।

जब राजा जनक ने देखा कि सब ब्राह्मण एकत्र हो गए हैं, तब उनसे बोले कि हे माननीय, पूज्य, ब्राह्मणों। आप लोगों में से जो अतिशय करके ब्रह्मविद हों वें इन गायों को अपने घर लें जायें, इतना कहकर चुप हों गए। यह सुनकर सब ब्राह्मण एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर उनमें से किसी को साहस नहीं हुआ कि वे उन गायों को अपनें घर ले जाए। जब याज्ञवल्क्य ने देखा कि कोई लेने को समर्थ नहीं होता है, तब उन्होंने अपनें प्रिय शिष्य सामश्रवा से कहा कि हे प्रिय! तू इन गायों को मेरे घर ले जा, ऐसा सुनकर वह उन सब गायों को लेकर याज्ञवल्क्य के घर चला गया, यह देख कर समस्त ब्राहाण क्रुद्ध हो एक बारगी बोल उठे कि यह याज्ञवल्क्य हम लोगों में अपने को अतिब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मविद कैसे कह सकता है। इसके पीछे राजा जनक का होता अश्वल नामक ब्राह्मण क्रोधित होकर याज्ञवल्क्य से कहता है और याज्ञवल्क्य ! क्या तू ही सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता है। याज्ञवल्क्य ने कहा हे होता अश्वल! मैं अपने को ऐसा समझता हूँ, मैं ब्रह्मवेता पुरुषों का दास हूँ, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, मैंने अपने को गायों की कामना वाला और आप लोगों की गायों की कामना से रहित पाकर गायों को घर भेज दिया है, ऐसा सुनकर अश्वल ने कहा यह बात नहीं तू अपने को अवश्य अतिश्रेष्ठ मानता है, मै प्रश्न करता हूँ, तू उसका उत्तर दें।

हे याज्ञवल्क्य ! यज्ञ में जो कुछ वस्तु दिखाई देती है, वो सब मृत्यु से ग्रसित है, ऐसी हालत में से किसके द्वारा यज्ञ मान मृत्यु के पास से छूट जाता है, उसके उत्तर में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि होता नामक ऋत्विज् की सहायता करके यजमान मुक्त हो जाता है, वह होता अग्निरुप है, अग्नि से तात्पर्य वाक्य से है, यानी जब होता शुद्ध वाणी से उदात, अनुदात, स्वरित स्वरों के साथ वैदिक मन्त्रों का उच्चारण यज्ञ के विषय में करता है, तब देवता प्रसन्न होकर यजमान को स्वर्ग में ले जाते है।, इसलिए हे अश्वल! वाणी ही यज्ञ का होता है, वही अग्नि है, और वही मुक्ति का साधन है।

प्रथम प्रश्न के उत्तर के पाने से समाधान होकर अश्वल होता सन्तुष्ट होता हुआ फिर प्रश्न करता है, हे याज्ञवल्क्य! इस संसार में यावत वस्तु है, सब दिन और रात्रि से गृहीत है, ऐसी हालत में किस उपाय को करके यज्ञ का कर्त्ता यानी यजमान अहोरात्र के पाश को उल्लंघन करके मुक्त हो जाता है, इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य कहतें है, कि हे अश्वल ! अध्वर्यु नामक जो ऋत्विज् है, उसकी सहायता करके यज्ञ का कर्ता यजमान मुक्त हो जाता है, हे अश्वल! अध्वर्यु के कहने से मेरा मतलब नेत्र और सूर्य है, जब यजमान नेत्र के द्वारा भली प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ करता है, तब सूर्य देवता अपनी रश्मियों द्वारा उस यज्ञकर्ता को ब्रह्मलोक को ले जाकर आवागमन से मुक्त कर देता है,

---

*सहायक प्राध्यापक (संस्कृत) शासकीय एस.जी.एस. पी.जी. महाविद्यालय, गंजबासौदा, जिला–विदिशा (म.प्र.) भारत

इसलिए यजमान का शुद्ध चक्षु ही अध्वर्यु है।

अश्वल होता फिर प्रश्न करता है, हे याज्ञवल्क्य! संसार में सब पदार्थ कृष्ण और शुक्लपक्ष करके व्याप्त हैं, ऐसी अवस्था में हे याज्ञवल्क्य! किस उपाय करके पूर्वपक्ष और अपरपक्ष की व्याप्ति से यज्ञकर्ता मुक्त होता है, इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य कहते हैं, कि हे अश्वल! उद्गातानामक ऋत्विज् की सहायता से यजमान दोनों पक्षों की व्याप्ति से छूट जाता है, मनुष्य सम्बन्धी उद्गाता से मेरा मतलब नहीं है, बल्कि घ्राण वायु से और ब्राह्य वायु से मतलब है, हे अश्वल ! यह घ्राणवायु प्राणवायु है, यही उद्गाता है, यही ब्राह्यरुप है, यही प्राण है, प्राण को ही इन्द्रियां कहते है, प्रत्येक इन्द्रियों को शुद्ध करना ही परम साधन है, जब इन्द्रियां शुद्ध हो जाती है, तब इनकी सहायता करके यजमान का कल्याण होता है।

अश्वल फिर प्रश्न करता है, हे याज्ञवल्क्य! यह सामने का अन्तरिक्ष यानी आकाश निरालम्ब प्रतीत होता है, और स्वर्ग लोक इससे आगे है, तब किसकी सहायता से यजमान स्वर्ग लोक पहुँचता है, इस पर याज्ञवल्क्य कहते है, कि हे अश्वल ! ब्रह्मनामक ऋत्विज् की सहायता से यजमान स्वर्गलोक को चढता है। हे अश्वल ! ब्रह्मा से मेरा मतलब मनरुपी चन्द्रमा से है, जब यज्ञमान का कल्याण होगा तब केवल शुद्ध मन करके ही होगा यही मन यज्ञ का ब्रह्मा है, इसलिए जो यह मन है वही चन्द्रमा है, वही ब्रह्म है, वह चन्द्रमा की मुक्ति का साधन है, इसलिए शुद्ध मन ही यजमान को चन्द्रलोक में पहुँचाकर उसको अत्यन्त सुखभोगी बनाता है।

अश्वल फिर प्रश्न करता है, हे याज्ञवल्क्य! कितनी ऋचाओं से आज यह होता प्रस्तुत यज्ञ में हवनादि कार्य करेगा, उसके उत्तर में याज्ञवल्क्य कहते है, कि तीन ऋचाओं को करके होता अपना कार्य करेगा, अश्वल फिर पूंछता है कि, हे याज्ञवल्क्य वह **तीन ऋचाएं** कौन कौन सी है, इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य कहतें है, कि हे अश्वल ! **पहिली ऋचा पुरोनुवाक्या है, दूसरी याज्या है, तीसरी शस्या है,** यानी जो ऋचाए कार्यारम्भ के पहले पढ़ी जाती हैं, वे पुरोनुवाक्या हैं, और जो ऋचाए प्रत्येक विधि में पढ़ी जाती है, वे याज्या कही जाती हैं, और जो अन्त में स्तुतिनिमित्त बहुत सी ऋचाए पढ़ी जाती हैं, वो शस्या कहलाती हैं, उन्हीं सब ऋचाओं को पढ़कर होता आज यज्ञ करेगा, उसको सुनकर फिर अश्वल पूछता है कि हे याज्ञवल्क्य! इन तीन प्रकार की ऋचाओं से यजमान का क्या लाभ होता है, इस पर याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि हे अश्वल ! जगत् में जितने प्राणी हैं, वे सब यजमान को प्राप्त होंते हैं।

याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्याध्वर्युरस्मिन् यज्ञ आहुतीर्होष्यतीति तिस्त्र इति कतमास्तातस्तस्त्र इति या हुता उज्ज्वलन्ति या हुता अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरते किं ताभिर्जयतीति या हुता उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिर्जयति दीष्यत इव हि देवलोके या हुता अतिनेदन्ते पितृलोकमेव ताभिर्जयस्यतीव हि पितृलोको या हुता अधिषेरते मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयत्यध इव हि मनुष्यलोक:।[1]

पुन: अश्वल प्रश्न करता है कि हे याज्ञवल्क्य! आज यह अध्वर्यु कितनी आहुतियों को इस यज्ञ विषे देगा। इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि तीन आहुतियां, फिर अश्वल पूँछता है, वे तीन आहुतियां कौन–कौन सी हैं, याज्ञवल्क्य कहतें हैं कि पहली आहुति वो है जो **अग्निकुण्ड** में डालने पर ऊपर को प्रज्वलित होती है, दूसरी वो है, जो अग्निकुण्ड में डालने पर अत्यन्त **नाद** करती है, तीसरी आहुति वे है, जो अग्निकुण्ड में डालने पर **नीचे** को बैठती है, इन तीनों आहुतियों के साथ ऊपर कहीं हुई तीन प्रकार की ऋचाए पढ़ी जाती है, जिस पर अश्वल फिर पूँछता है कि हे याज्ञवल्क्य! उन आहुतियों को करके किस यजमान किस वस्तु को पाता है, आप कहें। इस पर याज्ञवल्क्य समाधान करते हैं कि हे अश्वल! जो आहुतियां ऊपर को प्रज्वलित होती है उन करके यजमान देवलोक को जय करता है, क्योंकि देवलोक प्रकाशवान् है, इस कारण देवलोक की प्राप्ति प्रज्वलित आहुतियों को करके यजमान पितृलोक को जय करता है, क्योंकि पितृलोक में पितर लोग सुख के कारण उन्मत्ता होकर नाद करते हैं, इस कारण पितृलोक की प्राप्त नाद करती हुई आहुतियों करके कही गई हैं। जो आहुतियां नीचे को बैठती है, उन्हें करके मनुष्य लोक को जाता है क्योंकि मनुष्य लोक नीचे है इसी कारण इसकी प्राप्ति उन आहुतियों कर के कही गई है। जो नीचे को जाती हैं।

अश्वल फिर प्रश्न करता है कि हे ! याज्ञवल्क्य यह ब्रह्मा दक्षिण दिशा में बैठकर कितने देवताओं से यज्ञ की रक्षा करेगा ? इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य कहते है कि केवल एक देवता कर के यज्ञ की रक्षा होती है। इस अश्वल पूछता है कि वह एक कौनसा देवता है ? याज्ञवल्क्य उत्तर देते है कि यह एक देवता मन है यद्यपि एक है पर उसकी वृत्तियां अनन्त है। इस कारण मन संबंध कर के विश्व देवता भी अनन्त है। ऐसे मन कर के यजमान अनन्त लोकों को जीतता है।

अश्वल फिर प्रश्न करता है कि हे याज्ञवल्क्य! इस यज्ञ विषे आज उद्गाता नामक ऋत्विज कितने स्तोत्र पढ़ेगा ? तब याज्ञवल्क्य उसके उत्तर में कहते है कि जो अध्यात्म संबंधी है, वह तीन श्लोक पढ़ेगा तब अश्वल पूछता है कि वह तीन श्लोक कौन से है ? याज्ञवल्क्य उत्तर देते है, प्रथम पुरोनुवाक्या ऋचा है। दूसरी याज्या नामक ऋचा है। तीसरी शस्या नामक ऋचा है। फिर अश्वल पूंछता है कि हे याज्ञवल्क्य ! पुरोनवाक्या आदि ऋचाओं से आपका क्या तात्पर्य है इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य कहते है कि पुरोनवाक्या ऋचा से मेरा मतलब प्राण वायु से है। याज्या ऋचा से मेरा मतलब अपान वायु से है। शस्या ऋचा से मेरा मतलब व्यान वायु से है। फिर अश्वल पूछता है कि हे याज्ञवल्क्य ! यदि इन तीन ऋचाओं करके यज्ञ किया जाए तो उन से क्या प्राप्ति होगी। याज्ञवल्क्य उत्तर देते है कि हे अश्वल ! पुरोनवाक्या ऋचा से यजमान पृथ्वी लोक को जीतता है। याज्या ऋचा कर के वह अंतरिक्ष लोक को जीतता है और शस्या ऋचा कर के वह भू–लोक को प्राप्त होता है। ऐसा सुनकर अश्वल चुप हो गया।[2] **अर्थात् 'आत्मैवेदं सर्वम्'।** आत्मा ही यह सब है।[3] **'ब्रह्मैवेदूंसर्वम्'**। अर्थात् ब्रह्म ही सब है।[4] **'अयमात्मा ब्रह्म'**। यह आत्मा ही ब्रह्म है।[5] **'अहं ब्रह्मास्मिं'**। मै ब्रह्म हूँ।[6]

निष्कर्षत: कह सकते है कि वृहदारण्यकोपनिषद शुक्लचन्द्र शाखा के अन्तर्गत है। इसके छ: अध्याय हैं। जिसमें तीसरे और चौथे अध्यायों में याज्ञवल्क्य ने राजा जनक के आध्यात्मिक तत्व का उपदेश दिया है। इनमें याज्ञवल्क्य के आध्यात्मिक ज्ञान वैभव का पूर्ण परिचय मिलता है। याज्ञवल्क्य और अश्वल के आख्यान का विषद् विवेचन किया गया है। जिसमे अश्वल द्वारा पूंछे गए प्रश्नों को याज्ञवल्क्य के द्वारा संतोषजनक उत्तर दिए गए हैं। अन्त में याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट कर दिया है कि हे अश्वल वह ब्रह्मज्ञान है, वह ब्रह्मतत्व है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. वृहदारण्यकोपनिषद 3/1/8
2. वृहदारण्यकोपनिषद 3/1/1–10
3. छान्दोग्योपनिषद् 7/25/2
4. नुसिंह 6/3
5. वृहदारण्यकोपनिषद 2/5/19
6. वृहदारण्यकोपनिषद 1/4/10

वर्तमान समय में संस्कृत का आध्यात्मिक महत्व

रश्मि गुप्ता *

शोध सारांश – संस्कृत देवताओं की वाणी है। देववाणी में निबद्ध साहित्य विश्व का प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण साहित्य है। यह साहित्य प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रधान वाहन है क्योंकि भारतीय प्राचीन साहित्य वेद, पुराण, उपनिषद् एवं विभिन्न शास्त्र सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत इस देश की प्राणधारा रही है क्योंकि भारतीय संस्कृति का प्राण आध्यात्मिक भावना है, जिसका विशद विवेचन एवं भारतीय अध्यात्म साधन का निरूपण वैदिक ग्रन्थों में किया गया है। इसमें प्राचीन भारत के आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, व्यावहारिक एवं राजनीतिक जीवन का सुन्दर चित्रण हुआ है। अत: संस्कृत प्रकाण्ड विद्वानों, विदुषियों, विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को देववाणी का सम्मान करना चाहिए। प्राचीनता की दृष्टि से भी संस्कृत–साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य होने से बेजोड़ है। विश्व का कोई भी साहित्य इतना प्राचीन नहीं है। ऋग्वेद की रचना से अद्यतन संस्कृत–साहित्य की परम्परा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहमान हो रही है। यह प्रवाह विषमतम परिस्थितियों में भी क्षीण नहीं हुआ है। इसका प्रमाण है, ईसवी प्रथम शताब्दी शकक्षत्रय रूद्रदामन का शिलालेख, जिसकी रचना विदेशी शकक्षत्र ने संस्कृत में करायी। संस्कृत उस समय देश की राष्ट्रभाषा थी और चाहे स्वदेशी हो या विदेशी उसे संस्कृत का महत्व स्वीकार करना ही पड़ता था। वर्तमान समय में संस्कृत की उपेक्षा की जा रही है, जिससे संस्कृत का महत्व कम होता जा रहा है।

प्रस्तावना – संस्कृत साहित्य धर्म, नैतिकता, आचरण, जीवन जीने की पद्धति एवं जीवन को व्यवस्थित करने का तरीका बताता है किन्तु आधुनिक युग में आंग्ल भाषा का अधिक महत्व बढ़ा है। इसलिए देववाणी का स्थान घटा है लेकिन इसका भविष्य उज्जवल है क्योंकि देश की एकता के लिये संस्कृत ही परम साधन है। संस्कृत साहित्य ने जीवन का सार एवं जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त किया है, जो अनुकरणीय है। इसमें नित्यकर्म और सत्कर्म के वास्तविक रूप को बताया गया है। मन्त्रों, श्लोकों, सूक्तियों एवं ऋचाओं के द्वारा जीवन को अलंकृत किया जा सकता है। इतना ही नहीं नाट्यशास्त्र एवं काव्यशास्त्र के द्वारा संस्कृत साहित्य का मूल्यांकन किया जा सकता है।

काव्य शास्त्र अधिक प्रभावशाली होता है। नाट्यशास्त्र की अपेक्षा काव्यशास्त्र से न्यास कर्म का बोध होता है।[1] काव्यशास्त्र के द्वारा आत्मत्व विद्यातत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। काव्यांलकार से जीवन में विद्वत्ता का विकास होता है। संस्कृत काव्यशास्त्र के क्षेत्र में आचार्य भरतमुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र से लेकर पण्डित राज जगन्नाथ द्वारा रचित रस–गंगाधर तक अनेक आचार्यों की अनेक कृतियाँ प्रकाश में आई हैं। लगभग 2000 वर्षों की इस सुदीर्घ परम्परा में कई ऐसी कृतियों में एक कृति है– 'काव्यालंकार सार संग्रह' इसके रचनाकार भावदेव सूरि हैं। यह ग्रन्थ 'अलंकार महादधि' के अन्त में गायकबाड़ ओरियण्टल सिरीज बड़ौदा से प्रकाशित हुआ है।

आचार्य भावदेव सूरि प्रतिभा सम्पन्न संस्कृत के प्रखर विद्वान थे। उनका समय ईसा की चौदहवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध और पन्द्रहवी शताब्दी का पूर्वार्द्ध प्रतीत होता है क्योंकि इन्होंने पार्श्वनाथ रचित की रचना वि0सं0 1412 में श्री पत्तन नामक में की थी जिसका उल्लेख पार्श्वनाथ रचित की प्रशस्ति में किया गया है। आचार्य भावदेव सूरि के गुरू का नाम जिनदेव सूरि था। ये कालिकाचार्य सन्तानीय खण्डिल्लगच्छ की परम्परा के आचार्य थे।

पार्श्वनाथरचित के अन्त में जो प्रशस्ति कवि ने दी है, उससे ज्ञात होता है कि आचार्य कालिक के अन्वय में खडिल्ल नामक गच्छ के चन्द्रकुल में एक भावदेव सूरि नामक विद्वान हुये थे।[2] उन्हीं की परम्परा में क्रमश: विजय सिंह सूरि, वीर सूरि और जिनेन्द्र सूरि हुये। जिनदेव सूरि के पश्चात् पूर्वागत नाम क्रम–भावदेव, विजय सिंह, वीर तथा जिनदेव से ये शिष्य परम्परा चलती गई। जिनमें से एक जिनदेव के शिष्य प्रस्तुत 'काव्यालंकार सार संग्रह' के रचियता भावदेव सूरि हुए।

आचार्य भावदेव सूरि ने अलंकार विषयक 'काव्यालंकारसार संग्रह' के अतिरिक्त और कितने तथा कौन–कौन से ग्रन्थों की रचना की है, यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि इन ग्रन्थों का कहीं भी एक दूसरे से परस्पर सम्बन्ध नहीं है लेकिन 'पार्श्वनाथ चरित', 'जइ दिणचरिया' और कालिकाचार्य कथा नामक ग्रन्थों में कालिकाचार्य सन्तानीय भावदेव सूरि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अत: यह कहा जा कसता है कि उपर्युक्त ग्रन्थों के रचियता सूरि ही होंगे।

प्राचीन भारत में संस्कृत के कवियों तथा पंडितों को साहित्य और भाषा के क्षेत्र में निपुण माना जाता था। संस्कृत भारतीय ऋषियों और मुनियों की वाणी है अर्थात् इसको देववाणी कहा जाता है। सनातन संस्कृति का जन्म संस्कृत से हुआ। आर्यन् संस्कृति और सनातनीय धर्म ग्रन्थों की रचना संस्कृत भाषा में हुई। विद्वान् भी अपनी विद्वत्ता को प्रदर्शित करने के लिये संस्कृत भाषा को ही मुख्य मानते थे। हिन्दू साहित्य, हिन्दू धर्म तथा हिन्दू सभ्यता की जननी संस्कृत है। बिना संस्कृत के मानवीय जीवन अधूरा और अपूर्ण माना जाता है। संस्कृत से ही मनुष्य आलोक पथ अपनाकर अपने जीवन को आलोकित और सारपूर्ण बनाता है। संस्कृत की सूक्तियों और श्लोकों को मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। बिना वेदों और शास्त्रों के मनुष्य अपने जीवन के केन्द्र बिन्दु को प्रापत नहीं कर सकता।

संस्कृत के द्वारा मनुष्य अपने जीवन की गुहा को परिष्कृत कर सकता है। मानव अपने जीवन को मेधा को प्रगतिशील बनाने के लिए संस्कृत जैसी भाषा और साहित्य का चुनाव कर जीवन की आचार संहिता को प्राप्त कर सकता है।' संस्कृत के द्वारा मनुष्य अपनी कीर्ति और यश को गौरवान्वित कर सकता है, जिससे मनुष्य अपने बाहरी और आन्तरिक दिव्य प्रकाश को आलोकित कर चिरस्थायी बना सकता है।

संस्कृत साहित्य जीवन का मोक्ष पथ है। इस साहित्य के द्वारा मनुष्य

---

* शोधार्थी (संस्कृत) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

अपने श्लाघनीय कार्य और गुणों को प्रकट करने के लिए मानकीकरण का रास्ता अपना सकता है। संस्कृत की दो विधाए हैं काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र। संस्कृत के काव्य शास्त्र के क्षेत्र के आचार्य भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र से लेकर पंडित राज जगन्नाथ द्वारा रचित रस गंगाधर तक अनेक आचार्यों की अनेक कृतियां प्रकाश में आई हैं। लगभग दो हजार वर्ष की सुदीर्घ परम्परा में कई ऐसी कृतियां प्रकाश में नहीं आ सकी हैं, जो महत्वपूर्ण होते हुए भी अज्ञात हो गई हैं। इन्हीं कृतियों में एक कृति काव्यालंकार सार–संग्रह। इसके रचनाकार भावदेव सूरी हैं।

आचार्य भावदेव सूरि प्रतिभा संपन्न संस्कृति के प्रखण्ड विद्वान थे, जिन्होंने अपने जीवन को आलोकित किया था।[4] भावदेव सूरि ने काव्य अलंकार में उच्च परिवेश को प्राप्त किया। उनका उद्दान्त चरि, व्याकरण एवं उनमें आदर्शमयी काव्यात्मक गुण थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के वैदिक साहित्य का अध्ययन किया, जिससे वे एक अच्छे चिन्तक, साहित्यिक और सौभाग्यशाली माने जाते थे।

भावदेव सूरी का जन्म ईसा की चौदहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध और पन्द्रहवी शताब्दी का पूवार्द्ध माना जाता है क्योंकि इन्होंने पार्श्वनाथ चरित्र की रचना विक्रम सम्वत् 1412 में श्री पन्तन नामक नगर में की थी। भावदेव सूरि का व्यक्तित्व वास्तव में उदार और विद्या वैभव से परिपूर्ण था।[5] सूरि प्रख्यात तथा आध्यात्मिक भाव सम्पन्न व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म मार्ग को अपनाया था। वह कुशलता और प्रवीणता की शैली में आते हैं। उन्होंने वाल्यकाल में ही भविष्य की ओजस्विता तथा विद्वत्ता की सत्ता का आभास कर लिया था।

भावदेव सूरी ने गुरू का नाम जिनदेव सूर तथा ये कालिकाचार्य सन्तानीय खण्डिल्लगच्छ की परम्परा के आचार्य थे। भावदेव सूरि निसन्देह पूर्वक अध्यात्मक मार्गी थे, जिन्होंने व्याकरण ज्ञान के संस्कृत भाषा तथा साहित्य के विशाल दुर्ग में प्रवेश किया। इनकी रचना प्रमाणिक मानी जाती है तथा इन्होंने बाल्यकाल में अपने जीवन की लक्ष्य सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। इनकी पांडित्य प्रगाढ्मय था। तथा उन्होंने संसार में अनुपम कीर्ति को प्राप्त किया। अपने जीवन कार्य को सूरि ने साहित्यिक और व्याकरणीय विधाओं से परिपूर्ण किया। पर्श्वनाथ चरित्र के अन्त में जो प्रशस्ति कवि ने दी है। उससे ज्ञात होता है कि आचार्य कालिक के अन्वय में खण्डिल्ल नामक गच्छ के चन्द्रकुल में एक भावदेव सूरि नामक विद्वान हुए थे। उनकी परम्परा में क्रमश: विजय सिंह सूरि, वीर सूरि और जितेन्द्र सूरि हुए। जिनदेव सूरि के पश्चात् पूर्वागत नाम क्रम भावदेव, विजय सिंह, वीर तथा जिनदेव से शिष्य परम्परा चतली गई जिनमें से एक जिनदेव के शिष्य प्रस्तुत काव्यालंकार सार संग्रह के रचियता भावदेव सूरि हुए।

हमारे देश में वैदिक काल से वर्तमान काल तक गुरू और शिष्य की परम्परा रही। भारतीय संस्कृति में गुरू की विशेष महिमा है। भावदेव सूरि को काव्य ज्ञान की प्रेरणा जिनदेव सूरि से प्राप्त हुई थी। **भावदेव में काव्यात्मक गुणों का विकास करने में उनको गुरू से प्रेरणा मिली। भावदेव एक प्रकाण्ड व्याकरणाचार्य थे उनको व्याकरण समस्त विधायों का ज्ञान था।**[6] हमारे देश में विभिन्न वंशों में अलग–अलग विद्वान हुए जिससे उस वंश को ख्याति मिली। भावदेव का जन्म चन्द्रकुल में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रतिमा और योग्यता के आधार पर उस वंश को गौरवान्वित किया।

आचार्य भावदेव सूरि ने विभिन्न प्रकार की रचनाए की। उनके मुख्य रचनात्मक विषय अलंकार विषयक 'काव्यांलंकार सार संग्रह' के अतिरिक्त और कितने तथा कौन–कौन से ग्रन्थों की रचना की है, यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इन ग्रन्थों में परस्पर एक–दूसरे का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। भावदेव सूरि की मेधा शक्ति उच्च कोटि की थी उनका मुख्य विषय भाषा को सौन्दर्यकृत करना थज्ञ। भावदेव सूरि ने 'पार्श्वनाथ चरित्र' 1. की रचना की जिसेस उनको काफी ख्याति अर्जित हुई। उनकी द्वितीय रचना 'जई–दिण्चरिया' 2. इस पुस्तक में सूरि ने जीवन की आचार्य संहिता पर प्रकाश डाला है, उन्होंने इस रचना में मानवीय मूल्यों को केन्द्र बिन्दु मानकर मानवता के महत्व को बांटने का प्रयास किया है।

भावदेव सूरि की तृतीय रचना 'कालिकाचार्य कथा' है इनकी प्रमुख रूप से केवल तीन रचनायें प्रमुख रूप से ही ज्ञात हैं। उनकी कृतियों में चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी की साहित्यिक और भाषिक शब्दावली पाई जाती है।[7] यह रचना भावदेव सूरि की पद्यात्मक कृति है, इसके प्रथम अध्याय में 'अलंकार सार'[8] और आठवें अध्याय में 'अलंकार संग्रहनामा' का उल्लेख किया गया है। यह छोटा सा किन्तु अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ को आठ अध्याय और 132 कारिकाओं में बाँटा गया है। इस रचना से सूरि को अत्यधिक यश, कीर्ति और गौरव मिला। उन्होंने अपनी रचनाओं में विशेष रूप से आलंकारिक विषयों को चुना है।

इस काव्य को आठ सर्गों में बाँटा गया है, यह भावांकित महाकाव्य है। सर्गों के नाम भी वर्ण्य भी विषय के आधार पर रखे गए हैं यह एक पौराणिक महाकाव्य माना गया है। इसका प्रारम्भ मंगलाचरण से किया गया है। इस कृति का कथानक परम्परागत है और कवि ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है।'

'पार्श्व–चरित्र' भावदेव सूरि की एक उत्कृष्ट रचना है, जिसमें कवि ने विभिन्न प्रकार के श्लोक लिखे हैं, जिनकी संख्या 6074 है। इस काव्य की कथा 'माणिक्य चन्द सूरि'[8] सर्वानन्द सूरि आदि पार्श्व चरित्र से मिलती है। 2–इसका अनुवाद आंग्ल भाषा में हुआ है। 'भावदेव सूरि नेय' पार्श्वनाथ चरित्र 'नामक कृति से उत्कृष्ट और अनुपम ख्याति अर्जित की। वास्तव में पार्श्वनथ चरित्र की भाषा शैली एक धारा के रूप में है। इसमें सूरि ने मानव जाति को शुद्ध संस्कार एवं सभ्यता देने का प्रयास किया। पार्श्व नाथ चरित के श्लोंकों में जीवन के आचरण, जीवन शैली की व्याख्या है जिसमें मानवीय संम्पीडयता को समाहित किया है।

इस कृति की रचना सूरि ने प्राकृत भाषा में की थी। प्राकृति भाषा, संस्कृत और पाली भाषायें काफी समानता रखती हैं। इनके अतिरिक्त जैन और ग्रन्थावली में प्राकृत विनयचन्द्र, जयानन्द सूरि धर्मप्रभु देव कल्लोंर तथा संस्कृत में कीर्ति चन्द्र और उस समय की सुन्दर कृतियों में कालिकाचार्य कथाओं का उल्लेख मिलता है। 'कालिकाचार्य कथा जैन ग्रन्थों से काफी समानता रखती है। चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी में बहुत से धर्मग्रन्थों की रचना प्राकृत और पाली भाषा में हुई भावदेव सूरि की कालिकाचार्य कथा एक अतुलनीय और अनुपम रचना है। इस रचना के द्वारा हैन साहित्यकारों और धर्माचार्यों के द्वारा भावदेव सूरि को भी काफी सम्मान मिला।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. काव्य प्रकाश, मम्मट, पृ.39
2. काव्यालंकार, रूद्रट पृ.72
3. काव्यालंकार, भ्रामह पृ.83
4. काव्यालंकार, भ्रामह पृ.48
5. काव्य प्रकाश, मम्मट, पृ.112
6. काव्यालंकार, रूद्रट पृ.17
7. काव्य प्रकाश, मम्मट, पृ.62
8. काव्यालंकार, उदभट पृ.67

ब्राह्मण ग्रन्थों का सांस्कृतिक एवं साहित्यिक वैशिष्ट्य

डॉ. बीना कुमारी यादव *

प्रस्तावना – यज्ञों एवं कर्मकाण्डों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली-भांति समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रन्थ की रचना हुई। यहाँ पर ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ हैं- यज्ञ अर्थात् यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ ही 'ब्राह्मण ग्रन्थ' कहे गए। ब्राह्मण ग्रन्थों में सर्वथा यज्ञों की वैज्ञानिक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गयी है। यह ग्रन्थ अधिकतर गद्य में लिखे हुए हैं। इनमें उत्तरकालीन समाज तथा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक वेद (संहिता) के अपने-अपने ब्राह्मण होते हैं।

ब्राह्मणों की भाषा, रचना-शैली – ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा सामान्यत: वैदिकि और लौकिक संस्कृत की मध्यवर्तिनी है। मन्त्र-संहिताओं की अपेक्षा इस भाषा में अधिक नियमबद्धता, सुसंहति, सरलता और प्रवाहमयता है। इसमें कठिन सन्धियाँ और दुरुह समास प्राय: नहीं है, रूपरचना में यत्र-तत्र अपाणिनीयता का अनुभव स्वाभाविक है। उपसर्गों का उन्मुक्त प्रयोग पूर्ववत् है। निपातों का भी बाहुल्य है। वाक्य आवश्यकता के अनुरुप छोटे और लम्बे दोनों प्रकार के हैं, लेकिन संस्कृत गद्य काव्यों की गौड़ी और पांचाली शैली की सुदीर्घ वाक्य-रचना प्राय: कहीं भी नहीं है। संवादमयता से युक्त होने के कारण इस भाषा में विशेष जीवन्तता है। अस्पष्टता से बचने का प्रयास सर्वत्र परिलक्षित होता है।

ब्राह्मण-ग्रन्थों की रचना पूर्णरूप से गद्य में हुई हैं, किन्तु बीच-बीच में उस युग में बहु-प्रचलित पद्यबद्ध गाथाएँ भी समाविष्ट हो गई हैं, जैसे हरिश्चन्द्रोपाख्यानम में अभिव्यक्ति की सबलता के लिए उपमाओं और रूपकों का प्रचुर प्रयोग है। कहीं-कहीं लाक्षणिकता के भी दर्शन होते हैं। 'शतपथ ब्राह्मण' और 'तैत्तिरीय ब्राह्मणों' की भाषा स्वराङ्कित है, लेकिन 'ताण्डय', 'शांखायन ब्राह्मण' और 'ऐतरेय ब्राह्मणों' की भाषा के मुद्रितपाठ में स्वराङ्कन का अभाव होने पर भी, पारम्परिक वैदिक इनका उच्चारण सस्वर रूप में करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि कदाचित् इनकी भाषा भी सस्वर ही रही होगी। सुबन्त और तिन्त रूपों के प्रयोग की दृष्टि से 'जैमिनीय ब्राह्मण' की भाषा अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन मानी जाती है। इसके विपरीत ऐतरेय और ताण्ड्य ब्राह्मणों की भाषा अधिक व्यवस्थित, नियमनिष्ठ और प्रवाहपूर्ण है।

सांस्कृतिक वैशिष्ट्य – ब्राह्मण ग्रन्थों की सर्वाधिक उपादेयता यज्ञ-संस्था के और विकास को समझने की दृष्टि से है। यज्ञों के स्वरूप और सूक्ष्मातिसूक्ष्म कार्य-कलाप की कार्य-कारण-मीमांसा ब्राह्मण ग्रन्थों की अपनी विशिष्ट उपलब्धि है। यज्ञ-संस्था वैदिक धर्म की धुरी है। शबरस्वामी ने याग के अनुष्ठाता को ही धार्मिक कहा है। **यो हि यागमनुतिष्ठति तं धार्मिक इति समचक्षते। यच्च यस्य कर्ता, सतेन व्यपदिश्यते, यथा पाचकों लावक इति। तेन य: पुरुषो नि:श्रेयसेन संयुनक्ति, से धर्मशब्देन उच्यते। न केवलं लोके, वेदेऽपि यज्ञेन यज्ञामयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।** सम्पूर्ण वैदिक मन्त्रराशि (आम्नाय) को क्रियार्थक सिद्ध करने में ही ब्राह्मणग्रन्थों और पूर्व मीमांसा ने अपनी सार्थकता समझी है। एक दिवस से लेकर सहस्त्रसंवत्सरसाध्य योगों के विस्तृत विधि-विधान की प्रस्तुति में, ब्राह्मणग्रन्थों के योगदान का पूर्ण आकलन दु:साध्य ही है। आज श्रोतयागों के सम्पादन का वातावरण भले ही न हो, किन्तु युगविशेष में उनके प्रचुर प्रचलन की उपेक्षा नहीं की जा सकतीं, आज भी विज्ञान की मान्यताओं के सन्दर्भ में उनकी उपादेयता को प्रबुद्ध वर्ग स्वीकार कर ही रहा है। कालान्तर से यज्ञों के द्रव्यात्मक रूप में साथ ही स्वाध्याय और जप-यज्ञ की अवधारणाएँ सम्मिलित हो गयी। समय के परिवर्तन के साथ ही अनेक वैदिक यज्ञों में तान्त्रिक क्रियाओं का समावेश भी होता रहा। ब्राह्मण ग्रन्थ इस सभी परिवर्तनों के साक्षी हैं।

गंगा, यमुना की अन्तर्वेदी और सरस्वती के तटों पर निवास करने वाले जन-समुदाय की सम्पूर्ण धार्मिक आस्थाओं की संचिकाएँ है- **ब्राह्मणग्रन्थ।** धर्म का यज्ञ- यागात्मक स्वरूप आज सरस्वती की धारा के समान ही इंगितवेद्य हो चुका है। विद्वानों का विचार है कि भक्ति आन्दोलन की प्रबलता ने भी साध्य यज्ञों के सम्पादन के स्थान पर अन्य क्रियाओं को प्रोत्साहन दिया। धर्म के द्वितीय स्वरूप जिसका निर्माण स्वाध्याय, मन्त्र-जप, तीर्थ-दर्शन और व्रत-उपवासों से हुआ है, को भी ब्राह्मणग्रन्थों में अभिव्यक्ति मिली। गंगा की निर्मल धारा के समान धर्म का यह रूप आज भी जनमानस का सबसे बड़ा सम्बल है। धर्म के तृतीय रूप में टोने-टोटके, अभिचार-कृत्य और झाड़-फूँक आते हैं। यह समाज के सामान्यवर्ग में अत्यन्त प्राचीनकाल से ही प्रचलित रहा है। यमुना की नील-शबल जलराशि से इसकी समानता प्रतीत होती है। अथर्ववेद के अनन्तर सामविधान और 'षडविंश ब्राह्मण' प्रभृति ब्राह्मण-ग्रन्थों ने इन धार्मिक अवस्थाओं को भी ऋचाओं और सामों की उदात्तता से मण्डित करने की चेष्टा की। ब्राह्मण-ग्रन्थों में विद्यमान इस त्रिविध स्वरूप का ही उपबृंहण कालान्तर से स्मृतियों तथा इतिहास और पुराणसाहित्य में हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास, भूगोल और आचार-व्यवहार की दृष्टि से भी ब्राह्मण-ग्रन्थों की उपादेयता असन्दिग्ध है। महर्षि 'यास्क' ने 'निरुक्त' में जिस 'धात्वर्थवाद्' का पल्लवन किया, उसका बीजारोपण ब्राह्मणों में ही हो चुका था।

साहित्यिक वैशिष्ट्य – ब्राह्मण ग्रन्थों के गम्भीर अनुशीलन से अब ये प्रोषित हो चुका है कि अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टियों से ब्राह्मण ग्रन्थों में उत्कृष्ट साहित्यिक सौष्ठव सन्निहित है। इनकी अभिव्यक्ति-भंगिमाओं की रमणीयता पाठक-हृदय को पुलक-पल्लिवत कर देती हैं। ब्राह्मण-ग्रन्थों का प्रणयन यद्यपि काव्यात्मक सौन्दर्य के उन्मीलन हेतु नहीं हुआ है और उनका प्रमुख प्रतिपाद्य भी काव्य नहीं याग ही है, तथापि इनके रचयिताओं का अन्त:करण नि:सन्देह कलात्मक चेतना से अनुप्राणित रहा है। याग के सुनिश्चित व्यापारों की प्रस्तुति करते समय भी उन्होंने कल्पना-प्रवणता का परिचय दिया है। सामवेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों को इस सन्दर्भ में निदर्शनरूप में रखा जा सकता है, जिनमें स्तोमों और विष्टुतियों

---

* श्रीविनायक हॉस्पिटल ढ़ाबा काम्पलैक्स, भिवाड़ी, अलवर (राज.) भारत

की योजना करते हुए केवल दृष्ट और अदृष्ट पुण्य-लाभ की ही दृष्टि नहीं रही। उनके सम्मुख-स्त्रोत-क्लृप्ति के सन्दर्भ में यह दृष्टि भी स्पष्टरूप से हो रही है कि गानों की प्रस्तुति में कलात्मकता रहे, पतिवेश श्रुति-मधुर हो उठे, पुनरुक्ति न हो और क्रियमाण साम-गान सम्पूर्ण वातावरण को सरस बना दे।

इस सन्दर्भ में 'जामि' और 'यातयामता' सदृश शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनका अभिप्राय है कि एक ही गान की पौन:पुन्येन उसी तारतम्य में, उसी स्वर-मण्डल में आवृत्ति से अप्रिय और अरूचिकर वातावरण हो जाता है। इसके परिहार के लिए ब्राह्मण ग्रन्थकारों ने निरन्तर सजगता रखी है। ब्राह्मण-ग्रन्थों से रस-निष्पत्ति और भाव-व्यंजन के स्थल भले ही पुष्कल न हों, किन्तु मानवीय मनोभावों की ब्राह्मण ग्रन्थकारों को गहरी पहचान है। अर्थवादों का सेवैविध्यपूर्ण वितान वस्तुत: मानवीय मनोविज्ञान की आधारशिला पर ही प्रतिष्ठित है। मनुष्य के अन्तर्तम में निहित वासनाओं, कामनाओं और आकांक्षाओं को समझे बिना प्रशस्ति या निन्दा के याग की प्रेरणा ही नहीं उत्पन्न की जा सकती, अतएव चेतना के निगूढ स्तरों में सुप्त अथवा अर्धसक्रिय संस्कारों से अनुस्यूत विभिन्न कामनाओं- प्रियपत्नी, वंशवदपूत्र, सामाजिक प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य, अप्रिय व्यक्तियों और शत्रुओं के विनाश, मरणोत्तर सुखद जीवन और अन्त में वासनाओं के उपशम को ध्यान में रखकर ही अर्थवाद का सामानान्तर संसार ब्राह्मणग्रन्थकारों ने रचा है। साहित्य में स्थायी भावों की योजना जिन मूल मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों- राग, क्रोध, भय, विस्मय, घृणा और विराग के आधार पर की गई, उनकी ब्राह्मणग्रन्थों को गहरी प्रतीति है। काव्यात्मक रमणीयता का दूसरा पक्ष अभिव्यक्ति मूलक है, जिसके सन्दर्भ में ब्राह्मणग्रन्थों में लाक्षणिकता, उपमा और रूपक-विधान, पदावृत्ति तथा अक्षरावृत्तिराज्य लालित्य एवं संश्लिष्ट प्रस्तुति मुख्यत: दिखाई देती हैं। इनके आलोक में ब्राह्मणों के प्रतिपाद्य को प्रभावोत्पादक सम्प्रेषणीयता प्राप्त हुई है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में विद्यमान लाक्षणिक प्रवृत्ति की ओर सर्वप्रथम हमारा ध्यानाकर्षण निरुक्तकार यास्क ने किया। उनका कथन है-

'बहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि।'

अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणग्रन्थों में, देवताओं के विषय में भक्ति अथवा गुण-कल्पना के माध्यम से बहुविध तात्त्विक अन्वेषण हुआ है। अर्थवादों के तीन भेद हैं- 1. गुणवाद, 2. अनुवाद एवं 3. भूतार्थवाद

इनमें से गुणवाद लक्षणा के अत्यन्त निकट है। परवर्ती मीमांसकों और काव्यशास्त्र के आचार्यों ने दोनों को एक ही मानकर विवेचन किया है। गुणवाद के सन्दर्भ में ब्राह्मणग्रन्थों में प्राप्त उदाहरण इस प्रकार हैं- **'स्तेनं मन;'**, **'आदित्यो यूप:'**, **'श्रृणोत ग्रावाण:'** इत्यादि। इनकी सीधे-सीधे अभिधाशक्ति से व्याख्या नहीं की जा सकती। 'पत्थर सुनें!' यह कथन आपातत: उन्मत्त प्रलाप के सदृश प्रतीत होता है। इसी कारण इस प्रकार के वाक्यों में मीमांसकों ने लक्षणा का आश्रय लिया है, जिसका अभिप्राय प्रातरनुवाक् की मार्मिकता का द्योतक है, जिसे प्रस्तर भी तन्मयता से सुनते है, फिर विद्वानों और सहृदयों की बात ही क्या। नदी की स्तुति के सन्दर्भ में प्राप्त विशेषणों **'चक्रवाकस्तनी'**, **'हंस-दन्तावली'**, **'काशवस्त्रा'** और **'शेवालकेशिनी'** की व्याख्या शाबरभाष्य में भी लाक्षणिक दृष्टि से की गई है। उनका कथन है-

असतोऽर्थस्य अभिधायके वाक्ये गौणस्य अर्थस्य उक्तिर्द्रष्टव्या।म

साहित्यशास्त्र के ग्रन्थों में लक्षणा-निरुपण के प्रस; में आचार्यों ने इसलिए **'सिंहो माणवक:'**, **'गार्वाहीक:'** प्रभृति लौकिक उदाहरणों के साथ ही **'यजमान: प्रस्तर:'**, **'आदित्यो यूप:'** प्रभृति ब्राह्मण-ग्रन्थोक्त उदाहरण उन्मूक्तता से दिए हैं। उपमा और रूपकों के विधान से भी ब्राह्मणग्रन्थों की सम्प्रेषणीयता अत्यन्त प्राणमयी हो उठी है। षडविंश ब्राह्मण से उपमा के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है-

विधि-विधान से परिचय प्राप्त किए बिना होम करना वैसे ही है जैसे अंगारों को हटाकर राख में आहुति डालना -

स य इदमविद्धान अग्निहोत्रं जुहोति यथाङ्गारानपोह्य भस्मनि जुहुयात् तादृक् तत् स्यात्।म

जैसे क्षुधित बालक माता-पिता के पास जाते हैं, वैसे ही कष्ट में पड़े प्राणी भी अग्निहोत्र करते है।

ताण्ड्य ब्राह्मण के अनुसार यज्ञ में अध्वर्यु- प्रमुख ऋत्विक वैसे ही वहिष्पवमान में समर्पण करते हैं , जैसे अहेरी मृग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है- मन्द-मन्द गति से बिना आहट किये।म ब्राह्मणग्रन्थों में रूपक-विधान की उपादेयता पर मीमांसकों ने प्रकाश डाला है। 'अभिधानेऽर्थवाद:'म की व्याख्या के प्रस; में 'कुमारिल भट्ट' का कथन है कि रूपक के द्धारा यज्ञ की स्तुति-अनुष्ठान-काल में ऋत्विजों और यजमानों तथा अन्य समवेत व्यक्तियों में भी उत्साहभाव का संचार करती है-

रूपकद्धारेण याग-स्तुति: कर्मकाले उत्साहं करोति।

ब्राह्मण ग्रन्थों में रूपकों की विशाल राशि विद्यमान है। सर्वाधिक रूपक नर-नारी सम्बन्ध पर आधृत है। लौकिक जीवन में मिथुन भाव के प्रति मानव-मन में सहज और स्वाभाविक आकर्षण देखा जाता है। अदृष्ट और अपूर्व की अवधारणाओं को कुछ क्षणों के लिए परे रखकर यदि विचार किया जाय, तो कहा जा सकता है कि मानवीय अभिरूचि को ध्यान में रखकर ही ब्राह्मण ग्रंथकारों ने युग्मजीवन के रूपकों को याग-क्रिया के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है। ताण्डय ब्राह्मणम में बहुत ही लम्बा रूपक मिलता है। तपस्या, सत्य, ओज, यश, प्राणशक्ति, आशा, बल, वाक् आदि की इस विश्व सृष्टि में क्या भूमिका है, इसे विश्वस्त्रष्टा देवों के द्धारा अनुष्ठीयमान यागात्मक रूपक के माध्यम से व्यक्त किया गया हैं तद्धुसार विश्वसृष्टि एक महायज्ञ है, जिसमें तपस्या गृहपति, ब्रह्म (वैदिक ज्ञानराशि), हरा गृहपत्नी, अमृत उाता, भूतकाल प्रस्तोता, भविष्यतकाल प्रतिहर्ता, ऋतुएँ उपगाता, आर्त्तव वस्तुएँ सदस्य, सत्य होता, ऋतु मैत्रावरूण, ओज ब्राह्मणच्छंसी, त्विषि और अपचिति क्रमश: नेष्टा और पोता, यश अच्छावाक्, अग्नि अग्नीत्, भग ग्रावस्तुत, अक्र उन्नेता, वाक् सुब्रह्यण्य, प्राण अध्वर्यु, अपान प्रतिप्रस्थाता, दृष्टि विशास्ता, बल ध्रुवगोप, आशा हविष्य, अहोरात्र इध्मवाह और मृत्यु शमितास्वरूप हैं। आशारूप हविष्टा पर चलने वाले जीवन यज्ञ की कितनी प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति है। इस प्रकार के रूपकों की रमणीय सृष्टि ब्राह्मण ग्रन्थकारों की साहित्यिक प्रतिभा के प्रति हमें आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त है।

ब्राह्मण साहित्य का अनुशीलन करने पर प्रतीत होता है कि यह वैदिक और लौकिक साहित्य के मध्य सेतु स्वरूप है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ऐतरेय ब्राह्मण, 8/4
2. (i) (ऋग्वेद, 10/90/16)
   (ii) इति यजतिशब्दवाच्यमेव धर्मं समामनन्ति।
3. जैमनीय मीमांसासूत्र, 1/1/1 पर शाबरभाष्यनिरुक्त, 7/24
4. द्र, सायण, ऋग्वेद भाष्यभूमिका, पृ. 21
5. षड्विंशब्राह्मण, 5/24/1
6. षड्विंशब्राह्मण, 5/24/5
7. ताण्ड्य ब्राह्मण, 6/7/10
8. जैमनीय मीमांसासूत्र, 1/2/46
9. ताण्ड्य ब्राह्मण, 25/18/4

चित्रकला में दिव्य की अभिव्यक्ति

खुशबू जांगलवा * डॉ. रंजना वानखड़े **

प्रस्तावना – भारतीय कला सत्यं, शिवं सुन्दरं की महती भावना से ओत-प्रोत है।[1] अर्थात् सुंदर वही है, जो कल्याणकारी है तथा कल्याणकारी ही ईश्वर है[2]और सम्पूर्ण प्रकृति ईश्वर के सौंदर्य की अभिव्यक्ति का यंत्र है।कलाकार प्रकृति में इस सौंदर्य को देखकर तीव्ररूप से आकर्षित होता है और वह सहज ही उस परमात्मा के सौंदर्य की अभिव्यक्ति का सचेतन यंत्र बनता है तथा उस भागवत सौंदर्य को अपने अंतदर्शन के आधार पर तूलिका और रंग के माध्यम सेअभिव्यक्त करता है।ये ही कला और कलाकार है।प्रकृति का मानव के साथ प्रगाढ़ संबंध है। चित्रकला जगत में मानव की तुलना प्रकृति के रूपों से की गई है। वात्सायन के कामसूत्र की टीकाओं में पं.यशोधर अपनी टीका (जयमंगला) में 'षड्ंग का उल्लेख किया है-कला 'ष्डड्ंग का सूत्र -रूपभेदा: प्रमाणानि, भावलावण्य योजनम्।

साद्दश्य वर्णिकाभंग, इति चित्र 'ष्डड्ंगकम्।।[3]

साद्दश्य का अर्थ है 'आकृतियों की अनुरूपता' अर्थात् वस्तु विशेष की प्रकृति समानता का होना। कहा भी गया है कि साद्दश्यं प्रधानतम् प्रतिकीर्तिम्।[4] शिल्प शास्त्रों के कुछ साद्दश्य इस प्रकार है-स्त्रियो की नासिका तिलपुष्प के समान, कण्ठ शंख के अग्रभाग के समान, कंधे हाथी के मस्तक के समान, हाथ कमलतथा पल्लव के समान आदि[5] भुजा हाथी की सूंड के समान, पैर की अंगुलियां कचनार की फली के समान।[6]

द्दश्यकला के तत्वों – रेखा, आकृति, वर्ण, तान, पोत, अन्तराल में-रेखा-रेखाओं में विभिन्न रेखा मानवीय भावों को व्यक्त करती है।

1. सरल रेखा – निश्चय और कठोरता
2. घुमावदार रेखा – शिथिलता और लोच, कोमलता, मादकता
3. टेढ़ी मेढ़ी रेखा – मानसिक असंतुलन
4. कर्णवत् रेखा – संक्रमण, भ्रांति
5. बिंदू – एकाग्रता, शक्ति, शोभा को व्यक्त करते है।[7]

इसी प्रकार वर्णो के भी प्रभाव है –

1. पीला – प्रसन्नता, प्रकाश, दिव्यता
2. लाल – वीरता, श्रृंगारिकता
3. नीला – शांत, षीतवर्ण, मधुर
4. हरा – तटस्थ, ताजगी, यौवन, कच्चापन
5. बैंगनी – राजसी, समृद्धि, वैभव, प्रभाव, वीरता, शान-शौकत
6. श्वेत – सक्रिय, प्रकाशयुक्त, पवित्रता, स्वच्छता, सत्य
7. काला – प्रकाशहीन, उत्तेजनाहीन, गम्भीर, एकान्तिकता, दुख, मृत्यु, भय,पाप,निराशा आदि का प्रतीक होता है।[8]

इसी का एक अमूल्य, आध्यात्मिक स्वरूप, आध्यात्मिक चेतना की अभिव्यक्ति हमें श्री मां(ऑरो आश्रम, पांडिच्चेरी) के जगत में अनुभूत होती है। श्री माताजी जो अपने आप में दिव्य चेतना है।स्वयं भी एक चित्रकार थी और चित्रकारी के रहस्य अंतर्मन तक गहरे थे। सम्पूर्ण प्रकृति को उन्होंने जिस चित्रकारिता से जोड़ा है, वह अपने आप में अद्वितीय है। पुष्पों का जैसा अद्वितीय सौंदर्य भाव एक-एक पुष्प का समर्पणीय रूप सभी कुछ अद्वितीय है। जिसे हम आगे देखेंगे।सम्पूर्ण विश्व उस पुरूषोत्तम परमात्मा कीअद्वितीय लीला में लीन है। ऐसी लीला जो गहरे से गहरे उतरने पर अधिक आनंददायी होती जाती है। कला के अध्ययन की शुरूआत भी अपने आप में अद्भूत है।

कला और कलाकार एक दिव्य चेतना ग्रहण कर चित्रकार बनता है। कैसे हर कण का एक अहम् पहलू है, समर्पण और समर्पण के बिना सब अधूरा है।[9]श्री माताजी चित्र बनाते समय दिव्य चेतना में खो जाती है जब चित्रकार अन्तर्मन की गहराइयों में पहुंचता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकृति का एक एक अवयव अपना सा लगता है। सब कुछ प्रभु मेरे। सुंदर से सुंदरतम्। यह भाव कब आता है, जब वह सम्पूर्ण के साथ गहराइयों में उतरता जाता है और उसे महानतर आनंद पाने का पथ प्रशस्त करती है। भारत आध्यात्मिक चेतना में जगा हुआ ऐसा देश है, जहां प्रत्येक कलाकार वाणी की अपेक्षा भाव से लय हुआ है, यही समर्पण का भाव कलाकारों का महानतर बनाता है। जब आप अपनी कामना छोड़ प्रभु की कामना से एकाकार हो जाते है तो सम्पूर्ण प्रकृति एक सहचारिणी सी प्रकट होती है। अब हम माताजी के उस स्वर्णिम लोक का आनंद लेंगें, जहां सम्पूर्ण प्रकृति फूलों की भाषा बोलती है।माताजी कहती है, तुम जो कुछ करो भरसक पूर्णता के साथ करो। मनुष्य के अंदर भगवान की यह सबसे अच्छी सेवा है।

श्री मां के द्वारा लगभग 100 पुष्पों को आध्यात्मिक नाम से सम्बोधित किया गया। प्रत्येक पुष्पों प्रेरणा दे रहा है। यहां हम संक्षेप में चुनिंदा पुष्पों का निरूपण कर रहे है।

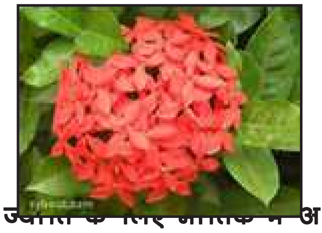

1. अतिमानस ज्योति के लिए भौतिक में अभीप्सा (लाल) – वानस्पतिक नाम-Ixora Javanica - गुच्छेदार, अध्यवसायी, आग्रही, व्यवस्थित और क्रमबद्ध[10] पांच विशेषताओं से भरा गुच्छेदार जैसे- गठा

---

* चित्रकला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** विभागाध्यक्ष (चित्रकला) महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

हुआ, अध्यवसायी, लगातार परिश्रम करने में तत्पर, सुव्यवस्थित, एक व्यवस्था को साथ लिए और क्रमबद्धता एक लय, आगे बढ़ने की एक गति यही तो जीवन का लक्ष्य है आनन्द और शांति का साम्राज्य।

2. **अतिमानसिक समृद्धियां –** ऐसी समृद्धियां जो अतिमानसिक सत्ता के अधिकार में होती है लेकिन फिर भी मनुष्य के लिए अपरिचित है।'वानस्पतिक नाम – Selenicerus[11] श्वेत पुष्प, श्वेत वर्षा सदा गहरी शांति को धारण करता है और यदि उसके साथ आध्यात्मिक का भाव हो जाए तो वह दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित कर देता है । समृद्धि से आगे बढ़कर व्यक्ति अतिमानसिक समृद्धियों की ओर देखता है, जो उसे अतिमानसिक सत्ता के अधिकार से प्राप्त होती है, आंतरिक शक्तियों से । परन्तु बहुत ही कम व्यक्ति इस दिव्य सत्ता से परिचित हो पाते है, अभ्यास द्धारा यह सम्भव करता जाता है।

3. **सम्पूर्ण अतिमानसिक प्रकाश में चेतना की तीव्रता –** सूर्यमूखी–'वह दीप्तिमयी है और जगत् को प्रकाशित करने के लिए विकीरित होती है।'वानस्पतिक नाम–Helianthus सूर्यमूखी का प्रकाश सुनहरा है।[12] सम्पूर्ण प्रकृति सुनहरी आभा बिखेरती है, और प्रकाश ऐसा जो सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशित करने के लिए उतावला। चारों ओर सुनहरा और बस सुनहरा दिव्य प्रकाश।

4. **अतिमानसिक सूर्य –(कदम्ब) –** 'हम अभीप्सा करते है कि इसकी किरणें हमें प्रकाशित और रूपान्तरित करें।'वानस्पतिक नाम Anthocephalus cadamba[13] किरणों वाला सुनहरा सफेद पुष्प सूर्य के समान गोलाकार– अतिमानसिक सूर्य सम्पन्नता लिए हुए और इस अभीप्सा के साथ इसकी किरणें सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित और रूपान्तरित कर रही है। आध्यात्मिक शक्तियों का संचरण हो रहा है।अतिमानसिक विराट में पदार्पण।

5. **गुलाब –** भगवान के प्रति अति मानसिक अनुरक्ति ।वानस्पतिक नाम –Father's Day' Rosa[14] उसने सचेत हो, प्रभु के आवरणहीन मुख का दर्शन पाया है। अतिमानसिक अनुरक्ति अर्थात् ऐसी अनुरक्ति जो अपने आपको अनन्त रूप में दोहराती है, यह कली प्रत्येक स्पर्श से चौंकती है। जानने का प्रयास करती है। एक दिन अवश्य आल्हाद की वाणी सुनेगी और दिव्य प्रियतम् के कानन में पुष्प बन खिल उठेगी।

6. **अतिमानसिक प्रेम की सुंदरता –** (ओरोविल का पुष्प)– वानस्पतिक नाम –Hisbiscus rosa - sinensis अपनी उच्चता में रहने के लिए हमें प्रेरित करती है।[15]सुहावना सौंदर्य लिए एक आभासीय रंग, ओंस के सुंदर मोती कण जो संपूर्ण अतिमानसिक प्रेम की सुंदरता से आच्छादित। एक दिन उस मुखौटे के मध्य वह आनंद प्रज्वलित होकर प्रकटेगा। जो धूमिल पथ पर चलता है, जो सत्य सूर्य की ओर घूम–घूम कर बढ़ता है।

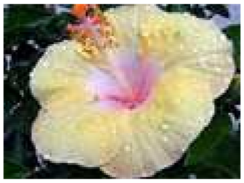

7. **चम्पा –** अतिमानसिकृत मनोवैज्ञानिक पूर्णता । हल्का लाल, पीला, सफेद, विशेषता यह कि दिव्य बनने की अभीप्सा करते हुए मनोवैज्ञानिक पूर्णता को प्राप्त होता।[16] पूर्णता से कम कुछ भी नहीं। पूर्णमदः । एक दिन वह पदार्थों और योजनाओं में परिपूर्णता ले आएगा ज्योति और सुखानंद की। निजगुणस्य देह प्रकट कर देगा।

8. **अवतार (कमल) –** परम् प्रभु ने पृथ्वी पर पार्थिव रूप धारण किया । श्री अरविंद के जंन्म के कारण 15 अगस्त ने एक दिव्य अर्थ अपना लिया। इसमें आश्चर्य नहीं कि भारत योग की धरती–श्री अरविंद के द्धारा उनकी तपस्या के लिए चुना हुआ गृह है ।[17] इसी दिन राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

9. **सच्चाई निष्कपटता –** वानस्पतिक नाम –Aster amellus[18] समस्त अस्तित्व तथा अनअस्तित्व वैयक्तिक तथा निर वैयक्तिक के पीछे एक रहस्य है और वह है प्रेम। सफेद नीला पुष्प जो सच्चाई और निष्कपटता का प्रतीक है, व्यक्ति जानता है कि भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता ।असुरों में सबसे चतुर भी भगवान को धोखा नहीं दे सकता है।

10. **लगन अध्यवसाय–** वानस्पतिक नाम –Calendula officinalis[19] 'अध्यवसाय द्धारा ही व्यक्ति कठिनाईयों को जीत सकता है, उनसे भागकर नहीं। जो डटा रहे उनका जीतना निश्चित है। विजय सबसे अधिक सहनशील को प्राप्त होती है। हमेशा अच्छे से अच्छा करों परिणाम भगवान देख लेंगें।

11. अभीप्सा-वानस्पतिक नाम – Nyctanthes arbor tristis ऐसी अभीप्सा जिसमें किसी पक्षपात भरे और अंहकारपूर्ण हिसाब किताब का मिश्रण न हो ।[20] अगर तुम सचेतन अभीप्सा की अवस्था में हो तो बहुत सच्चे हो ।तुम्हारे आसपास की सारी चीजें प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से व्यवस्थित कर दी जाएगी ।

12. ग्रहणशीलता – वानस्पतिक नाम-Gladiolus Xhortulanus भागवत शक्ति को ग्रहण करने की शक्ति और उसमें उस शक्ति की उपस्थिति और उसमें श्री मां की उपस्थिति को अनुभव करना। उसे कार्य करने देना । अपनी दृष्टि इच्छा और क्रिया को उसी शक्ति का पथ प्रदर्शन करने देना।[21]

13. प्रगति – वानस्पतिक नाम – Catharanthus roseus सच्ची प्रगति है, हमेशा भगवान के अधिक निकट आना ।[22]मानव जीवन का अनिवार्य और वांछनीय धर्म है, प्रगति।प्रगति कोई अचल स्थिति नहीं वह समाज के झुकावों, आदर्शो और संस्कारों की पूर्णता के प्रति समाज के प्रयासों में भी भाग लें। (पुस्तक -प्रगति सृष्टि में भागवत प्रभाव का चिन्ह पृ. 36)

14. साहस – वानस्पतिक नाम – Calotropis gigantean साहस का अर्थ है भय के सभी रूपों की पूर्ण अनुपस्थिति।[23]

सर्वांगीण साहस चाहे कोई क्षेत्र हो , चाहे जो संकट हो मनोवृत्ति एक ही रहती है स्थिर और आश्वस्त।

15. शांति – वानस्पतिक नाम- Curcuma zedoaria सत्ता में भागवत उपस्थिति का पहला चिन्ह है, शांति । अपने मन को शांत रखना । शांति और स्थिरता बीमारी के महान उपचार है।शांति एक ऐसी निश्चल नीरवता है जो ऐसी चीज में गंभीर रूप से उतर जाती है जो बहुत सकारात्मक होती है, जो प्राय: तरंगहीन शांत आनंद बन जाती है।[24]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास, वानस्पति गैरोला, लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद 978 81 8031 361 5 पृ.20
2. दृश्यकला, डॉ. आभा सिंह, उपकार प्रकाशन, आगरा,978 93 5013 375 0 पृ. 5
3. दृश्यकला, डॉ. आभा सिंह, उपकार प्रकाशन, आगरा, 978 93 5013 375 0 पृ. 6
4. ललितकला के आधारभूत सिद्धांत, मीनाक्षी कासनीवाल भारती,राज.हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर पृ.169
5. रूपप्रद कला के मूलाधार, शर्मा, अग्रवाल, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठपृ. 9,10
6. ललितकला के आधारभूत सिद्धांत, मीनाक्षी कासनीवाल भारती, राज.हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर पृ.170
7. दृष्यकला, डॉ. आभा सिंह, उपकार प्रकाशन, आगरा 978 93 5013 375 0 पृ. 12,13
8. दृष्यकला, डॉ. आभा सिंह, उपकार प्रकाशन, आगरा पृ.15
9. अग्निशिखा, मई 2011,श्री अरविंद सोसाइटी, पॉण्डिचेरी पृ.9
10. अग्निशिखा,,जनवरी 2016 श्री अरविंद सोसाइटी, पॉण्डिचेरी, पृ. 8
11. अग्निशिखा, जनवरी 2016,श्री अरविंद सोसाइटी, पॉण्डिचेरी पृ. 10
12. अग्निशिखा, जनवरी 2016,श्री अरविंद सोसाइटी, पॉण्डिचेरी पृ. 12
13. अग्निशिखा, जनवरी 2016, श्री अरविंद सोसाइटी, पॉण्डिचेरी पृ. 14
14. अग्निशिखा, जनवरी 2016,श्री अरविंद सोसाइटी, पॉण्डिचेरी पृ. 16
15. अग्निशिखा, जनवरी 2016,श्री अरविंद सोसाइटी, पॉण्डिचेरी पृ. 20
16. अग्निशिखा, जनवरी 2016,श्री अरविंद सोसाइटी, पॉण्डिचेरी पृ. 22
17. अग्निशिखा, अगस्त 2016,श्री अरविंद सोसाइटी, पॉण्डिचेरी पृ. 3
18. अग्निशिखा, फरवरी 2014,श्री अरविंद सोसाइटी, पॉण्डिचेरी पृ. 25
19. अग्निशिखा, फरवरी 2014, श्री अरविंद सोसाइटी, पॉण्डिचेरी पृ. 31
20. अग्निशिखा, फरवरी 2014, श्री अरविंद सोसाइटी, पॉण्डिचेरी पृ. 33
21. अग्निशिखा, फरवरी 2014, श्री अरविंद सोसाइटी, पॉण्डिचेरी पृ. 34
22. अग्निशिखा, श्री अरविंद सोसाइटी, पॉण्डिचेरी फरवरी 2017, पृ. 36
23. अग्निशिखा, श्री अरविंद सोसाइटी, पॉण्डिचेरी फरवरी 2017, पृ. 38
24. अग्निशिखा, श्री अरविंद सोसाइटी, पॉण्डिचेरी फरवरी 2017, पृ. 42

****

सांची के स्मारक

सोनाली टोके*

प्रस्तावना - स्तूप क्रमांक-1 - सम्राट अशोक द्वारा निर्मित यह स्तूप सांची स्थित सभी स्तूपों में सबसे बड़ा तथा विशाल स्तूप के नाम से जाना जाता हैं। पूर्व में अशोक कालीन यह स्तूप लघु आकार में ईंटों से निर्मित था तथा शुंगों के समय में इसका विस्तार हुआ। व्यास में 36.60 मी. व 16.46 मी. ऊंचे इस अर्धगोलाकार (अण्डाकार) इस स्तूप के चारों और भूमिस्थ, वेदिका, चारों दिशाओं में चार अलंकृत तोरणद्वार, मेधी वेदिका व वहां तक जाने के लिए सोपान हैं। इस स्तूप के अण्ड पर हार्मिका के मध्य में यष्टि हैं। यष्टि के शीर्ष पर तीन छत्र शोभायमान हैं। इस रूप में स्तूप की निराली शोभा देखने योग्य हैं। इसके चारों और प्रदक्षिणा पथ हैं। लेकिन यह शताब्दियों से दर्शनार्थियों के पदक्षेप से चिकना हो गया हैं। यहां बुद्ध की चार प्रतिमांए जो पांचवी छठी शताब्दी की जान पड़ती हैं।[1]

स्तूप क्रमांक-2 - जनरल मैसी और जनरल कनिंघम को स्तूप 2 में ऊपर से थोड़ी दूर नीचे जाने पर छोटी कोठरी मिली, जो स्तूप के केन्द्र से दो फुट पश्चिम की ओर थी। इस कोठरी का फर्श मेधी की प्रदक्षिणापथ की सतह में लगभग 6 फुट की ऊंचाई पर था। कोठरी के अन्दर 11 इंच लम्बी 91/2 इंच चौड़ी, 91/2 ऊंची अस्थि मंजूषा मिली इसके पूर्वी भाग पर तीन सतहों में अभिलेख दिख पड़े। ढक्कन अलग करने पर भीतर पाषाण की चार छोटी मंजूषाएं मिली। इनमें बौद्ध आचार्यो एवं उनके शिष्यों (अंतेवासिन) की अस्थियां थी, जो सांची से बाहर के स्तूपों से लाकर स्तूप-2 में रखी गयी थी ओर उनके नाम इस प्रकार खुदे थे 'काश्यपगोत्र, वात्सीसुविजयत, मध्यम, हारितीपुत्र, कोन्डिनीपुत्र, महावनाय, आपगिरी कौशिकीपुत्र, गौप्तीपुत्र तथा मौद्गलिपुत्र।'

काश्यपगोत्र, मध्यम, कौशिकीपुत्र और गौप्तीपुत्र के नाम सोनारी से प्राप्त अस्थि मंजूषाओं के अभिलेखों में तथा गौप्तीपुत्र, हारितीपुत्र और मौद्गलिपुत्र के नाम आंधेर से प्राप्त अस्थि मंजूषाओं पर उत्कीर्ण मिले हैं। आपगिरि सोनारी की एक अस्थि मंजूषा पर उत्कीर्ण आलावगिर का ही नाम हैं। आंधेर की एक अस्थि मंजूषा पर गौप्तीपुत्र के शिष्य वात्सीपुत्र का नाम उत्कीर्ण हैं। आंधेर की एक अस्थि मंजूषा पर गौप्तीपुत्र के शिष्य मौद्गलिपुत्र वाला अभिलेख हैं। आंधेर की एक अन्य अस्थि मंजूषा अभिलेख में गौप्तीपुत्र को हेमवत तथा दुदुभिसर का उत्तराधिकारी कहा गया है। सोनारी के दो अन्य ऐसे ही अभिलेखों में काश्यपगोत्र को कौत्सीपुत्र तथा मध्यम को कौण्डिनीपुत्र बताया गया हैं। यह मध्यम सांची के माध्यम से भिन्न आचार्य हैं। ये अशोक के समकालीन थे। लगता है, उनके अस्थि अवशेष पहले आंधेर की मंजूषाओं में रखे गये बाद में उनके कुछ अंश सांची के स्तूप-2 में प्रतिष्ठित किये गये।[2]

स्तूप क्रमांक-3 - स्तूप 1 से उत्तर पूर्व 50 गज पर यह स्तूप स्थित हैं। इसके दक्षिण में 17 फुट ऊंचा एक तोरण द्वार हैं, स्तूप का व्यास मेधी समेत 49 फुट 6 इंच और ऊंचाई 20 फुट हैं हर्मिका और छत्र समेत इसकी ऊंचाई 35 फुट 4 इंच हैं। इसमें मेधी और सोपान बाद में लगाए गए। इसकी भूवेदिका के चार स्तम्भों की चौकियां दक्षिण पश्चिम अपने मूल-स्थान में और एक चौकी दक्षिण-पूर्व की ओर मिली थी। संभवत: स्तूप 1 के पूननिर्माण के कुछ समय बाद ही यह स्तूप बनवाया गया था। कुछ समय बाद सोपान का स्तम्भ भूवेदिका और तोरण द्वार इसमें जोड़े गए। स्तूप के हर्मिका छत्र का व्यास 4 फुट 4 इंच हैं। इस स्तूप का निर्माण काल दूसरी शती ई.पू. हैं। इसकी पुष्टि स्तूप 1 के तीन अभिलेखों से होती है। इनसे यह भी ज्ञात होता हैं कि स्तूप 3 की भूवेदिका लगभग 1 शताब्दी बाद खड़ी की गयी थी यह भूवेदिका 8 फुट ऊंची हैं। वेदिका का उष्णीष 1 फुट 8 इंच ऊंचा हैं अन्य स्तम्भ अपरे खुरदरे भाग से ऊपर 3 फुट 6 इंच ऊंचे हैं।[3]

तोरण - स्तूप से संबंधित वेदिका की चारों दिशाओं में तोरण (तोर=जाना) बने हैं। जिनमें दो स्तंभ ऊपरी भाग में बंडेरियों से बंधे हैं। बौद्ध कला में सांची के तोरण सर्वप्रसिद्ध हैं, जो वेदिका के साथ-साथ निर्मित नहीं हुए थे। समय के पश्चात इन्हें जोड़ दिया गया। तोरण में ऐसा कोई स्थल नहीं जो अनलंकृत हो। उन पर हीनयान कला, बुद्ध के प्रतीक, जातक प्रदर्शन तथा चमत्कारों को दर्शाया गया हैं। सांची तोरण की कला सर्वोत्तम मानी जाती हैं।

सांची तोरण के परीक्षण से पता चलता हैं कि तोरण विभिन्न काल में तैयार किए गए थे। एक साथ सब का निर्माण नहीं हुआ। वैदिक परंपरा का मान कर दक्षिण का तोरण सर्वप्रथम निर्मित हुआ, जिसकी बंडेरी पर सातवाहन नरेश सातकर्णि का नामोल्लेख हैं। ब्राह्मण ज्योतिष में उत्तरायन तथा दक्षिणायन से सूर्य की अवस्था बतलाई जाती है। दक्षिण राक्षसों तथा यमराज की दिशा हैं। अतएंव मकान या दक्षिण भाग पहले ऊंचा बनाया जाता हैं। सांची का दक्षिण तोरण सबसे पहले तैयार किया गया, जिससे असुदंर तथा बुरी प्रवृत्तियां बाहर चली जाएं। उसक पश्चात उत्तरी तोरण बना। पूर्वी तथा पश्चिमी तोरण का क्रम उसके अनंतर आया। संक्षेप में स्तूप के आकार प्रकार में चबूतरा, मेधी, अंड, हरमिका, छत्र की प्रधानता हैं। यों तो वेदिका का भी अपना स्थान अथवा महत्व हैं। तोरण स्तूप की सुन्दरता की अभिवृद्धि में हाथ बंटाते है।[4]

स्तूप के समीप आने के लिए तोरण बने थे, जिन्हें देखने से विदित होता हैं कि तोरण को वेदिका से पृथक तैयार किया गया था। सांची के तोरण तो स्पष्टतया पृथक स्थिति रखते हैं। तोरण में दो स्तंभ होते हैं, जिनको जोड़ने के लिए बंडेरी रहती हैं। जिसे संस्कृत में पादांग कहते हैं। बंडेरी एक प्रस्तर का लंबा टुकड़ा है, जो दो स्तंभों के ऊपर रखा जाता हैं। परंतु स्तंभ के सिरे पर छोटा चौकोर प्रस्तर रखकर बंडेरी तैयार की जाती थी। इसे एक प्रकार

---

* शोधार्थी (चित्रकला) माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

दरवाजे पर ऊपरी चौखट समझ सकते हैं। उसी क्रम को दोहराते हैं। इस प्रकार तीन बंडेरियां एक के ऊपर दूसरी तथा तीसरी दीख पड़ती हैं। दो बंडेरियं में अंतर लाने के लिए प्रस्तर के चौकोर टुकड़ा यानी मिथ्या स्तंभ शीर्ष रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता हैं। सांची के तोरण तीन बंडेरियों सहित निर्मित हैं। अलंकरण के निमित्त तोरण का कोई भी भाग अछूता नहीं रहा हैं।

1. स्तंभ
2. अंतराल स्थित चौकोर-प्रस्तर (मिथ्या स्तंभ शीर्ष)
3. बंडेरियां

स्तंभ के लंबे भाग को कलाकारों ने कई चौकोर भाग में विभक्त कर खुदाई का कार्य सम्पन्न किया हैं। इस चार भूजा वाले भाग में हीनयान के बौद्ध प्रतीकों (वृक्ष, स्तूप, या चक्र) की पूजा का दृश्य दिखलाया गया है। सांची के तोरण स्तंभ पर अधिकतर लोकप्रिय पूजा का दृश्य हैं। सांची तोरण पर यक्ष की आकृति कम संख्या में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त जातक कथाओं का प्रदर्शन मिलता हैं।[5]

सबसे प्राचीन दक्षिणी तोरण द्वार हैं। इसके बाद क्रमश: उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी तोरण द्वार आते हैं। तोरण द्वारों का निर्माण काल दो या तीन शताब्दियों में पूरा हुआ होगा। इनको सही ढंग से खड़ा करने के लिए भूवेदिका का प्रवेश द्वारों में तीन तीन स्तम्भ और जोड़े फुल्ले बने हैं। इन वेदिकाओं के स्तम्भ नींव के भारी पाषाण खण्डों के छेदों में फंसे हैं। दक्षिण और उत्तर के प्रवेश द्वार एक से हैं। किन्तु पूर्व और पश्चिम के प्रवेश द्वारों के स्तम्भ छोटे हैं।

चारों तोरण द्वार अलंकरण में लगभग एक से हैं। लगता हैं कि इनका निर्माण काष्ठकारों ने किया था। इनके बीच में चौकोर शीर्षक तथा तीन छोटे स्तम्भ हैं। स्तम्भों के बीच मूर्तियां रखी हैं। शीर्षकों के ऊपर पीठ से पीठ सटायें सिंहों का अग्रभाग एवं खड़े हुए हाथी या बौने बैठे दिखाए गए हैं। नीचे के सिरदल के सिरों को संभालती हुई वृक्षिकाएं, वृक्षदेवता, शाल, भंजिमाएं या पक्षियां खड़ी हैं। ऊपर की वृक्षिकाएं आकार में छोटी हैं। ऊपर के सिरदलों के सिरों पर सिंह या हाथी बैठे हैं। अन्य खाली स्थानों में अश्वारोही या गजारोही विद्यमान हैं। तोरणों को प्राचीन साहित्य में धनुषाकार और विचित्र लता-पत्रों से अलंकृत बताया गया हैं।[6]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सांची, लालचंद एण्ड सन्स, 16 दरियागंज, नई दिल्ली, पृ. 8
2. सांची, भास्करनाथ मिश्र, मध्यप्रदेश हिंन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृ. 51-52
3. पुर्वोक्त, पृ. 20-21
4. प्राचीन भारतीय स्तूप, गुहा एवं मंदिर, डॉ. वासुदेव उपाध्याय, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना-3, पृ.16-17
5. प्राचीन भारतीय स्तूप, गुहा एवं मंदिर, डॉ. वासुदेव उपाध्याय, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना-3, पृ. 28-29
6. शिवराममूर्ति, एम.ए.एस. आई. (73), पृ.10 ''दूराल्लक्ष्यं सुरपति धनुष्चारूणा तोरणेन (मेघदूत 2.15), ''तोरणै: काञ्चनैदिप्तां लतांपंक्ति विचित्रतै: (रामायण, 5/2/18)

* * *

A Study on 'Encounter' killing in India

Dr. Rajiv Jain *

Introduction - An encounter killing is an extrajudicial killings by the police or the armed forces of suspected gangsters or terrorists in gun battles. The real encounter is when such killing can be justified in case if the offender was running away from custody, endangerring life of someone, etc. The police is known for fake encounters. The police or armed forces kill the suspects, when they are either in custody or are unarmed, and then claim to have shot them in self-defence. The police use all efforts to prove that the killing was justified by manipulating evidence. They may plant weapons on or near the corpses, or fabricate records that show that the individual was not in police custody at the time of his "encounter", or the police may say that the suspect had escaped. Such killings are not authorized by a court or by the law and are illegal.

In the 1990s and the mid -2000s, the Mumbai police used encounter killings to crush the city's underworld and break down the extortion racket. There were police officers, who became famous as "encounter specialist". They believed that such killings provided speedy justice. Such attitude has been criticized by human rights activists.

The first recognized encounter killing was on January 11,1982, the gangster Manya Surve who was shot dead by police officers Raja Tambat and Isaque Bagwan at the Wadala area.

A genuine encounter is that in which a person has been killed in self-defence or when the accused has tried to escape whereas a fake encounter is where a person has been killed in cold blood, and not in self –defence.

It is however held the dividing line between genuine and fake encounters is rather thin and the fact is that most of the cases considered by the police as genuine are indeed fake.

The basic principal that lies behind the encounter killings is that Indian Penal Code gives the right to a citizen to private defence and this right is also available to policemen. Thus, the police can fire while attempting to arrest a person accused of an offence punishable with death or imprisonment of life by the court orders and in such firing if the person is killed then such encounter is not illegal or fake, but genuine.

In cases where such encounter death is not justified on legitimate ground of such right, or in proper exercise of the power of arrest under section 46 of Criminal Procedure Code then the police officer causing the death would be guilty of the offence of commiting a culpable homicide.

The Human right activities have been against such killings for long and much has been done to avoid such atrocities. The national commission has the powers to inquire into such matters. The NHRC have all the powers of a civil court trying a suit under the Code of Civil Procedure,1908, and in particular in respect of the following matters, namely:

(a) Summoning and enforcing the attendance of witnesses and Examining them on oath;
(b) Discovery and production of any document.
(c) Receiving evidence on affidavits;
(d) Requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
(e) Issuing commissions for the examination of witnesses or documents;
(f) Any other matter which may be prescribed.

There are certain guidelines that are given to prevent such killings which are as follows:

a. When the police officer in-charge of a police station receives information about the death in an encounter between the police party and others,he shall enter that information in the appropriate register.
b. The information as received shall be regarded as sufficient to suspect the commission of a cognizable offence and immediate steps should be taken to investigate the facts and circumstances leading to death to ascertain what ,if any, offence was committed and by whom .
c. As the police officers belonging to the same police station are the members of the encounter party, it is appropriate that the cases are made over for investigation to some other independent investigation agency , such as the state CID.

The cases of "encounter killings"are maximum reported from the states of Gujarat, Uttar Pradesh, Karnataka ,Chhattisgarh and Andhra Pradesh.

In Peoples Union for Civil Liberties v. Union of India, 1997 3 S.C.C. 433 : AIR 1997 SC 1203 it was held that if the police had information that terrorists were gathering at a particular place and if they had surprised them and arrested them the proper course for them was to deal with them according to law and not by surprise.

---

* H.O.D. (Law) Career College Of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

New provisions as in 2014 regarding Encounter Killings According to the statistics there have been 2,560 encounter deaths during encounters with police between 1993 and 2008. Out of these most of the cases as reported by the NHRC were "fake encounters" . Most of the complaints were particularly against Central Reserve Police Force (CRPF), the Border security Forces (BSF) and the armed forces acting under the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA).

In the Criminal Appeal No 1255 OF 1999 People's Union for Civil Liberties and Anr. Versus State of Maharastra and Other. The SC has said that every death at police hands must br independentiy investigated and no officer should be rewarded till their gallantry is establissed beyond doubt. Important case laws are :

1. **Ishrat Jahan Encounter killing case** - The Ishrat jahan encounter case is criminial case in the Gujrst which took place on 15 june 2004, and involved encounter killing of ishart jahan raza , a 19- year old girl from Mumbai , and three men; paresh pillai ,Amjad Ali rana and zeeshan crime branch .
2. **S OHRABUDDIN Sheikh encounter case** - In the sohrabuddin Sheikh encounter case the stste police killed underworld criminal soharabuddin anvar hussian sheik on November 26, 2005, while he was in police custody
3. **Batla House encounter case -** Officially known as Operation Batla House , took place on 19 september 2008, against Indian Mujahideen terrorists in Batla House locality in jamia nagar, Dehli, in which two suspected terrorist, Atif Amin and Mohamed Sajid were killed while two other suspects Mohd Saif Zeeshan were arrested, while one accused Ariz Khan managed to escape The Socio-economic offences have been known since times immemorial,but remain dormant until the beginning of World War II.This new form of criminality was for the first time shaped by a well known criminologist Prof.Advin .H.Sutherland vin 1939.Sutherland described these newer crimes as white-collar crimes.The world wars badly affected the whole set-up of our community at large,resulting in the sudden upsurges of many problems.One of the major problems was the scarcity of the essential things and amounting demand,for them.The people occupied in trade started to take advantage of bthe war situation; which accelerated the growth of the newer form criminality in a substantial way.

The policy of Lasseiz-faire or non-interference of the state in the material pursuits of the individuals and association created an atmosphere of extreme business competitveness for individual advantages in the industrial countries.Thus uncontrolled capitalism posed a serious threat to the social welfare.

However the state in its turn did no longer remain a silent spectator to the victimization and sufferings of general masses.It began to realize the dangers inherent in unrestricted capitalism,so the governments in different countries decided to come out with welfare schemes for improving the living standards of the common masses and bringing about social and economic justice in the society by putting an effective check on the nefarious activities of many categories of anti-social elements so as to preserve the morality , and protect the public health,and material welfare of the community as a whole.Today, the state being a welfare state tends to control a vast a number of means of production and distribution of goods and material services etc. Therefore the activities of the state multiply to a greater extent.But unfortunately the heavy responsibility of the state over burden its administration,which led to the insufficient functioning of the governmental machinery.In addition to the above,some incompetent,dishonest and unscrupulous persons made their way into various public services. Both the aforesaid factors helped in the expansion of the socioeconomic offences eg.bribery, corruption,favouritism and nepotism in public services and among persons in high authority,trafficking in licences, permits and quotas, embezzlement, misappropriation and frauds relating to public property, and violation of specifications in public contracts decides the fields of socioeconomic offences mentioned above,there are many areas where new offences are emerging in menacing, proportions such as smuggling and violation of foreign exchange regulation,under invocing,overinvoicing,black marketing and hoarding, profiteering, racketeering, sharepushing and many other violations by man in legal professions as well as in medical professions.

"Illegal sale of alchohol and narcotics, abortion (illegal) ,illegal services to underworld criminals, fraudulent reports and testimony in accident cases,fraud in income tax returns,extreme cases of unnecessary treatment and surgical operations, fake specialist and fee splitting"

Thus the socioeconomic criminality has spread slowly and gradually all over the world.

Socio-Economic Offences In India - Our history tells us that India has a rich culture and heritage.It is understood that India was a land of believers who believed in values and virtues of trust,honesty,truth and benevolence that the very part of the existence. India lost its original vigour and virtuous existence and the Britishers corrupted the market and polluted the minds of simple Indians.

The Britishers very cleverly entered India and in 1717 the Mughal emperor issued a "royal" order,which granted the freedom to East-India Company to import and export its goods in Bengal without paying taxes. That order also gave a right to the company for issuing passes for the movement its goods .This order provided favourable circumstances for the servants of thje East India company who in return misused this favour and broke the trust and invaded the very freedom of India This business tactics gradually gave rise to newer form of criminality in India, and the socioeconomic offences gradually start to develop.

The Britishers ruled over India for 200 years. In 1947 India got Independence.Thios era initiated the second phase of socioeconomic offences in India.At this time, India was trying to recover from the long run oppression. There was scarcity of everything including administrative machinery and setting up efficient and honest administrative machinery immediately was not an easy task..

The Britisher gave India freedom,but created a divide between India and Pakistan that was another cause for the development of the socioeconomic offences in India.The havoc created at that time led to social disorganization and economic catastrophe. The commerce and social structure of India was totally jeopardized. People lost their businesses, houses, etc.. There was migrations from Pakistan to India and many affluent businessmen had leave their flourishing businesses and move out of Pakistan as refugees. These refugees were devastated economically and socially. Therefore all these factors created favourable grounds for development of wide spread of Socioeconomic Offences in India.

I n modern times, the third phase of the development of socioeconomic crimes was seen, which came through rapid industrial development and urbanization where socio-economic offences got much more chance for their growth and development. The Santhanam Committee studiedthese offences in detail and thecategories of socio-economic offences noted by that committee are as follows:

1. Offences calculated to prevent or obstruct the economic development of the country and endanger its economic health;
2 . Evasion and avoidance of taxes lawfully imposed;
3. Misuse of their position by public servants in making of contracts and ddispposasaal of public property, issue of liicences and permits and similar other matters;
4. Delivery by individuals industrial commercial undertakings of goods not in accordance with agreed specifictios in fulfillment of contracts entered into public authorities;
5. Prrofiteering, black marketing and hoarding;
6. Adulteration of food stuff and drugs,
7. Theft and misappropriation of public property and funds; and
8. Trafficking in licences and permits etc.

The Indian Penal Code is the first law containing some provisions for curbing socio-economic offences. It provides some punishments for acts of adulteration,etc. However the Santhanam Committee declared that that IPC in day-to-day is not apt enough to be able to completely cover the socioeconomic offences. Some other provisions are also necessary.

After the first quarter of nineteenth century other statutes for combating with Socio-Economic Offences were made in India, particularly after independence many statutes were passed and amendments were made.

The Government of India after the appointment of the Santhanam Committee had appointed the Wanchoo Committee on 2nd of March, 1970. The duty of this Committee was to focus attention on the problem of black money which is accumulated through violation of foreign exchange regulation, black-marketing and hoarding etc.

This committee made valuable suggestions for certain amendments in statutes dealing with Socio-Economic Offences. The suggestions of those committees led to the Indian legisture to enact more laws, e.g.

1. The Foreign Exchange Regulation Act 1973;
2. The Smuggling and Foreign Exchnge manipulators act 1976;
3. The Control of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act 1974; and
4. Criminal Procedure Code 1973 etc.

Similarly Law Commission of India made valuable suggestions in the statutes dealing with socio-economic offences, so as to make the punishments more stringent for punishing the socio-economic offenders.

Besides the above mentioned Acts, some main enactments which deal with

socio-economic offences are as follows:

1. The Prevention of Corruption Act.
2. The Prevention ofFood Adulteration Act.
3. The Prevention of Immoral Traffic (Amendment) Act,1986
4. The Drugs and Cosmetics Act.
5. The Essential Commodities (Amendment) Act
6. The Dowry Prohibition Act.
7. The Narcotic Drugs Psychotropic Substances Act, 1985.
8. The Standard of Weights and Measures Act.
9. The Customs Act.
10. The Drug (Control) Act.
11. The Income Tax Act,
12. The Anti-Corruption Laws (Amendment) Act,

Socio-economic crimes completely cover the white collar crimes, though there are minute differences.

It could therefore, be submitted that socio-economic offences does not only extend the scope of the subject matter of white-collar crime, as conceived by Sutherland and as aappreciated by others but is also of wider import.

Conclusion - Socioeconomics have emerged as a separate field of study in the late twentieth century. If we probe into the enigma of socio-economic offences the root cause lust for money. These crimes are always committed by educated, highly qualified and socially reputed people. The prominent hall mark in socio-economic crimes are that thes offenders pretend this illegitimate earned as legitimate money. All the whitecollar crimes are covered in socio-economic crimes.

References :-

1. Privileged Class Deviance
2. Criminal Procedure Code
3. Penology Treatment Of Offender
4. Indian Penal Code

****

A Uniform Civil Code for India - A Legislative and Judicial approach

Lok Narayan Mishra *

Introduction - The Uniform Civil Code is a need of the hour but who will bell the cat and how it can be done in a country like India which has many diversities is the matter of concern. Since long it is in debate but no concraeat step is taken till today by the state. The concept of one nation, one law is more than a neat hashtag and goes back to the drafting of the Constitution. Back then, the issue was hotly debated some members of the Constituent Assembly argued for a common personal law for marriage, divorce, inheritance and adoption, while others believed that this was a goal to be achieved in stages. The directive principle “shall endeavor to secure for citizens a uniform civil code” was a compromise since the time was not right.

The time has never been right in the sixty plus years since we adopted the Constitution. Yet, we have a new mood in the country. It’s a mood that is looking with considerable less tolerance at existing gender gaps, particularly where personal laws and religion are concerned. As women threaten to storm male-only mosques and temples, as the courts gird up to examine existing inequities, is it finally time?

Several issues - The first of these is the argument that the time is still not right. Muslims all over the world are under siege. Moreover, there is suspicion among the minorities in this country about this government’s true intentions—common law or majoritarianism? Controversies over beef, saffronization of school and college curriculums, love jihad, and the silence emanating from the top leadership on these controversies have done little to instill a feeling of confidence. Can the government build bridges and instill confidence?

Second, while a uniform civil code has remained a wonderful principle, nobody has actually spelt out what this common code will look like. What are the nuts and bolts of this law? Is it to take the ‘best’ practices from all religions and, if so, which ones? How would it deal with polygamy not just among Muslims but also Hindus and tribals? What will happen to the tax exemptions and breaks granted to the Hindu Undivided Family (HUF)?

One way forward is to look at the uniform civil code in terms of gender reform, a line favoured by many, including myself. But there is a caveat here, too. Can you look at parity of law for all women without first looking at parity between men and women? For instance, says former additional solicitor-general Indira Jaising, will our law-makers consider a concept of shared labour in marriages that would necessarily mean an equal division of assets acquired in the life of a marriage in case of a divorce?

One argument in favour of a status quo and against a uniform civil code is that the courts have in innumerable cases given secular laws precedence over personal, religious codes. In the past 12 months alone, a two-judge bench ruled that Muslim women are entitled to maintenance beyond the iddat (roughly three months) period. It upheld a previous Allahabad high court judgement that “polygamy was not an integral part of religion”. It has questioned why Christian couples must wait for a two-year separation before filing for divorce when it is just one year for others. Earlier still, it gave Muslim women the right to legally adopt children even though this goes against their personal law.

The problem with this line of argument is that it looks at justice on a case-by-case basis. It presupposes also that all minority women have access to lawyers and the courts.

There is another alternative—change from within. Already social organizations within the realm of religion have begun demanding an end to practices such as triple talaq. The All India Muslim Personal Law Board has not, so far, responded favourably even though an online petition by the Bharatiya Mahila Muslim Andolan demanding a ban has already attracted over 50,000 signatures.

And yet, there can be no turning back, no drowning out of voices demanding justice. This Eid, the three-century old Aishbagh Eidgah in Lucknow opened its doors to women to offer prayers for the first time in its history. It was a tiny step towards what could be a new beginning.

The problem in the constitution - The problem created in the constitutions is that in one way it is told about equality and non-discrimination [1] and in another way provision is for religious freedom and culture plurality [2]. At the same time there is another dimension of the problem.The provision for Uniform Civil Code is in Directive Principles of State Policies which is non-justiciable while right to equality and protection of minorities religious freedom and their culture are justiciable[3]. So the problem to implement a Uniform Civil Code revolves around these conflicting claims of Constitutional provisions

---

* Research Scholar (Law) Legal Research And Study Center, Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA

Recent Scenario - The Uniform Civil Code is again felt necessary when there is a fight by Muslim women against the practice of triple talaq. Now the India Government asked the law commission to study the issue. This can be a well initiation towards taking a step forward to implement such a code in India. There should not be a compromise but a solid agreement Directive Principles of State Policy of Indian constitution declares that "The state shall endeavour to secure for citizens a uniform Civil Code throughout the territory of India."[4] In religious practices differentiated rules are found even in a secular republic like India where as a common law for all citizens is the need of the hour. It is the fact that after vehement argument on the issue at the time of writing of the Constitution the members of Constituent Assembly reached at a compromise and it placed in directive principals of state policy as it is now. The leaders like Minoo Masani, Hansa Meheta and Rajkumari Amrit Kaur were among the several members of the Constitutent Assembly are those who disagreed with such compromise in the Constitution .But in the Constitution a compromise was made and left the responsibility on the State to endeavour to secure for its citizens a uniform civil code. This is one reason why India needs such a common code that a compromise is made in the constitution instead of a solid agreement among the members of the Constituent Assembly.

Justice to Gender - The next reason is that for giving justice to gender a uniform civil code is necessary. It is seen that in religious laws of Hindu and Muslims the rights of women are very limited in comparision with their male counter parts. One can take the example of triple talaq a best example in Muslim law. It is pertinent to mention here that B.A.Ambedkar had struggled enough to pass a Hindu Code Bill to empower women. Hamid Dalwai a great social reformer had campigned for a uniform civil code for gender justice.

The reformation approach - The reformation approach should come up from within the community it self who faces and experience the evils. It is not a new thing to say that Muslim women are claiming to seek reform and this desire of them is expressed in different forums of the society. The legislator should note it and support them morally. Like a secular they also claim gender equality and elimination of all discriminations existing inside their communities. So it is clear that these people will be inclined towards a secular common civil code approach. When people irrespective of cast, creed and religion will accept the common code widely than it can be made the law of the land in future.

A Principle Oriented approach - For sake of communal politics many leaders have demanded for a uniform civil code which is not a good sign. But there is a reason why courts have also told in various cases that Government should take step for a such code. **Saha Bano case [5]** Lily Thomas vs Union of India[6] and Sarala Mudgal case [7] are good examples. In **Lily Thomas vrs Union of India** case it is told that, "Besides deciding Question of law regarding the interpretation of 494 IPC one of the hon'ble judge Kuldip singh after referring to the observation made by this court in Mohamd Ahamad Khan vs. Sahahbano Begum and others requested the government of India through the Prime Minister of the country to have a fresh look at Art. 44 of the constitution of India and endeavour to secure for the citizen a uniform civil code through out the territory of india" Sarala Mudgal judgement was hailed as a precedent for uniform civil code and cited many cases where personal laws of different religious have come in conflict. In Constituent Assembly many members had argued to move with different civil codes for different religions. But they have done it not in matter of principle but in the context of political gain. So if we move in the matter of principle for good cause of the nation we must agree that there is a need of common civil code for India. The principle should be that constitutional law will override the religious laws in a secular republic like india. Justice Sahai had rightly caustioned, "...... the desirability of UCC can be hardly doubted but is can concretize only when social climate is properly built by the elite of the society and statesman, instead of gaining personal mileage, rise above and awaken the masses to accept the change."

Make a model code - We should take all the best provisions of various religious laws and make a secular model code which would be common to all and fevourable for the Indians. Then leave it to debate on this model code and try to rectify it in broad sense to suit maximum number of people in India irrespective of cast, creed and religion. It should not favour to any particular religion or group. If it will be in debate for a long time a culture will develop among its supporters and may gradually influence others which will be fravourable for acceptance of the model to uphold constitutional value high enough.

May be a starting point - The Partuguese Civil Procedure code is enacted in the year 1939. The civil law in Goa is derived from this Partuguese Civil Procedure Code. This state treats all communities equally even after it is added in to the Indian territory. Other law also may be taken in to consideration and reviewed to find the pros and cons of the model common civil code and may be implemented it as soon as possible.

Suggestion - In order to promote the spirit of uniformity of laws and accomplish the objectives enshrined in Art.44 of the Constitution, the following suggestions need immediate consideration.

1. A progressive and broadminded outlook is needed among the people to understand the spirit of such code. For this, education, awareness and sensitisation programmes must be taken up.
2. The Uniform Civil Code should act in the best interest of all the religions.
3. A committee of eminent jurists should be considered to maintain uniformity and care must be taken not to hurt the sentiments of any particular community.

Conclusion - Article 44 of the Constitution of India requires the state to secure for the citizens of India a Uniform Civil Code throughout the territory of India. As has been noticed above, India is a unique blend and merger of codified personal laws of Hindus, Muslims, Christians, Parsis. However, there exists no uniform family related law in a single statutory book for all Indians which is acceptable to all religious communities who co-exist in India. The question is not of minority protection, or even of national unity, it is simply one of treating each human person with the dignity that he deserves; something which personal laws have so far failed to do.

We have left many evils like satidaha pratha, human sacrifice, amimal sacrifice etc. In the past. So lot of many other evils those are existing at present may be also overcome by constructive approach to eradicate these evils. It can be said that lacking of a uniform civil code is a evil for Indian society and is a curse. We should over come it with concious thinking and appling our judicions mind.

References :-

1 Article 14&15 of Constitution of India.
2 Article 25&28 of Constitution of India.
3 Article 44 of Constitution of India.
4 Supra
5 Saha Bano case, 1985 AIR 945.
6 Lily Thomas Vrs Union of India, 2000, Supreme Court.
7 Sarala Mudgal case, 1995, Supreme court.
8. Lawyers update, August 2016, page 41.

****

Approches To Socio-Economic Offences In India

Dr. Rajiv Jain *

Introduction - The Socio-economic offences have been known since times immemorial, but remain dormant until the beginning of World War II. This new form of criminality was for the first time shaped by a well known criminologist Prof. Advin .H. Sutherland vin 1939. Sutherland described these newer crimes as white-collar crimes. The world wars badly affected the whole set-up of our community at large, resulting in the sudden upsurges of many problems. One of the major problems was the scarcity of the essential things and amounting demand, for them. The people occupied in trade started to take advantage of the war situation; which accelerated the growth of the newer form criminality in a substantial way.

The policy of Lasseiz-faire or non-interference of the state in the material pursuits of the individuals and association created an atmosphere of extreme business competitveness for individual advantages in the industrial countries. Thus uncontrolled capitalism posed a serious threat to the social welfare.

However the state in its turn did no longer remain a silent spectator to the victimization and sufferings of general masses. It began to realize the dangers inherent in unrestricted capitalism, so the governments in different countries decided to come out with welfare schemes for improving the living standards of the common masses and bringing about social and economic justice in the society by putting an effective check on the nefarious activities of many categories of anti-social elements so as to preserve the morality , and protect the public health,and material welfare of the community as a whole. Today, the state being a welfare state tends to control a vast a number of means of production and distribution of goods and material services etc. Therefore the activities of the state multiply to a greater extent. But unfortunately the heavy responsibility of the state over burden its administration, which led to the insufficient functioning of the governmental machinery. In addition to the above, some incompetent, dishonest and unscrupulous persons made their way into various public services. Both the aforesaid factors helped in the expansion of the socioeconomic offences eg. bribery, corruption, favouritism and nepotism in public services and among persons in high authority, trafficking in licences, permits and quotas, embezzlement, misappropriation and frauds relating to public property, and violation of specifications in public contracts decides the fields of socioeconomic offences mentioned above, there are many areas where new offences are emerging in menacing, proportions such as smuggling and violation of foreign exchange regulation, under invocing, overinvoicing, black marketing and hoarding, profiteering, racketeering, share pushing and many other violations by man in legal professions as well as in medical professions.

“Illegal sale of alchohol and narcotics,abortion(illegal),illegal services to underworld criminals, fraudulent reports and testimony in accident cases,fraud in income tax returns, extreme cases of unnecessary treatment and surgical operations, fake specialist and fee splitting”

Thus the socioeconomic criminality haa spread slowly and gradually all over the world.

Socio-Economic Offences In India - Our history tells us that India has a rich culture and heritage.It is understood that India was a land of believers who believed in values and virtues of trust,honesty,truth and benevolence that the very part of the existence. India lost its original vigour and virtuous existence and the Britishers corrupted the market and polluted the minds of simple Indians.

The Britishers very cleverly entered India and in 1717 the Mughal emperor issued a “royal” order, which granted the freedom to East-India Company to import and export its goods in Bengal without paying taxes. That order also gave a right to the company for issuing passes for the movement its goods .This order provided favourable circumstances for the servants of the East India Company who in return misused this favour and broke the trust and invaded the very freedom of India. This business tactics gradually gave rise to newer form of criminality in India, and the socioeconomic offences gradually start to develop.

The Britishers ruled over India for 200 years. In 1947 India got Independence. This era initiated the second phase of socioeconomic offences in India. At this time, India was trying to recover from the long run oppression. There was scarcity of everything including administrative machinery and setting up efficient and honest administrative machinery immediately was not an easy task.

The Britisher gave India freedom, but created a divide

---

* H.O.D. (Law) Career College Of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

between India and Pakistan that was another cause for the development of the socioeconomic offences in India. The havoc created at that time led to social disorganization and economic catastrophe. The commerce and social structure of India was totally jeopardized. People lost their businesses, houses, etc. There was migrations from Pakistan to India and many affluent businessmen had leave their flourishing businesses and move out of Pakistan as refugees. These refugees were devastated economically and socially. Therefore all these factors created favourable grounds for development of wide spread of Socioeconomic Offences in India.

In modern times, the third phase of the development of socioeconomic crimes was seen, which came through rapid industrial development and urbanization where socio-economic offences got much more chance for their growth and development. The Santhanam Committee studied these offences in detail and thecategories of socio-economic offences noted by that committee are as follows:

1. Offences calculated to prevent or obstruct the economic development of the country and endanger its economic health;
2. Evasion and avoidance of taxes lawfully imposed;
3. Misuse of their position by public servants in making of contracts and disposal of public property, issue of liicences and permits and similar other matters;
4. Delivery by individual’s industrial commercial undertakings of goods not in accordance with agreed specifications in fulfillment of contracts entered into public authorities;
5. Profiteering, black marketing and hoarding;
6. Adulteration of food stuff and drugs,
7. Theft and misappropriation of public property and funds; and
8. Trafficking in licences and permits etc.

The Indian Penal Code is the first law containing some provisions for curbing socio-economic offences. It provides some punishments for acts of adulteration, etc. However the Santhanam Committee declared that that IPC in day-to-day is not apt enough to be able to completely cover the socioeconomic offences. Some other provisions are also necessary.

After the first quarter of nineteenth century other statutes for combating with Socio-Economic Offences were made in India, particularly after independence many statutes were passed and amendments were made.

The Government of India after the appointment of the Santhanam Committee had appointed the Wanchoo Committee on 2nd of March, 1970. The duty of this Committee was to focus attention on the problem of black money which is accumulated through violation of foreign exchange regulation, black-marketing and hoarding etc.

This committee made valuable suggestions for certain amendments in statutes dealing with Socio-Economic Offences. The suggestions of those committees led to the Indian legisture to enact more laws, e.g.

1. The Foreign Exchange Regulation Act 1973;
2. The Smuggling and Foreign Exchnge manipulators act 1976;
3. The Control of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act 1974; and
4. Criminal Procedure Code 1973 etc.

Similarly Law Commission of India made valuable suggestions in the statutes dealing with socio-economic offences, so as to make the punishments more stringent for punishing the socio-economic offenders.Besides the above mentioned Acts, some main enactments which deal with socio-economic offences are as follows:

1. The Prevention of Corruption Act.
2. The Prevention of Food Adulteration Act.
3. The Prevention of Immoral Traffic (Amendment) Act,1986
4. The Drugs and Cosmetics Act.
5. The Essential Commodities (Amendment) Act
6. The Dowry Prohibition Act.
7. The Narcotic Drugs Psychotropic Substances Act, 1985.
8. The Standard of Weights and Measures Act.
9. The Customs Act.
10. The Drug (Control) Act.
11. The Income Tax Act,
12. The Anti-Corruption Laws (Amendment) Act,

Socio-economic crimes completely cover the white collar crimes, though there are minute differences.

It could therefore, be submitted that socio-economic offences does not only extend the scope of the subject matter of white-collar crime, as conceived by Sutherland and as appreciated by others but it is also of wider import. Socioeconomics has emerged as a separate field of study in the late twentieth century. If we probe into the enigma of socio economic offences the root cause lies in the lust for money. These crimes are always committed by educated, highly qualified and socially reputed people. The prominent hall mark in socio economic crimes are that these offenders pretend this illegitimate earned as legitimate money All the white collar crimes are covered in socio-economic crimes.

References :-

1. Privileged Class Deaviance by Dr.Sheetal Kanwal
2. Penology:Teatment of offenders .
3. Indian Penal Code

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Constitutional and legal provisions relating to Women Empowerment in India

Dr. Neelesh Sharma *

Introduction - "You can tell the condition of a nation by looking at the status of its women" – Pt. Jawaharlal Nehru

What Is Women Empowerment :

According to the **United Nations**, women's empowerment mainly has five components:

1. Generating women's sense of self-worth;
2. Women's right to have and to determine their choices;
3. Women's right to have access to equal opportunities and all kinds of resources;
4. Women's right to have the power to regulate and control their own lives, within and outside the home; and Women's ability to contribute in creating a more just social and economic order.
5. Thus, women empowerment is nothing but recognition of women's basic human rights and creating an environment where they are treated as equals to men.

Women Empowerment In India :

Why We Need Women Empowerment?

Need for empowerment arose due to centuries of domination and discrimination done by men over women; women are the suppressed lot. They are the target of varied types of violence and discriminatory practices done by men all over the world. India is no different.

India is a complex country. We have, through centuries, developed various types of customs, traditions and practices. These customs and traditions, good as well as bad, have become a part of our society's collective consciousness. We worship female goddesses; we also give great importance to our mothers, daughters, sisters, wives and other female relatives or friends. But at the same time, Indians are also famous for treating their women badly both inside and outside their homes.

Indian society consists of people belonging to almost all kinds of religious beliefs. In every religion women are given a special place and every religion teaches us to treat women with respect and dignity. But somehow the society has so developed that various types of ill practices, both physical and mental, against women have become a norm since ages. For instance, sati pratha, practice of dowry, parda pratha, female infanticide, wife burning, sexual violence, sexual harassment at work place, domestic violence and other varied kinds of discriminatory practices; all such acts consists of physical as well as mental element. The reasons for such behaviour against women are many but the most important one are the male superiority complex and patriarchal system of society. Though to eliminate these ill practices and discrimination against women various constitutional and legal rights are there but in reality there are a lot to be done.

Constitutional Rights to Women :

1. [Article 15(1)].
2. [Article 15(3)].
3. [Article 16(2)].
4. [Article 23(1)].
5. [Article 39(a)
6. [Article 39(d)].
7. [Art.39(e)].
8. [Art. 42].
9. [Article 51-A(e)].
10. [Article 243-D(3)].
11. [Article 243-D(4)].
12. [Article 243-T(3)]
13. [Article 243-T(4)].

Legal Rights to Women :

1. Protection of Women from Domestic Violence Act (2005)
2. Immoral Traffic (Prevention) Act (1956) .
3. Indecent Representation of Women (Prohibition) Act (1986).
4. Commission of Sati (Prevention) Act (1987)
5. Dowry Prohibition Act (1961)
6. Maternity Benefit Act (1961)
7. Medical Termination of Pregnancy Act (1971)
8. Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act (1994)
9. Equal Remuneration Act (1976) .
10. Dissolution of Muslim Marriages Act (1939)
11. Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act (1986)
12. Family Courts Act (1984)
13. Indian Penal Code (1860)
14. Code of Criminal Procedure (1973).
15. Indian Christian Marriage Act (1872)
16. Legal Services Authorities Act (1987) .

---

*Assistant Professor, Career College Of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

17. Hindu Marriage Act (1955)
18. Hindu Succession Act (1956.
19. Minimum Wages Act (1948)
20. Mines Act (1952) and Factories Act (1948)

The following other legislation's also contain certain rights and safeguards for women :

1. Employees' State Insurance Act (1948)
2. Plantation Labour Act (1951)
3. Bonded Labour System (Abolition) Act (1976)
4. Legal Practitioners (Women) Act (1923)
5. Indian Succession Act (1925)
6. Indian Divorce Act (1869)
7. Parsi Marriage and Divorce Act (1936)
8. Special Marriage Act (1954)
9. Foreign Marriage Act (1969)
10. Indian Evidence Act (1872)
11. Hindu Adoptions and Maintenance Act (1956).
12. National Commission for Women Act (1990)
13. Sexual Harassment of Women at Workplace. Act (2013)

Criminal Law (Amendment) Act, 2013 - The Criminal Law (Amendment) Act, 2013, an Indian legislation passed by the Lok Sabha on 19 March 2013, and by the Rajya Sabha on 21 March 2013, provides for amendment of Indian Penal Code, Indian Evidence Act, and Code of Criminal Procedure, 1973 on laws related to sexual offences. The Bill received Presidential assent on 2 April 2013 and deemed to came into force from 3 February 2013. It was originally an Ordinance promulgatedby the President of India, Pranab Mukherjee, on 3 February 2013, in light of the protests in the 2012 Delhi gang rape case.

Reasons for the Enactment - The nation-wide spread outrage over the brutal gang rape and subsequent death of the physiotherapy intern in India's very own capital city, New Delhi was the driving force behind the passing of the Criminal Law (Amendment) Act, 2013 that sought to amend the existing laws regarding sexual offences in India. The Act is deemed to be one of the most important changes that have been made in the existing criminal laws namely the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure and the Indian Evidence Act.

Nirbahaya Case / 2012 Delhi Gang Rape Case - The 2012 Delhi gang rape case involved a rape and fatal assault that occurred on 16 December 2012 in Munirka, a neighbourhood located in the southern part of New Delhi, when a 23-year-old female physiotherapy intern was beaten and gang raped in a private bus in which she was travelling with a male friend. The victim later died due to her injuries. The incident generated widespread national and international coverage and was widely condemned, both in India and abroad. Subsequently, public protests against the Government of India and the Government of Delhi for failing to provide adequate security for women took place in New Delhi, where thousands of protesters clashed with security forces. Similar protests took place in major cities throughout the country demanding stricter laws and speedy justice

The Justice Verma Committee - On December 23, 2012 a three member Committee headed by Justice J.S. Verma, former Chief Justice of the Supreme Court, was constituted to recommend amendments to the Criminal Law so as to provide for quicker trial and enhanced punishment for criminals accused of committing sexual assault against women. The other members on the Committee were Justice Leila Seth, former judge of the High Court of Delhi and Gopal Subramaniam, former Solicitor General of India.

The committee urged the public in general and particularly eminent jurists, legal professionals, NGOs, women's groups and civil society to share their views, knowledge and experience suggesting possible amendments in the criminal and other relevant laws to provide for quicker investigation, prosecution and trial, and also enhanced punishment for criminals accused of committing sexual assault of an extreme nature against women.

Recommendations of Justice Verma Committee

Punishment for Rape - The panel has not recommended the death penalty for rapists. It suggests that the punishment for rape should be rigorous imprisonment or RI for seven years to life. It recommends that punishment for causing death or a "persistent vegetative state" should be RI for a term not be less than 20 years, but may be for life also, which shall mean the rest of the person's life. Gang-rape, it suggests should entail punishment of not less than 20 years, which may also extend to life and gang-rape followed by death, should be punished with life imprisonment.

Punishment for other sexual offences - The panel recognized the need to curb all forms of sexual offences and recommended – Voyeurism be punished with up to seven years in jail; stalking or attempts to contact a person repeatedly through any means by up to three years. Acid attacks would be punished by up to seven years if imprisonment; trafficking will be punished with RI for seven to ten years.

Registering complaints and medical examination - Every complaint of rape must be registered by the police and civil society should perform its duty to report any case of rape coming to its knowledge. "Any officer, who fails to register a case of rape reported to him, or attempts to abort its investigation, commits an offence which shall be punishable as prescribed," the report says. The protocols for medical examination of victims of sexual assault have also been suggested. The panel said, "Such protocol based, professional medical examination is imperative for uniform practice and implementation."

Amendment of the Provisions of the Indian Penal Code, 1860 - The Criminal Law (Amendment) Act, 2013 that came into force on the 3rd of February, 2013 amended as well as inserted new sections in the IPC with regard to various sexual offences. The new Act has expressly recognized certain acts as offences which were dealt under related laws. New offences like, acid attack, sexual harassment, voyeurism, stalking have been incorporated into the Indian Penal Code.

Sexual Offences

Sexual Harassment – Section 354A

Provisions after Amendment

Section 354A – Sexual harassment has been made a gender neutral offence whereas earlier, a man who makes unwelcome sexual advances, forcefully shows pornography or demands/requests sexual favours from a woman commits the offence of sexual harassment *simpliciter* under section 354A; this is punishable by imprisonment of up to three years. Making sexually coloured remarks also amounts to sexual harassment, which is punishable by imprisonment for up to one year.

Assault or Use of Criminal Force to woman with intent to disrobe – Section 354B

Provisions after Amendment

Section 354B – If a man assaults or uses criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked in any public place, he commits an offence under section 354B, which is punishable with imprisonment between three and seven years.

This section deals with a very specific offence and adds to and supplements the provision dealing with the offence of outraging the modesty of a woman. **Voyeurism – Section 354C**

Voyeurism is the act of watching a person engaged in private activities. If a man watches a woman engaged in private activities, when the woman does not expect anyone to be watching, he has committed the offence of voyeurism.

Provisions after Amendment

Section 354C – Any man who watches, or captures the image of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator or disseminates such image shall be punished. Under Section 354C, such a person is liable.

In case of first conviction, imprisonment is not to be less than one year, but may extend to three years, and shall also be liable to fine, and on a second or subsequent conviction, punishment with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years, but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Stalking – Section 354D.

Provisions after Amendment

Section 354D – Stalking has been made a specific offence under this new section. If a man stalks a woman, he may be punished with imprisonment of up to three years for the first time, and five years for the subsequent convictions. However, the offence is subject to certain exceptions like where a person can show that the acts done were in pursuance of some law, amounted to reasonable conduct or in order to prevention of some crime.

As per the definition in Section 354D the offence was gender-neutral offence, making the crime of stalking punishable for both the gender whether male or female. However, the Amendment Act of 2013 changed '*Whosoever*' to '*Any Man'* making the offence of Stalking a gender-specific offence. Section 354D of the Ordinance of 2013, was highly inspired from the definition of 'Stalking' in Section 2A of the Protection from Harassment Act, 1997 passed by British Parliament on 25th November 2012.

Under the Act, the offence is limited to the physical act of following or contacting a person, provided that there has been a clear sign of disinterest, or to monitoring the use by a woman of the internet, email or any other forms of electronic communication.

- **Rape – Section 375 and 376**

Justice Krishna Iyer in the case of *Rafiq v. State of U.P.* made a remark that, "*a murderer kills the body, but a rapist kills the soul*"..

Provisions after Amendment

Section 375 – Under the new section, a man is said to commit rape if there is:

Penetration of penis into vagina, urethra, mouth or anus of any person, or making any other person to do so with him or any other person;

Insertion of any object or any body part, not being penis, into vagina, urethra, mouth or anus of any person, or making any other person to do so with him or any other person;

Manipulation of any body part so as to cause penetration of vagina, urethra, mouth or anus or any body part of such person or makes the person to do so with him or any other person;

Application of mouth to the penis, vagina, anus, urethra of another person or makes such person to do so with him or any other person;

Lastly, touching the vagina, penis, anus or breast of the person or makes the person touch the vagina, penis, anus or breast of that person or any other person.

The 2013 Act expands the definition of rape to include oral sex as well as the insertion of an object or any other body part into a woman's vagina, urethra or anus.

The punishment for rape is seven years at the least, and may extend up to life imprisonment. Any man who is a police officer, medical officer, army personnel, jail officer, public officer or public servant commits rape may be imprisoned for at least ten years. A punishment of life imprisonment, extending to death has been prescribed for situations where the rape concludes with the death of the victim, or the victim entering into a vegetative state. Gang rape has been prescribed a punishment of at least 20 years under the newly amended sections.

The new amendment defines 'consent', to mean an unequivocal agreement to engage in a particular sexual act; clarifying further, that the absence of resistance will not imply consent. Non-consent is a key ingredient for commission of the offence of rape. The definition of consent therefore is key to the outcome of a rape trial, and has been interpreted systemically to degrade and discredit victims of rape.

Exceptions to the Section

Marital rape, a contentious issue among feminist groups in India, is an exception to section 375, provided that the wife is not under 15 years of age.

An exception also has been provided for the purpose of medical examination. In April, 2013, the Supreme Court criticised present medical tests for rape survivals, and has castigated the standard two-finger test in the case of *Lillu @ Rajesh v. State of Harya*. Justices BS Chauhan and Kalifulla have directed the centre to provide better medical tests that do not violate the dignity of rape-survivors, thus preventing a “second rape”.

Conclusion - In conclusion, it can be said that women in India, through their own unrelenting efforts and with the help of Constitutional and other legal provisions and also with the aid of Government’s various welfare schemes, are trying to find their own place under the sun. And it is a heartening sign that their participation in employment-government as well as private, in socio-political activities of the nation and also their presence at the highest decision making bodies is improving day by day.

However, we are still far behind in achieving the equality and justice which the Preamble of our Constitution talks about. The real problem lies in the patriarchal and male-dominated system of our society which considers women as subordinate to men and creates different types of methods to subjugate them.

The need of us is to educate and sensitize male members of the society regarding women issues and try to inculcate a feeling of togetherness and equality among them so that they would stop their discriminatory practices towards the fairer sex.

For this to happen apart from Government, the efforts are needed from various NGOs and from enlightened citizens of the country. And first of all efforts should begin from our homes where we must empower female members of our family by providing them equal opportunities of education, health, nutrition and decision making without any discrimination.Because India can become a powerful nation only if it truly empowers its women.

References :-

1. www.creativespaceindia.com.
2. www.indiacelebrating.com
3. www.lawactopus.com
4. Shodhganga.inflibnet.ac.in
5. www.wikipedia.org
6. www.legalservicesindia.com
7. www.wordpress.com

****

Sexual Harrassment : The Law

Dr. Rajiv Jain *

Introduction - In India sexual harassment is termed "Eve teasing" and is termed as unwelcome sexual gesture or behavior whether directly or indirectly as sexually coloured remarks; physical contacts and advances; showing pornography; a demand or request for sexual favours ; any other unwelcome physical , verbal/nonverbal conduct being sexual in nature and/or sexually offensive and unacceptable remarks. The critical factor is unwelcomeness of the behavior, thereby making the impact of such actions on the recipient more relevant rather than intent of the perpetrator.

The Indian Constitution provides fundamental rights to a woman and sexual harassment infringes these fundamental rights of gender equality unger Article 14 and her right to life and live with dignity under Article 21.

Pre-1997 the person facing sexual harassment at workplace had to lodge a complaint under Section 354 of the Indian Penal Code 1860that deals with the 'criminal assault of women to outrage women's modesty', and Section 509 that punishes an individual for using a 'word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman.

During the 1990s, Rajasthan state government employee Bhanwari Devi who tried to prevent child marriage as part of her duties as a worker of the Women Development Program was raped by the landlords of the community. The landlords who were enraged by her(in their words: "a lowly woman from a poor and potter community ") 'guts' decided to teach her a lesson and raped her repeatedly. The eape survivor did not get justice from Rajasthan High Court and rapists were allowed to go free. This enraged a women's rights group called Vishaka that filed a public interest litigation in the Supreme Court of India.

This case brought to the attention of the Supreme Court of India,, "the absence of domestic law occupying the field, to formulate effective measures to check the evil of sexual harassment of working women at all places."

Vishakha vs. State of Rajasthan

In 1997, the Supreme Court passed a landmark judgement in the same Vishaka case lying down guidelines to be followed by in dealing with complaints about sexual harassment. Vishaka guidelines were stipulated by Supreme Court of India in Vishakha and others vs. State of Rajasthan case in 1997, regarding sexual harassment at workplace. The court stated that these guidelines were to implemented until legislation is passed to deal with the issue.

The court decided that the consideration of "International Convention and norms are significant for the purpose of interpretation of the guarantee of gender equality, right to work with human dignity in Articles 14, 15 19 (1) (g) and 21 of the constitution and the safeguards against sexual harassment implicit therein;

While the Apex Court has given mandatory guidelines known has Vishaka Guidelines, for resolution and prevention of sexual harassment enjoining employers by holding them respomsible for providing safe work environment for women,the issue still remains under carpets for most women and employers.

Vishaka guidelines apply to both organized and unorganized work sectors and to all women whether working part time, on contract or in voluntary/honorary capacity .The guidelines are a broad framework which put a lot of emphasis on prevention and within which all appropriate preventive measures can be adapted. One very important preventive measure is to adopt a sexual harassment policy, which expressly prohibits sexual harassment at work place and provides effective grievance procedure, which has provisions clearly laid down for

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal)Act,2013 is a legislative act in India that seeks to protect women from sexual harassment at their place of work . It was passed by the Lok Shabha on 3 september 2012. It was passed by the Rajya Shabha on 26 February 2013. The Bill got the assent of the president on 23 April 2013. The Act came into force from 9 December 2013.

Major Features

The Act defines sexual harassment at the work place and creates a mechanism for redressal of complaints. It also provides safeguards against false or malicious charges.

The definition of "aggrieved woman", who will get protection under the Act is extremely wide to cover all women, irrespective of her age or employment status, whether in the organized or unorganized sectors, public or private and covers clients, customers and domestic workers

---

* H.O.D. (Law) Career College Of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

as well.

While the “workplace” in the Vishaka Guidelines is confined to the traditional office set-up where there is a clear employer- employee relationship, the Act goes much further to include organization, department, office, branch and unit etc. in the public and private sector, organized and unorganized, hospitals, nursing homes, educational institutions, sports institutes, stadium, and any place visited by the employee during the course of employment including the transportion.

The Committee is required to complete the inquiry within a time period of 90 days. On completion of the inquiry, the report will be sent to the employer or the District Officer, as the case may be, they are mandated to take action on the report within 60 days.

Every employer is required to constitute an Internal Complaints Committee at each office or branch with 10 or more employees. The District Officer is required to constitute a Local Complaints Committee at each district and it is required in block level.

The Complaints Committee have the powers of civil courts for gathering evidence.

The Complaints Committees are required to provide for conciliation before initiating an inquiry if requested by the complainant.

The Act has identified sexual harassment as a violation of the fundamental rights of woman to equality under articles 14 and 15 of the constitution of India and her right to life with human dignity under article 21 of the constitution.
It was further held that each incident of sexual harassment at the work place, result in the violation of fundamental right to gender equalities and right to life and personal liberty.

References :-

1. Privileged Class Deviance by Dr. Sheetal Kanwal
2. Indian Constitution by Dr. J.N. Pandey
3. Indian Penal Code by DR. S.N.Mishra

****

Marital Rape- A Study Of Legal Perspective In India

Dr. Neelesh Sharma *

Abstract - Rape is one of the most brutal forms of violation of a woman's privacy and integrity. In the wake of increasing rapes in the country, the rape laws were amended in 2013 on the recommendations of the Justice J.S. Verma Committee Report. However, one of the biggest lacunae that exist in the criminal law of India is the non-criminalization of marital rape. Marital Rape is not criminalized as it is believed that in a marriage, there is implied consent. But, rape is still rape even though the parties are in the reaction of husband and wife. Many countries have done away with the exception of marital rape in their penal statutes. This has been recommended in India as well by the Law Commission and the Justice Verma Committee. However, no concrete action has been taken. It is high time that marital rape be criminalised as it a violation of Fundamental Rights. The main purpose of this paper is to find out as to whether sex without the consent of wife should be considered as rape.

Introduction - "A Murderer Kills the body but a Rapist Kills the soul" - Justice Krishna Ayer

Meaning of Marital Rape - Being a part of the wedlock does not permit the man to forcefully have sex with his wife. The right to have sexual intercourse must be consensual and not an obligation of the wife. The wife should have the liberty to refuse to have sex and cannot be compelled by her husband to do it. Even today the law system in India does not recognize marital rape as a crime. It is a debatable issue on which so far no conclusion has been drawn.

Effects of Marital Rape - Marital rape affects a woman drastically, it has always been thought that if a woman is raped by her partner it is comparatively less traumatic for her, but that is a myth. Research shows that marital rape has more severe and long lasting consequences for women because of the simple fact that the rapist is none other than her husband with whom she had expected to spend a lifetime of happiness.

The effects of marital rape can be broadly classified into two categories :

1. **Physical effects –** The physical effects of marital rape include injuries to private organs, bruises , torn muscles , lacerations, fatigue, fractures etc. women who are subjected to physical violence as well as rape suffer from other complications like blackened eyes , broken bones, and wounds inflicted by any sort of a weapon, during sexual violence.Women also go through some gynecological problems due to marital rape like miscarriages, infections, infertility and also the chance of contracting of various sexually transmitted diseases like HIV etc.
2. **Psychological effects** –The trauma a woman goes through when her own husband repeatedly rapes her cannot be explained in words. The psychological effects are far worse than the physical effects, some of the short term psychological effects are shock, fear , post traumatic stress , suicidal tendencies etc. the long term effects include eating disorders, depression , sexual dysfunction etc.

Laws In Other Countries - Most of the common law countries like Australia, South Africa and Canada have followed the England system and have abolished marital rape law exemption. For instance, in Australia under Section 73(4) of the Criminal Law Consolidation Act, 1953 provides "No person shall, by reasonably of the fact that he is married to some other person, be presumed to have consented to an indecent assault by that other person."

Marital Rape in Indian Perspective - Though many attempts and efforts have been done to criminalize marital rape but still marital rape is not considered as an offence in India. Despite amendments, law commissions and new legislations, it is not an offence in India. In view of various legislators it just depends upon the interpretation of the courts about this debilitating act. However, section 375 of Indian Penal Code to some extent has stated in its exceptional clause talking about what would be considered as marital rape, if there is any sexual intercourse by a man with his own wife and the wife is not under the age of 15 which inevitably means that if the wife is above the age of 15 , then it will not be considered as rape and hence not a marital rape.

Marital Rape: Infringement of Fundamental Rights - Several states have recognised marital rape as an offence breaking the chauvinistic view. In earlier times, a woman was considered to be the sexual property of the woman. However, now this view has changed and she is equal to her husband.

---

*Assistant Professor, Career College Of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

The exception under Art. 375 which permits a man to have sexual intercourse with his wife without her consent is the infringement of Article 14 and Article 21 of the Constitution.Article14 protects a person from discrimination. But the exemption under Section 375 of IPC, 1860 discriminates a wife when it comes to protection from rape. Article 21 provides the fundamental right to life and live with human dignity. The current law fails to look at consent of a woman as an elementary condition for sexual element; and taking away the element of consent from married woman when cohabiting is not only immoral but also unconstitutional. Even in *Bodhisattwa Gautam* v. *Subhra Chakrabort ,* the Supreme Court said that 'rape is a crime against basic human rights and a violation of the victim's most cherished of fundamental rights, namely, the right to life enshrined in Article 21 of the Constitution.' Yet the current law negates this very pronouncement by not recognizing marital rape, thus, directly violating the Right to life with dignity under Article 21.

Conclusion - Although marriage is considered as a sacrament in India but it does not mean that it validates marital rape. Apart from the above proposed changes and amendments we need to create awareness among the general public by educating public to view women not only from the point of view for feminine benefits but also to treat woman as valuable partners in life. In this regard the issue can be properly solved and terminated.

Suggestions :

1. Marital rape should be recognized by Parliament as an offence under the Indian Penal Code.
2. The punishment for marital rape should be the same as the one prescribed for rape under Section 376 of the Indian Penal Code.
3. The fact that the parties are married should not make the sentence lighter.
4. It should not be a defence to the charge that the wife did not fight back and resisted forcefully or screamed and shouted.
5. The wife should have an option of getting a decree of divorce if the charge of marital rape is proved against her husband. Though a case of marital rape may fall under cruelty or rape as a ground of divorce, it is advisable to have the legal position clarified.
6. Demand for divorce may be an option for the wife, but if the wife does not want to resort to divorce and wants to continue with the marriage then the marriage should be allowed to continue.
7. Corresponding changes in the matrimonial laws should be made.

References :-

1. www.lawctopus.com
2. www.supremecourtcases.com
3. www.indialawjournal.com
4. 1996 1, SCC.490.

****

The Moral Values Of A Teacher In The Literature Of Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami)

Dr. Prem Chhabra * **Dr. Bharati Bhat** ** **Ms. Madhuri Paliwal** ***

Abstract - ‘‘गुरूर्ब्रह्मा गुरूर्विष्णुगुरूर्देवो महेश्वरः’’

The title of the paper is “The moral Values of a teacher in the literature of Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami)”. The special feature of his literature is that it gives prime importance to Guru and grace of Guru, which is considered as the Grace of Guru. The Supreme value or Sanskar of human life is ‘Mukti’ or liberation. The idea of liberation or self-realization is not impossible and not unavailable to those who receive iniation from the able, moral Guru and he makes the pathway to the successful life. According to him the guru should be the awakener of the Kundalini-the spiritual power demented in each and every person who is a able disciple.

Introduction - Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami) asserts that teacher should be capable of showing the right path, right shastra, moral science & right code of conduct (Sadachar) to his disciples Teacher can remove the obstacles in the path of progress of the disciples i.e. means disciples will be free from false knowledge confusion and ignorace.

Objectives Of The Study - Objectives of the present study are as follow :

i) To search moral values of a teacher in the literature of Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami).
ii) To search ethics of a teacher in the literature of Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami).

DATA - Without data every research is not research. In the present research researcher has used two types of data.

i) Primary Data
ii) Secondary Data- All work of Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami) has used as data.
iii) Web data are also used where they are useful.

Research Method - There are many types of research methods. As study required here researcher has followed case study to study the life& aims of life of Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami). Researcher has followed descriptive study method to search moral values of a teacher in the literature of Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami).

Analysis Of Data - Data analysis gives us clear analysis & interpretation of data. In the present study the researcher has analysed the data. The analysis & interpretation of data are as follow :

God in the form of Guru made easy the Shravan, Manan and Nidhidhyasan by his own grace. Then one can understand and realize what is true and real that liberates from ignorance and bondage. As he has said in ‘Dattapurana’ :-

‘‘यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिताहर्था प्रकाशन्ते महात्मनः’’ ॥

Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami) gives importance to that teacher who believes in “example is better than precept” God in the form of Guru gives the disciple the direct knowledge (vigyana) which liberates him from the bondage and gives liberation from all kinds of problems. Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami) rightly points out that person may be possessing the moral virtues described as Daivisampda as depicted in the Shrimadbhagwatgita. Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami) was himself an ideal teacher and he has all moral qualities of a teacher. He was a virtual living encyclopedia of Vedic Culture and used to teach seemingly unlimited range of subjects viz. Sanskrit, Grammar, Vedic Texts, the technology of Vedic rituals and puranas the six systems of Indian Philosopy (Sankhya, Yoga, Nyaya (logic) and Vaisheshik, Purva Mimansa and Uttar Mimanza i.e. (Vedanta),]

His knowledge of these subjects was not of merely the theoretical but he was a master who could guide a sincere student to the ultimate goal of self-realization. He was apparently well versed in several arts Viz. Music, Poetry, Spinning, Weaving etc. He even advised right moves to chess players, sometimes without watching the game though he never played himself. No sincere student was ever turned away by him. It was impossible to think about the range and depth of his knowledge. He had an excellent

---

* Principal in Lokmanya Tilak Education College, Ujjain (M.P.) INDIA
** I/c Principal in Swami Vivekanand Education College, Sendhwa (M.P.) INDIA
*** Lecturer in Swami Vivekanand Education College, Sendhwa (M.P.) INDIA

style of discourse, explain the subject clearly with illustration and authenticating his statements with appropriate, scriptural quotations. Though he did refer to Vedic Mantras, he considered it a sacrilege to alter a Vedic Sentence during public discourse. Not only did he follow this common himself but also insisted on adherence to it by others.

In his ‘Vriddhashiksha’ he told the qualities and moral values of a teacher.

‘‘उपाधिनाऽऽत्मनानात्वं कर्तृतां वीक्ष्य भोक्तृताम्।
विषारदोऽप्यनित्यत्वं लोककालागमात्मनाम्’’ ॥5॥
‘‘ततो निर्विद्य संन्यस्य प्रवृत्तिं प्रेयसीमपी ।
विषारदं ब्रह्मनिष्ठं क्षोत्रियं गुरूमाश्रयेत’’ ॥6॥

According to Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami) a moral teacher means a mental purifier of those who sincerely devotes him. As he asserted in ‘Shrisaptshatigurucharitrasar’.

‘‘भक्तिगम्यस्य तस्येदं चरितं चित्तशुद्धये ।
संक्षेपण स्फुटं वक्ति वासुदेव सरस्वति’’॥

As Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami) said that Guru is God trinity. Three God in one Shree Datta.

‘‘तूंचि मूर्तिमंत ब्रह्मत्रिमूर्ति तूं गुरूपरम ।
कलियुगी मंगलधाम । भक्त कामपूरक’’ ॥

Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami) identified this personal God, Shri Dattatreya with the Saguna Brahama of Upanishadas, which is declared to be the cause of Origin. Sustainer and Destruction of the universe i.e. Shri Guru Trinity Shri Datta. The value is Universality.

‘‘भूतं भव्यं भच्चास्माज्जायते येन जीवति ।
लीयते यत्र तदब्रह्म श्री दत्ताख्यं त्रयधीश्र्वरम्’’॥2॥

The next point is that the grace of Guru should be identical with God who liberates us from the bondage of imperfection and illusion. So, the respect of God, trinity, Shri Guru is the way of Realization.

‘‘हो अस्तंगत माया। गुरू प्रसन्न हो जया ।
भज सोड़ोनी संशया। करी दया त्रिमूर्ति’’ ॥ 12-14॥

Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami) considers that a teacher should be freed from kam (lust) Krodh (anger), Moha (greed) Mad (Pride), Ego (Ahankar) Dwesh (Jealousy). Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami) highly regarded woman in the life of man due to her role of Sahdharmini and mother of saints and noble Personalities. So, a teacher also needs morally to give due regard to the status of woman in the life, and make efforts also to teach his disciples the same, because they are not inferior to man in any respect, but they are equal.

To solve the problems regarding human life on the background of the stages of development Kumara, Yuva and Vriddha he has created the ‘Shiksha Trayam’ Kumarshiksha is regarding Kumar, Yuva Shiksha deals with the Values of Yuva and last one Vriddha Shiksha for Vriddhas. In ‘Yuvashiksha’ as a teacher he has rejected the worship in which wine, Meat and women are used. A moral teacher should not continue his teachings to a particular form. It corporate all the essential of materialistic life and Vedas, Upanishadic, the whole and all the practical aspects of a successful life.

Some other facts regarding moral qualities of a teacher according to him are as follow:

1. The teacher should be a reliable & ideal person.
2. A real teacher is never, proud about the grace because he is simply instrumental in showering the grace.
3. Teacher regulates the power by the basic resolution he adopts of the well being of the disciple.
4. The teacher as a person does not have much relevance. Indeed, he symbolizes and represents the Divine Grace universally present in a guru.
5. Teacher should have an intense desire for the welfare of the disciple.
6. Teacher should be able to make the disciple beyond the dualities of pleasure and pain, gain and loss and get established in eternal happiness.
7. Teacher stands for the principle of perfection and bliss.
8. Teacher should associate with good persons to nourish goodness in him.
9. Teacher should never blame others.
10. His speech should be soft and pleasant.
11. He should receive from other what is good in them and remain indifferent to sorrow and joy.

‘‘धैर्य सत्य शमें बुद्धि। धरा.....
समत्वें न द्वैत बाधि। साधी शांति ॥
गर्व क्रोध अवमान। द्रोह......
न सोडा वाग्बाण। सोसा हे ही’’ ॥ 43 ॥

12. He should not be angry, arrogant and should not insert or cheat anyone.
13. He should not speak in harsh words to other.
14. Teacher should get money with his own sincerity & purity.
15. Teacher should follow the path of truth, ahimsa and compassion.
16. He should have moral and liberal attitude.
17. He should be able to clear all doubts of his students.
18. He should follow his duty with celibacy.
19. He should avoid wine, women and non vegetarian food.
20. He should have nir kshir vivek. **‘नीर-क्षीर विवेक’**
21. He should have mission and vision in his life.
22. He should give his students education for harmoniously development.
23. He should have desire for lifelong education.
24. He should have control over his senses.
25. He should always emphasis on moral life.

Sugestions:

Sugestions for future study :

Topics

1. The Moral values of a disciple in the literature of Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami).
2. Teaching methods of Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami).
3. Curriculum according to Shri Vasudevanandsarswati

(Tembe Swami).

4. Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami) as an educationist.

Extract - According to Shri Vasudevanandsarswati (Tembe Swami) the last and most important moral value for a teacher is Universal Brotherhood. This feeling of co-operation is very necessary for both teacher and student or Guru and disciple to care the diseases of violence, corruption terrorism, pride and greed etc. Teacher should not make any distinction between friend and foe, brother and stranger but regard them all with impartiality with his/ her own experience and will.

References :-

1. Dhekane N. Kaka (2012); Key note speech (Panthraj) Dixit, (Dr) P.N. (2012); Kritarth Jeevan, Prasanna Puja (p.Raj) Joshi, S.B. (2012); Mahayoga Global Meet, (Panrthraj) Deshmukh V. Vasudeo (2005); Charitra Chintan Deshmukh Dr. V.V. (2006); P.P. Shrivasudevananda Sarswati Tembe Swami. A compact biography Joshi, Dr. S.J. (1993); Shri Dattavatara Shri Vasudevanand Sarswati Tembe Swami Maharaj Vangmaya Sampada and Jeevan Drishti.
2. Kavishwar. D.D. (1954); Shri Gurudevcharitra, Swami (Tembe) Shri Vasudevananda. (1951-54); Shiksha Trayam Storadi Sangrah, Shri Saptashati Gurucharitra.
3. Dattaleelamritabdhisar, Magh Mahatmya, Trishati Kavyam Shri Dattachampu, Shri Dattapuranam, Samshloki Gurucharitram, Joshi, Suneeta; “Datta Sampradaya and Philosopy of Advaita with special Reference To shri Vasudevananda Saraswati (Tembe Swami)” (1975).

Web Bibliography :-

1. www.shrivasudevanandsaraswati.com
2. www: shrivasudevanandsaraswati.org.com
3. www:mahagoga.org.
4. www:kundalivishakipatayoga.net
5. www: kundalivishakipatayogaswamidham.com
6. www:prabhaba.org
7. www:shivdham.org

****

ग्रन्थालयों एवं पुस्तकालयों की उन्नति, विकास एवं अनुसंधान में उपयोगिता

विपिन बिहारी मिश्र *

शोध सारांश – ग्रन्थालय में ज्ञान के उपयोग में से साधक सिद्ध होने के लिए सन्दर्भ ग्रन्थालयी अनेक प्रकार की सन्दर्भ सेवा की विधियों से अध्येताओं की सेवा करता है, जिससे उसे वान्छित सूचना प्राप्त हो सके। निम्न कारणों से ग्रन्थालयों में सन्दर्भ सेवा की आवश्यकता अनुभव होती है। सूचना आज अनेक प्रकार के स्वरूपों में जैसे– पुस्तकों, पत्रिकाओं, सम्मेलन के प्रतिवेदनों, समाचार पत्रों आदि में निहित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाशनों का जगत इतना विशाल है कि किसी भी अध्येता को सभी प्रकार की सामग्रियों से अवगत एवं परिचित होना तथा उन्हें प्राप्त कर लेना बड़ा कठिन कार्य है। अत: अध्येताओं को वान्छित ज्ञान–सामग्रियों को ढूँढकर प्राप्त करने में सहायता करना ही सन्दर्भ सेवा का कार्य माना जाता है।

प्रस्तावना – ग्रन्थालयों एवं पुस्तकालयों की उन्नति, विकास एवं अनुसंधान में उपयोगिता – लोकतान्त्रिक प्रणाली में शिक्षा को एक आवश्यक कार्य माना जाता है, परिमणामत: सभी देशों में शिक्षा के क्षेत्र में विकास एवं विस्तार हुआ है। विश्व में जनसंख्या के साथ–साथ शिक्षितों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। **शिक्षा के विस्तार के कारण ज्ञान प्राप्त करने तथा सीखने की प्रवृत्ति में विस्तार एवं परिवर्तन आया है। शिक्षा का प्रसार कक्षाओं से बाहर आ चुका है इसलिए किसी न किसी रूप में ग्रन्थालयों की भूमिका मानी गयी है जिसके फलस्वरूप ग्रन्थालयों में सन्दर्भ सेवा की आवश्यकता होती है।'**[1]

ग्रन्थालयों के प्रकारों एवं उद्देश्यों में अधिक परिवर्तन आया है लेकिन सभी का उद्देश्य पाठकों को उनकी वान्छित सामग्री शीघ्र उपलब्ध कराना होता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के ग्रन्थालयों में उपलब्ध ज्ञान–सामग्रियों का अधिक से अधिक उपयोग कराने के लिए मानव अभिकरण की अत्यन्त आवश्यकता होती है। इसलिए इस कारण से भी सन्दर्भ सेवा को अति आवश्यक सेवा माना जाता है।

प्रत्येक देश में उसकी उन्नति एवं विकास के लिए अनुसन्धान एवं विकास कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया जाता है। **शोध सम्बन्धी क्रिया–कलापों के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त सूचना एवं ज्ञान–सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जिसके लिए ग्रन्थालयों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए सन्दर्भ विभाग आदि सेवाओं का आयोजन करते हैं क्योंकि अनुसन्धानकर्ता के पास इतना समय नहीं होता कि वह इस असंख्य ज्ञान–सामग्रियों में से अपनी सामग्री खोज सके।'**[2] इसलिए शोध के क्रिया–कलापों में पर्याप्त वृद्धि के कारण सन्दर्भ सेवा का महत्व बढ़ गया है।

शोध आलेखों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जो नियन्त्रण की दृष्टि से समस्यामूलक है। अत: किसी भी विषय के उच्च कोटि के अध्येता एवं विशेषज्ञ के लिए असम्भव है कि वह ग्रन्थालय में निहित सभी प्रकार की सामग्रियों से परिचित हो सके। अत: विशेषज्ञों को उनकी अभिरूचि की सामग्रियों से अवगत रखने के लिए सन्दर्भ सेवा का आयोजन अति आवश्यक है।

आज ज्ञान–सामग्रियाँ शीघ्र ही पुरानी, अप्रचलित तथा अनुपयोगी सिद्ध होने लगती हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। यदि एक वैज्ञानिक नवीनतम सामग्रियों से अवगत रहने का प्रयास न करे तो उसका ज्ञान अप्रचलित, पुराना, अनुपयोगी तथा उत्पादन विहीन सिद्ध होने लगता है। अत: यह आवश्यक है कि ज्ञान सामग्रियों के अप्रचलित होने के पूर्व उनके उपयोग किए जाने का प्रयास किया जाए जो मात्र सन्दर्भ सेवा के द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

आज के समय में समय दूरी तथा भाषा की कठिनाइयाँ अवरोधक तत्व नहीं रह गए हैं और सूचना के प्रसार एवं वितरण के क्षेत्र में ऐसे साधन एवं विधियाँ उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा विश्व के किसी भी कोने से सूचना शीघ्र अतिशीध्र प्राप्त की जा सकती है।'[3] अर्थात् संसार के एक कोने में अनुसन्धान कर रहे व्यक्ति को दूसरे कोने के व्यक्ति से सम्पर्क रखना अतिआवश्यक हो गया है अर्थात् सार्वभौमिक सम्पर्क की आवश्यक है जिसमें सन्दर्भ सेवा का योगदान महत्वपूर्ण है तथा जिसके अभाव में सार्वभौमिक सम्पर्क असम्भव लगता है।

किसी अन्वेषण अथवा सिद्धान्त के उद्‌भव, प्रतिपादन तथा उनका उपयोग व्यावहारिक रूप से किए जाने के बीच विलम्ब नहीं होना चाहिए। यथासम्भव इन सूचना सामग्रियों से शीघ्रातिशीघ्र विशेषज्ञों एवं अनुसन्धानकर्ताओं को अवगत करा देना चाहिए और यह तभी सम्भव है जब एक सुव्यवस्थित सन्दर्भ सेवा की व्यवस्था ग्रन्थालय में हो जिससे सूचना का प्रवाह व प्रसारण होता रहे।

सन्दर्भ सेवा का अभिप्राय अध्येताओं को वान्छित सूचना सामग्री सरलता एवं शीघ्रतापूर्वक उपलब्ध कराना होता है। **डॉ. रंगनाथन के अनुसार सन्दर्भ सेवा अध्येता एवं उसके वान्छित प्रलेख के बीच व्यक्तिगत ढंग से सम्पर्क स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। अध्येता के प्रलेख का तात्पर्य उन प्रलेखों अथवा ग्रन्थों से होता है, जिससे उसे वान्छित सूचना सामग्री अथवा ज्ञान का विवरण प्राप्त होता है और उनकी ज्ञान–पिपासा सन्तुष्ट होती है।'**[4] यह एक व्यक्तिगत सेवा होती है, जिसमें अनेक प्रकार की क्रियाएँ सम्मिलित होते हैं। अध्येता की जिस प्रकार की आवश्यकता होती है। सन्दर्भ ग्रन्थालयी उसकी पूर्ति के लिए

---

* शोधार्थी (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

प्रयास करता है।

डॉ. रंगनाथन ने व्यावहारिक रूप से स्पष्ट किया है तथा इनके अन्तर को भी स्पष्ट किया है। प्रथम प्रकार की सेवा उद्यत सन्दर्भ सेवा को त्वरित सन्दर्भ सेवा भी कहते हैं। सन्दर्भ प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने में सन्दर्भ सेवा उनकी प्रकृति एवं गहनता के अनुसार उन्हें त्वरित सन्दर्भ सेवा तथा गहन सन्दर्भ सेवा की श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं।

डॉ. रंगनाथन ने उद्यत सन्दर्भ सेवा की व्याख्या एवं परिभाषा करते हुए कहा है कि उद्यत सन्दर्भ सेवा वह सन्दर्भ सेवा है, जिसके कम से कम समय में सम्पन्न किया जा सकता है यदि सम्भव हो तो क्षण मात्र में जिसे सम्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार उद्यत सन्दर्भ सेवा की अवधारणा में सेवा प्रदान करने की समयावधि मुख्य अवधारणा है। अर्थात् समयावधि कम से कम समय है। इस सेवा में सन्दर्भ प्रश्नों के उत्तर उद्यत सन्दर्भ सामग्रियों से खोजकर तुरन्त एवं सरतलापूर्वक प्रदान किए जाते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थालयी किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर बिना विलम्ब किए सन्दर्भ कृतियों से खोजकर तुरन्त प्रदान करता है। कभी-कभी तो कुछ ही क्षणों में उत्तर प्राप्त हो जाता है। इस सेवा में प्रश्नों के उत्तर उन सन्दर्भ कृतियों के आधार पर दिए जाते हैं जिन्हें सुविधाजनक विधि के सन्दर्भ विभाग में विशिष्ट प्रकार से व्यवस्थित करते रखा जाता है और जिनसे प्रश्नों का उत्तर खोजने में क्षणमात्र का समय लगता है।

उद्यत सन्दर्भ सेवा एक सीमा तक वस्तुत: तथ्यों की जानकारी देने की सेवा है। इस सेवा में प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने के लिए सन्दर्भ स्त्रोतों का उपयोग किया जाता है। सन्दर्भ स्त्रोतों के अन्तर्गत विश्वकोश, शब्दकोश, अब्दकोश जीवन चरित्र कोश, गजेटियर, भौगोलिक शब्दकोश, वाङ्कोश, सूचियाँ, निर्देशिकाएँ तथा अनुक्रमणिकाएँ आदि को सम्मिलित किया जाता है।

सन्दर्भ सेवा का यह प्रकार आधुनिक युग की देन है। इसका उद्भव ही आधुनिक ग्रन्थालय सेवा की अवधारणा के कारण हुआ है सन्दर्भ सेवा की गहनता की दृष्टि से सन्दर्भ कार्य के तथ्यों को प्राप्त करना, सन्दर्भ सामग्री प्राप्त करना, खोज, पाठक परामर्श आदि विभिन्न रूपों एवं प्रक्रियाओं में आयोजित करने का प्रावधान किया जाता है।'[5] वर्तमान युग को तथ्यों का युग कहा गया है और तथ्यों की खोज में अध्येता अथवा पाठक सन्दर्भ विभाग पर सर्वाधिक निर्भर रहते हैं। परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के प्रश्नों की जानकारी एवं सहायता के लिए माँग की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उत्तर प्रदान करने की दृष्टि से उन प्रश्नों का वर्गीकरण करना आवश्यक हो जाता है।

छोटे-मोटे प्रश्नों के उत्तर तो उद्यत सन्दर्भ सेवा में ही प्रदान कर दिये जाते हैं जिनमें बहुत कम समय अथवा क्षण मात्र लगता है लेकिन विशेष समस्याओं के निदान के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बहुत कम समय में नहीं प्रदान किए जा सकते हैं। ऐसे सन्दर्भ प्रश्नों के उत्तर खोजने एवं प्रदान करने में सन्दर्भ स्त्रोतों के साथ-साथ मौलिक कृतियों का भी अवलोकन करना पड़ता है। जिसमें अधिक समय लग सकता है। ऐसे प्रश्न व्यक्तिगत आवश्यकताओं से सम्बन्धित होते हैं तथा पृष्ठभूमि युक्त होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल (श्यामसुन्दर) : ग्रन्थालय एवं समाज, जयपुर, आर.बी.एस.ए. पब्लिकेशन्स, 1994
2. कृष्णन (व.सु.) : भारतीय गजेटियर म.प्र. ग्वालियर भोपाल, चन्द्रा प्रिन्टर्स, 1968.
3. सुन्दरेश्वरनर (के.एस.) शैक्षणिक पुस्तकालय संगठन तथा प्रबन्ध, नई दिल्ली, एस.एस. पब्लिकेशन्स, 1991 पृ.75
4. शास्त्री (द्धारका प्रसाद) : पुस्तकालय विज्ञान का परिचय, इलाहाबाद साहित्य भवन, 1971
5. सक्सेना (एल.एस.) : पुस्तकालय संगठन तथा वयवस्थापन, भोपाल मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1988.

****

योग के प्रकार के प्रकार अंतर्गत -राजयोग

डॉ. प्रतिभा नामदेव *

शोध सारांश – प्रत्येक व्यक्ति में अनंत ज्ञान और शक्ति का आवास है। राजयोग उन्हें जाग्रत करने का मार्ग प्रदर्शित करता है। इसका एकमात्र उद्देश्य है – मनुष्य के मन को एकाग्र कर उसे 'समाधि' नामावली पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में पहुंचा देना। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। राजयोग का विषय चित्तवृत्तियों का निरोध करता है अलग अलग संदर्भों में राजयोग के अलग अलग अनेकों कार्य है। ऐतिहासिक रूप में, योग की अंतिम अवस्था समाधि को ही राजयोग कहते थे। किंतु आधुनिक संदर्भ में हिन्दुओं के 6 दर्शन में से एक का नाम 'राजयोग' (या केवल योग) है। महर्षि प्रतांजलि का योगसूत्र इसका मुख्य ग्रन्थ है। 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद ने राजयोग का आधुनिक अर्थ में प्रयोग प्रारंभ किया था।

प्रस्तावना – राजयोग को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अर्थात् अष्टांग योग अथवा पतांजलि योग नाम से अभिहित किया जाता है। पतांजलि में कहा गया है कि 'चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है।[1] 'सांसारिक विषयों की ओर चित्त इंन्द्रियों द्वारा दौड़ता है। यह इसकी वृत्ति है। इस प्रकार चित्त वृत्तियों को बर्हिमुख न करके अंर्तमुख करना योग है।

चित्त मन, बुद्धि और अहंकार को मिलाकर बनता है। मन की चंचलता जग जाहिर है। मन इन्द्रियों के साथ संयुक्त रहता है और ज्ञान इन्द्रियाँ मस्तिष्क के अंतर्गत स्नायु केन्द्र से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक वस्तु का अनुभव तभी होता है जब वस्तु से उत्पन्न संवेदना को बुद्धि के सामने पेश करता है। तब बुद्धि प्रतिक्रिया होती है, जिससे अहम भाव जाग उठता हैं। यह मिश्रित रूप पुरूष अर्थात् आत्मा के सम्मुख लाया जाता है और वह वस्तु का अनुभव करता है। इस प्रकार पॉचों इन्द्रियों मन बुद्धि और अहंकार को मिलाकर अंत:करण अथवा चित्त कहते है।

राजयोग या अष्टांग योग के आठ अंग पातांजलि के अनुसार निम्नांकित है – यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।[2]'

यम सांसारिक प्राणियों के साथ व्यवहारिक जीवन को यज्ञों द्वारा उच्च कोटि का बनाना, उसके प्रयोग सें पच क्लेशों का नाश होता है। यम में पॉच बात आती हैं – 'अंहिसा, सत्य अस्तेय, ब्रंम्यर्च, अपरिग्रह ये पॉच यम हैं।[3] 'चित्त की शुद्धि यम द्वारा होती है। मनसावाचाकर्मणा अर्थात् मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट न देना अंहिसा कहलाता है। किसी भी वस्तु को किसी की नजरों से बचाकर चोरी या शक्ति द्वारा न लेना ही अस्तेय है। इसके अभ्यास से सभी श्रेष्ठ पदार्थ अपने आप प्राप्त होने लगते है। 'उपस्थेन्द्रिय का त्याग ही ब्रम्हचर्य है। इसके अभ्यास से आयुर्विद्या, यश, बल बढ़ता है। जिससे अत्यंत आनंद अनुभूति होती है। वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं से अधिक स्वार्थ सिद्धि के लिए एकत्र करना अपरिग्रह हैं। जब यम को प्रयोग प्राणियों के कल्याण के लिए किया जता है तब उसे महाव्रत कहते है।

नियम – यम के बाद नियमों का वर्णन किया जाता है, नियम भी पॉच होते है 'शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणीधान नियम हैं।[4] 'शौच अर्थात शुद्धि दो प्रकार से होती है। बाह्य शुद्धि और अभ्यांतर शुद्धि, बाह्य शुद्धि में शरीर के बाह्य अंगों, प्रत्यंगो की सफाई करना अभियांत्रिक शुद्धि मन की शौच को कहते है। इससे मन पवित्र होता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है तथा आत्मा के देखने की योग्यता प्राप्त होती है। कहा भी गया है कि संतोषमय परम सुखम। संतोष महान सुख देने वाला होता है, परिश्रम के पश्चात् जो फल प्राप्त हो उसमें प्रसन्न चित्त रहना ही संतोष है। संपूर्ण परिस्थितियों में शरीर को संयमित रखना तप है, इससे शरीर, इन्द्रियाँ, मन और प्राण शुद्ध होकर निरोग रहते हैं, वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि ग्रन्थों का अध्ययन, मंत्रों का जाप स्वाध्याय कहलाता है इससे इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। ईश्वर की भक्ति, पूजा, आराधना आदि को फल सहित् ईश्वर को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्राणीधान है। इससे समाधि की प्राप्ति होती है।

आसन – पातांजलि के अनुसार 'जो स्थिर और सुखदायी हो, वह आसन है।[5]' जिस विधि से स्थिरता पूर्वक एवं अधिक समय तक बिना कष्ट के बैठा जा सके वह आसन है। जितने जीव जन्तु हैं उतने ही आसन हैं, इनके द्वारा शरीर की चंचलता और आलस्य आदि होते है।

प्राणायाम – 'श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम हैं।[6]' इस प्रकार जीवन शक्ति को वश में करने के लिए उसकी गति को रोकना प्राणायाम कहलाता है। इसमें सांस को भीतर लिया जाता है जिसे पूरक कहते है, दूसरा श्वास को रोका जाता है कुम्भक भीतर रोकने को अभ्यांतर कुम्भक कहते है। श्वास को छोड़ा जाता है जिसे रेचक कहते हैं और बाहर रोकने को बाह्य कुम्भक कहते है। प्राणायाम करने से ह्रदय, मस्तिष्क, फेफड़े और नाड़ियों की कार्य क्षमता बढ़ती है तथा आत्मा का ज्ञान हो जाता है। वर्तमान में मुख्य रूप से आठ प्रकार के प्राणायाम का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है 1. आभ्यन्तर 2. भस्त्रिका, 3. कपाल भाति, 4. अनुलोम-विलोम, 5. बाह्रा, 6. उज्जायी 7. भ्रामरी, 8. उद्धीथ प्राणायाम के द्वारा सैकड़ों लोगों को स्वास्थ लाभ पहुंचाया जाता है। इनमें मुख्य रूप से भस्त्रिका प्राणायाम – जब व्यक्ति किसी ध्यानात्मक आसन में अपनी सुविधा के अनुसार बैठकर दोनों नासिकाओं से सांस को पूरा अन्दर डायाफार्म तक भरकर व बाहर पूरी शक्ति के साथ सांस छोड़ता है, इस क्रिया को भस्त्रिका प्राणायाम कहते है। कपालभाति प्राणायाम – कपाल अर्थात् मस्तिष्क और भांति का अर्थ होता

---

* अध्यापिका, शासकीय मिडिल भिलैया, तहसील – सागर , जिला – सागर (म.प्र.) भारत

दीप्ति, ओज, तेज, कांति, आभा, प्रकाश आदि जिस प्राणायाम के करने से मस्तिष्क यानि माथे पर कांति व आभा और ओज बढ़ता हो वह प्राणायाम कपालभाति कहलाता है। अनुलोम – विलोम – दांए हाथ को उठाकर दांए हाथ अंगुष्ठ के द्वारा दायाँ (पिंगला नाड़ी) तथा अनामिका व मध्यमा अंगुलियों के द्वारा बायाँ स्वर बंद करना चाहिए हाथ की हथेली को नासिका के सामने न रखकर थोड़ा ऊपर रखना इसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम को बायीं नासिका से प्रारंभ करते है, अंगुष्ठ के माध्यम से दाहिनी नासिका को बंद करके बायी नाक से सांस धींरे धींरे भरना चाहिए सांस का पूरा अंदर भरने पर अनामिका व मध्यमा वाम स्वर को बंद करके दाहिने नाक पूरा सांस बाहर छोड़ देना चाहिए धींरे धींरे श्वास प्रस्वास की गति धीमी और फिर तेज करनी चाहिए तेज गति से पूरी शक्ति के साथ श्वास अंदर भेर व बाहर निकाले अपनी शक्ति के अनुसार श्वास प्रस्वास के साथ गति मंद तेज ओर मध्यम करे तेज गति से पूरक, रेचक करने से प्राण की तेज ध्वनी होती है श्वास पूरा बाहर निकालने पर बाम स्वर को बंद रखते हुए ही दायी नाक से श्वास पूरा अंदर भरना चाहिए तथा अंदर पूरा भर जाने पर दाएं नाक को बंद करके बाँयी नासिका से श्वास बाहर छोड़ना चाहिए यह एक प्रक्रिया पूरी होती हैं, इसे पॉच मिनिट से प्रारंभ करके 20 से 25 मिनिट तक किया जा सकता हैं। भ्रामरी प्राणायाम – श्वास पूरा अंदर भरकर मध्यमा अंगुलियों से नासिका के मूल आंख के पास से दोनों ओर से थोड़ा दबाएं मन को आज्ञा चक्र में केन्द्रित रखे अगूठे के द्वारा दोनों कानों को पूरा बंद कर ले अब भ्रमर की भांति गुंजन करते हुए नाद रूप में ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर छोड़ दे, पुन: इसी प्रकार अवृत्ति करे इस तरह यह प्राणायाम कम से कम तीन बार अवश्य करे अधिकतम 11 से 21 बार तक भी इस प्राणायाम को किया जा सकता है। मुख्य रूप से इन प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति में बहुत सारे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते है।

1. **भस्त्रिका –** इंन्द्रियों को बर्हिगमन न करके अंतर्गमन करना प्रत्याहार है अर्थात इन्द्रियां सांसारिक सुख–वैभव को देखकर उनमें तल्लीन होती है अर्थात इन्द्रियां सांसारिक सुख–वैभव को देखकर तल्लीन होती है, उनको अपने वश में करना ही प्रत्याहार है।

धारणा – मन को किसी स्थान विशेष में लगाने को धारणा कहते हैं। अत: निम्नलिखित स्थानों पर ही चित्त में बांधना श्रेयस्कर है। नाभि ह्रदय नासिकाय भूमध्य आदि।

ध्यान – जब वृत्ति लगातार एक–सी बनी रहती है तब ध्यान कहते है।

समाधि – जब ध्यान सभी प्रकार के आलम्बनों को छोड़कर मन पूर्णरूपेण एकरूपता प्राप्त कर लेता है, तब उसे समाधि कहते हैं। पातांजलि के अनुसार ‘वही (ध्यान) जब समस्त बाहरी उपाधियों को छोड़कर अर्थमात्र को ही प्रकाशित करता है, तब उसे समाधि कहते है।[7]’ जब ध्यान का अभ्यास इतना प्रबल हो जाता है कि केवल ध्येय की प्रतीति होने लगती है और ध्यानकर्त्ता को ध्यान करने की भावना की चेतना नहीं रहती, क्योंकि ध्येय पूर्ण रूप से ध्यानकर्ता को अपने में विलीन कर लेता है। योगी ध्येय से इस प्रकार तादात्म कर लेता है कि उसे इसका भाष भी नहीं रहता कि वह किसी वस्तु का ध्यान कर रहा है या सोच रहा है। ‘स्वरूपशून्यमिव’ का यही आशय है। ज्ञाता ‘श्रेय और ज्ञान का भेदभाव दूर करके एक ही अद्वितीय ब्रह्म में चित्तवृत्ति को एकाकार करना समाधि है, समाधि द्वारा मनुष्य अपनी मन की ज्ञान्द्रियों को अपने बस में कर करके कुछ भी प्राप्त कर सकता है, हमारे ऋषि मुनि योगी संतों ने ध्यान समाधि के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की शक्तियों को प्राप्त किया है जिसके द्वारा समाज का कल्याण किया है।

जब वर्तमान पीढ़ी किसी समस्या का भविष्य में निर्देषन ‘‘मार्गदर्शन‘ चाहती है तो उसे अतीत में झांकना अनिवार्य हो जाता है अर्थात किसी भी समाज का ऐतिहासिक विवेचन उसके सुखद भविष्य का मार्ग तय करने वाले प्रस्थान बिन्दु कहा जा सकता है। योग जैसे प्राचीन शास्त्र का अनादिकाल से ही भारत की पवित्र धरती ने मानव जाति के बेहतर रहन–सहन में अपने तरीके से योगदान दिया है। भारतीय योग परम्परा का ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अध्ययन करके हम भविष्य को एक बहुमूल्य रत्नस्वरूप योग विद्या प्रदान कर सुखद भविष्य की कल्पना कर सकते है। भारतीय इतिहास में जन्मी उन प्राचीन विधाओं में से योग है। जिनमें रोगों की रोकथाम, उपचार, पुन: स्वास्थ स्ाापन तथा स्वास्थ संवर्धन की असीमित संभावनाएं है।

विभिन्न योगों का विवेचन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि राजयोग ही सर्वोत्तम योग है, क्योंकि कर्म ज्ञान एवं भक्ति का अंतिम सार भूत लक्ष्य राजयोग में ही है। कर्म की भावना से भक्ति एवं उसकी कुशलता में ज्ञान समाया हुआ है, इस प्रकार कर्म में विवेकपूर्ण अनुरक्ति के कारण उसमें ज्ञान एवं भक्ति का भी समावेश हो जाता है। ज्ञान में कर्म सूक्ष्म धरातल पर स्थित हो जाता है। अत: ज्ञान कर्म एवं भक्ति का उद्देश्य विषय में लयीभूत होकर वृत्ति प्रवाह का निरोध करना ही होता है, इस प्रकार इनको उद्देश्य भी राजयोग की सिद्धि करना ही है। योग की अंतिम भूमिका के रूप में राजयोग आता है। जिससे असम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है, इस प्रकार सभी का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या कैवल्य का ही होता है। मन का संबंध राजयोग से होता है। सभी प्रकार के योगों में अष्टांगयोग या राजयोग ही स्वीकृत किया गया है। राजयोग में ध्यान और समाधि की प्रमुखता रहती है।

योग विद्याप एक प्राचीनतम कला है। ऋषि, मुनि, योगी महापुरूषों को मुख्य रूप से इसमें प्रवीणता हासिल थी। यही विद्या हमारी प्रतीक संस्कृति ने वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रदान की। मनुष्य को धींरे धींरे इस विद्या का शारीरिक व मानसिक रूप से लाभ मिला और वह इसे अपनाता चला गया अत: यह हमारी संस्कृति की पहचान बनी रही। प्रस्तुत शोध पत्र वर्तमान पीढ़ी के समक्ष प्राचीनतम विद्या का एक सजीव चित्र होगा। भारत में योग की परंपरा कई हजारों वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। इसके जनक महान संत एवं मनीषी थे। योग का प्रवर्तन सृष्टि से आरंभ से ही भगवान हिरण्यगर्भ द्वारा किया गया। वहीं पुरातन योग परंपरा आज भी प्रकाशवान है। प्रत्येक काल में योग ही धारणा एवं इसके सिद्धांतों में तत्कालीन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होते है और यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांरित होता रहता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. यमनियमासन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणाध्यान समाधो डष्टावगांनि ।। पां.यो.प्र. ।। 2 /29
2. अंहिसा सत्यास्तेय ब्रहमयर्चापरिग्रहायमा: ।। पां.यो.प्र. ।। 2/30
3. शौच संतोष तन: स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमा: ।। पां.यो.प्र. ।। 2/32
4. स्थिर सुखमासनं ।। पां.यो.प्र. ।। 2/46
5. तस्मिन सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेद: प्राणायाम: ।। पां.यो.प्र. ।। 2/49
6. तदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूप्शून्यमिव समाधि: ।। पां.यो.प्र. ।। 3/3
7. आम कुम्भमिवाम्मस्थो जीर्यमाण: सदाघट:
   योगानलेन सदहय घटशुद्धि समाचरेत ।। घे.स. 1/8